दशम माला, खंड 14, अंक 15

मंगलवार, 28 जुलाई, 1992
6 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

64

LIBRARY
No. 64
Date 12494

(खंड 14 में अंक 11 से 20 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
29	नीचे से 9	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
38	नीचे से 2	"श्री ललत उरांव" के स्थान पर "श्री ललित उरांव" पढ़िये।
42	नीचे से 3	शी फक "शल्यो" के स्थान पर "शल्य" पढ़िये।
71	नीचे से 7	"सेल" के स्थान पर "रेल" पढ़िये।
72	4	"प्रम्न" के स्थान पर "प्रश्न" पढ़िये।
	नीचे से 3	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
74	नीचे से 11	"श्री के.पी.रेडुय्या यादव" के स्थान पर "श्री के. पी. रेड्डय्या यादव" पढ़िये।
76	14	"(क)" के स्थान पर "(क) और (ख)" पढ़िये।
78	2	"(घ)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
85	15	"श्री राधिका रंज प्रमाणिक" के स्थान पर "श्री राधिका रंजन प्रमाणिक" पढ़िये।
89	5	"(ड.)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
97	नीचे से 3	"यत्री" के स्थान पर "मंत्री" पढ़िये।
100	14	"श्री भूपेन्द्र सिंह हड्डा" के स्थान पर "श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा" पढ़िये।
107	नीचे से 5	"मंत्रालग" के स्थान पर "मंत्रालय" पढ़िये।
108	7	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
110	नीचे से 3	"श्रीमतो डा. के.तारादेवो सिद्धार्थ" के स्थान पर "श्रीमती डा. के. तारादेवो सिद्धार्थ" पढ़िये।
	नीचे से 9	"(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
115	15	शीर्षक में "ब्लाक" के स्थान पर "ब्लेक" पढ़िये।
141	21	"श्रीमती सुमिता महाजन" के स्थान पर "श्रीमती सुमित्रा महाजन" पढ़िये।
143	नीचे से 2	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
154	17	"(ग)" के स्थान पर "(ख) और (ग)" पढ़िये।
160	13	"(घ)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
172	14	"श्री धर्मशिक्षम" के स्थान पर "श्री धर्मभिक्षम" पढ़िये।
192	13	"देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यास सूखे की स्थिति" के स्थान पर "देश के विभिन्न भागों में व्याप्त सूखे की स्थिति" पढ़िये।

विषय

(तो) रात

विषय सूची

दशम माला, खंड 14, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 15, मंगलवार, 28 जुलाई,1992/6 श्रवण, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 285, 286, 289 और 290	1—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	21—175
तारांकित प्रश्न संख्या : 287, 288 और 291 से 304	21—37
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2947 से 3017, 3018 से 3061, 3063, 3064 और 3066 से 3119	38—175
रेलवे श्रमिक संघर्ष समिति, मुरादाबाद के कर्मचारी की समस्याओं और मांगों के बारे में याचिका	175
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	1फ5—76
कार्य-मंत्रणा समिति	
सतरहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	176—77
नियम 377 के अधीन मामले	177
(एक) मिजोरम में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
डा॰ सी सिलवेरा	177
्द्रीय वस्त्र निगम की मिलों की स्थिति को और अधिक ` से रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री शरद दिघे	177

ˉअंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही

(तीन) कर्नाटक की सभी लम्बित विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री बी० धनंजय कुमार 178

(चार) राजस्थान के झालावाड़ जिले में राजमार्ग संख्या 19 पर उजहर नदी पर पुल के निर्माण को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती वसुन्धरा राजे 178

(पांच) बिहार को दिए जाने वाले मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री मंजय लाल 178

(छः) सिगरेट उद्योग के लिए मूल्य वर्धित कर-प्रणाली आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री पी० जी० नारायणन 179

(सात) असम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर बंगसारी रेल फाटक पर एक उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबीन डेका 179

नियम 193 के अधीन चर्चा 180-189, 192-209 और 215-251

(एक) देश के विभिन्न भागों में व्याप्त सूखे की स्थिति

श्री राजवीर सिंह 180

डा० आर० मुल्लू 183

श्री चित्त बसु 185

श्री हरि केवल प्रसाद 188

श्री शिवाजी पटनायक 192

श्री शरत् चन्द्र पटनायक 193

श्री विजय कुमार यादव

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम

श्री अन्ना जोशी

श्रीमती सरोज दुबे

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही

श्री याइमा सिंह युमनाम

श्री रामचन्द्र वीरप्पा

...करण में सम्मिलित मूल हिन्दी ... माना जायेगा ।]

विषय	पृष्ठ
(दो) राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद	
श्री सैफुद्दीन चौधरी	215
श्री ए० चार्ल्स	219
श्री शरद यादव	222
श्री चिन्मयानन्द स्वामी	227
श्री पी० एम० सईद	231
श्री इब्राहिम सुलेमान सेट	233
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेजी	237
श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित	243
सभा पटल पर रखे गए	190—192
मन्त्री द्वारा वक्तव्य	209—215
(एक) केरल में सांप्रदायिक घटनाएं	
श्री एम० एम० जैकब	209
(दो) मालेगांव, महाराष्ट्र में हुई सांप्रदायिक हिंसा	
श्री एम० एम० जैकब	210

लोक-सभा

मंगलवार, 28 जुलाई, 1992/6 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वोत्तर क्षेत्र में "एड्स" के रोगी

[अनुवाद]

*285. श्री प्रवीन डेका : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर मानव विज्ञान अनुसंधान संस्थान, शिलांग के निष्कर्षों के अनुसार पूरे देश में "एड्स" के जितने रोगी हैं उनका एक चौथाई पूर्वोत्तर क्षेत्र में है;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस तथ्य की पुष्टि की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में इस खतरनाक रोग को फैलाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में एड्स रोगियों की संख्या के बारे में पूर्वोत्तर मानव विज्ञान अनुसंधान संस्थान, शिलांग की कोई जांच रिपोर्ट नहीं देखी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को भी इस संस्थान द्वारा की गई ऐसी जांच की कोई जानकारी नहीं है। तथापि, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार देश में कुल एच० आई० वी० पाजीटिव रोगियों (एड्स रोगी नहीं) में से पांचवां भाग पूर्वोत्तर राज्यों से सूचित किया गया है, अर्थात् कुल 3309 एच० आई० वी० पाजीटिव रोगियों में 1611 (19 प्रतिशत) पूर्वोत्तर राज्यों से हैं।

इस क्षेत्र में एड्स को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय/कदम उठाए गए हैं :—

—सभी सात राज्यों में आंचलित रक्त परीक्षण केन्द्र स्थापित करके रक्त और रक्त उत्पादों की निरापदता सुनिश्चित की गई है। इस समय वहां पर पांच आंचलिक रक्त परीक्षा केन्द्र (अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में एक-एक) और आठ निगरानी केन्द्र हैं जहां पर एच०आई० वी० परीक्षण सुविधाएं (असम में तीन, नागालैंड में तीन और मणिपुर में दो) उपलब्ध हैं।

—अधिक जोखिम वाले लोगों अर्थात् अन्तःशिरा औषध प्रयोगकर्ता, देह-व्यापार में लिप्त लोगों और रक्तदाताओं की निगरानी का कार्य तेज किया गया है।

—पूर्वोत्तर राज्यों में औषध व्यसनियों और एड्स की घटनाओं के बीच गहरे संबंध को देखते हुए नशा मुक्ति के 5 केन्द्रों की स्थापना की गई है, ताकि औषध व्यसनियों में से विषाक्तता दूर की जा सके और उनकी औषधों पर निर्भरता कम की जा सके।

—औषध व्यसन की समस्या को हल करने के लिए, जिसका इस क्षेत्र में एच० आई० वी० संक्रमण के फैलने से गहरा संबंध है, सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्रवाई योजनाओं में समन्वय रखने, उनकी समीक्षा करने और मानीटरिंग करने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन एक समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है।

—पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों को केवल एड्स से सम्बन्धित समस्याओं को दूर करने के लिए समर्पित संगठन स्थापित करने की सलाह दी गई है। तीन राज्यों मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, जोकि सबसे अधिक प्रभावित हैं, ने अपेक्षित संगठन स्थापित भी कर लिए हैं। कार्यक्रम में समन्वय रखने और उसकी मानीटरिंग करने के लिए शक्ति प्राप्त समिति बनाने की भी राज्यों को सलाह दी गई है। नागालैंड में ऐसी समिति बनाई भी जा चुकी है। कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई प्रस्तावित है :—

—यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम को यौन संचारित रोग क्लिनिकों की स्थापना करके, अपेक्षित जनशक्ति को प्रशिक्षित करके तथा आवश्यक औषधें प्रदान करके तेज किया जाएगा।

—इस समय तैयार की जा रही कार्ययोजनाओं के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में और निगरानी/आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

—सूचना, शिक्षा और संचार के गहन और नए कार्यकलाप आरम्भ किए जाएंगे, जिससे कि सामान्य जागरुकता में वृद्धि हो सके और लोगों को निवारक उपाय करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इन प्रयासों में गैर-सरकारी संगठनों की सहायता और सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

श्री प्रबीन डेका : अध्यक्ष महोदय, ये उत्तर टालने वाले हैं, क्योंकि एम्सटर्डम में आठवीं विश्व एड्स सम्मेलन की सामाप्ति पर जो संदेश प्राप्त हुआ वह यह है कि एच० आई० वी०। एड्स एक विश्वव्यापी महामारी है और यह नियन्त्रण के बाहर होती जा रही है। इस महामारी को 1991 में इसके पता लगने के बाद 100 गुना अधिक बढ़ते हुए पाया गया है। मन्त्री महोदय के उत्तर को देखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में एच० आई० वी० पाजिटिव मामले महामारी का रूप धारण कर गये हैं। ऐसी परिस्थितियों में रक्त कोष में रक्त की गुणवत्ता को पर्याप्त और उचित तरीके से नियन्त्रित नहीं किया जाता है क्योंकि एड्स के सबसे तेजी से बढ़ने का कारण

यौनाचार है। अतः इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : महोदय, मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में एच० आई० वी० या एड्स की समस्या को बताता हूं और मैंने किसी भी तरह का उत्तर टाला नहीं है। उन्होंने विशेषरूप से यह पूछा है कि क्या किसी संगठन ने इसके बारे में कोई निष्कर्ष निकाला है। मैंने कहा "जी नहीं"। परन्तु पूर्वोत्तर राज्यों में एड्स या एच० आई० बी० पाजिटिव मामले की समस्या बहुत गम्भीर है और हमने इसे फैलने से रोकने के लिए कुछ उपाय किए हैं। परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि इसे तुरन्त रोका जा सकता है। यह समस्या मणिपुर, नागालैंड, या मिजोरम—मुख्यतः मणिपुर में—नशीली दवाओं के इस्तेमाल सीमा पर नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के कारण है। अतः पूर्वोत्तर राज्यों में एच० आई० बी० पाजिटिव या एच० आई० वी० सीरो पाजिटिव का कारण नशीले पदार्थों का दुरुपयोग है। मैं यह बात बड़े मम्र भाव से कहता हूं कि सरकार ने इस पर गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिया है और पिछले साल हमने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच एक समेकित और समन्वित प्रयास करने के बारे में कोशिश की है। हमने गृह मंत्रालय में एक समिति का गठन किया है, जिसमें भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालय—समाज कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मन्त्रालय और रक्षा मंत्रालय भी शामिल है—ताकि नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोका जा सके। यदि एक बार नशीले पदार्थों के व्यापार को रोक लिया गया तो हम इस समस्या से सकारात्मक रूप से निपट सकेंगे।

दूसरी बात यह है कि हमें जनता में व्यापक स्तर पर जागरुकता उत्पन्न करनी है कि मादक औषध-व्यसन ही एच० आई० वी० पाजीटिव होने का मुख्य कारण है जिससे जनसंख्या अथवा जो व्यक्ति इस नशे के आदी हो जाते हैं अथवा अपने व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं करते हैं, उनका इससे सर्वनाश हो सकता है।

श्री प्रवीन डेका : महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि एड्स के जीवाणुओं से संक्रमित सामग्री विशेषरूप से अस्पताल में प्रयुक्त वस्तुएं जैसे सुई, सिरिंज और ऐसी ही अन्य वस्तुओं के निबटान लेतु कौन-कौन से तरीके अपनाए जाते हैं।

इन सामग्रियों का निबटान करते समय क्या कोई सख्त पर्यवेक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये सामान बाजार में पुनः बिक्री के लिए न आ जायें जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है ?

क्या असम अर्थात् गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिल्चर के तीनों मेडिकल कालेजों में रक्त परीक्षण करने सम्बन्धी सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं ?

यदि उन मेडिकल कालेजों में ये सभी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं तो ये सुविधायें वहां पर कब तक उपलब्ध हो जायेंगी ?

श्री एम० एल० फोतेदार : महोदय, माननीय सदस्य का उन उपायों के बारे में पूछना ठीक है जो हम रक्त बैंकों के बारे में कर रहे हैं। मेरे विचार से अगला प्रश्न यह पूछा जा रहा है। मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा—विभिन्न राज्यों में हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करने का विचार करते हैं अथवा हमने क्या किया है। इन सभी प्रश्नों पर एक ही साथ विचार करने के लिए आपसे अनुरोध किया होता। परन्तु मैंने सोचा कि पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेषरूप से विचार करने की आवश्यकता है।

मेरे विचार से पूर्वोत्तर राज्यों में एड्स का मुख्य कारण विभिन्न मादक वस्तुओं का सेवन करने वाले व्यक्तियों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना है। इसे रोका जाना चाहिए। इस पर रोक लगाने के पश्चात् ही हम कुछ हद तक इस रोग के फैलने पर रोक लगा सकते हैं। हमने आवश्यक मार्गनिर्देश जारी कर दिये हैं कि वहां पर उपलब्ध सिरिजों का इस्तेमाल दूसरे व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाये। राज्य सरकारों को उचित रूप से परामर्श दिया गया है। मुख्य सचिवों को निदेश दिया गया है कि उन्हें राज्यों में समिति का प्रमुख होना चाहिए ताकि पुलिस, स्थानीय वित्त मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय और समाज कल्याण मन्त्रालय को भी उसमें सम्मिलित किया जा सके।

इस समय मणिपुर में स्थिति अत्यधिक गम्भीर है। कुछ अन्य राज्यों में भी स्थिति के गम्भीर होने की संभावना है जब तक कि पूर्वोत्तर राज्यों के माननीय सदस्य भी मादक वस्तुओं के दुरुपयोग और उनके व्यापार को रोकने में राज्य सरकारों और हमारे साथ सहयोग नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस समय यह प्रश्न पूर्वोत्तर राज्यों से सम्बन्धित है। पूर्वोत्तर राज्यों के सदस्यों को इसकी अधिक जानकारी होने की संभावना है। मैं अन्य सदस्यों से शिष्टाचार बरतने का अनुरोध करूंगा ताकि वे प्रश्न पूछ सकें।

डा० जयन्त रंगपी : अध्यक्ष महोदय, एड्स मामले पर नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर ध्यान दिया जाता है, वह यह है कि एच० आई० बी० पाजिटिव और एड्स के स्पष्ट मामलों में ठीक प्रकार से उपचार करना क्योंकि जब तक एड्स मामलों का ठीक प्रकार से उपचार नहीं किया जाता तब तक वे बीमारी फैलाते रहेंगे।

हमारे ध्यान में सम्पूर्ण पूर्वोत्तर में एड्स के मरीजों के उपचार के लिये सरकार द्वारा प्रायोजित या सहायता प्राप्त कोई केन्द्र नहीं हैं। माननीय मन्त्री ने नशा-मुक्ति केन्द्र के बारे में जिक्र किया है लेकिन नशा-मुक्ति केन्द्र स्पष्ट एड्स मामलों के उपचार की गारंटी नहीं देते।

अत: मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या पूर्वोत्तर में एड्स मामलों के लिए उपचार केन्द्र की स्थापना के लिए कोई कदम उठाए गये हैं।

उन्होंने पहले ही इस बात का जिक्र किया है कि एड्स के मामले अन्त:शिरा औषध प्रयोक्ताओं, स्वापक पदार्थों का अवैध व्यापार, देह व्यापार के अड्डे तथा अन्य सामाजिक समस्याओं के प्रत्यक्ष समानुपात में है। माननीय मन्त्री जी ने गृह विभाग और अन्य विभागों के साथ कुछ समन्वय का पहले ही जिक्र किया है। अत: मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पूर्वोत्तर राज्यों में एड्स के मामलों पर नियन्त्रण के लिये एक व्यापक बृहत योजना तैयार की गई है ?

श्री एम० एल० फोतेदार : जहां तक पूर्वोत्तर का सम्बन्ध है, हमने कहा है कि एच० आई० बी० पाजिटिव मरीजों या एड्स मरीजों को उनके परिवारों से अलग नहीं किया जाना चाहिए। हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये थे कि ऐसे मरीजों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हमने राज्य सरकारों को निर्देश दिये हैं कि वे इस सम्बन्ध में समुचित उपाय करें तथा आवश्यक जागरूकता पैदा करें। जहां तक मुख्यत: पूर्वोत्तर को एम०आई०वी० पाजिटिव या एड्स मामलों के उपचार का संबंध है, मैंने कहा है कि हमने गृह मंत्रालय के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है जहां पर इन सभी मामलों की देखभाल की जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में एड्स मामलों के उपचार के इस पहलू की समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है। हमने इस मामले को समाज कल्याण मंत्रालय के साथ उठाया है और कहा है कि उनका उपचार किये जाने के बाद अथवा उन पर विचार किए जाने के बाद यथा संभव उनके

पुनर्वास के लिए कोशिश की जानी चाहिए। यह मामला गृह मंत्रालय में इस उच्च स्तरीय समिति के विचाराधीन है।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : महोदय, एड्स को स्वापक पदार्थों के इस्तेमाल से बढ़ावा मिलता है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मयांमार में स्वापक पदार्थों के अधिक व्यापार के अलावा एच० आई० वी० मामले दक्षिण-पूर्व एशिया के मयांमार से जुड़े हुए हैं।

[अनुवाद]

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एच० आई० वी० मामले में सर्वाधिक वृद्धि पूर्व एशिया में रिकार्ड की गई है तथा इसके अलावा मयामार मादक पदार्थों का एक बड़ा स्रोत रहा है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आवश्यक हस्तक्षेप नीति के अतिरिक्त चिकित्सा के दृष्टिकोण से सरकार भारत-बर्मा सीमा को बन्द करने पर भी विचार करेगी चूंकि एड्स एक बहुक्षेत्रीय समस्या है और अकेले स्वास्थ्य मंत्रालय इस क्षेत्र में बहुत कुछ नहीं कैसे सकता?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप स्वास्थ्य मंत्रालय से यह प्रश्न पूछना पसन्द करेंगे?

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : महोदय, आपने ठीक कहा है।

श्री एम० एल० फोतेदार : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा दिये गए सुझाव को मैंने नोट कर लिया है और सीमा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय के पास मैं इस सुझाव को भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने लिखित में बताया है कि—

[अनुवाद]

"देश में एच० आई० वी० के कुल मामलों में से 1/5 मामले पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाने के समाचार है।"

[हिन्दी]

मैं जानता हूं कि नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो 1/5 केसेस रिपोर्ट किए हैं, इसके क्या कारण हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले सप्ताह अम्सटर्डम में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में डब्ल्यू० एच० ओ० के डायरेक्टर जनरल ने आगाह किया है आगे चलकर हिन्दुस्तान में एपिडेमिक की तरह एड्स बढ़ सकता है। क्या इस चीज की जानकारी मंत्री महोदय को है और नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स में और देश में इनको रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या-क्या सरकार करने जा रही है, ताकि यह बीमारी एपिडेमिक तरीके से न बढ़ सके।

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : एच० आई० वी० पाजीटिव से होने वाले एड्स मामलों को रोकने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि एक व्यक्ति का केवल उसी व्यक्ति के साथ सम्पर्क रहना चाहिए जिसका उसे कानूनीतौर पर हक प्राप्त है। मूल मुद्दा यही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं·········

श्री श्रीकांत जेना : आप लोगों में इस बात की जागरूकता बढ़ाइए। (व्यवधान)

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं इसे अभी स्पष्ट करूंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि फोतेदार साहब का आम बयान देखा होगा कि हिन्दुस्तान में जबरदस्त तरीके से यह रोग आने वाला नहीं है। लेकि डब्ल्यू० एच० ओ० कह रहा है कि यह एपीडैमिक की तरह आ रहा है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि खास तौर से प्रीवेंटिव मेजर्स क्या लेंगे हिन्दुस्तान के लिए।

[अनुवाद]

विश्व स्वास्थ्य संगठन के महा निदेशक के द्वारा दी गई चेतावनी को देखते हुए।

[हिन्दी]

श्री एम० एल० फोतेदार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि डब्ल्यू० एच० ओ० ने ऐसा कहा है और इसी बुनियाद पर हमने बहुत बड़ा एक्शन प्लान पिछले एक साल या आठ महीने से बनाया है। बुलड बैंक के बारे में मैंने कहा, सैकिंड क्वेश्चन जो आएगा एड्स के बारे में, ब्लड बैंक के बारे में क्या करना है,प्री वेंटिव मेजर्स क्या लेने हैं, वह सैकिंड क्वेश्चन में आएगा। नार्थ-इस्ट में सबसे बड़ी बात हम कर सकते हैं कि लोगों में एक प्रचार हम करें कि वह किसी भी सूरत में ड्रग्स, हिरोइन ड्रग्स जो वहां आती है उसका इस्तेमाल न करें तथा एक ही सिरिंज पांच या छः या सात लोग इस्तेमाल करते हैं उसी वजह से मणिपुर में एच०आई० वी० पाजिटिव, सिरो पाजिटिव और एड्स केसिज बढ़ रहे हैं। यही एक वजह है। उसके लिए हमने काफी कोशिश की है कि मुख्तलिफ, मंत्रालयों में बातचीत कर के वहां एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को तथा उसके अलावा एन० जी० ओज० को बताया ताकि यह आगे न फैले और उस पर कंट्रोल किया जा सके। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि एड्स के फैलने के मुख्य कारण हैं : हिट्रोसेक्सुअल प्रोमिस्कुईटी, दूषित रक्त का उपयोग और अन्तशिरा मादक पदार्थों का सेवन। क्या यह सत्य है कि 46.20 प्रतिशत संक्रमण हिट्रोसैक्सुअल प्रोमिस्कुइटी के कारण होता है और 18.46 प्रतिशत दूषित रक्त और 18.28 प्रतिशत मादक पदार्थों के सेवन से होता है?

अध्यक्ष महोदय : आपको जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रश्न पूछिए।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर राज्यों में एड्स के मामलों में तेजी से वृद्धि के लिए इन तीन कारणों में से कौनसा मुख्य कारण उत्तरदायी है।

अध्यक्ष महोदय : वह इसका पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : अपने उत्तर में मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में किए गए विभिन्न उपायों के बारे में बताया है। मेरा कहना है कि ये उपाय अत्यन्त कम हैं। महोदय पूर्वोत्तर क्षेत्र में एड्स के मामलों में तेजी से वृद्धि को देखते हुए क्या मंत्री जी इस बीमारी को रोकने के लिए और भी कदम उठाएंगे?

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या आप इसे रोकने के लिए कारगर कदम उठाएंगे और स्वाभाविक है कि इनका उत्तर भी सकारात्मक ही होगा।

श्री एम० एल० फोतेदार : इसे रोकने के लिए न केवल सभी उचित उपाय बल्कि सभी कारगर

कदम उठाए गए हैं और राज्य सरकार, राज्यों की जनता और एन० जी० ओ० के सहयोग से ये कदम उठाए जाएंगे।

रक्त बैंक

[हिन्दी]

+

***286. श्री रामेश्वर पाटीदार :**

श्रीअर्जुन चरण सेठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्त के नमूनों को भरने और रखने, उन पर लेबल लगाने तथा उनको लाने-ले जाने हेतु कोई समान मानकीकृत प्रक्रिया तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी क्षेत्रीय रक्त जांच केन्द्रों विशेषतः वाणिज्यिक रक्त बैंकों में एच० आई० वी० संक्रमण की जांच करने सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाएं हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है कि वाणिज्यिक रक्त बैंकों और पेशवर रक्त दाताओं द्वारा सप्लाई किया गया रक्त एच० आई० वी० एन्टीबाडीज से मुक्त हैं ?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) एच० आई० वी० जांच के प्रयोजन के लिए रक्त नमूनों के प्रबन्धन, लेबल लगाने और लाने-ले जाने के लिए एक समान और मानकीकृत प्रक्रिया तैयार की गई है। वर्ष 1989 में सभी आंचलिक रक्त परीक्षा केन्द्रों को इस बारे में आवश्यक अनुदेश जारी किए गए है कि रक्त बैंक 2 सी० सी० मात्रा रक्त का तीसरा नमूना लेंगे, इसमें उचित रक्त दाता संख्या का लेबल लगाएंगे, डिब्बे का कसकर ढक्कन लगाएंगे और उसमें आसंजनशील टेप लगाकर इसे एच० आई० वी० परीक्षा के लिए निर्धारित आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्र को भेजेंगे। रक्तदाता का विवरण रक्त बैंक में रखा जाएगा। परीक्षण उपस्कर, परीक्षण किट जैसी अपेक्षित सुविधाएं तथा प्रशिक्षित जन शक्ति 128 आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्रों को प्रदान कर दी गई हैं। ऐसे 52 और केन्द्र खोले जा रहे हैं। आंचलिक केन्द्र रक्त में एच० आई० वी० जांच करेंगे और एलिसा पॉजिटिव पाए जाने पर उस रक्त को हटा देने के लिए सम्बन्धित रक्त बैंक को अनुदेश देंगे।

राज्य सरकारों और राज्य औषध नियंत्रकों को वाणिज्यिक बैंकों सहित सभी रक्त बैंकों को निर्धारित आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्रों से सम्बद्ध करने के अनुदेश दिए गए हैं। रक्त निरापदता के लिए एच० आई० वी० परीक्षण को औषध और प्रसाधन सामग्री नियम के अन्तर्गत 11 जुलाई, 1989 को पहले ही अनिवार्य परीक्षण अधिसूचित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज देश में एक हजार छयासी ब्लड बैंक हैं और उसमें से सरकार ने जो जानकारी राज्य सभा में दी है उसमें सरकार ने स्वीकार किया है कि 616 ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। 22 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश में भी 602 ब्लड बैंक हैं उसमें से 252 ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। यानी देश में 60 प्रतिशत से अधिक तथा अलग-अलग राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। नेशनल मेडिकल जनरल आफ इण्डिया ने भी रिपोर्ट दी है और आल इण्डिया मेडिकल साइंसिज ने अपने सर्वे में कहा है जितने कमर्शियल ब्लड बैंक हैं नार्म्स के अनुसार न उनके पास इक्वीपमेंटस हैं न उनके पास दूसरी फैसीलिटिज हैं और न ही उनके पास नार्म्स के अनुसार जगह ही है। किस तरह से ब्लड बैंक चल रहे हैं ?···(व्यवधान)···मेरा मतलब है कि सिक्रेट रूप से या जो अन-रिकोग्नाइज्ड ब्लड बैंक चल रहे हैं क्या सरकार को पकड़ने के लिए, उनकी जांच करने के लिए नियमित रूप से कोई अभियान चलाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश में टोटल एक हजार अट्ठारह ब्लड बैंक्स हैं और उनमें से जो पबलिक सैक्टर में ब्लड बैंक्स आते हैं चाहे सेन्ट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, वे 608 हैं। अगर कुछ गलत फीगर्स हों तो उसको ठीक करवा लीजिए। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर पाटीदार : राज्य सभा में यह जानकारी दी है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं। राज्य सभा में मैंने जो कहा वह इस प्रकार है। सार्वजनिक क्षेत्र में 608 रक्त बैंक हैं। क्योंकि आपने 1018 रक्त बैंकों के बारे में पूछा है अत: मैं आपको सभी रक्त बैंकों के बारे में अलग-अलग जानकारी दे रहा हूं। जैसा मैंने बताया कि 1018 रक्त बैंक हैं और उनमें से राज्यों और केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र में 608 रक्त बैंक हैं। निजी अस्पतालों में रक्त बैंकों की संख्या 151 हैं। वाणिज्यिक रक्त बैंक भी हैं और उनकी संख्या 203 है। इसके अलावा स्वैच्छिक संगठनों में रक्त बैंकों की संख्या 56 है। इस प्रकार कुल मिलाकर 1018 रक्त बैंक हैं।

माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या इन रक्त बैंकों के पास लाइसेंस हैं। मैं उन्हें बता सकता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के भी बहुत से रक्त बैंकों के पास लाइसेंस नहीं हैं। अब हमने एक अधिसूचना जारी की है। हम इसे अनिवार्य कर देना चाहते हैं कि देश के सभी रक्त बैंक चाहे वे निजी क्षेत्र में हों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के हों अथवा स्वैच्छिक संगठनों के हों, उन सभी के लिए राज्यों के औषध नियंत्रक से नहीं बल्कि भारत सरकार के औषध नियंत्रक से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा यदि कोई भी रक्त बैंक इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्रालय अथवा भारत सरकार के औषध नियंत्रक द्वारा दर्शाये गए अथवा बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो भारत सरकार के औषध नियंत्रक को यह अधिकार होगा कि वह उन्हें उचित नोटिस जारी करने के बाद उनके लाइसेंस को रद्द कर देगा। अत: हम पहले ही ऐसा कर रहे हैं। हमने आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं कि सभी रक्त बैंकों के पास लाइसेंस होना चाहिए और जिन्होंने अभी तक लाइसेंस नहीं लिया है, उन्हें लाइसेंस लेना होगा बशर्ते उनके पास विशेष विवरण हो···(व्यवधान)

श्री राम नाइक : रजिस्ट्रेशन के बारे में आपका क्या विचार है? केन्द्र सरकार द्वारा ही रजिस्ट्रेशन क्यों किया जाना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा क्यों नहीं ?

श्री एम० एल० फोतेदार : अभी तक राज्य सरकारों द्वारा ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। राज्य औषध नियंत्रकों ने भी कहा है कि यह अधिकार केन्द्र के पास ही रहना चाहिए क्योंकि यदि किसी भी रक्त बैंक द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो केन्द्र सरकार को उन्हें उचित नोटिस देने के बाद उनका लाइसेंस रद्द करने का अधिकार होगा।

अतः लाइसेंस रद्द करने से पहले हमें देखना है कि वे भारत सरकार के औषध नियंत्रक द्वारा परिचालित, इंगित अथवा उल्लिखित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। अतः उन्हें इस शर्त पर लाइसेंस दिया जाएगा कि वे नवीनतम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें अथवा रक्त दाताओं विशेषकर स्वैच्छिक रक्तदातासों से रक्त प्राप्त करें।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, अभी इंडियन रेडक्रास सोसाइटी और दूसरे कार्माशिबल ब्लड बैंक वालों ने पिछली सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है। इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी के आवेदन केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं। क्या ऐसे ब्लड बैंक्स को और रेड क्रास सोसायटी को सरकार आर्थिक सहायता देगी। अभी पिछले दिनों दिल्ली प्रशासन के रिकार्ड के अनुसार अकेले दिल्ली में जिन ब्लड सैम्पल्स को सेफ सर्टिफिकेट दिया गया तो एक साल में उनकी जांच करने पर 499 सैम्पल्स में एच० आई० वी० के वायरस पाए गए और जिनके कारण लोगों को एड्स हुआ। इसके अनुसार सरकार ने 1962 की राव कमेटी में और 1982 की फरगुसन रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली में कार्माशियल ब्लड बैंक 43 प्रतिशत मरीजों की पूर्ति कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट यह है कि उनके सैम्पल ठीक नहीं लिए जाते हैं। क्या सरकार इस पर सख्त कार्यवाही करेगी और जो मरीज हैं इनकी जांच नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय : आप इतने सारे प्रश्न पूछेंगे और जवाब नहीं आएगा तो मुश्किल हो जाएगी।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर पाटीदार : यह जो ड्रग एडिक्ट हैं या जो गरीबी के कारण अपना खून बेचते हैं उनका खून अन्य लोगों को दे दिया जाता है उसके कारण लोगों को कई प्रकार की भयानक बीमारियां हो जाती हैं। क्या ऐसे जो हेबीचुवल डोनर्स हैं सरकार कोई कानून बनाकर उनका खून लेने पर पाबन्दी लाएगी और सिर्फ मरीजों के रिश्तेदारों से ही खून लिया जाए, ऐसा भी कोई कानून बनाएगी ?

श्री एम० एल० फोतेदार : हमारे देश में करीब 40 लाख यूनिट ब्लड दरकार है, लेकिन मुश्किल से हमें सिर्फ 20 लाख यूनिट ब्लड मिलता है और जो प्रोफेशनल डोनर्स हैं वे 29 प्रतिशत देते हैं। माननीय सदस्य ने यह सही कहा है कि ऐसे जो प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स जो खून देते हैं या ऐसे ब्लड बैंक जो उनसे खून लेते हैं उनको गैर कानूनी घोषित करके बन्द करायेंगे, मैं माननीय सदस्य से बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसे ब्लड बैंक्स को बिल्कुल बन्द कर देना चाहिए। लेकिन मुश्किल यह है कि अगर हम बिल्कुल बन्द करेंगे तो देश में खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि अस्पतालों में इसकी जरूरत होती है। इसलिए हमने कोशिश की है कि ब्लड बैंक्स को रेगुलेट किया जाए। उसके जरिए बाद में कोई ब्लड बैंक नियमों के आधार पर काम नहीं करे तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। माननीय सदस्य ने रेडक्रास का जिक्र किया। उड़ीसा में 50 ब्लड बैंक हैं और 49 ब्लड बैंक इण्डियन रेडक्रास के हैं। उनमें से 22

ऐसे हैं जो कि अन-लाइसेंस्ड हैं। तीसरी बात माननीय सदस्य ने यह कही कि क्या हम इसके लिए उसको कोई अनुदान या अलाऊंस देंगे, तो मेरा कहना यह है कि पब्लिक सेक्टर के अलावा हम ऐसे आर्गेनाइजेशंस की मदद करेंगे, अनुदान देंगे जो वालंटरी आर्गेनाइजेशंस हैं। नान गवर्नमेंटल आर्गेनाइजेशंस को और प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स को ऐसा अनुदान देने का कोई प्रश्न नहीं है।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी : माननीय मन्त्री जी ने प्रश्न का उत्तर देते समय अभी बताया है कि सरकार ने रक्त बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे एच० आई० वी० पॉजीटिव के लिए अपने यहां परीक्षण सुविधा रखें अन्यथा उनके लाइसेंस रद्द कर दिये जाएंगे। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इसे कब अनिवार्य किया गया था और कितने ब्लड बैंकों ने उन्हें जारी दिशानिर्देशों का पालन किया है।

जहां तक आंचलिक प्रयोगशाला परीक्षण केन्द्रों का सम्बन्ध है, उनमें से कितने केन्द्रों में एच० आई० वी० पॉजीटिव तथा एड्स के परीक्षण के लिए सुविधाएं मौजूद हैं? राज्य सरकार क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों में कितने ब्लड बैंक कार्यरत हैं? क्या वहां पर भी एच० आई० वी० पोजीटिव तथा एड्स मामलों के परीक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं?

श्री एम० एल० फोतेदार : माननीय सदस्य के प्रश्न से दो प्रश्न उठते हैं। एक जांच (टेस्टिंग) सुविधाओं के बारे मेंहै। इस एच० आई० वी० जांच (टेस्टिंग) वहां करनी होती है जहां कि एक मरीज को खून चढ़ाया जाना होता है। एक बार इसे बैंक में जमा कर देने के बाद यह रक्त कोष में चला जाता है वहां से यह क्षेत्रीय केन्द्रों को जाता है और क्षेत्रीय केन्द्रों में यदि यह सिद्ध हो जाए कि यह एच० आई० बी० पॉजीटिव है तो इस खून को नष्ट किया जाना होता है। हमने क्षेत्रीय बैंकों में एच० आई० वी० पॉजीटिव की जांच (टेस्टिंग) की सभी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जहां तक निम्न स्तर पर रक्त कोषों का सम्बन्ध है वित्तीय वर्ष के अन्त तक देश के सभी जिलों में हमारे पास अति आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित रक्त कोष होंगे।

इस समय मेरा ख्याल है कि मैंने पहले ही आंकड़े दे दिए हैं—देश के विभिन्न भागों में विभिन्न अस्पतालों में हमारे पास बड़ी संख्या में रक्त कोष हैं। इसके अतिरिक्त, रक्त बचाने की दृष्टि से हमारे पास देश में ही रक्त संघटक विलगन सुविधा उपलब्ध है। आने वाले तीन वर्षों में हमारा देश में ऐसी 30 इकाइयां समाप्ति करने का विचार है। इस वर्ष हमारे देश के चार महानगरों मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में ऐसी चार इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है। हमारे देश में अगले वर्ष नौ इकाइयां तथा तथा तीसरे वर्ष ऐसी 17 इकाइयां उपलब्ध हो जाएगी। इससे बड़ी मात्रा में खून बचाया जा सकेगा तथा मेरे विचार से इस सुविधा से हमारी खून की मांग काफी हद तक पूरी हो जाएगी।

श्री अनंतराव देशमुख : हाल में अमस्टर्डम में हुए अन्तर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन में के० ई० एम० अस्पताल के माइक्रो बाइलेजी विभाग के प्रमुख ने भी भाग लिया था। उन्होंने यह दावा है कि एच० आई० बी० दो वाइरस, जिसकी वजह से भी एड्स होती है और जो पिछले एक वर्ष के दौरान भारत में भी पाया गया है। इससे हमारे एड्स नियंत्रण कार्यक्रम पर बुरा असर पड़ेगा। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार द्वारा स्थापित क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं और वाणिज्यिक रक्त कोष

एच० आई० वी० दो वाइरस का पता लगाने के लिए पूर्णतः सुसज्जित हैं, यदि नहीं, तो सरकार का इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

एम० एल० फोतेदार : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटनाओं को ध्यान में रखा है और हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हमारे एक भारतीय ने इस बात की खोज की है। हमें इसकी जानकारी है अब तक हमने ऐसे उपकरणों के क्रयादेश दिए हैं जो केवल एच० आई० वी० एक की जांच करेंगे। अब हमने दूसरे उपकरणों के भी क्रयादेश दिए हैं जो मुम्बई में आ गए हैं तथा जिनसे एच० आई० वी० दो की भी जांच की जाएगी। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए चिकित्सा विज्ञान स्थायी नहीं है। यह बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। आज हमारे पास एच० आई० वी है, दो कल हो सकता है हमारे पास एच० आई० वी० तीन हो तथा परसों एन आई वी—चार हो। हम इसका ध्यान रख रहे हैं। जैसे ही चिकित्सा विज्ञान प्रगति करता है वैसे ही हम देश में ऐसे उपकरण उपलब्ध कराएंगे। जो कि एच० आई० वी०—एक, दो, तीन आदि की जांच कर सकते हों। इसका ध्यान रखा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक रक्त का सवाल है, यह बहुत महत्वपूर्ण है और रक्त से ही सारी बीमारियों की पैदाइश होती है। जितने महानगर हैं, वहां पर रक्त कोष ज्यादा बनाया गया है जिससे बीमारियों को ज्यादा फैलाया जाता है। मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि गांव के लोगों का खून बहुत ज्यादा स्वच्छ होता है लेकिन भारत सरकार ने किसी भी प्रखण्ड में रक्त कोष बनाने का कार्य अभी तक नहीं किया है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार देश के प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय में रक्त कोष बनाने का विचार रखती है ?

श्री एम० एल० फोतेदार : शायद आनरेबल मैम्बर भी गांव के रहने वाले हैं। मुझे भी इस बात का बहुत गर्व है कि मैं भी गांव से आया हूं, इसलिए ऐसी बीमारियां गांव वालों के लिए नहीं हैं और ज्यादातर ऐसी बीमारियां शहर में ही पैदा होती हैं। जब शहर में एक बार फैल जाती हैं तो बाद में गांव में यह ट्रैवल करती है।

इसलिए शहर में जो हब हैं, पहले हम हब को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद जो हब के स्पोक्स हैं, अगर वह रूरल एरियाज में ट्रैवल करें तो रूरल एरियाज में भी हर जिले में हम माडर्न इक्विपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, माडर्न अस्पताल में एच० आई० वी० पॉजिटिव टेस्ट करने के लिए मुहैया करेंगे।

श्री सूर्य नारायण यादव : आप कब तक करेंगे, टाइम बाउंड प्रोग्राम बताएं।

श्री एम० एल० फोतेदार : टाइम बाउंड तो हम मार्च 1993 के अन्त तक कर पाएंगे।

[अनुवाद]

डा० राजागोपालन श्रीधरन : महोदय, मैं इस एच० आई० वी० वाइरस के बारे में जानना चाहूंगा जिससे कि अभी हाल ही में मुम्बई के माइक्रोबायलोजिस्ट द्वारा उपयोग में लाया गया है। और जो उपकरण (किट) हाल में किया गया था वह केवल एच० आई० वी० 1 के सम्बन्ध में था। ये ग्रुप अभी हम तक नहीं पहुंचे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे उन उपकरणों को एच० आई० वी०-2 वाइरस के लिए जारी करने जा रहे हैं जो कि भारत में हाल में ही उपयोग में लाए गए हैं।

श्री एम० एल० फोतेदार : हमने पहले ही ऐसे उपकरणों के लिए क्रयादेश दे दिए हैं।

श्री सैय्यद शहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, रक्त कोष एक आधुनिक अस्पताल की एक आधारभूत आवश्यकता है और यह एड्स के शुरू होने से पहले भी था। तथापि, महोदय देश में बहुत से ऐसे जिले मौजूद जहां सरकारी क्षेत्र में तथा जिला अस्पतालों में भी कोई रक्त कोष सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह देश की स्वास्थ्य सेवाओं की एक कड़ी है। अतः मैं माननीय मन्त्री जी से इस समय देश में ऐसे जिलों की संख्या के बारे में जानना चाहूंगा जहां के जिला अस्पतालों अर्थात सरकारी क्षेत्र में रक्त कोष उपलब्ध नहीं है, तथा सरकारी क्षेत्र में विद्यमान रक्त कोष सुविधाओं के आधुनिकीकरण की समय सीमा, जिसके बारे में मंत्री जी ने अभी-अभी कहा है, आधुनिक उपकरण लगाने से है जिसके बिना लाइसेंस की इजाजत नहीं दी जायेगी। उन्होंने नये रक्त कोषों की स्थापना का पहले ही समय निर्धारित कर दिया है। मैं विद्यमान रक्त कोषों के आधुनिकीकरण की समय सीमा जानना चाहूंगा तथा उन जिलों की संख्या जानना चाहूंगा जिनमें आज की तारीख में रक्त कोष नहीं हैं।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा तथा इनके विचारों से सहमत होना चाहूंगा कि सौभाग्य से अब तक मुझे बिहार से एड्स का कोई मामला नहीं मिला है। यह सुखद समाचार है।

दूसरी बात यह है कि मैंने नहीं कहा है कि हम नए रक्त कोष खोलने जा रहे हैं। इससे मैं यह नहीं कहता कि वहां एड्स के मरीज या एच० आई० वी० पाजिटिव के मामले नहीं हो सकते। लेकिन अभी तक किसी रिपोर्ट, निगरानी रिपोर्ट में इसका सुझाव नहीं दिया गया है।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या हम नए रक्त कोषों की स्थापना करने जा रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि हम नए रक्त कोष स्थापित करने जा रहे हैं। मैंने जो कुछ कहा है वह यह है कि मार्च 1993 तक हम सरकारी क्षेत्र में देश के सभी जिला स्तरीय रक्त कोषों का दर्जा बढ़ाने जा रहे हैं। मैंने ऐसा ही कहा था और उस पर कायम हूं और उनके राज्य में भी हम सूची को देखेंगे। मैं आपकी समस्या जानता हूं आपके पास तीन जिले होंगे। मैं उसका भी ध्यान रखूंगा।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है। मैं उन जिलों की संख्या जानना चाहता था जिनमें बिल्कुल ही कोई रक्त कोष नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री एम० एल फोतेदार : मुझे सूची मिल गई है।

मधुमेह की रोकथाम

[हिन्दी]

+

*289. **श्री परसराम भारद्वाज :**

श्री बापू हरि चौरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल मीडियम सेन्टर तथा डायबेटिक सेल्फ केयर फाउंडेशन ने हाल ही में मधुमेह के सम्बन्ध में एक संयुक्त विचार गोष्ठी का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विचार गोष्ठी में मधुमेह की रोकथाम एवं निवारण के लिए किस नीति तथा उपाय की सिफारिश की गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) डायबेटिक सेल्फ केयर फाउन्डेशन, नई दिल्ली ने नेशनल मीडिया सेन्टर के सहयोग से 27-6-92 को मधुमेह से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। उपर्युक्त गोष्ठी में चिकित्सा विशेषज्ञों, सामाजिक वैज्ञानिकों तथा प्रचार माध्यमों के व्यक्तियों ने भाग लिया जिन्हें इस रोग के प्रभावशाली नियंत्रण के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु एक व्यापक अभियान के लिए बुलाया गया था।

(घ) सरकार मधुमेह सहित सभी प्रमुख रोगों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों को तेज कर रही है।

[हिन्दी]

श्री परसराम भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बात के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है कि देश में डायबिटीज पीड़ित रोगियों की कितनी संख्या है, किस आयु वर्ग में कितनी संख्या है ? यदि हां तो इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : ऐसे कोई आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं।

श्री परसराम भारद्वाज : डायबिटिज पीड़ित लोगों की संख्या नगरों में अधिक है या गांवों में अधिक है ? सरकार द्वारा इस विषय में खोज करने के लिए किसी संस्थान की स्थापना की गई है अथवा विशेषज्ञों की राय ली गई है ? यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है और इसे अब तक कितनी सहायता दी गई है ?

दूसरे, क्या डब्ल्यू० एच० ओ० द्वारा भारत को कुछ सहायता दी जा रही है। यदि हां, तो किस रूप में वे सहयोग दे रहे हैं।

श्री एम० एल० फोतेदार : माननीय सदस्य से मैं साफ कहूं कि यह डायबेटिक जो बीमारी है, वह गरीबों के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ एफ्लूऐंट क्लास के लिए ही मेनली है···(व्यवधान)

श्री राम नाईक : कहीं मन्त्री जी, आपको तो डायबेटिक नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : आप इसकी पुनः जांच करवाइए, आपका यह सर्वेक्षण गलत है माननीय मन्त्री जी···(व्यवधान)

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, आप पहले मेरी अर्ज तो सुनिए। (व्यवधान) आनरेबल मैम्बर ने कहा कि शायद मुझे डायबेटिक है, मुझे डायबेटिक नहीं है, भगवान की कृपा से अभी तक···(व्यवधान)

श्री बाळ दयाल जोशी : आप अपने आपको ठीक कर लीजिए माननीय मन्त्री जी, क्योंकि आप गरीबों की जो बात कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है।

आस्या सुखं स्वप्न सुखं दधीनि, ग्राम्योदका आनुपरसा पयांसि।
नवान्न पानं गुण वैकृतं च, प्रमेह हेतु कफ कृत्व सर्वम् ॥

(व्यवधान)

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं आपके आरोग्य आयुर्वेद की तरफ ही आ रहा हूं, आप चिन्ता मत कीजिए, मैं आयुर्वेद का ही जिक्र करना चाहता हूं। डायबेटिक के बारे में, मैंने कहा कि अर्बन एरियाज में ज्यादा है, गांवों में कुछ कम है, लेकिन जैसा सवाल यहां मुझसे पूछा गया, सवाल का सम्बन्ध है सेल्फ केयर फाउण्डेशन से, जिसका मतलब यही है कि इसके लिए खुद केयर करनी चाहिए, क्यौर की कोई जरूरत नहीं है, जिसके लिए आयुर्वेद में कुछ एक्सरसाइज हैं, जो भी योगिक एक्सरसाइज हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी रनिंग कमेंटरी बन्द कर दीजिए।

श्री एम० एल० फोतेदार : उनसे डायबेटिक कन्ट्रोल हो सकती है। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि इसके लिए क्या सहायता देते हैं, सहायता हम यही कहेंगे कि योगिक एक्सरसाइज करने के लिए, या दूसरी चीजें करने के लिए वरजिश हो, उसकी अगर एजूकेशन करने के लिए कोई पैसा दरकार हो, एन०जी०ओज० को हम पैसा दे सकते हैं।

श्री बापू हरि चौरे : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि डायबेटिक सेल्फ केयर फाउन्डेशन तथा इण्डियन नेशनल डायबेटिक एसोसिएशन, बोम्बे, दोनों संस्थान मिल-जुल कर काम कर रहे हैं। डायबेटिक सेल्फ केयर फाउन्डेशन जो काम कर रहा है, वह है इस रोग के प्रभावशाली नियन्त्रण के लिए जागरूकता पैदा करना और यही उसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरे, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, उनमें भी इसका समावेश किया गया है, राष्ट्रीय डायबेटिक निर्मूलन योजना के अन्तर्गत यही कार्यक्रम खास तौर पर इम्पलीमेंट किया जाता है। यह संस्था भी वही काम करती है। अतः मैं माननीय मन्त्रीजी से जानना चाहता हूं कि ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट जो काम करती है, ये संस्थाएं भी वैसा ही काम करती हैं, ऐसी संस्थाओं को क्या सरकार आर्थिक सहायता देने जा रही है। दूसरा मेरा सवाल है कि राष्ट्रीय डायबेटिक उन्मूलन योजना के अन्तर्गत प्राथमिक अवस्था में, आरम्भ में कुछ डिस्ट्रिक्टस लिए गए हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार इस कार्यक्रम को पूरे देश में कार्यान्वित करने जा रही है। इसके साथ ही तीसरा मेरा प्रश्न है कि सयुक्त राष्ट्र सघ हर साल की 27 जून तारीख को यह कार्यक्रम आयोजित करता है, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब भारत यू०एन०ओ० का एक प्रमुख सदस्य है, उसके बावजूद यह कार्यक्रम इण्डिया में क्यों नहीं मनाया जाता?

श्री एम०एल० फोतेदार : माननीय सदस्य ने कहा कि यह जो डायबेटिक सेल्फ केयर फाउन्डेशन है उन्होंने बोम्बे की किसी ऐसी ही फाउन्डेशन के साथ मिलकर इसका आयोजन किया है मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सेल्फ केयर फाउन्डेशन को अपनी ही सेल्फ केयर करनी चाहिए। अगर इन्होंने इसलिए ऐसा आयोजन किया है, सरकार से कुछ पैसा मांगने के लिए, तो मैं समझता हूं कि उसे देखा जाएगा कि फाउन्डेशन पैसा लेना चाहता है कि मैडिकल एजूकेशन कराना चाहता है। उसके लिए मैं

अच्छी तरह जांच पड़ताल करूंगा। दूसरी बात है कि जहां तक हैल्थ एजूकेशन का सवाल है, हैल्थ स्टेट सब्जैक्ट हैं और डायबेटिक ऐसा सब्जैक्ट है जो स्टेट्स में किया जाना चाहिए—मैं नहीं मानता हूं कि ऐसे विषय के लिए अब केन्द्र का हस्तक्षेप आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : अब जिनको मैं प्रश्न पूछने के लिए कह रहा हूं, उनको डायबेटिक की कोई तकलीफ नहीं है और उनको डायबेटिक के बारे में ज्यादा मालूमात है।

श्री बाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आयुर्वेद में 20 प्रकार में प्रमेह रोगों का वर्णन किया गया है। एलोपैथी तो मात्र डायबिटीज की की ही बात कर रही है। आयुर्वेद में तो 20 प्रकार के प्रमेह के रोगों का वर्णन है और उसके बाद उसमें कहा गया है—

"सर्व एव प्रमेहास्तु कालेन प्रतिकारिण

मधु मेहत्व मायान्ति तदासद्ध्याभवन्तिहि।"

सब प्रकार के प्रमेह काल और प्रतिकाल के बाद मधुमेह में परिणत हो जाते हैं और वे असाध्य है। जिस श्लोक को मैं यहां कोट कर रहा हूं, यह 1700 साल पुराना श्लोक है। उस समय के ऋषि खोज करते थे, रिसर्च करते थे और तब रोगों का इलाज करते थे। तब न तो ब्लड कल्चर था और न न यूरीन कल्चर था। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आयुर्वेद में डायबिटीज पर रिसर्च करने के लिए वे क्या भरपूर सहायता देंगे? क्योंकि एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है और कोई एलोपैथी की दवा ऐसी नहीं है जिससे यह रोग ठीक हो सके, तो क्या मंत्री महोदय, आयुर्वेद में इस रोग के ऊपर अनुसंधान करने के लिए भरपूर सहायता देने का प्रयत्न करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा प्रश्न है।

श्री एम० एल० फोतेदार : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से पूरा इत्तेफाक करता हूं कि आयुर्वेद में इसका पूरा विवरण है। अगर आयुर्वेद के अनुसार हम इलाज करें, तो मैं समझता हूं कि डायबिटीज की बीमारी को पूरी तरह से कन्ट्रोल किया जा सकता है। मैं खुद इस मर्यादा का पालन करता हूं।

जहां तक इस पर रिसर्च करने का सवाल है, मैंने आलरेडी कहा है कि इस पर रिसर्च किया जाए। आयुर्वेद जो हमारा बहुत ही प्राचीन वेद, सेल्फकेयर के लिए उसमें बहुत कुछ विद्यमान है, उस पर इसके बारे में क्या-क्या किया जा सकता है, आलरेडी मैंने कहा है और रिसर्च करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे, उसके अनुसार जो मुनासिब होगा, वह करेंगे।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि मधुमेह की बीमारी शहरों की तुलना में गांवों में कम है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उसकी नालेज में यह बात है कि गांवों के 100 में से 75 आदमी तो इलाज के लिए अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते हैं। उनके पास अस्पताल पहुंचने के लिए भाड़ा नहीं होता है। वे ज्यादातर झाड़-फूंक और मंत्र आदि पर ही निर्भर करते हैं?

महोदय, सच्चाई यह है कि गांवों में यह बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और ऐसे जो इलाके हैं, खासकर आदिवासी इलाके और जो कमजोर वर्ग के लोगों के इलाके हैं, उनमें कहीं ब्लड बैंक नहीं हैं। बिहार में तो ऐसे दर्जनों इलाके हैं जहां ब्लड बैंक नहीं हैं और जहां ब्लड बैंक हैं, वहां ग्रामीण पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो क्या सरकार इस बात को देखेगी और ऐसी व्यवस्था करेगी कि जो गांवों में रहने वाले

लोग हैं, वे मधुमेह के शिकार न हों और सरकार को इस बात जानकारी है कि शहरों की अपेक्षा गांवों में इस बीमारी के मरीज ज्यादा हैं ?

[अनुवाद]

श्री एम० एस० फोतेदार : महोदय, क्या मेरे लिए जवाब देना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में कोई आवश्यकता नहीं है।

साक्षरता दर

+

*290- श्रीमती भावना चिखलिया :

डा० रमेश चन्द तोमर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1951 और 1991 की जनगणनाओं के अनुसार देश में साक्षरता दर क्या-क्या थी;

(ख) क्या साक्षरता दर में लगातार वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत दशक के दौरान पुरुष साक्षरता की दर की तुलना में महिला साक्षरता दर में अधिक वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो महिला साक्षरता दर में अधिक वृद्धि किन कारणों से हुई है; और

(च) निम्न साक्षरता वाले राज्यों को अखिल भारतीय स्तर तक लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) देश में साक्षरता दर वर्ष 1951 से लगातार बढ़ी है जैसाकि नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट है :

वर्ष	साक्षरता दर	साक्षरता दर में दस वर्षीय वृद्धि
1951	18.33	—
1961	28.31	9.98
1971	34.45	6.14
1981	43.56	9.11
	(41.42)	(6.97)
1991	52.11	8.55

टिप्पणी : 1. वर्ष 1951, 1961 तथा 1971 के लिए साक्षरता की दरें पांच वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या से सम्बन्धित हैं। वर्ष 1981 तथा 1991 की साक्षरता दरें सात वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या से सम्बन्धित हैं। वर्ष 1981 में पांच वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या में साक्षरता दरों को कोष्ठकों में दर्शाया गया है।

2. वर्ष 1981 की दरों में असम को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वहां 1981 में जनगणना नहीं की जा सकती थी। वर्ष 1991 की जनगणना दरों में जम्मू तथा कश्मीर शामिल नहीं है क्योंकि वहां 1991 की जनगणना अभी की जानी है।

(घ) जी हां, सात वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में महिला साक्षरता दर वर्ष 1981 में 29.75% से बढ़कर वर्ष 1991 में 39.42% हुई है जोकि 9.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ङ) पिछले दशक के दौरान महिला साक्षरता की दरों में जिन कारणों से वृद्धि हुई है उनमें मुद्रित तथा गैर-मुद्रित सामग्री के माध्यम से महिलाओं में साक्षरता की आवश्यकता तथा प्रासंगिकता के बारे में अधिकाधिक जागरुगता पैदा करना, विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से लड़कियों के स्कूलों में दाखिले तथा उन्हें पढ़ाई में बनाए रखने पर अधिक बल देना, आपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के माध्यम से अतिरिक्त महिला शिक्षकों की नियुक्ति, लड़कियों तथा महिलाओं को गतिशील बनाने तथा विशेषकर उन जिलों में, जहां पूर्ण साक्षरता अभियानों को शुरू किया गया है, कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय सहभागिता के लिए विभिन्न कदम उठाना, अभियानों में विभिन्न कार्यों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता पर बल देना, 9-14 आयु वर्ग में निरक्षरों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में महिलाओं की शिक्षा पर अधिक बल देना तथा महिला समाख्या तथा समेकित बाल विकास योजना आदि कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को अधिकार देने तथा उनकी साक्षरता से संबंधित कार्यक्रमों का आतोजन शामिल है।

(च) प्रारम्भिक शिक्षा सर्वसुलभीकरण स्कूल बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसका लक्ष्य 1995 तक 15-35 आयु वर्ग में 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, देश में निरक्षरता दूर करने के एक बृहत कार्यक्रम का अंग हैं जिसमें शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में विशेष प्रयास किए गएहैं। पूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत इन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के जिलों को शामिल करने की दिशा में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे साक्षरता कार्यक्रमों में लड़कियों तथा महिलाओं की गतिशीलता तथा सहभागिता को भी साथ-साथ सुनिश्चित किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदया से पूछना चाहूंगी, जवाब में जो बताया गया है कि 1951 से 1991 तक साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें उतार-चढ़ाव है, जैसे कि वर्ष 1961 में 9.88, 1971 में 6.14, 1981 में 9.11 और 1991 में 9.55, तो इस उतार-चढ़ाव में बहुत अन्तर का क्या कारण है और साक्षरता दर में वृद्धि के क्या लक्ष्य रखे गए थे और यदि वे लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े दिए गए हैं जिनकी ओर माननीय सदस्य महोदया ने ध्यान आकृष्ट किया है, उनसे यह स्पष्ट होता है कि जब से साक्षरता कैम्पेन शुरू हुआ है, तब से काफी हद तक लिटरेसी में परसेंटेज में वृद्धि हुई है।

1971 के बारे में आपने कहा है कि डिकेडल इनक्रीज नहीं हुआ है, वह अपनी जगह सही है। लेकिन प्रत्येक वर्ष के यदि आप देखेंगे तो 1951 से लेकर 1991 तक आपको प्रति वर्ष इनक्रीज दिखेगी। उन वर्षों की वजह से जो कारण हैं वह मैं आपको अलग से दे सकता हूं।

श्रीमती भावना चिखलिया : वैसे तो महिला साक्षरता दर में 51 से 91 तक वृद्धि हुई है, लेकिन कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, वह जवाब नहीं मिला है। उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने जो प्रयत्न किए हैं, उस योजना से सरकार का एक लक्ष्य है कि 2000 साल तक पूर्ण साक्षरता प्राप्त करनी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और क्या योजनाएं बना रही है ?

श्री अर्जुन सिंह : आपने जो फीमेल लिटरेसी की वृद्धि का परसेंटेज पूछा है वह 9·67 प्रतिशत है। जहां तक शताब्दी के अन्त तक पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य है उसके विभिन्न उपाय उत्तर में दिए हुए हैं और मैं समझता हूं कि वह काफी व्यापक है। इसके अतिरिक्त आप कोई जानकारी चाहें तो कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करें। मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा।

डा० रमेश चन्द तोमर : मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं ? देश में पूर्ण साक्षरता लाने के लिए इसके क्या लक्ष्य हैं ? उसके लिए क्या-क्या योजनाएं तैयार की गई हैं ? उनके क्रियान्वयन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अगली पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितने धन का प्रावधान किया गया है ?

श्री अर्जुन सिंह : बहुत विस्तार में उत्तर दिया हुआ है कि क्या-क्या उपाय किए गए हैं और आगे क्या-क्या उपाय करने हैं। वह स्टेटमेंट में विस्तार से दिया हुआ है।

डा० रमेश चन्द तोमर : राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की क्या-क्या उपलब्धियां हुई हैं, वह नहीं दिया गया है।

श्री अर्जुन सिंह : उपलब्धियों की वजह से ही तो साक्षरता बढ़ी है। जब लगातार परसैनटेज बढ़ रही है और अब 51 प्रतिशत से ज्यादा है तो यही तो उपलब्धि है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपसभाध्यक्ष : कृपया सभा पटल पर रखे गए उत्तर को पढ़िए।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : जवाब में कहा गया है कि 2000 तक पूर्ण साक्षरता हो जाएगी। लेकिन विश्व बैंक के एक सर्वेक्षण के अनुसार अगर इसी रफ्तार से हम साक्षरता अभियान चलाते रहे तो दुनिया में जो निरक्षर होंगे उनकी संख्या भारत में सन 2000 में दुनिया के निरक्षरों के आधे से अधिक हो जाएगी। क्या सरकार का ध्यान सर्वेक्षण की ओर गया है और यदि गया है तो सरकार इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण रिपोर्ट को कितनी गंभीरता से लेती है ?

श्री अर्जुन सिंह : साक्षरता अभियान के सम्बन्ध में वर्ल्ड बैंक की समीक्षा रिपोर्ट अपनी जगह है। वैसे भी इस अभियान के महत्व को देखते हुए शासन ने सतत समीक्षा करते रहने का एक अपना अगला कार्यक्रम बनाकर रखा है ताकि इस अभियान में जो खामियां सामने आएं उनको दूर किया जा सके और हमारी अपेक्षा है कि इस शताब्दी के अन्त तक हमारा जो लक्ष्य है वह हम पूरा कर लेंगे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी जो बिन्दू बताए गये हैं उनको भी हम ध्यान में रखेंगे।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बसल : हालांकि जहां तक प्रतिशतता का सम्बन्ध है साक्षरता दर में बढ़ोतरी सराहनीय है देश में निरक्षर लोगों की संख्या आज स्वतन्त्रता के समय की कुल जनसंख्या से अधिक है।

सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा का हमारा बदलता लक्ष्य एक मृगतृष्णा बन गया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे गरीबों में सबसे गरीब बच्चों को स्कूल आने के लिए आकर्षित करने हेतु मजदूरी प्रतिपूरक भत्ता देने का कोई कदम उठाएंगे।

श्री अर्जुन कुमार : महोदय, साक्षरता तथा शिक्षा सार्वभौम बनाने का प्रश्न यद्यपि एक-दूसरे का प्रतिपूरक हो सकता है परन्तु दोनों एक ही चीज नहीं है। कुछ प्रोत्साहन शुरू करने के बारे में माननीय सदस्य द्वारा दिया गए सुझाव पर वास्तव में विचार किया जा सकता है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप शिक्षक हैं···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि जो मैंने कहा था उसे समझ लिया होगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपना प्रश्न रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न पूछना चाहता हूं, वह आंशिक रूप से माननीय बंसल जी ने पूछ लिया है, लेकिन उत्तर पूर्ण नहीं आया है। ऐसा लगता है कि साक्षरता का प्रसार और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना, इनमें टकराहट हो रही है जबकि ये पूरक होने चाहियें, क्या यह सच नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का काम पिछड़ रहा है? उसकी ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए पर्याप्त साधन नहीं जुटाए जा रहे हैं और साक्षरता का प्रसार क्योंकि प्रचारात्मक ज्यादा है, उस पर ज्यादा बल दिया जा रहा है, यह कहां तक सही है?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, वह प्रश्न पूरी समस्या को ध्यान में रखते हुए बहुत मौलिक है, लेकिन मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि शासन साक्षरता अभियान, कम्पलसरी एजुकेशन जिसको कहते हैं और यूनिवर्सलाइजेशन को एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं मानता है। वे दोनों एक दूसरे के काम्पलीमेंटरी हैं। इस तरफ हमारा अभियान यूनिवर्सलाइजेशन और साक्षरता के लिए भी चल रहा है। किसी प्रकार से हमारा प्रयास यूनिवर्सलाइजेशन आफ एजुकेशन के बारे में कम नहीं हैं। उनको हम और आगे ले जाने की तरफ बढ़ रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब शिक्षक सदस्य बोलेंगे। आप सिर्फ अपने प्रश्न से भी शिक्षक हैं।

श्री मुमताज अन्सारी : महोदय, साक्षरता की राष्ट्रीय प्रतिशतता 52% है जबकि बिहार में यह भाग 38 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार समाज के कमजोर तबकों के मामले में अनुसूचित जातियों के लिए यह 21 प्रतिशत है और अनुसूचित जनजातियों के मामले में 16 प्रतिशत है। जहां तक महिला साक्षरता का प्रश्न है, सारे राष्ट्रीय शिक्षा मिशनों तथा अन्य प्रयासों के बावजूद इसमें सुधार नहीं हुआ है तथा इसमें गिरावट आई है। अनुसूचित जातियों के मामले में यह 10 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों

के मामले में सात प्रतिशत ही रहा है। जहां तक अल्पसंख्यक का सम्बन्ध है यह राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।

उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि समाज के इन दलित तथा कमजोर तबकों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों के स्तर में सुधार के लिए क्या उपाय किए हैं क्योंकि समाज के यह तबके राष्ट्रीय औसत से काफी कम हैं।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने दो तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है। एक बिहार की स्थिति का दूसरी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों के बारे में सामान्य स्थिति। बिहार में वास्तव में उत्साहजनक नहीं है, ऐसा सिर्फ बिहार में ही नहीं है बल्कि राजस्थान, अरूणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश मेघालय और उड़ीसा जैसे अन्य राज्यों में भी है। (व्यवधान) माननीय सदस्य दूसरी तरह के आंकड़े भी चाहते थे, अतः मैंने वे आंकड़े दिए हैं। (व्यवधान) मैं जानता हूं कि इन राज्यों में शिक्षा के प्रसार के लिए साक्षरता मिशन अथवा अभियान अनेक कारणों से पुरजोर नहीं हो सका। राज्य सरकारें और भी आगे कार्य करना चाहती हैं। परन्तु कुछ ऐसी भी चीजें हैं, जिसमें के फिलहाल कठिनाइयों को दूर नहीं कर पा रहे हैं। सभी मुख्यमन्त्रियों ने मुझे आश्वासन दिया है कि वे इस मामले में भरसक प्रयास करेंगे।

जहां तक अल्पसंख्यकों, अ० जा०/अ०ज०जा० का प्रश्न है, माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन समुदायों की साक्षरता को बढ़ाने के लिए ज्यादा अच्छे तरीके से अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है और मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि नई शिक्षा नीति में इन तबके के लोगों में साक्षरता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएगे।

हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, पहले सरकार के जिम्मे एडल्ट एजुकेशन का काम था। जिनको अब इन्होंने साक्षरता अभियान के नाम से शुरू किया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो यह जो बूढ़े लोग हैं, इनको साक्षरता अभियान के माध्यम से क्या शिक्षा दी जा रही है? माननीय सदस्यों की जो शंका है कि चाहे एडल्ट एजुकेशन के नाम पर हो, चाहे साक्षरता अभियान के नाम पर हो, इसमें पैसे का अपव्यय होता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस तरह की योजना है, एक तो आपने कहा अनिवार्य शिक्षा हो लेकिन अनिवार्य शिक्षा के साथ-साथ जब तक आप फ्री एजुकेशन नहीं करेंगे, तब तक अनिवार्य शिक्षा नहीं होगी इसलिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर, क्योंकि, शिक्षा कनकरेण्ट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की योजना है, जिसमें फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन हो? इस तरह का कोई आपके पास विचार है और आप इस सम्बन्ध से क्या कदम उठा रहे हैं?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, 11वें दर्जे तक करीब करीब सारे देश में शिक्षा निःशुल्क है और इसलिए फ्री करने का नए तरीके से सवाल नहीं उठता है। जहां नहीं है, वहां निश्चित किया जा सकता है। जहां तक इसका प्रयास है, उन प्रयासों का वर्णन मैंने अपने उत्तर के इसमें दिया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चिकित्सा सुविधाएं

[अनुवाद]

*287. डा० वी० राजेश्वरन :

श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चिकित्सा सुविधाओं पर प्रति व्यक्ति खर्च एशिया के अन्य देशों की अपेक्षा कम है;

(ख) यदि हां, तो जनसाधारण को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) आठवीं योजना में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) एशियाई देशों में स्वास्थ्य परिचर्या पर प्रतिव्यक्ति खर्च के कोई विश्वसनीय प्रकाशित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, सकल देशीय उत्पाद (जी० डी० पी०) प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

यद्यपि स्वास्थ्य मूलतः राज्य विषय है फिर भी केन्द्र स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करने वाले नाजुक क्षेत्रों और रोग नियंत्रण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके मदद कर रहा है। आठवीं योजना में विकास के निर्धारित मुख्य क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए बुनियादी ढांचे का समेकन करना, लोगों को कष्ट देने वाले संचारी और असंचारी रोगों पर नियंत्रण/उनका उन्मूलन करना, स्वास्थ्य जनशक्ति विकास, जैव चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन देना और भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी का विस्तार करना शामिल है। "शिशु जीवन-रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम" पर विशेष बल देकर जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना ऐसे दो आधार-स्तम्भ हैं जिन पर स्वास्थ्य कार्यनीति की पहले आधारित हैं।

आठवीं योजना (1992-97) के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित) के लिए आबंटित राशि क्रमशः 7575.92 करोड़ रुपये तथा 6500.00 करोड़ रुपए है।

विवरण

सकल देशीय उत्पाद (जी० डी० पी०) के प्रतिशत के रूप में
स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय—1987

देश	सार्वजनिक व्यय (प्रतिशत)
मलेशिया	1.50
थाईलैंड	1.10

1	2
चीन	1.40
श्रीलंका	1.70
इंडोनेशिया	0.50
पाकिस्तान	0.20
भारत	0.90
बांग्लादेश	0.60
नेपाल	0.80

स्रोत :—संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट, 1992.

बच्चों का क्रय-विक्रय

288. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

श्री जी० देवराय नायक : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बच्चों के क्रय-विक्रय के मामलों में हो रही भारी वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई ठोस नीति बनाने का है;

(घ) क्या सरकार ने बच्चों के सम्बन्ध में हुए विश्व शिखर सम्मेलन तथा बच्चों के जीवन, सुरक्षा तथा विकास के सम्बन्ध में की गई विश्व घोषणा की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में एक व्यापक राष्ट्रीय बाल कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) बच्चों के क्रय-विक्रय की कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं।

(ख) और (ग) भारतीय दण्ड संहिता जैसे मूल कानूनों और अनैतिक पणन (दमन) अधिनियम, 1956 जैसे विशेष कानूनों के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों में क्रय-विक्रय संबंधी अपराधों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था है।

सरकार ऐसी घटनाओं को बड़ी गंभीरता से लेती है और सरकार का मानना है कि वंचित वर्गों के शोषण को रोकने के लिए उनका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान एक बुनियादी आवश्यकता है। इसी प्रयोजन के लिए सरकार उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने, उनकी शिक्षा औ रजागृति विकास के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

गृह मन्त्रालय ने निकास स्थानों (ऐग्जिट प्वाइंट्स) पर तैनात आप्रवासन अधिकारियों को अधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

(घ) बाल उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व घोषणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय बाल कार्यवाही योजना अनुमोदित की है जिसे 2000 ई० तक कार्यान्वित किया जाएगा।

(ङ) कार्य योजना में स्वास्थ्य, पोषाहार, शिक्षा, जल प्रदाय, सफाई, कल्याण पर्यावरण के क्षेत्र में बाल देखभाल और बाल विकास तथा वंचित बच्चों को कवर किया जाएगा जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

*291. श्री मनोरंजन भक्त :

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का दर्जा बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) विश्व बैंक की सहायता से चल रही "औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना" के तहत गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 10.4 मिलियन अमरीकी डालर उपलब्ध हो जायेंगे ताकि वे अपनी निगरानी और प्रवर्तन क्षमताओं को सुदृढ़ बना सकें।

इसके अलावा, सभी राज्यों में केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए 2.2 मिलियन अमरीकी डालर की राशि भी इस परियोजना में शामिल है।

भारतीय स्काउट्स और गाइड

*292. श्री विजय एन पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्काउटों और गाइडों के प्रतिनिधियों ने गत दो वर्षों के दौरान विदेशों में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया;

(ग) इनके दौरों के क्या परिणाम निकले; और

(घ) ऐसे क्या कदम उठाये जाने का विचार है जिनसे ये समाज सेवा के कार्यों में अधिक रुचि लेने लगें?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत स्काउट और गाइड, राष्ट्रीय मुख्यालय तथा अखिल भारतीय बाल स्काउट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सिंगापुर, यू० एस० ए०, जापान, आस्ट्रेलिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, कोरिया (दक्षिण), श्रीलंका, फिलीपीन, स्विटजरलैंड, कोस्टारिका, यू० के० तथा कनाडा देशों का दौरा किया है।

(ग) उनके द्वारा प्राप्त किया गया अनुभव और कौशल विभिन्न सामाजिक गतिविधियों अर्थात् शिक्षण संबंधी आन्दोलन, कोढ़ जागरुकता, स्वच्छता जागरुकता, पर्यावरण की सुरक्षा आदि के विकास में प्रत्यक्ष तौर पर लाभप्रद होगा।

(घ) सामाजिक सेवा में उन्हें और अधिक सक्रिय बनाने के विचार से युवा कार्यक्रम और खेल विभाग भारत स्काउट और गाइड को उनके सामान्य कार्यकलापों में सहायता देने के अतिरिक्त अपनी विभिन्न योजनाओं जैसे साहस का विकास, राष्ट्रीय एकीकरण आदि के अन्तर्गत भी सहायता प्रदान कर रहा है।

प्रदूषण नियंत्रण

*293. **श्री के० प्रधानी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 15 सूत्री कार्य-योजना के अन्तर्गत प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख उद्योगों की 17 श्रेणियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई कार्य-योजना प्रारम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो कार्य-योजना का मुख्य-मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक, विशेष रूप से उड़ीसा में प्रदूषण फैलाने वाले जिन प्रमुख उद्योगों का पता लगा है, उनके खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) देश में प्रदूषण के उपशमन के लिए राज्यों के परामर्श से एक 15 सूत्रीय कार्य योजना तैयार की गई थी। इस कार्य-योजना के अनिवार्य घटकों को 26 फरवरी, 1992 को अधिसूचित प्रदूषण के उपशमन के लिए नीति विवरण में शामिल किया गया है। इस नीति विवरण के प्रति 3 मार्च 1992 को सदन के पटल पर रख दी गई थी। इसका खास उद्देश्य विकास आयोजना में पर्यावरणीय और आर्थिक पहलुओं को शामिल करना; प्रदूषण उपशमन में निवारक पहलुओं पर जोर देना, औद्योगिक प्रदूषकों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी निवेशों को बढ़ावा देना और स्वच्छ पर्यावरण के लिए जन सहयोग पर निर्भरता में वृद्धि करना है। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए हैं कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों द्वारा एक निश्चित समय सीमा के भीतर मानकों का अनुपालन किया जाए।

(ग) प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख उद्योगों द्वारा फैलाए जाने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत बहिस्राव तथा उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।
2. परिवेशी वायु गुणवत्ता और जलगुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।
3. बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जनों को निर्धारित सीमाओं के भीतर रखने के लिए उद्योगों से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कहा गया है।
4. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाते हैं।

5. साझे बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने के लिये लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों को सहायता देने हेतु एक स्कीम शुरू की गई है।

6. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के तहत अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली श्रेणी के उद्योगों द्वारा पानी की खपत के बारे में मानक अधिसूचित किए गए हैं।

7. उद्योगों के लिये 1993 से पर्यावरणीय व्यवस्थाओं की जांच अनिवार्य कर दी गई है।

उड़ीसा में प्रदूषण फैलाने वाली प्रमुख इकाइयों अर्थात् ताप विद्युत संयंत्रों, स्टील संयंत्र और उर्वरक यूनिटों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन के लिए कदम उठाए गए हैं।

कैंसर संस्थान

*294. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी क्षेत्रीय कैंसर संस्थान को पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों से वित्तीय सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और संस्थानवार कितनी सहायता राशि दी गई है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने कैंसर संस्थान कहां-कहां खोले जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) देश में दस क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों में से निम्नलिखित दो केन्द्रों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त होने की सूचना दी है जो इस प्रकार है :—

	संस्था का नाम	विदेशों से प्राप्त वित्तीय सहायता
1.	किदवई मैमोरियल इंस्टिट्यूट आफ आन्कोलाजी, बेंगलूर	स्विटजरलैंड से 4.19 लाख रुपये।
2.	कैंसर इंस्टिट्यूट, मद्रास	संयुक्त राज्य अमेरिका से 8409.09 अमरीकी डालर, संयुक्त राज्य अमेरिका से 7790.30 आई० एन० आर०, यू० के० से 46 पौंड और साउदी अरब से 400 आई० एन० आर०।

(ग) इस मन्त्रालय का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कैंसर संस्थायें खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, हमने एक नई योजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत क्रमिक रूप में उन क्षेत्रों में स्थित सरकारी मेडिकल कालेजों/अस्पतालों को वित्तीय स्कंधों का विकास करने हेतु एक करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है जहां इस समय कैंसर उपचार सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। इस योजना के अधीन 1990-91 और 1991-92 के वर्षों के दौरान 9 संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भर्ती नियम

*295. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री शंकर सिंह बघेला : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जून, 1992 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में नियुक्तियों/पदोन्नतियों के बारे में छपे समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में शिक्षा अधिकारियों और अन्य ऊंचे पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति करने के लिए क्या नीतियां अपनाई जाती हैं;

(घ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में गत तीन वर्षों के दौरान नियुक्तियां/पदोन्नतियां करने में कोई अनियमितता पाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 25 अप्रैल, 1992 को दिये गये निर्णय में की गई प्रतिकूल टिप्पणियों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई/की जानी है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वि० अ० आ० सचिवालय में विभिन्न श्रेणियों में विगत में की गई तदर्थ पदोन्नतियों/नियुक्तियों के विरुद्ध आयोग के कुछ कर्मचारियों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में कुछ रिट याचिकायें दायर की गई थी । दिल्ली उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल, 1992 को दिये गये एक फैसले द्वारा रिट याचिकाओं को रद्द करते हुए वि० अ० आ० को निर्देश दिया कि वे सेवा मामलों में संबद्ध नियमों का पालन करें ।

(ग) शिक्षा अधिकारियों के पदों के लिये नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाती है । संयुक्त सचिव और अपर सचिवों के उच्च पदों के लिए नियुक्तियां पदोन्नति द्वारा की जाती हैं । 75% उप सचिव के पद पदोन्नति द्वारा और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। नियमों के इन प्रावधानों का पालन किया जा रहा है ।

(घ) से (च) कुछ मामलों में उन पदों के लिए तदर्थ नियुक्तियां की गई थीं जो पदोन्नति द्वारा भरी जानी थीं। वि० अ० आ० द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने विधिवत गठित विभागीय पदोन्नति समितियों के माध्यम से भर्ती नियमों का पालन करते हुए नियमित नियुक्तियां करने के लिये आवश्यक कारंवाई की गई है। सरकार ने आयोग को यह भी सलाह दी है कि वे भविष्य में सरकार के सम्बन्धित आदेशों के अनुसार की गई पदोन्नतियों को छोड़कर तदर्थ पदोन्नतियां न करे।

सौराष्ट्र में रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

*296. **श्री दिलीप भाई संघानी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अनेक रेलगाड़ियां पानी की कमी के कारण हाल में रद्द की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा पूरे देश में इस ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी के कारण रद्द की गई रेलगाड़ियों की जोनवार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या का पहले भी मूल्यांकन किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) जी, हां । जल सप्लाई के स्रोत का विकास करने और बोर करके कुएं खोदने की योजना बनाई गई थी । बहरहाल, सूखे के कारण, जमीन में पानी का स्तर नीचे चला गया था और पानी की सप्लाई के लिये रेलों को नगर पालिका तथा जल आपूर्ति बोर्ड पर निर्भर होना पड़ा था, जिन्होंने रेलों को पानी की सप्लाई में कमी कर दी और फलस्वरूप गाड़ियों को रद्द करना पड़ा ।

विवरण

मध्य रेलवे—छोटी लाइन :

1. 633/634 मुर्तजापुर-यवतमाल पैसेंजर
2. 639/640 मुर्तजापुर-अचलपुर मिश्रित

पश्चिम रेलवे—मीटर लाइन :

1. 283/284 भावनगर-पालीताणा पैसेंजर
2. 305/306 महुवा-धोला पैसेंजर
3. 335/336 बांसजालिया-जेतलसर पैसेंजर
4. 313/314 राजूला सिटी-राजूला जं० पैसेंजर
5. 345/246 जूनागढ़-जेतलसर फास्ट पैसेंजर
6. 359/360 वेरावल-खीजडिया मिश्रित
7. 277/278 बोटाद-सुरेन्द्रनगर मिश्रित
8. 155/156 मेहसाणा-खेरालु पैसेंजर
9. 109/110 राणुज-कड़ी मिश्रित
10. 249/250 रांधेजा-कलोल मिश्रित
11. 259/262 मेहसाणा-वीरमगाम फास्ट पैसेंजर
12. 195/196 अजमेर-मारवाड़ पैसेंजर

पूर्व रेलवे—कोई नहीं

उत्तर रेलवे—कोई नहीं

पूर्वोत्तर रेलवे—कोई नहीं

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे—कोई नहीं

दक्षिण रेलवे—कोई नहीं

दक्षिण मध्य रेलवे—कोई नहीं

दक्षिण पूर्व रेलवे—कोई नहीं

उपनगरीय रेलगाड़ियों का किराया

*297. श्री तरित बरण तोपदार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपनगरीय रेलगाड़ियों के किरायों में अनेक विसंगतियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) उपनगरीय रेलगाड़ियों के किरायों में विद्यमान विसंगतियों को दूर करने और उन्हें युक्ति-युक्त बनाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के उपनगरीय खंडों पर एक-समान किराया संरचना अपनाई गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सामाजिक वानिकी परियोजनाएं

*298. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कुछ राज्य सरकारों से सामाजिक वानिकी परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए व्यापक वानिकी परियोजनाएं तैयार की हैं। आंध्र प्रदेश वानिकी परियोजना की अनंतिम लागत 335 करोड़ रुपए है। परियोजना सारे राज्य में कार्यान्वित की जाएगी और इसकी अवधि पांच वर्ष की होगी। मध्य प्रदेश वानिकी परि-योजना की अनन्तिम लागत 388 करोड़ रुपये है। परियोजना सारे राज्य में कार्यान्वित की जाएगी और इसकी अवधि पांच वर्ष की होगी। ये परियोजनाएं विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई हैं जोकि ऐसे प्रस्तावों के मूल्यांकन और अनुमोदन के सम्बन्ध में अपनी सामान्य प्रक्रिया अपनाएगा। आशा है कि यह एक वर्ष के अन्दर पूरी हो जाएगी।

गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर तथा कर्नाटक राज्य सरकारों ने भी विश्व बैंक में सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं। इन प्रस्तावों

की जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा केरल राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं जोकि मार्च, 1993 में समाप्त हो जाएंगी।

ग्रेटर नैनीताल लेक रीजन इन्टेगरेटिड प्रोजेक्ट

*299. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को ग्रेटर नैनीताल लेक रीजन इन्टेगरेटिड प्रोजेक्ट का संशोधित प्रस्ताव वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कारंवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) ग्रेटर नैनीताल लेक रीजन इंटिग्रेटिड पर्यावरण प्रोजेक्ट नामक परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई थी। 55.15 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस परियोजना की प्रस्तावित गतिविधियों में, जल आपूर्ति, मल-जल निकासी, ठोस अवशिष्ट प्रबन्ध, भूक्षरण नियंत्रण और आवाह क्षेत्र में वनरोपण, आदि शामिल हैं।

(ग) प्रस्तावित परियोजना की प्रकृति और कार्य क्षेत्र पर विचार करने पर इसके लिए द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के तहत सहायता की सिफारिश की गई है।

रेल दावे न्यायाधिकरण

[हिन्दी]

*300. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल दावे न्यायाधिकरणों की संख्या में कमी कर दी गई है जिसके परिणामस्वरूप लोगों को परेशानी होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इनकी संख्या में कमी करने से पूर्व कार्यरत न्यायाधिकरणों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या था; और

(ग) ये न्यायाधिकरण कहां-कहां बन्द किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य बनाना

*301. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** :

श्री वसुदेव आचार्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक शिक्षा स्तर पर इस समय राज्य-वार और लिंग-वार कितने बच्चों ने दाखिला लिया, कितने पढ़ रहे हैं और कितने पढ़ाई छोड़ चुके हैं;

(ख) सरकार ने प्राइमरी शिक्षा के लिए राज्य-वार कितनी राशि नियत की है;

(ग) प्राइमरी स्तर पर अध्यापक-छात्र का राज्य-वार वर्तमान अनुपात क्या है;

(घ) क्या प्राइमरी शिक्षा को शीघ्र अनिवार्य बनाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्राइमरी स्तर पर, दाखिला पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर तथा अध्यापक-छात्र अनुपात के सम्बन्ध में नवीनतम आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

दाखिला (1990-91)

लड़के	लड़कियां	जोड़
580.94 लाख	410.23 लाख	991.18 लाख

पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की दर (1987-88)

लड़के	लड़कियां	जोड़
43.35 प्रतिशत	49.42 प्रतिशत	46.97 प्रतिशत

अध्यापक-छात्र अनुपात (1990-91)

1 : 42

दखिला पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर तथा अध्यापक-छात्र अनुपात के राज्यवार ब्यौरे क्रमश: अनुबन्ध-I, अनुबन्ध-II तथा अनुबन्ध-III में दिए हैं।

2. पढ़ाई जारी रखने वाले छात्रों से सम्बन्धित आंकड़े अलग से एकत्रित नहीं किए जाते और ऐसा माना जाता है कि जिन्होंने पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ी है वे स्कूली पद्धति में बरकरार हैं।

3. वर्ष 1992-93 के लिए प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा I-VIII) के लिए राज्यवार निर्धारित किए गए वित्तीय परिव्यय अनुबन्ध IV में दिए गए हैं। वर्ष 1992-93 के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए 284 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों के बीच आबंटन, उनसे प्राप्त परियोजना प्रस्तावों तथा उनके पिछले कार्य-निष्पादन के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।

4. 7 मई, 1992 को संसद के पटल पर रखी गई संशोधित नीति की निर्धारण सूची के अनुसरण में एक संकल्प यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया कि "21 वीं सदी में प्रवेश करने से पहले ही 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को संतोषप्रद गुणवत्ता वाली नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए"। संशोधित कार्रवाई योजना पर जोकि एक शीर्षस्थ सलाहकार शैक्षिक निकाय है केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में चर्चा किए जाने का प्रस्ताव है। यह बैठक 8 अगस्त, 1992

को होनी निश्चित हुई है जिसके पहले सभी राज्यों तथा संघशासित प्रदेशों के शिक्षा सचिवों और निदेशकों की बैठक होगी ।

प्राइमरी स्तर (कक्षा-I-V) पर दाखिला

1990-91

(लाख में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	43.02	32.34	75.36
अरुणाचल प्रदेश	.65	.47	1.12
असम	18.93	16.56	35.50
बिहार*	57.23	28.41	85.65
गोआ	00.71	00.64	1.35
गुजरात	32.22	24.58	56.80
हरियाणा	9.54	7.34	16.89
हिमाचल प्रदेश*	3.71	3.19	6.90
जम्मू और कश्मीर**	4.50	2.88	7.38
कर्नाटक	30.64	26.17	56.82
केरल	16.23	15.32	31.55
मध्य प्रदेश	48.64	31.31	79.94
महाराष्ट्र	53.57	46.24	100.22
मणिपुर	1.43	1.21	2.64
मेघालय	1.24	1.18	2.42
मिजोरम	00.63	00.57	1.20
नागालैंड	00.78	00.66	1.45
उड़ीसा	21.74	14.46	36.20
पंजाब*	11.08	9.47	20.55
राजस्थान	31.41	13.71	45.13
सिक्किम	00.38	00.33	00.72
तमिलनाडु	41.82	35.81	77.63

1	2	3	4
त्रिपुरा	2.21	1.81	4.00
उत्तर प्रदेश	88.89	50.50	13.39
पश्चिम बंगाल**	53.13	39.60	9.74
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	00.21	00.18	00.39
चण्डीगढ़	00.26	00.23	00.49
दादरा और नागर हवेली	00.09	00.07	00.16
दमन और दिव	00.05	00.04	00.09
दिल्ली	4.90	4.30	9.20
लक्षद्वीप	00.04	00.04	00.08
पांडिचेरी	00.55	00.50	1.05

*यह आंकड़े 1989-90 से सम्बन्धित हैं।

**यह आंकड़े 1988-89 से सम्बन्धित है:

स्रोत बुनियादी शैक्षिक सांखिकी 1990-91 मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

अनुबन्ध-II

कक्षा I से V में पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वालों की दर

1987-88

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	52.42	58.52	55.03
अरुणाचल प्रदेश	58.75	58.43	58.63
असम	51.49	59.47	55.01
बिहार	63.88	68.93	65.63
गोआ	2.19	8.78	5.33
गुजरात	38.06	46.87	41.62
हरियाणा	24.35	31.61	27.32

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	28.06	29.32	28.63
जम्मू और कश्मीर	28.08	41.45	33.44
कर्नाटक	43.28	57.36	50.16
केरल	5.12	—3.62	—4.39
मध्य प्रदेश	36.64	48.04	41.04
महाराष्ट्र	34.69	45.71	39.82
मणिपुर	71.35	72.04	71.67
मेघालय	31.43	33.40	32.35
मिजोरम	37.28	38.72	37.98
नागालैंड	37.22	33.43	35.45
उड़ीसा	40.05	37.32	38.97
पंजाब	36.81	37.81	37.27
राजस्थान	53.12	60.75	52.25
सिक्किम	60.19	58.51	59.86
तमिलनाडु	19.44	24.46	21.78
त्रिपुरा	59.14	58.02	58.65
उत्तर प्रदेश	47.84	47.24	47.65
पश्चिम बंगाल	62.35	65.76	63.81
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	18.60	22.74	20.54
चंडीगढ़	21.00	24.41	4.78
दादरा और नगर हवेली	29.37	45.58	36.14
दमन और दीव	2.24	8.82	5.34
दिल्ली	14.40	25.40	19.76
लक्षद्वीप	—2.96	11.38	4.02
पांडिचेरी	—11.55	0.83	5.59
भारत :	43.28	49.42	46.97

$$\text{(एक्स) वर्ष में पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की दर} = \frac{\text{वर्ष (X—4) कक्षा 1 में दाखिला X—वर्ष}}{\text{(X—4 वर्ष में कक्षा 1 में दाखिला}} \times 100$$

$$\text{आर॰ वाई} = \frac{\text{दाखिला X —4—दाखिला}}{\text{दाखिला X—4}} \times 100$$

स्रोत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय

अनुबन्ध-III

प्राइमरी स्तर पर अध्यापक छात्र अनुपात

(कक्षा-I—V) (1990-91)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुपात
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	53
2.	अरूणाचल प्रदेश	29
3.	असम	40
4.	बिहार*	50
5.	गोआ	21
6.	गुजरात	36
7.	हरियाणा	45
8.	हिमाचल प्रदेश*	41
9.	जम्मू और कश्मीर**	31
10.	कर्नाटक	46
11.	केरल	32
12.	मध्य प्रदेश	42
13.	महाराष्ट्र	39
14.	मणिपुर	18
15.	मेघालय	35
16.	मिजोरम	28
17.	नागालैंड	22
18.	उड़ीसा	35
19.	पंजाब	39
20.	राजस्थान	42
21.	सिक्किम	15
22.	तमिलनाडु	45
23.	त्रिपुरा	27

1	2	3
24.	उत्तर प्रदेश	51
25.	पश्चिम बंगाल*	41
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	21
27.	चण्डीगढ़	21
28.	दादरा और नागर हवेली	45
29.	दमन और दीप	35
30.	दिल्ली	31
31.	लक्षद्वीप	31
32.	पांडिचेरी	26
	कुल भारत :	42

* यह आंकड़े 1989-90 से सम्बन्धित हैं।

** यह आंकड़े 1988-89 से सम्बन्धित हैं।

स्रोत : अनन्तिम शैक्षिक सांख्यिकी 1990-91, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

अनुबन्ध-IV

वर्ष 1992-93 के लिए प्रारम्भिक शिक्षा हेतु निर्धारित किए गए परिव्यय (राज्य क्षेत्र) को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रारम्भिक शिक्षा
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2377.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	2280.00
3.	असम	7689.00
4.	बिहार	9040.00
5.	गोआ	540.00
6.	गुजरात	1537.96
7.	हरियाणा	3440.00

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	1826.00
9.	जम्मू और कश्मीर	3000.00
10.	कर्नाटक	7194.00
11.	केरल	436.00
12.	मध्य प्रदेश	11708.00
13.	महाराष्ट्र	3946.00
14.	मणिपुर	582.12
15.	मेघालय	1680.00
16.	मिजोरम	457.00
17.	नागालैंड	306.00
18.	उड़ीसा	3000.00
19.	पंजाब	853.00
20.	राजस्थान	9995.00
21.	सिक्किम	6044.00
22.	तमिलनाडु	3050.00
23.	त्रिपुरा	1500.00
24.	उत्तर प्रदेश	9992.00
25.	पश्चिम बंगाल	4540.00
	जोड़ (राज्य)	91613.01
	संघ शासित क्षेत्र	
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	438.00
27.	चंडीगढ़	132.20
28.	दादरा और नागर हवेली	90.00
29.	दमन और दीव	86.87
30.	दिल्ली	5262.70
31.	लक्षद्वीप	34.21
32.	पांडिचेरी	215.00
	संघ शासित क्षेत्र	6258.98
	जोड़ (राज्य और संघ शासित क्षेत्र	97872.06

स्रोत : योजना आयोग।

खानपान सेवा का निजीकरण

*302. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह :**

श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर निजी स्वामित्व वाली खानपान सेवाओं के स्तर में काफी गिरावट आ गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या लम्बी दूरी की सभी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में खानपान सेवाओं का निजीकरण कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) खानपान सेवाओं में सुधार करना एक निरन्तर और सतत प्रक्रिया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

क्षय रोग का उन्मूलन

*303. **श्री राम सिंह काव्या :**

प्रो० रीता वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षय रोग से ग्रस्त लोगों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में क्षय रोग का पूरी तरह उन्मूलन करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) अनुमान है कि देश में लगभग 1·5% जनसंख्या विकिरण चिकित्सा-विज्ञानी तौर पर सक्रिय फुप्फुसीय क्षय रोग से पीड़ित है ।

(ख) और (ग) क्षयरोग की जानपदिक रोग विज्ञानी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस रोग का उन्मूलन संभव नहीं हैं । तथापि, राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत, क्षय रोग की समस्या को नियंत्रित करने तथा इसकी घटनाओं एवं व्याप्तता में कमी लाने हेतु राज्यों को सहायता दी जा रही है ।

नवोदय विद्यालय में कथित कुप्रबन्ध

[हिन्दी]

*304. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नवोदय विद्यालयों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उनमें बच्चों का आवास तथा भोजन प्रदान करने के मामले में गड़बड़ी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या नवोदय विद्यालय के कार्यकरण की निगरानी के लिए समितियों का गठन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो ऐसी समितियों का गठन कब तक किए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) समिति को कभी-कभी कुछ स्कूलों में बच्चों के लिए आवास तथा भोजन की व्यवस्था के सम्बन्ध में शिकायतें मिलती हैं। जब भी ऐसी शिकायतें मिलती हैं, मामले की जांच की जाती है और उस मामले में उपयुक्त उपाय किए जाते हैं। साथ ही समिति ने बच्चों को भोजन प्रदान करने के खर्च में बढ़ोत्तरी भी की है। जहां तक आवास का सम्बन्ध है, समिति के पास निर्माण का एक कार्यक्रम है और जिन विद्यालयों में सम्बद्ध चरण पूरा हो गया है, आवास की व्यवस्था संतोषजनक है।

(घ) जी, हां।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबन्ध समिति होती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं :

1. जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर—अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी।
3. राज्य लोक निर्माण विभाग (निर्माण) कार्यकारी अभियंता।
4. स्थानीय कालेज अथवा उच्चतर माध्यमिक स्कूल, विशेष रूप से आवासीय स्कूल का प्रधानाध्यापक।
5. नवोदय विद्यालय का वरिष्ठ शिक्षक।
6. जिला चिकित्सा अधिकारी।
7. जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रधानाचार्य—सदस्य सचिव के रूप में।

बिहार में चीनी मिलों का आधुनिकीकरण

2947. श्री ललित उरांव :

श्री भोगेन्द्र झा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य चीनी निगम के नियन्त्रणाधीन 15 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) बिहार राज्य चीनी निगम के नियन्त्रणाधीन 15 चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। रूग्ण चीनी मिलों को पुनरूद्धार/आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं स्वयं तैयार करनी होती हैं। तथा वित्तीय संस्थाओं से उनका अनुमोदन करवाना होता है। ऐसी पुनरूद्धार/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है बशर्ते कि वे निहित शर्तें पूरी करती हों।

अलीपुर द्वार में मीटर गेज लाइन

[अनुवाद]

2948. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीपुर द्वार जंक्शन की मीटर गेज लाइन का निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे सुरक्षा कार्य निधि से वित्तीय आवंटन

[हिन्दी]

2949. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री हरि केवल प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों के दौरान रेलवे सुरक्षा कार्य निधि से विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में रेल मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1988-89 से 1990-91 तक के वर्षों के दौरान रेलवे संरक्षा कार्य निधि से राज्य सरकारों को आबंटित की गई निधि (जोड़)

राज्य	हजार रुपयों में
आंन्ध्र प्रदेश	55,74
अरुणाचल प्रदेश	03
असम	12,33

1	2
बिहार	63,82
गोवा	63
गुजरात	44,60
हरियाणा	12,46
हिमाचल प्रदेश	83
जम्मू और काश्मीर	4,93
कर्नाटक	24,48
केरल	25,30
मध्य प्रदेश	53,71
महाराष्ट्र	1,48,93
मणीपुर	12
मेघालय	31
नागालैंड	1,17
उड़ीसा	11,62
पंजाब	24,77
राजस्थान	34,89
सिक्किम	06
तमिलनाडु	50,00
त्रिपुरा	29
उत्तर प्रदेश	1,19,04
पश्चिम बंगाल	55,02
जोड़	7,35,08

मध्य प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र

[अनुवाद]

2950. श्री बब्बूलाल चन्द्राकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रीं यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वास्तव में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) पर्वतीय क्षेत्रों में लम्बी दूरी पर रहने वाले जनजातीय लोगों को उनकी बस्तियों की यथोचित परिधि में चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डॉ० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में 31-3-92 की स्थिति के अनुसार कार्य कर रहे केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है :

(1) उपकेन्द्र	11,910
(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,182
(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	175

(ख) आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को कम-से-कम दूरी पर स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से उक्त क्षेत्रों में उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु मानदण्ड मैदानी क्षेत्रों में लागू किए जाने वाले मानदण्डों से भिन्न होते हैं । मैदानी क्षेत्रों में 5000 हजार की आबादी के लिए तथा आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 की आबादी के लिए एक उपकेन्द्र खोला जाता है । एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैदानी क्षेत्रों में 30,0000 की आबादी के लिए तथा आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 की आबादी के लिए खोला जाता है । एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 की आबादी के लिए तथा आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 80,000 की आबादी के लिए खोला जाता है ।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

[हिन्दी]

2951. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय में राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु कोई समिति है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समिति की गत दो वर्षों के दौरान कितनी बैठकें आयोजित की गई थीं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां । दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन इस प्रकार से है :—

1.	शिक्षा निदेशक	—	अध्यक्ष
2.	तीन अपर शिक्षा निदेशक (i) प्रशासन (ii) प्रौढ़ शिक्षा (iii) (स्कूल)	—	सदस्य

3. तीन संयुक्त शिक्षा निदेशक
(i) प्रशासन (ii) आयोजना —सदस्य
(iii) वित्त

4. सभी शैक्षिक जिलों के पांच
उपशिक्षा निदेशक —सदस्य

5 राजभाषा विभाग, गृह मन्त्रालय
का एक प्रतिनिधि —सदस्य

6. उप-निदेशक, भाषा विभाग
दिल्ली प्रशासन —सदस्य

7. लेखा अधिकारी —सदस्य

8. विशेष कार्यकारी अधिकारी —सदस्य

9. हिन्दी अधिकारी —सदस्य-सचिव

(ग) एक।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मानखुर्द-नेरूल-कसराघाट रेल लाइन

2952. श्री यशवन्तराव पाटिल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानखुर्द (मुम्बई) से नेरूल रेल लाइन बिछाने का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त लाइन को कसराघाट तक बिछाने का है जिससे मुम्बई और पुणे के बीच की दूरी 50 किलोमीटर कम हो जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अभी तक मानखुर्द-नेरूल-बेलापुर रेल लाइन परियोजना का मानखुर्द-वाशी खंड ही पूरा किया गया है।

(ख) से (घ) जी, नहीं बहरहाल, भविष्य में मानखुर्द-बेलापुर रेल लाइन का करजत तक विस्तार करने के लिए, रेलों ने पनवेल से करजत तक भूमि अधिग्रहण करने के लिए प्रस्ताव अनुमोदित कर लिया है। इससे पुणे और बम्बई के बीच की दूरी 30 कि०मी० कम हो जाएगी। तथापि, लाइन का निर्माण योजना आयोग के अनुमोदन और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

लैप्रोस्कोपी पद्धति से शल्य चिकित्सा

2953. श्री एन० जे० राठवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में लेप्रोस्कोपी पद्धति से शल्य चिकित्सा करने को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कार्यशाला आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और चिकित्सा वैज्ञानिकों ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) कार्यशाला में की गई सिफारिशों को देखते हुए लेप्रोस्कोपी पद्धति से शल्य-चिकित्सा को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हाथियों की हत्या करना

2954. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में हाथी दांत प्राप्त करने के लिए हाथियों की अनैतिक हत्या की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, शिकार-चोरों द्वारा राज्य-वार कितने हाथियों की हत्या की गई ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) राज्यों के वन्यजीव वार्डनों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश के विभिन्न भागों में पिछले तीन सालों के दौरान चोरी छिपे शिकार करने वालों द्वारा मारे गए हाथियों की संख्या इस प्रकार है :—

राज्य	मारे गए हाथियों की संख्या		
	1989-90	1990-91	1991-92
असम	04	05	05
केरल	04	03	15
कर्नाटक	07	12	10
उड़ीसा	16	19	07
तमिलनाडु	07	04	05
उत्तर प्रदेश	03	—	—
पश्चिम बंगाल	—	—	01
कुल	41	43	43

बिहार में पुलों की मरम्मत

2955. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार स्थित जोनल रेलवे में रेल पुलों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने पुलों की मरम्मत की आवश्यकता है;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान इनकी मरम्मत पर कितनी धनराशि व्यय हुई; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किन-किन पुलों का मरम्मत कार्य शुरू होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 8092 पुल।

(ख) 17।

(ग) खर्च का लेखा राज्य-वार नहीं रखा जाता है।

(घ) निम्नलिखित 17 पुलों पर भारी मरम्मत का कार्य चल रहा है :—

पुल स०	खंड जिस पर स्थित है
274 डा०	टाटानगर-झारसुगुड़ा
235 डा०	टाटानगर-झारसुगुड़ा
218 245	मुजफ्फरपुर-बेतिया
45 60-बी 78 52	नरकटियागंज-सीतामढ़ी
14	समस्तीपुर-खगरिया
57 48	सहरसा-पूर्णिया
50 48	मानसी-फारबिसगंज
41	भिखना थोरी-बिहारीगंज
28 29 और 32	कटिहार-जोगबनी

महिला मृत्यु दर

2956. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष गर्भवती महिलाओं की मातृ मृत्यु दर कितनी रही;

(ख) क्या इस प्रकार होने वाली मृत्यु की संख्या के बारे में कोई विशेष परिवर्तन देखने को मिला है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन मामलों में वृद्धि को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) भारत के महापंजीयक द्वारा शुरू की गई नमूना पंजीयन पद्धति (एस० आर० एस०) मातृ मृत्यु दर के प्राक्कलनों को नहीं दर्शाई है।

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश में मातृ-मृत्यु दर को कम करने के लिए अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। मुख्य पहलों/कार्यक्रमों में शामिल हैं :—

(क) व्यापक रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत सभी गर्भवती महिलाओं का टैटनेस से बचाव करने के लिए टाक्साइड का इंजेक्शन दिया जाता है।

(ख) गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं में पौषणिक रक्ताल्पता के लिए रोग निरोधन योजना।

(ग) दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत ठीक प्रकार से प्रसव कराने के लिए 5.00 लाख से अधिक परम्परागत प्रसूति परिचारकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में 1.3 लाख से अधिक उपकेन्द्रों, लगभग 22,500 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और लगभग 2015 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क और शहरी क्षेत्रों में अस्पतालों, स्वास्थ्य स्थलों और औषधालयों आदि के मौजूदा नेटवर्क के जरिए विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्या योजनाएं चलाई जाती हैं। जन्म में अन्तराल रखने के लिए प्रजनन क्षमता आयु समूह में महिलाओं को परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान की जाती है और इससे माताओं और नवजात शिशु रक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

परिवार कल्याण के सम्बन्ध में स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा अध्ययन

2957. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार कल्याण के क्षेत्र में सांख्यकीय और सामाजिक अनुसंधान के सम्बन्ध में स्वयंसेवी एजेंसियों को वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वयंसेवी एजेंसियों को इस प्रकार के अध्ययनों का कार्य सौंपने हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों और प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन एजेंसियों को धनराशि आवंटित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(घ) क्या इनमे से प्रत्येक एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सरकार ने जांच की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) 1990-91 और 1991-92 के वर्षों के दौरान लगभग 19.66 लाख रुपये की लागत वाले 2 तदर्थ अध्ययन परिवार कल्याण के क्षेत्र में अनुमोदित/शुरू किए गए। इसके अतिरिक्त,

एक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण देश में जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए यू० एस० एड सहायताप्राप्त परिवार योजना के एक भाग के रूप में मंजूर किया गया है। इस समस्त परियोजना की परिशोधित लागत 33 लाख अमरीका डालर है। इस सर्वेक्षण में अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, बम्बई और जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के अतिरिक्त चुनिंदा परामर्शी संगठन भी शामिल हैं। ये अध्ययन कार्य विशिष्ट समिति (समितियों) जो इस प्रयोजन के लिए नियुक्त की गई हो (हों), की सिफारिश के आधार पर अध्ययन, आधारभूत ढांचे और संगठनात्मक योग्यता के क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव के आधार पर अभिकरणों/संगठनों को सौंपे जाते हैं। इन अभिकरणों को देय धनराशि भिन्न-भिन्न अध्ययनों के लिए भिन्न होती है, जो सेम्पल के आकार, प्रश्नावली के डिजाइन, सर्वेक्षण पद्धति, प्रत्यर्थियों के प्रकार, कवर किए जाने वाले क्षेत्र और अन्य सम्बन्धित मापदण्डों पर निर्भर करती है। ऐसे अध्ययनों की रिपोर्ट/निष्कर्ष कार्यक्रम अधिकारियों और राज्य सरकारों को कार्यक्रम कार्यान्वयन में इनके समुचित इस्तेमाल हेतु परिचालित किए जा रहे हैं। अध्ययनों का ब्यौरा और मुख्य निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अध्ययन का नाम	अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष
1. देश में जीवन रक्षक घोलों की मांग और आपूर्ति का मूल्यांकन (19.00 लाख रु०)	1. जीवन रक्षक घोलों (ओ० आर० एस०) की वर्तमान मांग अनुमानतः 610 लाख पैकेट है, जिसमें से 70 प्रतिशत का इस्तेमाल 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए किया जाता है।
	2. जीवन रक्षक घोलों की वर्तमान आपूर्ति और उत्पादन क्षमता अनुमानतः क्रमशः 670 और 1010 लाख पैकेट है।
	3. जीवन रक्षक घोलों के उत्पादन में पाई गई मुख्य कठिनाइयां मांग, स्वाद/गंध और पैकेजिंग की कमी है।
	4. 61-62 प्रतिशत अतिसार के रोगी प्राइवेट चिकित्सकों की सेवाओं, 15-18 प्रतिशत सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, जबकि 14-17 प्रतिशत ऐसे व्यक्ति पाए गए जिन्होंने घर पर ही अतिसार का इलाज किया।
	5. प्राइवेट चिकित्सकों द्वारा केवल 14-18 प्रतिशत जीवन-घोलों के नुस्खे लिखे जाते हैं जबकि सरकारी सुविधाओं में यह 22-23 प्रतिशत है, जो अत्यन्त कम है, विशेषकर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में, जहां पर बहुत अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने जीवन रक्षक घोलों की सिफारिश नहीं की, वास्तव में इसकी जानकारी नहीं थी।
	6. अतिसार रोग के दौरान जीवन-रक्षक घोलों की सिफारिशों और ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी उपलब्धता दो ऐसे मुख्य पहलु

1	2
	हैं, जो जीवन घोल के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं। जीवन रक्षक घोल की मात्र जानकारी होने से इसके इस्तेमाल पर कोई प्रभाव पड़ता प्रतीत नहीं होता; जबकि जानकारी के साथ इसका ज्ञान और प्रेरणा का जीवन रक्षक घोल के इस्तेमाल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
	7. यह पाया गया है कि जीवन रक्षक घोल की मुफ्त अथवा लागत सह्य आपूर्ति का जीवन रक्षक घोल के इस्तेमाल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।
	8. इस अध्ययन में 1996 के लिए 860-1210 लाख पैकेटों की मांग होने का अनुमान लगाया गया है। 860 लाख पैकेटों का अनुमान इस धारणा पर आधारित है कि वर्तमान मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि 1210 लाख पैकेटों की मांग इस धारणा पर आधारित है कि जीवन रक्षक घोल, घरों में उपलब्ध द्रव, जीवन रक्षक घोल की उपलब्धता और उसके नुस्खे की जानकारी में वृद्धि करने से सम्बन्धित नीति में लगातार परिवर्तन हुआ है।
2. तमिलनाडु के किशोर आयु के लड़कों और लड़कियों के सम्बन्ध में परिवार नियोजन के प्रति रवैया (0.66 लाख रुपये)	2. अधिकांश 550 प्रत्यर्थियों ने महसूस किया कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। महिलाओं को इस तथ्य की अधिक जानकारी है कि शीघ्र विवाह, निरक्षरता, निर्धनता और बच्चों की संख्या जनसंख्या विस्फोट के कारण हैं। 97.8 प्रतिशत महिलाओं और 81.8 प्रतिशत पुरुषों को परिवार कल्याण कार्यक्रम की जानकारी थी। उनमें से अधिकांश ने महसूस किया कि विवाह की आदर्श आयु लड़कों के लिए 23 वर्ष और लड़कियों के लिए 19 वर्ष है। लड़कों में किशोरों ने काफी अधिक संख्या में 24-26 वर्ष की आयु में विवाह करना चाहा और लड़कियों ने 18-20 वर्ष की आयु में विवाह को तरजीह दी। 86.7 प्रतिशत पुरुषों और 67 प्रतिशत महिलाओं को सही रूप में विवाह की कानूनी आयु की जानकारी थी। उनमें से अधिकांश को जोखिम वाली अवधि की जानकारी नहीं थी, 5 प्रतिशत प्रत्यर्थियों को एक महिला के जीवन में पुनर्जनन अवधि की सही जानकारी थी। अधिकांश प्रत्यर्थियों ने दो बच्चों के जन्म के अन्तराल की अवधि 2 अथवा इससे अधिक वर्ष होने का समर्थन किया।

1	2
	उनमें से 22 प्रतिशत ने 3 वर्ष से अधिक अवधि के जन्म अन्तराल को तरजीह दी।
3. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (जन संख्या अनुसंधान केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए 33 लाख अमरीकी डालर की संशोधित कुल परियोजना लागत पर यू०एस० एड० सहायता प्राप्त परियोजना का एक घटक)	सर्वेक्षण चरणवार ढंग से किया जा रहा है। जहां कुछ राज्य में अभी फील्ड कार्य पूरा हो गया है/पूरा होनें वाला है, वहां अन्य राज्यों में प्रारम्भिक गतिविधियां शुरू की जा रही हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय खोलना

[अनुवाद]

2958. श्री जी० देवराजन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "वेस्ट इन्क्लेव" प्रीतमपुरा विशेषकर संसद बिहार के निकट ग्रुप आवासीय समितियों में रहने वाले हजारों सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए सी० जी० एच० एस० के औषधालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सी० जी० एच० एस० अथवा अन्य चिकित्सीय औषधालय की आस-पास अनुपलब्धता को देखते हुए इन कालोनियों के हजारों सरकारी कर्मचारियों के एक सप्ताह में दो या तीन बार चल सी० जी० एच० एस० औषधालय के माध्यम से कम-से-कम चिकित्सा सहायता आरम्भ करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) नए औषधालयों की स्थापना के लिए प्राथमिकताओं को उन विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भारी संख्या में केन्द्रीकरण की आवश्यकताए', अनेक वर्षों से लंबित पड़े प्रस्ताव तथा संसाधनों की उपलब्धता शामिल हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ऐसे किसी चल औषधालय का संचालन नहीं कर रही हैं।

फतुहा-इस्लामपुर रेल लाइन

[हिन्दी]

2959. श्री विजय कुमार यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्लामपुर से होते हुए फतुहा से क्या तक यात्रियों की सुविधा और इस क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु बड़ी रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हड़प्पा की लिपि का पढ़ा जाना

[अनुवाद]

2960. **डा० आर० मल्लू :**

श्री गोविन्द राम मिराम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हड़प्पा की लिपि को पढ़ लिया गया है;

(ख) क्या इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा इसका प्रमाणीकरण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो जिन व्यक्तियों ने इस लिपि को पढ़ा है उन्हें पुरस्कृत करने तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता देने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) हड़प्पा की लिपि को पढ़ने के लिए विभिन्न भारतीय और विदेशी विद्वानों द्वारा प्रयास किए गए हैं। तथापि, अब तक विद्वानों द्वारा लिपि-पठन-कार्य किया गया है, वह पूर्णतया विश्वासप्रद सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए, इस विषय के अनेक विशेषज्ञ अब तक लिपि-पठन की किसी पद्धति को न्यायोचित ठहराने के लिए तैयार नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल

2961. **श्री मोहन रावले** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चल रहे मान्यता प्राप्त प्राइवेट पब्लिक स्कूल छात्रों से तो ऊंची फीस वसूल करते हैं, लेकिन शिक्षकों को बहुत कम वेतन देते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है;

(ग) क्या इन स्कूलों में नियुक्त किए गए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने ऐसे स्कूलों के प्रबंधकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के खिलाफ ऊंची शिक्षा शुल्क लेने, कम वेतनों का भुगतान करने और शिक्षकों को नियुक्ति पत्र न जारी करने की शिकायतें कभी-कभी प्राप्त होती हैं। ऐसे स्कूलों के प्रबंधकगण, शैक्षिक सत्र के आरम्भ में शिक्षा शुल्क बढ़ाने के लिए सक्षम हैं, जिसके लिए सरकार की पूर्वानुमति अपेक्षित नहीं है। जहां तक शिक्षकों को कम वेतन देने और नियुक्ति पत्र न जारी करने का सम्बन्ध है, दिल्ली प्रशासन, इस सम्बन्ध में विशेष शिकायतें प्राप्त होने पर आवश्यक कारंवाई करता है। दिल्ली प्रशासन निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए भी समय-समय पर निर्देश जारी करता है।

गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के बारे में दिल्ली प्रशासन दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के अधीन, जो नियंत्रण लगा सकता है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) धारा-5 के अधीन मान्यताप्राप्त स्कूल की प्रबन्ध समिति, उपयुक्त-प्राधिकारियों की पूर्वानुमति से, अधिनियम और नियमों के अनुरूप, प्रबन्ध की योजना तैयार करती है।

(ii) धारा-8 के अधीन, प्रशासक, नियुक्ति की अर्हताओं और सेवा शर्तों आदि को नियंत्रित करने के लिए, नियम बनाने के लिए प्राधिकृत है।

(iii) धारा-8(2) के अधीन, शिक्षा निदेशक की पूर्वानुमति के बिना, किसी कर्मचारी को सेवामुक्त, हटाया अथवा उसका दर्जा घटाया नहीं जा सकता।

(v) धारा-16 के अधीन, दिल्ली प्रशासन, मान्यताप्राप्त स्कूलों में दाखिलों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत है।

(v) धारा-17(3) में इस बात की व्यवस्था है कि निदेशक की पूर्वानुमति के बिना, ऐसा कोई स्कूल प्रत्येक शैक्षिक सत्र के आरम्भ होने से पूर्व, निदेशक को भेजे जाने वाले शिक्षा शुल्क के वार्षिक विवरण में विशेष रूप से उल्लिखित से ज्यादा शिक्षा शुल्क नहीं ले सकता।

(vi) धारा-20 में इसकी व्यवस्था है कि यदि कोई स्कूल अधिनियम अथवा नियमों के अधीन सौंपे गए कर्त्तव्य के निर्वाह की उपेक्षा करता है, ऐसे स्कूल का प्रबन्ध अधिकार में लिया जा सकता है।

(vii) धारा-24(1), दिल्ली प्रशासन को प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्कूल का निरीक्षण एक वर्ष में कम-से-कम एक बार करने के लिए प्राधिकृत करती है।

शांतिपुर-नवद्वीप रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2962. **डा० असीम बाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शांतिपुर-नवद्वीप संकरी लाइन में बदलने हेतु सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) 1992-93 के बजट में सर्वेक्षण कार्य शामिल कर लिया गया है तथा सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इन्जीनियरी कालेज

2963. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में 1 अप्रैल, 1992 को इन्जीनियरी कालेजों एवं इनके समकक्ष अन्य डिग्री प्रदान करने वाली संस्थाओं की संख्या कितनी थी;

(ख) उनकी कुल प्रवेश क्षमता कितनी है;

(ग) वर्ष 1990-91 के शैक्षणिक वर्ष में उनके द्वारा कुल कितने छात्रों को डिग्री प्रदान की गई;

(घ) क्या सभी महाविद्यालयों को राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो महाविद्यालय का संक्षिप्त ब्योरा क्या है जिन्हें मान्यताप्राप्त नहीं है और इनके आवेदन परिषद के पास विचाराधीन हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ङ) 1-4-1993 को इन्जीनियरी, प्रौद्योगिकी, औषध निर्माण (फार्मेसी) और वास्तुकला में डिग्री प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानो की संख्या-204 थी। राज्य-वार ब्योरे, संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं। इन संस्थानों की कुल प्रवेश क्षमता 40,000 है। शैक्षिक वर्ष 1990-91 में लगभग 24,000 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा तकनीकी संस्थानों को मान्यता प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है। अतः विचाराधीन प्रस्तावों की स्थिति, समय-समय पर परिवर्तित होती रहती है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	संस्थानों की संख्या (इन्जीनियरी, प्रौद्योगिकी, औषध निर्माण और वास्तुकला शामिल हैं)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	11
2.	असम	5
3.	बिहार	10

1	2	3
4.	चंडीगढ़	5
5.	दिल्ली	7
6.	गोवा	2
7.	गुजरात	14
8.	हरियाणा	4
9.	हिमाचल प्रदेश	1
10.	जम्मू व कश्मीर	1
11.	कर्नाटक	13
12.	केरल	9
13.	मध्य प्रदेश	15
14.	महाराष्ट्र	33
15.	उड़ीसा	5
16.	पाण्डिचेरी	1
17.	पंजाब	5
18.	राजस्थान	6
19.	तमिलनाडु	22
20.	त्रिपुरा	1
21.	उत्तर प्रदेश	17
22.	पश्चिमी बंगाल	17
	कुल	204

राजस्थान में रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

2964. **श्री रामनारायण बैरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान राजस्थान में कुछ रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों के नाम क्या-क्या है;

(ग) इन रेलगाड़ियों को रद्द करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन रेलगाड़ियों को पुनः चलाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चिल्का-झील में शिकार करना

2965. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा की चिल्का झील में पक्षियों का शिकार किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो झील में पक्षियों का शिकार करने को रोकने हेतु राज्य सरकार को क्या निर्देश दिए गए हैं; और

(ग) चिल्का झील और इसके आसपास के क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) उड़ीसा के वन्यजीव प्राधिकारिणों से चिल्का झील में पक्षियों के भारी मात्रा में चोरी-छिपे शिकार किए जाने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

राज्य में वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व राज्य सरकारों का है। जानवरों के चोरी छिपे शिकार को रोकने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सलाह दी जाती है। जानवरों के चोरी-छिपे शिकार को रोकने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) पक्षियों सहित सभी वन्यजीवों के लिए उपलब्ध कानूनी सुरक्षा का वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम के कड़े प्रावधानों के जरिए विस्तार किया गया है।

(2) झील में 15.53 वर्ग किमी० क्षेत्र को वन्यजीव सैन्चुअरी घोषित किया गया है।

(3) राज्यों में चोरी-छिपे शिकार-रोधी आधारभूत ढांचों को मजबूत बनाया गया है। 'वन्यजीवों का चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार और नियन्त्रण' नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत चोरी-छिपे शिकार-रोधी आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी गई। वित्तीय वर्ष 1992-93 से इस स्कीम को इसके कार्यान्वयन के लिए निधियों के साथ-साथ राज्य क्षेत्र को अन्तरित किया गया है। राज्य सरकार ने चोरी-छिपे शिकार तथा अन्य बाधाओं से चिल्का-झील की सुरक्षा के लिए कर्मचारी नियुक्त कर लिए हैं।

(4) चोरी-छिपे शिकार करने वालों ओर अवैध व्यापार करने वालों के बारे में आसूचना प्राप्त करने के लिए एक नकद इनाम की प्रणाली शुरू की गई है।

(ग) झील की इन पारिस्थितिकी के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमें शुरू की गई हैं :

(1) राष्ट्रीय उद्योगों और अभयारण्यों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत चिल्का झील के विकास के लिए वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए क्रमशः 2·495 लाख रुपये और 5.16 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई।

(2) राष्ट्रीय नम भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा चिल्का झील को संरक्षण के लिए निर्धारित 16 नम भूमियों में से एक नम भूमि के रूप में कार्यान्वित किया गया है। उड़ीसा सरकार को 1988-89 से नलवाड़ा क्षेत्र के वासस्थलों के सुधार मृदा संरक्षण उपायों, पर्यावरणीय जागरूकता आदि के लिए नम भूमि कार्यक्रम के तहत 112·40 लाख रुपए की राशि मन्जूर की गई है।

महिलाओं और लड़कियों के लिए अल्पकालीन आवास गृह

2666. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं और लड़कियों के लिए अल्पकालीन आवास गृहों की स्थापना करने एवम् उन्हें चलाने हेतु सरकार स्वयंसेवी संगठनों और संस्थाओं की सहायता कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) इन एजेंसियों को गत दो वर्षों के दौराय कितनी सहायता प्रदान की गई और तत्सम्बन्धी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है।

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। अल्पावास गृह योजना का मुख्य उद्देश्य विशेषकर पिछड़े वंचित और निर्धन वर्गों की ऐसी महिलाओं और बालिकाओं को आश्रय प्रदान करना है जो किसी नैतिक खतरे का सामना कर रही हों अथवा जो पारिवारिक कुसमंजन अथवा भावात्मक परेशानियों की शिकार हों। इनके मुख्य कार्य हैं—परामर्श और मार्गदर्शन, चिकित्सा और मानसिक जांच और उपचार जैस रख-रखाव (मैंटेनेन्स) और संस्थानात्मक सेवाएं प्रदान करना, तथा कौशल और संपर्क विकसित करने के लिए सुविधाएं प्रदान करना, जिससे कि उन्हें अल्प अवधि में ही स्वयं को पुनर्वासित करने में मदद मिल सके।

(ग) 1990-91 के अन्त तक 115 अल्पावास गृह थे। इनमें वर्ष 1991-92 के दौरान 62 और अल्पावास गृह जोड़ दिए गए हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान इन गृहों पर हुआ कुल व्यय 3.72 करोड़ रु० था।

भारत दर्शन योजना

2967. **श्री संदीपन भगवान थोरात** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जुलाई, 1992 को इंडियन एक्सप्रेस में 'डिस्कवरी आफ इंडिया टुर प्लान फ्लाप्स-बिकाज द एन० आर० आइज नेवेर कम एराउन्ड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसे सफल बनाने के लिए की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रवासी भारतीय बच्चों के लिए जून, 1992 के अन्तिम सप्ताह से देश के ऐतिहासिक रुचि के विभिन्न स्थानों, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रतिष्ठानों और शैक्षिक संस्थाओं के तीन सप्ताह के दौरे का कार्यक्रम बनाया गया ताकि ऐसे बच्चों को उनकी मातृभूमि के विषय में शैक्षिक और सांस्कृतिक जानकारी दी जा सके। इसके लिए धन की व्यवस्था उन प्रवासी भारतीयों को करनी थी जो अपने बच्चों को दौरे में भेजने के इच्छुक थे। हालांकि सरकार ने विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और वाणिज्य दूतावासों के माध्यम से इस दौरे के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार हेतु भरसक प्रयत्न किया, तथापि प्रवासी भारतीयों का उत्तर उत्साहवर्धक नहीं था जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं हो सका।

स्टेशनों का आधुनिकीकरण

2968. **श्री थाइल जान अंजलोज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है और उक्त अवधि के दौरान केरल में किन-किन स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है; और

(ख) 1992-93 के दौरान जोन वार किन-किन रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने का विचार है; तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) "आदर्श स्टेशन" योजना के अन्तर्गत व्यापक आधुनिकीकरण के लिए 1986 में समूची भारतीय रेलवे पर 67 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया था। तदनुसार, केरल राज्य में तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल स्टेशन पर आधुनिकीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ख) "आदर्श स्टेशन" योजना के अन्तर्गत व्यापक आधुनिकीकरण के लिए अन्य स्टेशनों को लेने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना एक सतत प्रक्रिया है और जहां कहीं यातायात में वृद्धि होने पर ऐसा करना अपेक्षित हो जाता है वहां नियमित रूप से ऐसा किया जाता है, बशर्ते धन उपलब्ध हो।

अनुषंगी कार्य

2969. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने खान-पान सेवा, सचल रिटायरिंग रूम और रेल यात्री निवास जैसे अनुषंगी कार्यों का गैर-सरकारीकरण करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों पर खान-पान सेवाओं के निजीकरण के बारे में अब एक नीति सम्बन्धी निर्णय ले लिया गया है। मौजूदा विश्राम कक्षों तथा यात्री निवासों के निजीकरण के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) उद्देश्य यह है कि रेलों का समग्र कुशलता में सुधार किया जाए और ग्राहकों को बेहतर सेवा संतुष्टि प्रदान की जाए।

(ग) यह विनिश्चित किया गया है कि खानपान सेवाओं का निजीकरण चरणों में किया जाएगा निजीकरण के परिणामस्वरूप फालतू (सरप्लस) होने वाले सभी कर्मचारियों को समुचित रूप से विभिन्न कोटियों में पुर्नानियुक्त/समायोजित किया जाएगा।

आदर्श संस्कृत महाविद्यालय

[हिन्दी]

2970. श्री भोगेन्द्र झा : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषतौर पर बिहार में, कितने आदर्श संस्कृत महाविद्यालय कार्यरत हैं;

(ख) क्या बिहार के मधुबनी जिले में हरिजन संस्कृत महाविद्यालय, बारहा को आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थाओं की सूची

बिहार

1. प्रिंसिपल

जगदीश नारायण ब्रह्मचारी,

आश्रम संस्कृत महाविद्यालय,
लगमा वाया : लोहना रोड,
रामभधरपुर, जिला दरभंगा (बिहार)।

2. प्रिंसिपल,

लक्ष्मी देवी शराफ,
आदर्श संस्कृत महाविद्यालय,
काली राखा, जिला देवगढ़-814112

3. प्रिंसिपल,

राजकुमारी गनेश शर्मा,
आदर्श संस्कृत विद्यापीठ, कालूहटी पटोरी (बिहार)

4. प्रिंसिपल,

स्वामी प्राणकुशाचार्य आदर्श महाविद्यालय,
हुलाशगंज, जिला गया (बिहार)

हरियाणा

1. प्रिंसिपल

दीवान कृष्ण किशोर
एस० डी० आदर्श संस्कृत कालेज, अम्बाला कैंट (हरियाणा)।

2. प्रिंसिपल,

हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ,
डा० भगोला (पलवल) जि० फरीदाबाद (हरियाणा)।

हिमाचल प्रदेश

1. प्रिंसिपल,

हिमाचल आदर्श संस्कृत महाविद्यालय,
जंगला, रोहरा (हिमाचल प्रदेश)

केरल

1. प्रिंसिपल,

कालीकट आदर्श संस्कृत विद्यापीठ,
बालूस्सरी, डा० बालूस्सरी, जिला कालीकट (केरल)

महाराष्ट्र

1. प्रिंसिपल,

मुम्बा देवी संस्कृत महाविद्यालय,
द्वारा भारतीय विद्या भवन, के० एम० मुंशी मार्ग, बम्बई-7

2. प्रिंसिपल,

वैदिक सम्सोधना मण्डल,
तिलक विद्यापीठ नगर, पूना-9 (महाराष्ट्र)

तमिलनाडु

1. प्रिंसिपल,

मद्रास संस्कृत कालेज एवं एस० एस० बी पाठशाला, 84, रायपीठ, हाई रोड, माइलापुर, मद्रास (तमिलनाडु)।

2. कुप्पु स्वामी शास्त्री, अनुसंधान संस्थान, 84, रायपीठ, हाई रोड, माइलापुर, मद्रास (तमिलनाडु)

3. श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती, न्याय शास्त्र संस्कृत महाविद्यालय, सं० 3 पूर्वी मादा स्ट्रीट, लिटिल कांची पुरम (तमिलनाडु)।

उत्तर प्रदेश

1. प्रिंसिपल,

श्री रंग लक्ष्मी आदर्श, संस्कृति महाविद्यालय वृन्दाबन (मथुरा) उ० प्र०

2. प्रिंसिपल,

भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय, डा० गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, जिला सहारनपुर (उ० प्र०)।

3. प्रिंसिपल,

श्री एकरासानन्द संस्कृत महाविद्यालय, मैनपुरी (उ० प्र०)।

इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें

[अनुवाद]

2971. **श्री शशि प्रकाश** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और इलाहाबाद जिलों में चीनी मिलों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्थानों पर चीनी मिलों की स्थापना के प्रस्तावों को कब तक मंजूरी मिल जाने की सम्भावना है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तथा फतेहपुर जिलों में नई चीनी फैक्ट्रियों

1	2	3	4	5

की स्थापना के लिए औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से खाद्य मन्त्रालय में 30-6-92 तक 4 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन आवेदन पत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

पहले जारी किए गए तथा कार्यान्वित न किए गए आशय पत्रों/लाइसेंसों की बहुत बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए नई चीनी फैक्ट्रियों के प्रस्तावों पर अभी विचार नहीं किया गया है।

विवरण

क्रम सं०	स्थान सहित प्रस्ताव का नाम	खाद्य मन्त्रालय में आवेदन प्राप्ति की तारीख	क्षेत्र	टिप्पणी
1	2	3		4
	जिला फतेहपुर			
1.	श्री आर० विजय कुमार स्थान घाटा, तह० खागा	26-3-90	निजी	
2.	मैं महर्षि हैवन एण्ड अर्थ डवलपमेंट कारपोरेशन लि०; स्थान उम्नौर	24-5-90	निजी	
	जिला इलाहाबाद			
3.	उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि० फूलपुर*	20-3-89	सहकारी	*30-4-90 को एक प्रथम दृष्टया अस्वीकृति पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है।
4.	मै० खोबे ईश्वर एण्ड सन्स, स्थान प्रतापपुर, तह० हांडिया	16-8-90	निजी	—

रत्नगिरि में संग्रहालय का निर्माण

2972. **श्री अनादि चरण दास** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नागिरि (उड़ीसा) में ए० एस० आई० संग्रहालय का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा से काफी पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके निर्माण में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा): (क) से (घ) जी, नहीं। रत्नगिरि, जिला कटक, उड़ीसा में स्थल संग्रहालय के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

केरल में खाद्यान्न भंडार

2973. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :** क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गत वर्ष की तुलना में जून, 1992 को कुल कितना खाद्यान्न जमा था; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितना खाद्यान्न जमा किया जाएगा?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास केरल में चावल और गेहूं का स्टाक निम्नानुसार था :

(हजार मीटरी टन में)

	निम्नलिखित तारीख को	
	30-6-92	30-6-91
चावल	345.1	297.7
गेहूं	14.0	28.9
जोड़ :	358.1	326.6

(ख) भारतीय खाद्य निगम के पास केरल में वर्तमान वर्तमान वर्ष में मास-अन्त को चावल और गेहूं का स्टाक निम्नानुसार था :

(हजार मीटरी टन में)

	चावल	गेहूं
जनवरी	276.7	71.9
फरवरी	293.6	51.7
मार्च	373.2	26.9
अप्रैल	375.9	16.5
मई	364.9	7.7
जून	345.1	13.0

भारतीय खाद्य निगम द्वारा केरल में वर्ष के शेष महीनों के लिए चावल और गेहूं का पर्याप्त मात्रा में स्टाक रखा जाएगा ताकि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

तामलुक-दिघा रेलवे लाइन

2974. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तामलुक-दिघा रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या परियोजना का कार्य धीमी गति से चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जून, 1992 तक 12.25%।

(ख) जी हां।

(ग) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य की प्रगति हो रही है।

गंगा कार्य योजना को राष्ट्रीय नदी कार्य योजना में बदलना

2975. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री संदीपन भगवान थोरात : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गंगा कार्य योजना को राष्ट्रीय नदी कार्य योजना में बदलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) देश की कुछ प्रमुख नदियों के अभिनिर्धारित क्षेत्रों में प्रदूषण दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय नदी कार्य योजना बनाई जा रही है। इस सम्बन्ध में विवरण तैयार किया जा रहा है।

बिहार शिक्षा परियोजना

2976. श्री नवल किशोर राय : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार शिक्षा परियोजना के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसका समग्र सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) 1992-93 के दौरान इसके अन्तर्गत और अधिक जिलों को सम्मिलित करने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) बिहार शिक्षा परियोजना दिनांक 25-2-91 को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद बिहार के तीन जिलों-रांची, रोहतास और पश्चिम चम्पारण में शुरू की गई थी। इन जिलों में अनेक शैक्षिक कार्यकलाप शुरू किए गए थे। चूंकि यह परियोजना अभी हाल ही में शुरू हुई है, अतः सम्पूर्ण सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने का समय अभी नहीं आया है।

(ग) वर्ष 1992-93 में इस परियोजना में चार और जिलों-पूर्वी सिंहभूम, चत्रा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी को शामिल किया जा रहा है।

कीटनाशकों का आयात

2977. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा बिना जांच किए जहरीले कीटनाशक आयात न करने के लिए स्पष्ट रूप से निदेश दिए जाने के बावजूद प्राइवेट स्रोतों से भारी मात्रा में इनका आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

हाकी टीमों का यूरोपीय देशों का दौरा

[हिन्दी]

2978. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हाकी टीम मई, 1992 के दौरान यूरोपीय देशों के दौरे पर गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे में खेले गए मैचों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दौरे का उद्देश्य क्या था ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय हाकी संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार खेले गए मैचों का विवरण संलग्न है।

(ग) भारतीय टीम का दौरा ओलम्पिक की तैयारी हेतु प्रदर्शन प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था।

विवरण

1. ब्रुसेल्स-बेलजियम XI के विरुद्ध

I. शुक्रवार 8 मई को बौघोइन में 19 बजे 4-0 हमारे समर्थन में।

II. शनिवार 9 मई को ला रसन्तो में 1700 बजे 3-2 हमारे समर्थन में।

III. रविवार 10 मई को बौघोइन में 1700 बजे 3-2 हमारे समर्थन में।

2. ग्रेट ब्रिटेन

I. 13 मई इंग्लैंड के विरुद्ध विशाम अब्बे 2-0 हमारे समर्थन में।

II. 16 मई ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध मिल्टन-कोनोस टेस्ट 3-1 हमारे समर्थन में।

III. 17 मई ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध रीडिंग में टेस्ट 3-1 हमारे समर्थन में।

IV. 19 मई वेल्स XI के विरुद्ध टेस्ट कार्डिफ में 3-2 हमारे समर्थन में।

V. 20 मई वेल्स XI के विरुद्ध टेस्ट कार्डिफ में 4-0 हमारे समर्थन में।

3. स्पेन (मेडरिड) चार राष्ट्रों के टूर्नामेंट

I. 22 मई अर्जेंटीना के विरुद्ध क्लब-डी-केम्पो में 2-0 हमारे समर्थन में।

II. 23 मई मिश्र के विरुद्ध क्लब-डी-कैम्पो में 3-2 हमारे समर्थन में।

III. 24 मई स्पेन के विरुद्ध क्लब-डी-केम्पों में 0-0 बराराबर।

4. जर्मन (कोलोन)

I. 16 मई डूसलडोर्फ हाकी क्लब के विरुद्ध अभ्यास मैच 4-0 हमारे समर्थन में।

II. 27 मई जर्मन के विरुद्ध टेस्ट हुअर्थ में 2-3 हमारे विपरीत।

III. 28 मई जर्मन के विरुद्ध टेस्ट न्युआस में 3-3 बराबर।

5. नीदरलैंड

I. 30 मई को हालैंड के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय मैच, 2-1 हमारे समर्थन में।

II. 31 मई हालैंड के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय मैच 2-1 हमारे समर्थन में।

विश्व चैम्पियनशिप में भाग लेने वाली महिला भारोत्तोलक (वेट लिफ्टर)

[अनुवाद]

2979. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुछ महिला भारोत्तोलकों (वेट लिफ्टर्स) ने मई, 1992 में बुल्गारिया में आयोजित महिला विश्व चैम्पियनशिप में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो भाग लेने वाली महिलाओं का राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) भाग लेने वालों का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(घ) क्या सरकार ने प्रत्येक प्रतियोगी के मार्गव्यय का भुगतान किया है;

(ङ) क्या प्रत्येक प्रतियोगी से उसके ठहरने और भोजन की व्यवस्था के लिए उससे 16,500 रु० लिए गए हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(छ) भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भारोत्तोलन संघ के प्रस्ताव पर सरकार ने इस चैम्पियनशिप में भाग लेने के लिए सात महिला भारोत्तोलकों को मंजूरी दी थी। विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संघ द्वारा चयनित समिति ने भारोत्तोलकों का चयन अन्तिम चैम्पियनशिप में उनके द्वारा प्राप्त छठे स्थान के आधार पर किया था।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकार ने भाग लेने वालों का भोजन और आवास व्यय वहन नहीं किया था। संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उसने अपने सदस्य इकाइयों से भोजन, आवास, जेब खर्च, किट आदि की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था। इस बारे में भाग लेने वालों से की गई किसी भी वसूली की सरकार को जानकारी नहीं है।

(च) और (छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	महिला भारोत्तोलकों के नाम	राज्य/संघ शासित प्रदेश	श्रेणी
1.	सुश्री एन० कुजरानी	मणीपुर	44 कि०ग्रा०
2.	,, शानीजोस	केरल	44 कि०ग्रा० (भाग नहीं लिया)

1	2	3	3
3.	सुश्री छाया आवक	दिल्ली	52 कि०ग्रा०
4.	,, के० माल्लेश्वरी	आंध्र प्रदेश	56 कि०ग्रा०
5.	,, एल० अनीता चानू	मणीपुर	60 कि०ग्रा०
6.	,, के० नरसम्मा	आंध्र प्रदेश	60 कि०ग्रा०
7.	,, ज्योत्सना दत्ता	पश्चिमी बंगाल	*82.5 कि०ग्रा०

गंगा सफाई योजना से जुड़े हुए स्वयंसेवी संगठन

2980. **श्री बीर सिंह महतो : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा सफाई योजना से कौन-कौन से स्वयंसेवी संगठन जुड़े हुए हैं; और

(ख) ये संगठन किन-किन राज्यों/शहरों में कार्यरत हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमों में भाग लेने वाले स्वयंसेवी संगठनों की एक सूची, उनके कार्य करने के स्थान सहित, विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

गंगा कार्य योजना से जुड़े हुए स्वयंसेवी संगठनों का विवरण

क्रम सं०	स्वयंसेवी संगठनों का नाम	नगर	राज्य
1	2	3	4
1.	इन्टैक (दिल्ली), 71, लोधी रोड, नई दिल्ली	ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कलकत्ता	उत्तर प्रदेश/बिहार/पश्चिम बंगाल
2.	पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद, गुजरात	ऋषिकेश, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, वाराणसी, पटना, बैरकपुर	उत्तर प्रदेश/बिहार/पश्चिम बंगाल
3.	हिमालय वन्य-जीव संस्थान, (उत्तर प्रदेश)	ऋषिकेश, हरिद्वार	उत्तर प्रदेश
4.	सुनील संघ, चन्दननगर, (पश्चिम बंगाल)	हुगली	पश्चिम बंगाल
5.	कोन्नागर कल्याण संघ, हुगली (पश्चिम बंगाल)	हुगली	पश्चिम बंगाल
6.	गोरा बाजार, बेहरामपुर टाउन क्लब (पश्चिम बंगाल)	बेहरामपुर	पश्चिम बंगाल
7.	पर्यावरण विज्ञान अकादमी, फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश)	फर्रुखाबाद/फतेहगढ़/कन्नौज	उत्तर प्रदेश
8.	पर्यावरण विज्ञान अकादमी, गढ़मुक्तेश्वर, (उ० प्र०)	गढ़मुक्तेश्वर	उत्तर प्रदेश
9.	स्पैस्टिक सोसायटी (कलकत्ता), पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल

1	2	3	4
10.	गंगा सेवा शिविर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
11.	डा० अम्बेडकर मेला सोसायटी, बैरकपुर, (प० बंगाल)	बैरकपुर	पश्चिम बंगाल
12.	गांधी मेल, गांधी जन्मोत्सव उद्‌यापन समिति नईहाटी (पश्चिम बंगाल)	नईहाटी	पश्चिम बंगाल
13.	नेशनल काउन्सिल आफ डेवलपमेंट कम्यूनिकेशन्स वाराणसी, उत्तर प्रदेश	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
14.	श्री काशी गंगा घाट सुधार समिति, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
15.	स्कूल आफ फंडामेटल रिसर्च, टालीगंज (पश्चिम बंगाल)	बख्यारपुर, मोकामेह, मुंगेर, सुल्तानगंज भागलपुर, राजमहल, फरक्का, कृष्णानगर कलकत्ता, गंगा सागर	बिहार/पश्चिम बंगाल
16.	जयप्रकाश नारायण जन्मोत्सव समिति, नादिया (पश्चिम बंगाल)	नादिया	पश्चिम बंगाल
17.	इंडिया एण्ड राजीव, चिनसुरा	चिनसुरा	पश्चिम बंगाल
18.	सेन्टर फार ए स्टडी आफ मैन एण्ड इन्वार्नमेंट कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	बैरकपुर	पश्चिम बंगाल
19.	बंगाल ललित कला कालेज, नार्थ 24-परगना (प० बंगाल)	नार्थ 24-परगना	पश्चिम बंगाल

1	2	3	4
20.	नार्थ 24-परगना जिला, मणिमेला (पश्चिम बंगाल)	नार्थ 24-परगना	पश्चिम बंगाल
21.	कमेटी फार नेशनल इन्टीग्रेशन, कलकत्ता (प० बंगाल)	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
22.	कैनिंग मिलान चक्र, साउथ 24-परगना (प० बंगाल)	साउथ 24-परगना	पश्चिम बंगाल
23.	संकटमोचन निधि, अमर भवन, वाराणसी, (उ० प्र०)	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
24.	राष्ट्रीय ग्रामीण शोध संस्थान, इलाहाबाद (उ० प्र०)	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
25.	सबुज स्वपन, नार्थ 24-परगना (पश्चिम बंगाल)	नार्थ 24-परगना	पश्चिम बंगाल

पूर्वोत्तर राज्यों में बफर स्टाक

[हिन्दी]

2981. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल-मालडिब्बों की अनुपलब्धता के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्यान्नों की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है और आम आदमी को स्थानीय बाजार से बढ़े हुए मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदने पर मजबूर होना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वितरण प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए इन राज्यों में "बफर स्टाक" बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) उत्तर-पूर्वी राज्यों को उनके मासिक आवंटनों के प्रति खाद्यान्नों की ढुलाई और सुपुर्दगी करने हेतु भारतीय खाद्य निगम को रेल वैगन उपलब्ध करने के बारे में कोई समस्या नहीं है। भारतीय खाद्य निगम के पास न केवल वर्तमान मासिक आवंटनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बल्कि कुछ बफर स्टाक का अनुरक्षण करने के लिए भी उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक है। निगम उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में खाद्यान्नों के स्टाक में वृद्धि करने की दिशा में निरन्तर प्रयास कर रहा है ताकि वह वहां पर्याप्त मात्रा में बफर स्टाक का अनुरक्षण कर सके ।

चीनी मिलों द्वारा लेवी चीनी का निर्यात

2982. श्रीमती शीला गौतम : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान चीनी मिलों द्वारा राज्य-वार कितनी लेवी चीनी का निर्यात किया गया;

(ख) वर्ष 1990-91 में लेवी चीनी के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो कितना; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (घ) लेवी चीनी से वाणिज्यिक निर्यात नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार ने 1990-91 के दौरान नेपाल को उनके आंतरिक उपभोग के लिए 20,000 मीटरी टन लेवी चीनी की आपूर्ति करने का निर्णय लिया था। जिसमें से लगभग 19,998 मीटरी टन चीनी उनके द्वारा उठा ली गई है। शेष लगभग 2 मी० टन चीनी को उठाया नहीं जा सका जो एक नगण्य मात्रा है।

बीमा विषय को स्कूलों में पढ़ाया जाना

[अनुवाद]

2983. श्री अनंतराव देशमुख : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य बीमा निगम ने कितने स्कूलों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'बीमा' विषय पढ़ाना प्रारम्भ किया है;

(ख) सामान्य बीमा निगम ने इन स्कूलों के चयन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी है; और

(घ) निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अनुसार इन स्कूलों में छात्रों की संख्या की जांच हेतु निगम द्वारा क्या नियम अपनाए जाते हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध 18 स्कूलों में सामान्य बीमा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम पहले ही शुरू किया जा चुका है।

(ख) स्कूलों के स्तर, अवस्थापना तथा उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखकर एक समिति द्वारा स्कूलों का चयन किया गया था।

(ग) 1992 की परीक्षा में शामिल होने वाले प्रत्येक स्कूलों के छात्रों की संख्या नीचे दी गई है :—

क्रमांक	स्कूल का नाम	छात्रों की संख्या
1	2	3
1.	राजकीय बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चंदर नगर, दिल्ली	34
2.	राजकीय बालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नं०-1 बी ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्ली	38
3.	राजकीय बाल माडल स्कूल, गुलाबी बाग, दिल्ली	25
4.	राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल नं०-2 किदवई नगर, नई दिल्ली	36
5.	राजकीय बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुतुब रोड, दिल्ली	35
6.	बाल भारती पब्लिक स्कूल, राजेन्द्र नगर, दिल्ली	35
7.	राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर-10, चण्डीगढ़	40
8.	केन्द्रीय विद्यालय, सेक्टर-31, चंडीगढ़	20
9.	राजकीय माडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर-35 डी, चंडीगढ़	36

1	2	3
10.	केन्द्रीय विद्यालय, फोर्ड विलियम, कलकत्ता	18
11.	पी० एस० सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अलाढ़ेलमंगा पुरम, मद्रास	40
12.	पद्मा सैस बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नुनगम बक्कम, मद्रास	40
13.	केन्द्रीय विद्यालय, भा० प्रौ० सं० परिसर, मद्रास	19
14.	विजयंत सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एच०वी० एफ० अवाडी, मद्रास	40
15.	एस० बी० ओ० ए० सीनियर सेकेंडरी स्कूल अन्ना नगर, मद्रास	36
16.	के० एम० एस० जूनियर कालेज, पटेल, बम्बई	40
17.	आई० ई० एस० माडर्न इंग्लिश स्कूल, दादर पश्चिम बम्बई	33
18.	गोखले एजूकेशन सोसायटी, गेरगांव, बम्बई	30

(घ) निर्धारित मानदण्ड के अनुसार स्कूलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक शैक्षिक सत्र के दौरान पाठ्यक्रम में 40 से अधिक छात्रों को दाखिल न करें।

गोंदिया-जबलपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2984. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोंदिया-जबलपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य कब तक शुरू किया जाएगा; और

(ख) क्या मांडला से नैनपुर और नैनपुर से छिंदवाड़ा परासिया तक की छोटी रेल लाइन को भी बड़ी लाइन में बदला जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गोंदिया-जबलपुर खंड पर आमान परिवर्तन आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए जाने की संभावना है।

(ख) जी नहीं।

तीस्ता-तोरशा एक्सप्रेस

2985. **श्री सुब्रत मुखर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सप्ताह में तीन दिन चलने वाली तीस्ता-तोरशा एक्सप्रेस को दैनिक रेलगाड़ी के रूप में चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक एवं संसाधनों की तंगियों तथा वाणिज्यिक औचित्य की कमी के कारण।

बांकुड़ा-दामोदर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2986. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांकुड़ा-दामोदर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

पेड़ों की अवैध कटाई

2987. **श्री परसराम भारद्वाज :**

श्री के० प्रधानी :

श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ राज्यों के वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी केन्द्रीय दल ने उन राज्यों का दौरा किया है;

(ग) यदि हां, तो दौरा किए गए राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी घटनाओं को भविष्य में न होने देने के लिए उक्त दल ने क्या सुझाव दिए हैं/सिफारिशें की हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वृक्षों की अवैध रूप से कटाई के बारे में शिकायत प्राप्त होते ही अपर वन महा-निरीक्षक के नेतृत्व में एक केन्द्रीय दल ने मध्य प्रदेश के बस्तर जिले का दौरा किया।

(ग) दल की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

स्कूलों और कालेजों में अवकाश

2988. **श्री बलराज पासी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों के स्कूलों और कालेजों की तुलना में भारत में स्कूल और कालेज वर्ष भर में अधिक समय तक बन्द रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है तथा इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) भारत के स्कूलों तथा कालेजों के साथ-साथ दूसरे देशों के स्कूल तथा कालेजों के बन्द होने की अवधि के सम्बन्ध में तुलनात्मक सूचना शिक्षा विभाग द्वारा एकत्रित नहीं की जाती।

रेलवे स्लीपर

[हिन्दी]

2989. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान कितने रेल स्लीपरों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या रेल स्लीपरों का निर्माण रेल की खपत की तुलना में कम है; और

(ग) 1992-93 के दौरान पूर्वी रेलवे को कुल कितने स्लीपरों की आवश्यकता है और विभिन्न कम्पनियों से कितने स्लीपर खरीदे जायेंगे ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों द्वारा 1991-92 के दौरान खरीदे गए विनिर्मित स्लीपरों अर्थात् कंक्रीट, इस्पात तथा ढलवां लोहे के स्लीपरों की संख्या 65 लाख थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1992-93 में पूर्व रेलवे को तीन किस्म के 8.5 लाख स्लीपरों की आवश्यकता है और इन्हें विभिन्न स्रोतों से खरीदने का प्रस्ताव है।

निगमित योजना

[अनुवाद]

2990. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** :

श्री नरेश कुमार बालियान :

प्रो० रीता वर्मा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निगमित योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी लम्बी रेल लाइन का निर्माण किया जाना है तथा इन रेल-लाइनों का क्षेत्रवार विवरण क्या है;

(ग) इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं के कारण प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वास/उन्हें मुआवजा देने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) समवेत योजना में नई लाइनों, पुनर्वास/क्षतिपूर्ति आदि के जटिल ब्यौरे नहीं हैं। समवेत योजना का लक्ष्य अर्थात् मुख्य विशेषता है "आप्टिमल इंटर माडल मिक्स पर आधारित यात्री और माल यातायात, दोनों के लिए देश की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता वाली एक आधुनिक रेल प्रणाली बनाना और परिवहन प्रणाली की वित्तीय अर्थक्षमता को बनाए रखते हुए समाज को कम से कम लागत पर रेल परिवहन उपलब्ध करना।" योजनाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि उपलब्ध संसाधनों के द्वारा ही उपर्युक्त लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

आदिवासी क्षेत्रों में रेल लाइनें बिछाना

[हिन्दी]

2991. **श्री काशीराम राणा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आदिवासी क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नीति के अन्तर्गत बिछाई गई रेल लाइनों का, राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) आगामी वर्ष में सरकार का कौन-सा निर्माण कार्य शुरू करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दूषित औषध

[अनुवाद]

2992. **श्री के० पी० रेड्डय्या यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 1992 के दैनिक जनसत्ता में "दवा की शीशी में कीड़ा निकला" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, शिकायतकर्ता ने इस मामले की सूचना न तो पंजाब सरकार को दी है और न ही केन्द्र सरकार को, तथापि उसने अपनी शिकायत जिला और सत्र न्यायाधीश, जिला उपभोक्ता मंच, भटिंडा को की है अतः यह मामला विचाराधीन है।

खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि

2993. डा० लाल बहादुर रावल :

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन महीनों के दौरान गेहूं, चीनी और दूसरे अनाजों के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आवश्यक वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जून, 1992 के अन्त में गेहूं, चीनी और अनाजों के थोक मूल्य सूचकांकों से विदित होता है कि दिसम्बर, 1991 से प्रारम्भ पिछले छः महीनों में इन वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में क्रमशः 0.4%, 11.5% और 7.5% की वृद्धि हुई।

(ख) खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि होने के मुख्य कारण खरीफ के अनाजों की पैदावार में गिरावट आना, न्यूनतम समर्थन मूल्यों/वसूली मूल्यों में वृद्धि होना, केन्द्री निर्गम मूल्यों में वृद्धि होना, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की सामान्य प्रवृत्तियां होना, आदि हैं।

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, इसके खुले बाजार के मूल्यों में वृद्धि मुख्यतया अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की सामान्य प्रवृत्तियों और लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य में वृद्धि होने के कारण हुई है।

(ग) खाद्यान्नों के खुले बाजार के मूल्य मंडी में खाद्यान्नों की समूची आपूर्ति और मांग की सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करते हैं। इस वर्ष गेहूं और चावल की कम वसूली होने की वजह से खुले बाजार में इन खाद्यान्नों की उपलब्धता अपेक्षाकृत अधिक है जिसका खुले बाजार के मूल्यों पर संतुलित प्रभाव पड़ना चाहिए। तथापि, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं और चावल की आपूर्तियां की जा रही हैं।

चीनी के मामले में सरकार ने मूल्यों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से अगस्त, 1992 के महीने के लिए 6.15 लाख मीटरी टन मुक्त बिक्री की चीनी का कोटा निर्मुक्त किया है जबकि जुलाई, 1992 के महीने के लिए 5.75 लाख मीटरी टन की मात्रा निर्मुक्त की गई थी।

ताजमहल मरम्मत परियोजना

2994. श्री प्रतापराव बी० भोंसले : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक समन्वित प्राधिकरण के अधीन ताजमहल की मरम्मत की एक अल्पावधि परियोजना आरम्भ करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी

शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को एक सुझाव प्राप्त हुआ है कि पर्यटकों के लिए मूल सुविधाओं की व्यवस्था करने के अलावा, ताजमहल की सामान्य देखभाल और इसके पर्यावरण में सुधार लाने के लिए समन्वित प्राधिकरण के अधीन अल्पकालिक 'ताजमहल नवीकरण परियोजना' स्थापित की जाए।

(ग) चूंकि आयुक्त, आगरा की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति पहले से ही कार्य कर रही है, जो सदर्भाधीन विभिन्न पहलुओं का देखभाल करती है और उनमें सामंजस्य बनाए रखती है; इसलिए उन्हीं कार्यों के लिए दूसरी समिति की स्थापना की जरूरत नहीं है।

महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन

[हिन्दी]

2995. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उन रेलवे स्टेशनों के क्या नाम हैं जहां, क्लोज सर्किट टेलीविजन सेट लगा दिए गए हैं; और

(ख) उन रेलवे स्टेशनों के क्या नाम हैं जहां ऐसे टेलीविजन सेट लगाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) महाराष्ट्र राज्य में दादर, नासिक रोड और मिरज रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट दूरदर्शन प्रणाली स्थापित की गई है, इस प्रणाली को औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर भी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

रेल संचार प्रणाली

2996. **श्री नीतीश कुमार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र को रेलवे द्वारा स्थापित संचार प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति देकर अतिरिक्त आय अर्जित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या मौजूदा रेल संचार प्रणाली में सुधार करने सम्बन्धी कोई योजना है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निजी क्षेत्र को रेल संचार प्रणाली के उपयोग की अनुमति दिए जाने के बावजूद रेल संचार कार्य में कोई असुविधा न हो; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गर्भनिरोधक नोरप्लांट-6

[अनुवाद]

2997. **श्री केशरी लाल** :

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गर्भनिरोधक नोरप्लांट-6 के अभी तक कितने परीक्षण किये गए हैं;

(ख) इन परीक्षणों के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में इस गर्भ निरोधक को शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस परीक्षण के विरुद्ध महिला संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो इन संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन अभ्यावेदनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) भारत को छोड़कर बहुत से विकसित और विकासशील देशों में नोरप्लांट-6 पर गहन नैदानिक परीक्षण किए गए हैं। इनके बाद इसका इन देशों में प्रयोग किया जा रहा है। भारत में, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने नोरप्लांट-6 और नोरप्लांट-II के चरण-II यादृच्छिक परीक्षण किए हैं और उसके बाद नोरप्लांट-II के बारे में चरण-III नैदानिक परीक्षण और कार्यक्रम-पूर्व परिचयात्मक अध्ययन किए हैं।

(ख) परीक्षणों से इन युक्तियों की निरापदता और प्रभावकारिता का पता चला है।

(ग) और (घ) नोरप्लांट-6 को राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में आरम्भ करने पर विचार करने से पहले भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 10 मेडिकल कालेजों में इसके चरण-III नैदानिक परीक्षण कराए जाने का निश्चय किया गया है।

(ङ) और (च) देश में नोरप्लांट आरम्भ करने के विरुद्ध सरकार को जिन महिला संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, उनमें शामिल हैं—ऐक्शन इण्डिया, आल इण्डिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसिएशन, अंकुर, एड्स भेदभाव विरोधी आन्दोलन, जागोरी, कार्मिका, काली, आई० एस० एस० टी० सेण्टर फार वीमेंस डेवलपमेंट स्टडीज, सहेली, वाई० डब्ल्यू० सी० ए०, नेशनल फेडरेशन आफ इण्डियन वीमेंस, पी० यू० डी० आर०, पुरोगामी महिला संगत संगठन, सबला संघ, महिला दक्षता समिति, शक्ति शहालिनी, और ज्वाइंट वीमेंस प्रोग्राम।

(छ) इनके अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है और यह निश्चय किया गया है कि नोरप्लांट-6 के चरण-III नैदानिक परीक्षण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 10 चुने हुए मेडिकल कालेजों में किए जाएंगे और राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में इसका आरम्भ किए जाने पर विचार करने से पहले इसके निवेशन, परामर्श, अनुवर्ती देखरेख और मानीटरिंग से सम्बन्धित बातों पर समुचित ध्यान रखा जाएगा।

शाहजहांपुर से बदायूं तक रेल लाइन

[हिन्दी]

2998. **श्री सत्यपाल सिंह यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहजहांपुर से बदायूं तक बरास्ता खीरी, लखीमपुर और फर्रुखाबाद रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

कोटद्वारा के लिए रेलगाड़ी में माल डिब्बे

[अनुवाद]

2999. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या रेल मन्त्री 31 मार्च, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 470 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटद्वारा स्टेशन के लिए "रैक एण्ड पीसमील" द्वारा खाद्यान्नों की सप्लाई की सुविधा जारी है;

(ख) क्या मन्त्रालय को कोटद्वारा के लिए माल-डिब्बों की सप्लाई की कोई नई मांग प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कोटद्वार को खाद्यान्न की ढुलाई की सभी मांगें पूर्ण रूप से पूरी कर दी गई थीं और कोई मांग लम्बित नहीं है।

रुग्ण चीनी मिलें

[हिन्दी]

3000. **श्री बृज भूषण शरण सिंह** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान देश में रुग्ण चीनी मिलें कितनी थी;

(ख) क्या पिछले 6 महीनों के दौरान रुग्ण चीनी मिलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(घ) इन रुग्ण चीनी मिलों को अर्थक्षम बनाने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ङ) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के तहत जो कम्पनियां रुग्ण हो जाती हैं उनके मामलों को इंडस्ट्रियल एण्ड फाइनेंशियल

रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) को भेजना होता है। अब इन उपबंधों का विस्तार कर दिया गया है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी इसमें कवर कर लिया गया है। बी० आई० एफ० आर० ने सूचित किया है कि चीनी उद्योग से सम्बन्धित 21 मामले उनके पास पंजीकृत हैं। बी० आई० एफ० आर० ने यह भी सूचित किया है कि उन 21 मामलों में से 9 मामले ऐसे पाए गए जिन्हें चालू रखना सम्भव नहीं है। जहां तक शेष मामलों का प्रश्न है बी० आई० एफ० आर० द्वारा उन पर उक्त अधिनियम के उपबन्धों के तहत आगे की कारंवाई की जा रही है।

सहकारी क्षेत्र की रुग्ण चीनी मिलों से संबंधित सूचना नहीं रखी जाती है।

पर्यावरण एव वन परियोजनाएं

3001. **डा० परशुराम गंगवार :**

प्रो० रासा सिंह रावत : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक तथा अन्य देशों की सहायता से शुरु की जा रही पर्यावरण सुधार तथा वनों के विकास से सम्बन्धित परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) विश्व बैंक तथा द्विपक्षीय कार्यक्रमों के तहत सहायताप्राप्त कर रही चालू परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विश्व बैंक तथा द्विपक्षीय कार्यक्रमों के तहत चलाई जा रही पर्यावरण और वानिकी क्षेत्रों की परियोजनाएं

क्रम संख्या	परियोजना का नाम और अवधि	दानदाता एजेंसी (या)	प्रगति
1	2	3	4
1.	सामाजिक वानिकी परियोजना, केरल (.984-85 से 1992-93 तक)	विश्व बैंक	परिव्यय : 59.91 करोड़ रुपये व्यय : 61.82 करोड़ रुपये दिसम्बर, 91 तक
2.	वानिकी विकास परियोजना, पश्चिम बंगाल (1992-93 से 1996-97 तक)	विश्व बैंक	परिव्यय : 114.7 करोड़ रुपये व्यय : हाल ही में शुरू हुई है।
3.	वानिकी क्षेत्र परियोजना, महाराष्ट्र (1992-93 से 1997-98 तक)	विश्व बैंक	परिव्यय : 431.51 करोड़ रु० व्यय : हाल ही में शुरू हुई है।

2	2	3	4
4.	गंगा कार्य योजना कानपुर, हरिद्वार, इलाहाबाद में मल-जल शोधन संयंत्र और पश्चिम बंगाल में 12 पंपिंग स्टेशन (1989-1997)	विश्व बैंक	परिव्यय : 86.00 करोड़ रुपये व्यय : 15.23 करोड़ रुपये मार्च, 92 तक
5.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना (1991-1997)	विश्व बैंक	परिव्यय : 404.56 करोड़ रु० व्यय : 15.23 करोड़ रुपये, (अनुमानित)
6.	गंगा कार्य योजना कानपुर और मिर्जापुर में समन्वित सफाई कार्य (1987-1993)	नीदरलैण्ड	परिव्यय : 60 करोड़ रुपये व्यय : 18.59 करोड़ रुपये मई, 1992 तक
7.	पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्यशाला चरण-I (1989-92)	नीदरलैण्ड	परिव्यय : 15 करोड़ रुपये व्यय : 12 करोड़ रुपये 1992 तक
8.	सामाजिक वानिकी परियोजना तमिलनाडु (1988-89 से 1992-63 तक)	स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी	परिव्यय : 85.40 करोड़ रुपये व्यय : 59.87 करोड़ रुपये दिसम्बर, 1991 तक
9.	सामाजिक वानिकी परियोजना उड़ीसा (1988-89 से 1992-93 तक)	—वही—	परिव्यय : 78.34 करोड़ रुपये व्यय : 49.92 करोड़ रुपये
10.	डुंगरपुर समन्वित परती भूमि विकास परियोजना, राजस्थान (1992-93 से 1996-97 तक)	—वही—	परिव्यय : 28.14 करोड़ रुपये व्यय : हाल ही में शुरू हुई
11.	भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान भोपाल, का सुदृढ़ीकरण (198x-93)	—वही—	परिव्यय : 3.18 करोड़ रुपये व्यय : 0.70 करोड़ रु०
12.	पर्यावरण सुरक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद (1991-96)	—वही—	परिव्यय : 6 करोड़ रुपये व्यय : परियोजना हाल ही में शुरू की गई
13.	अरावली पहाड़ियों का वनीकरण, राजस्थान, (1992-93 से 1996-97)	जापान	परिव्यय : 166.9 करोड़ रुपये व्यय : परियोजना हाल ही में शुरू की गई।

1	2	3	4
14.	इन्दिरा गांधी नहर के किनारे वनीकरण, राजस्थान (1990-91 से 1994-95 तक)	जापान	परिव्यय : 104.5 करोड़ रुपये व्यय : 5.87 करोड़ रुपये दिसम्बर, 1991 तक
15.	अरावली पहाड़ियों का वनीकरण, हरियाणा (1990-91 से 1997-98 तक)	ई० ई० सी०	परिव्यय : 48.15 करोड़ रुपये व्यय : 7.19 करोड़ रुपये दिसम्बर, 1991 तक
16.	केन्द्र/राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण (1989-1992)	जर्मनी	परिव्यय : 2.3 करोड़ रुपये व्यय : 2.00 करोड़ रु०
17.	गंगा कार्य योजना तकनीकी सहायता और उपकरण (1986-1992)	इंग्लैंड	परिव्यय : 4 करोड़ रु० व्यय : परिव्यय लगभग समाप्त हो गया है।
18.	राष्ट्रीय सामाजिन वानिकी परियोजना (गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान (1985-86 से 1992-93 तक)	विश्व बैंक/ यू०एस०ए० आई०डी०	परिव्यय : 387.29 करोड़ रु० व्यय : 529.45 करोड़ रुपये दिसम्बर, 1991 तक
19.	संकटापन्न घास भूमि की पारिस्थितिकी और उनके प्राणीजात (1990-95) बी० एन० एच० एस०	संयुक्त राज्य अमेरिका	परिव्यय : 0.54 करोड़ रुपये
20.	भारतीय हाथियों की पारिस्थितिकी (1987-92) बी० एन० एच० एस०	—वही—	परिव्यय : 0.14 करोड़ रुपये
21.	भारतीय वन्यजीव संस्थान के संकाय का विकास (1988-93)	—वही—	परिव्यय : 0.87 करोड़ रुपये
22.	नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के विशाल मांसाहारी जीवों की पारिस्थितिकी (1988-91)	—वही—	परिव्यय : 0.10 करोड़ रुपये

*व्यय के आंकड़े सम्बन्धित संस्थान द्वारा रखे जाते हैं। परियोजनाओं की प्रगति से पता चलता है कि निहित अनुसंधान गतिविधियों और कार्य-क्षेत्र के अनुसार चलाई जा रही है।

नोट : विनिमय दरों में परिवर्तन होने के कारण क्र०सं० 1 और 18 में परिव्यय से व्यय अधिक हुआ है।

युवा नीति

[अनुवाद]

3002. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय युवा नीति में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

रेबीज (जलातंक रोग) के लिए खाने की दवा

3003. श्री चेतन पी० एस० चौहान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान के वैज्ञानिकों ने रैबीज (जलातंक रोग) के इलाज के लिए दर्दनाक इंजेक्शन दिए जाने के बजाय खाने की दवा विकसित करने हेतु अनुसंधान कार्य किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर अरसीकेरे खंड पर नया स्टेशन

3004. श्री एच० डी० देवगौड़ा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर-अरसीकेरे लाइन पर हील नरसीपुर में वर्तमान दो स्टेशनों को हटाकर नए रेलवे स्टेशन के निर्माण हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव की जांच की गई थी। लेकिन औचित्य नहीं पाया गया।

गुजरात में रेलगाड़ियों का आरक्षण कोटा

3005. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों, वाणिज्य मंडल रेल यात्री संघ और अन्य संगठनों ने पश्चिम रेलवे के जामनगर, हापा और राजकोट रेलवे स्टेशनों पर इन स्थानों से गुजरने वाली विभिन्न रेलगाड़ियों के लिए आरक्षण कोटे में वृद्धि करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 9018 सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस में राजकोट, जामनगर और हापा स्टेशनों पर आरक्षण कोटा बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

जनवरी, 1992 से इन स्टेशनों पर 9018 सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे में निम्नलिखित अतिरिक्त आरक्षण कोटे की व्यवस्था की गई है :

राजकोट	66 शायिकायें
जामनगर	40 शायिकायें
हापा	34 शायिकायें

इसके अतिरिक्त, सर्वोदय एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन राजकोट तक चलाए जाने से 2983 सर्वोदय एक्सप्रेस गाड़ी से राजकोट और जामनगर स्टेशन को निम्नलिखित अतिरिक्त आरक्षण कोटा आबंटित किया गया है :

	वातानुकूल 2-टियर	दूसरा दर्जा
राजकोट	1	30
जामनगर	4	20

बंगलौर-अरसीकेरे सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलना

3006. **श्री जी० माडे गौडा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलौर अरसीकेरे सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलने का काम शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो 1992-93 के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) इस कार्य को पूरा करने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(घ) 1992-93 के दौरान कितना किलोमीटर लाइन बदलने का लक्ष्य है; और

(ङ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बैंगलूर-अरसीकेरे (166 कि०मी०) 1992-93 के बजट में शामिल बेंगलूर-हुबली (469 कि०मी०) आमान परिवर्तन परियोजना का भाग है।

(ख) उपर्युक्त परियोजना के लिए 1992-93 के बजट में कुल मिलाकर 62 करोड़ रु० की राशि का प्रावधान किया गया है।

(ग) बेंगलूर अरसीकेरे आमान परिवर्तन की अनुमानित लागत 85.41 करोड़ रुपये है।

(घ) 165 कि० मी०।

(ङ) वित्त वर्ष 1992-93 के दौरान।

अरावली की पहाड़ियां

[हिन्दी]

3007. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरावली की पहाड़ियों के लिए वनरोपण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं में किन-किन जिलों को सम्मिलित किया गया है;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी उपलब्धि प्राप्ति हुई है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) अरावली पहाड़ियों के लिए राज्य स्तर पर चलाए जा रहे कार्यकलापों के अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण वनीकरण परियोजनाएं चलाई गई हैं।

पहली योजना हरियाणा की अरावली पहाड़ियों के लिए है। परियोजना, 'हरियाणा की अरावली पहाड़ियों में सामूहिक भूमि का पुनर्वनीकरण' के नाम से है और इसे यूरोपियन इकोनानिक कम्यूनिटी (ई०ई०सी) द्वारा सहायता दी जा रही है। परियोजना की कुल लागत 48.15 करोड़ रुपए है। परियोजना गुड़गांव, फरीदाबाद, महेन्द्रगढ़ तथा भिवानी के जिलों में 8 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित की जाएगी। परियोजना का कार्यान्वयन वर्ष 1990-91 शुरू किया गया। मार्च, 1992 तक 12.52 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं और 5000 हैक्टेयर क्षेत्र पर कार्य पूरा कर लिया गया है।

दूसरी योजना राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के लिए है। परियोजना, "राजस्थान की अरावली पहाड़ियों की वनीकरण परियोजना" के नाम से है और इसे ओवरसीज इकानामिक कोआपरेशन फंड (ओ०ई०सी०एफ०), जापान द्वारा सहायता दी जा रही है। 1,15,000 हैक्टेयर क्षेत्र पर कार्य करने और 750 लाख पौधे का वितरण किए जाने के लिए परियोजना की कुल लागत 166.9 करोड़ रुपए है। परियोजना राजस्थान के 10 जिलों यथा अलवर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झुनझुनु, नागौर, पाली, सीकर, सिरोही व उदयपुर में 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित की जाएगी। परियोजना का कार्यान्वयन अप्रैल, 1992 में शुरू किया गया था और आधारभूत ढांचा स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। परियोजना मार्च, 1997 में समाप्त हो जाएगी।

समेकित बाल विकास योजना (आई०सी०डी०एस०) परियोजना का कार्यान्वयन

[अनुवाद]

3008. **श्री सुधीर सावंत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में आई० सी० डी० एस० कार्यकर्त्ताओं के लिए कितने प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सिंधुदुर्ग अथवा रत्नगिरि जिलों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त दो जिलों के लिए कितने बालवाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी गई है; और

(ङ) पिछड़े तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बालवाड़ी केन्द्रों की स्थापना करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) समेकित बाल विकास सेवा कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के लिए महाराष्ट्र में दो मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र तथा 18 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समय सिंधुदुर्ग जिले में ग्यारह बालवाड़ियां और रत्नगिरि जिले में सात बालवाड़िया चल रही हैं।

(ङ) 3-5 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों की पोषाहारीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पिछड़े क्षेत्रों में बालवाड़ियां चलाने के लिए सरकार केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा राष्ट्रीय स्तर के चार स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान देती है।

सोनारपुर से बसंती तक रेल लाइन

3009. **श्री राधिका रंजन प्रमाणिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुन्दर बन क्षेत्र को कलकत्ता से जोड़ने और सुन्दर बन क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सौनारपुर रेलवे स्टेशन से बसंती तक रेल लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

जम्मू तवी जाने वाली रेलगाड़ियों को शामगढ़ (प० रे०) में ठहराया जाना

[हिन्दी]

3010. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तवी-मुम्बई, जम्मू तवी-हापा और जम्मू तवी-अहमदाबाद द्रुतगामी रेलगाड़ियों को पश्चिम रेलवे के शामगढ़ स्टेशन पर ठहराने की मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) इसकी जांच की गई थी लेकिन फिलहाल इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

वैगनों का निर्माण

[अनुवाद]

3011. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पांचवर्षीय योजना के अन्त तक वैगनों के निर्माण और विदेश की मांग सहित उनकी कुल मांग के बीच कितना अन्तर था;

(ख) क्या इनके निर्माण और इनकी मांग के बीच भारी अन्तर को देखते हुए उनका मन्त्रालय आगामी तीन वर्षों के दौरान मौजूदा वैगन निर्माण करने वाली फैक्टरियों का विस्तार करने और नई फैक्टरियां स्थापित करने पर विचार कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सातवीं योजना के यातायात अनुमानों के आधार पर 90,000 मालडिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) के लक्ष्य की तुलना में 89756 मालडिब्बों का निर्माण किया गया था।

(ख) और (ग) मालडिब्बों के निर्माण के लिए पर्याप्त क्षमता विद्यमान है।

गुजरात में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

3012. डा० खुशी रामडुंगरोमल :

जेसवाणी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम पर गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) इसी अवधि के लिए निश्चित किए गए लक्ष्यों और उनकी उपलब्धि का ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में मातृ एव शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम पर किया गया व्यय

वर्ष	(लाख रुपये में)
1989-90	353.37
1990-91	292.44
1991-92	414.45

2. पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य और हासिल की गई उपलब्धियां

(क) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम-गुजरात राज्य के वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के लक्ष्य और उपलब्धियां

वर्ष	लक्ष्य		सम्पूर्ण [illegible] में उपलब्धि				
	नवजात	शिशु गर्भवती महिलाएं	डी० पी० टी०	ओ० पी० वी०	बी० सी० जी०	खसरा	टीटी गर्भवती महिला)
1989-90	848300	1115800	983572	1025113	1042134	893546	1041589
1990-91	1010145	1101607	1051018	1062752	1072771	1020560	1077554
1991-92	1110557	1240780	1221900	1029200	1044200	969800	1063300

(ख) रोग निरोधन स्कीमें—गुजरात राज्य के वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के लक्ष्य और उपलब्धियां पूरे आंकड़े

वर्ष	माताओं में पौषणिक रक्ताल्पता से बचाव		बच्चों में पौषणिक रक्ताल्पता से बचाव		बच्चों में विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाली दृष्टिहीनता से बचाव		
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
1989-90	1055000	1128849	2000000	1423113	2000000	3901760	(खुराकें)
1990-91	8813000	1105087	2079000	1461756	1300000	3261812	(खुराकें)
1991-92	1300000	1152444	1730000	1478093	1730000	2400847	(खुराकें)

खुरदा-बालंगीर परियोजना

3013. **श्री शरत चन्द्र पटनायक :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने खुरदा-बालंगीर रेल परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) खुरदा रोड से बालंगीर तक (289 कि० मी०) एक नई रेल लाइन का निर्माण।

(ग) सर्वेक्षण को अद्यतन किया गया और इस लाइन का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए प्रस्ताव फरवरी, 1991 में योजना आयोग को भेजा गया था लेकिन संसाधनों की अत्यधिक तंगी और परियोजना के अलाभप्रद स्वरूप को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने परियोजना को शुरू करने का अनुमोदन नहीं किया है।

शाहगंज से अमेठी तक रेलवे लाइन बिछाना

[हिन्दी]

3014. **आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में उत्तर रेलवे के शाहगंज जंक्शन से कादीपुर और सुल्तानपुर बरास्ता अमेठी तक रेल लाइन बिछाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया; और

(ग) इस परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 1982-83 में किए गए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण से यातायात की अपर्याप्त सम्भावनाओं का पता चला था। निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

शिक्षण पाठ्यक्रमों में सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को सम्मिलित करना

[अनुवाद]

3015. **श्री राम विलास पासवान :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में साम्प्रदायिकता से सम्बन्धित विषयों को हटाकर सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के विषयों को सम्मिलित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा० शि० नी०), 1986 में एक ऐसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या

ढांचे के आधार पर शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली परिकल्पना की गई है जिसके अन्तंगत अन्य बातों के साथ-साथ धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक बाधाओं को दूर करने से सम्बन्धित कोर घटक भी शामिल हैं। इस ढांचे में उल्लखित दिशा-निर्देशों के अनुसरण में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने स्कूलों की पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा इनकी पाठ्यपुस्तकों को संशोधित किया। रा० शै० अ० प्र० प० द्वारा संशोधित पाठयचर्या पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के आधार पर राज्य एजेंसियों ने भी स्कूल पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकों में संशोधन करने तथा इन्हें चरणबद्ध ढग से स्कूल प्रणाली में इन्हें लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक सामंजस्य, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की दृष्टि से राज्य स्तर की एजेंसियों और प्राइवेट प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गई नई पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिए रा० शै० अ० प्र० प० की निरन्तर चलने वाली एक योजना है।

कालेज/विश्वविद्यालय स्तर के सम्बन्ध में पाठ्यपुस्तकों को प्रकाशित करने की कोई केन्द्रीयकृत पद्धति नहीं है। प्रत्येक विश्वविद्यालय शैक्षिक रूप से स्वायत्त हैं तथा वे अपनी शैक्षिक परिषद/अध्ययन बोर्ड की सिफारिश पर अपने निजी अध्ययन पाठ्यक्रम निर्धारित्त करते हैं। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम को समुदाय के लिए और अधिक उपयुक्त बनाने हेतु पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में आधार पाठ्यक्रम का प्रावधान है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता, नैतिक मूल्यों, समाज के विवादों को हल करने तथा नैतिक और आध्यात्मिक विचारों के विकास से सम्बन्धित विषय शामिल हैं।

मानव संसाधन विकास मन्त्री ने दिनांक 25-2-1992 को सभी मुख्य मन्त्रियों को शिक्षा के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता की रक्षा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कहा है।

रवीन्द्र नाथ टैगोर के चित्रों की तस्करी

3016. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व भारती बोलमपुर, पश्चिम बंगाल से रवीन्द्र नाथ टैगोर के चित्रों की अमूल्य फोटो प्रतिलिपियां तस्करी से देश से बाहर ले जाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वभारती से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, टैगोर की चित्रकलाओं की फोटो-प्रतियों को देश से बाहर भेजने के बारे में विश्व-भारती से किसी प्रकार की तस्करी के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलगाड़ियों में पेयजल की सुविधा

3018. **डा० अमृत लाल कालीदास पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी दूरी की सभी रेलगाड़ियों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है;

(ख) क्या पश्चिम रेलवे की कुछ रेल गाड़ियों में यह सुविधा समाप्त कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) लम्बी दूरी की गाड़ियों में यात्रियों को पीने के पानी की व्यवस्था, पहले दर्जे के वातानुकूल सवारी डिब्बों में फ्लास्कों में, वातानुकूल 2-टियर सवारी डिब्बों में कंटेनरों में और पहले/दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों में जैरीकेनों में की जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उच्च शिक्षा हेतु अनुदान

3019. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आठवीं योजनावधि के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को दिए जाने वाले अनुदान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा;

(ख) क्या ऐसे संस्थानों को वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोतों का प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) क्या इससे कई कालेजों के बन्द होने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्व० अनु० आयोग के माध्यम से निधियां प्रदान की जाती हैं। वि० अनु० आ० के योजनेतर बजट का एक बहुत बड़ा भाग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों व दिल्ली कालेजों को उनके रख-रखाव व्यय के लिए उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता में विद्यमान कठिनाइयों को देखते हुए, सरकार ने 1992-93 के दौरान सभी मंत्रालयों/विभागों व स्वायत्त निकायों के योजनेतर व्यय के स्तर को पिछले वर्ष के स्तर तक बनाए रखने का निर्णय किया है। इससे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सामने संसाधन कठिनाइयां आई हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार मार्च-अप्रैल, 1992 के दौरान आयोग ने किफायत करने व आय बढ़ाने के उपायों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, रजिस्ट्रार व वित्त अधिकारी और दिल्ली कालेजों के प्रधानाचार्यों से कई बार विचार विमर्श किया इन बैठकों में किफायत के जिन उपायों का पता लगाया गया, उनमें टेलीफोन, बिजली, यातायात, पानी, स्टेशानरी आदि के व्यय में 20%तक कमी करना व आतिथ्य सत्कार, यात्रा, अध्ययन अवकाश, अध्यापन व गैर अध्यापन पदों आदि के व्यय में कटौती शामिल है। इन उपायों में, आयोग के 1992-93 के बजट अनुदानों में विश्वविद्यालयों/कालेजों के वार्षिक रख-रखाव व्यय शामिल हैं।

मानव संसाधन विकास मन्त्री ने विश्व० अनु० आ० के अध्यक्ष व केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुल पतियों साथ, उनके समक्ष आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया। इन विचार-विमर्शों के आधार पर विश्व० अनु० आ० ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपर्युक्त संस्थाओं के रख-रखाव अनुदानों को रोकने के सम्बन्ध में अपने पहले आदेश वापिस ले लिए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोंकण रेल परियोजना संबंधी समिति

3020. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या गोवा में कोंकण रेल परियोजना के लिए आरक्षित वन भूमि को बदलने के ब्यौरे की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह समिति रेल मंत्रालय के परामर्श से गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस समिति में कौन-कौन से सदस्य हैं; और

(ङ) समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट दिए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के तहत गठित एक स्थायी समिति वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने के प्रस्तावों पर विचार करती है। इस मंत्रालय ने प्रस्तावित कोंकण रेलवे लाइन से सम्बन्धित सामाजिक-सांस्कृतिक और विरासत के पहलुओं सहित पर्यावरणीय पहलुओं की जांच करने और मूल्यांकन करने के लिए हाल ही में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

(ग) गठित समिति में रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति के गठन से पूर्व, इस प्रकार की समिति के गठन के बारे में रेल मंत्रालय को सूचना दे दी गई थी।

(घ) विशेषज्ञ समिति का गठन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) उम्मीद है कि समिति 3 सितम्बर, 1992 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

विवरण

1. डा० (श्रीमती) कमला चौधरी,
   नई दिल्ली।
2. श्री पी० ए० पाई पनंदीकर,
   निदेशक,
   नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली।
3. डा० जे० बी० सरदेशाई, निदेशक (परियोजना),
   पारिस्थितिकविद, वन्यजीव सुरक्षा ग्रुप, गोआ।
4. सुश्री ऊषा अल्बुकर्क, नई दिल्ली।
5. श्री श्याम चैनानी, बम्बई एन्वायरनमेंटल एक्शन ग्रुप, बम्बई।
6. श्री मनोहर शेट्टी, सम्पादक, गोवा टुडे, पत्रिका,
   गोवा।
7. महानिदेशक,
   भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली।

8. डा० बी० एन० देसाई,
निदेशक,
राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान, गोवा।

9. डा० केसवन नायर,
निदेशक,
नेशनल ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एण्ड रिसर्च सेन्टर,
नई दिल्ली।

10. डा० ई० एफ० एन० रिबेरो, निदेशक,
स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर,
नई दिल्ली।

11. श्री एम० पाराब्रह्मम, सलाहकार (आर० ई०)
पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली।

12. रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधि

13. गोआ राज्य सरकार के प्रतिनिधि

14. कर्नाटक राज्य सरकार के प्रतिनिधि

15. महाराष्ट्र राज्य सरकार के प्रतिनिधि

16. श्री टी० जार्ज जोसेफ, संयुक्त सचिव,
पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली।

बंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन पर क्रेडिट कार्ड सुविधा

*3021. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों के आरक्षण हेतु क्रेडिट कार्ड सुविधा आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सुविधा मैसूर और हुबली रेलवे स्टेशनों पर भी उपलब्ध की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) बेंगलूर सिटी आरक्षण कार्यालय में आरक्षित टिकटों की खरीद के लिए विजया बैंक, केनरा बैंक, आंध्रा बैंक, और बैंक आफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड स्वीकार किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मैसूर और हुबली स्टेशनों पर टिकटों की खरीद के लिए अपने क्रेडिट कार्डों की स्वीकृति हेतु किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक ने अनुरोध नहीं किया है।

लोकल रेलगाड़ियां चलाना

3022. **श्री राम कापसे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलवा-थाणे-बेलापुर मार्ग पर लोकल रेलगाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कलवा-बेलापुर एक माल साईडिंग लाइन है, जिसका विकास मै० सिडको द्वारा न्यू बम्बई के औद्योगिक क्षेत्र से/तक माल यातायात की निकासी के लिए किया गया है। इस लाइन के पूरा होने पर इस पर स्थानीय गाड़ियां चलाने की व्यवस्था नहीं होगी।

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण

3023. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों को पशु कल्याण सम्बन्धी गतिविधियों के साथ-साथ पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के कार्यान्वयन के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लोग पशु कल्याण गतिविधियों में विशेषकर जब वे एक शहर से दूसरे शहर में लाये-ले जाए जाते हैं, सहयोग कर रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान अधिनियम को और कड़ा बनाने हेतु इसे संशोधित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) अधिकांश राज्यों ने जीव-जन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत नियम बना लिए हैं। अठारह राज्य सरकारों ने जीव-जन्तु कल्याण गतिविधियों के समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर लिए हैं।

(ग) से (ङ) सामान्यतः लोग यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि जीव-जन्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। तथापि, अक्सर यह पाया जाता है कि परिवहन के दौरान, अधिक भीड़-भाड़ से बचने, स्वच्छता सुनिश्चित करने आदि की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप जीव-जन्तुओं को यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जीव-जन्तुओं के कल्याण के लिए संवेदनशीलता के वास्ते जीव-जन्तुओं के प्रति मानवीय व्यवहार में निरन्तर परिवर्तन अपेक्षित है जो जागरूकता पैदा करने में निरन्तर प्रयासों के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है और न केवल जीव-

जन्तु-क्रूरता निवारण अधिनियम मे संशोधन के जरिए, हालांकि अपेक्षित लक्ष्य हासिल करने के समय प्रयासों में उसका भी अपना स्थान है। तथापि, इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सहकारी चीनी कारखानों द्वारा गन्ने की कटाई तथा ढुलाई पर किया गया व्यय

3024 **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार तथा राष्ट्रीय चीनी संघ से सहकारी चीनी कारखानों द्वारा गन्ने की कटाई तथा ढुलाई पर किए गए व्यय को चीनी के वैधानिक न्यूनतम मूल्य में शामिल करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा यथा अभिस्तावित गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य (न कि चीनी का मूल्य जैसाकि ऊपर प्रश्न के भाग (क) में उल्लेख किया गया है) में किसानों द्वारा कटाई और ढुलाई पर किए गए खर्च शामिल होते हैं। चीनी फैक्ट्रियों द्वारा ढुलाई पर किए गए खर्च को औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा अभिस्तावित रूपान्तरण लागत अनुसूचियों में शामिल किया जाता है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में स्थानान्तरण समिति

3025. **श्री मुही राम सैकिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापकों के स्थानान्तरण पर निगरानी रखने के लिए कोई समिति गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और निदेश पद तथा समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं।

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) स्थानान्तरण सम्बन्धी स्वीकृत दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रधानाचार्यों/उप-प्रधानाचार्यों सहित विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के स्थानान्तरण सम्बन्धी अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए शिक्षा विभाग के अपर-सचिव तथा के० वि० सं० के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी गई है तथा आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा श्री वी० डी० कौशिक, अध्यक्ष राष्ट्रीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ इसके सदस्य हैं।

जालंधर-जम्मू-तवी लाइन को दोहरा करना

3026. **श्री कमल चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालंधर-जम्मू-तवी रेलवे लाइन को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान इकहरी लाइन वाले खंडों का दोहरीकरण लाइन क्षमता के संतृप्त हो जाने पर किया जाता है इस खंड पर यातायात अभी इस स्तर तक नहीं पहुंचा है।

विश्वविद्यालयों में भू-जल विज्ञान पाठ्यक्रम

[हिन्दी]

3027. श्री राजेश कुमार :

श्रीमती शीला गौतम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न विद्यालयों में भू-जल विज्ञान का पाठ्यक्रम शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों में अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं करता है। विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं और विश्वविद्यालय अपनी शैक्षिक परिषदों की सिफारिशों पर स्वयं विभिन्न विषयों में अध्ययन पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिवेन्द्रम डिवीजन

[अनुवाद]

3028. श्री रमेश चेन्निथला : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम डिवीजन के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 के लिए रखरखाव कार्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ख) इस धनराशि को खर्च करने के लिए बनायी गया योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अनुरक्षण कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं—रेलपथ ज्यामिति, सभी लाइनों की रेलपथ फिटिंगों की ओर ध्यान देना, इमारतों, वत्प, पुलों आदि की आवधिक मरम्मत करना, इसके अलावा, पहचाने गए (निर्धारित) खंडों या, उनकी हालत के आधार पर, रेलपथ नवीकरण भी किया जाता है।

(ख) तिरुवनन्तपुरम मंडल में उपर्युक्त अनुरक्षण कार्यों के लिए 1992-93 में 11.13 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है, रेलपथ नवीकरण कार्यों के लिए आबंटित 11.38 करोड़ रुपये की राशि इसके अतिरिक्त हैं।

मध्य प्रदेश की कालेजों के विकास के लिए अनुदान

[हिन्दी]

3029. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक दल ने मध्य प्रदेश के 195 सरकारी कालेजों के विकास के लिए अनुदान स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों पर विचार करने हेतु नवम्बर, 1991 में राज्य का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त दौरे का क्या परिणाम निकला;

(ग) कितनी अनुदान धनराशि स्वीकृत की गई है और अब तक कितनी जारी की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, राजकीय कालेजों सहित सभी पात्र कालेजों के 8 वीं योजना विकास प्रस्तावों की जांच करने के लिए शिक्षा विदों और वि० अ० आ० के अधिकारियों के एक दल को नवम्बर, 1991 में मध्य प्रदेश भेजा गया था।

(ख) इस दल ने 262 कालेजों, जिसमें में 195 राजकीय कालेज हैं, के 8वीं योजना विकास प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया। सभी कालेजों के लिए इस समिति द्वारा अनुमोदित 8वीं योजना का कुल आबंटन 20.63 करोड़ रुपये है जिसमें से राजकीय कालेजों का हिस्सा 12.65 करोड़ रुपये है। आयोग ने इस समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली।

(ग) अनुमोदित आबंटन के अन्तर्गत अयोग ने अभी तक 3.72 करोड़ रु० का कुल अनुदान संस्वीकृत किया है, जिसमें राजकीय कालेजों का भाग 2.60 करोड़ रु० है।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान के पास संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर तथा दिये गये अनुदानों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र और परीक्षित लेखा-विवरण प्राप्त होने की शर्त पर कालेजों को अनुदान दिए जाते हैं। इन दस्तावेजों के प्राप्त होते ही अगली किश्तें जारी की जाती है।

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन

3030. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन निर्माण हेतु सर्वेक्षण कराए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस लाइन पर निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) ललितपुर-खजुराहो-सतना, महोबा-खजुराहो और रीवा-सिधी-सिंगरौली (491 कि० मी०) के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

खेल-कूद विद्यालयों में प्रवेश

3031. **श्री मृत्युंजय नायक :**

श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एन० एस० टी० सी० और एस० पी० डी० ए० योजनाओं के अन्तर्गत एक वर्ष के दौरान पंजाब से कितने खेल-कूद (स्पोर्टस) छात्र भेजे गये;

(ख) पंजाब के ही कितने छात्रों को केवल पंजाब के विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश दिया गया है; और

(ग) पंजाब में इस समय अध्ययनरत ऐसे कितने छात्र हैं जिन्हें अब राजस्थान जैसे दूर-दराज के राज्यों में प्रवेश देने का प्रस्ताव किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 1991-92 में एन० एस० टी० सी० योजना के अन्तर्गत 4 लड़के और 2 लड़कियों और एस० पी० डी० ए० योजना के अन्तर्गत 54 लड़कों का चयन किया गया था ।

(ख) और (ग) पंजाब से चुने गये सभी 60 विद्यार्थियों को पंजाब में ही दाखिला दिया गया था ।

परीक्षा में सुधार

3032. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान परिषद् के सहयोग से माध्यमिक विद्यालय स्तर पर परीक्षा में सुधारों को लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य विधि, समय सीमा, नमूना आकार, कर्मचारियों की संख्या आदि को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रस्तावित परीक्षा में सुधार कार्यक्रम लागू करने से कितना वित्तीय भार पड़ेगा ?

मानव संसासन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) पिछले बजट सत्र के दौरान संसद द्वारा पारित संशोधित नीति-निर्धारणों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वियन के लिए कार्रवाई योजना (पी० ओ० ए०) में संशोधित सम्बन्धित सुझाव देने के लिए जून, 1992 में सरकार ने कार्य-दलों का गठन किया है । इन कार्य-दलों में से "मूल्यांकन और परीक्षा" पर गठित किए गये कार्य-दल ने माध्यमिक स्तर सहित शिक्षा के सभी स्तरों के लिए परीक्षा सुधार सम्बन्धी विभिन्न उपायों की सिफारिश की है । रा० शै० अ० प्र० प० और बोर्डों के सहयोग से कार्यदलों की सिफारिशों का कार्यान्वियन केन्द्रीय शिक्षा

सलाहकार बोर्ड के दृष्टिकोण और संसद द्वारा कारंवाई योजना के पारित किए जाने पर निर्भर करता है।

सूरत में कंप्यूट्रीकृत आरक्षण

[हिन्दी]

3033. **श्री छीतूभाई गामीत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के सूरत स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण की व्यवस्था आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है; और

(ख) उक्त सुविधा वहां कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की सम्भावना है और इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ गाड़ियों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण शुरू होने के साथ ही यह सुविधा पहले ही क्रियाशील हो गई है। आशा है कि शेष गाड़ियों को दिसम्बर, 93 तक इस सुविधा के अन्तर्गत शामिल कर लिया जाएगा।

खतरनाक पदार्थों का आयात

[अनुवाद]

3034. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेल गाद और सीसे के कचरे का आयात करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार का खतरनाक पदार्थों को विशेषकर अपशेषों के रूप में, सीमापार से लाने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सरकार को पिछले एक साल में सिंगापुर से 4000 मीट्रिक टन तेल गाद, हांगकांग से 5,000 मीट्रिक टन तेल गाद और कनाडा से 720 मीट्रिक टन सीसे का कच्चा आयात करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार ने इन परिसंकटमय अपशिष्टों को आयात करने की अनुमति नहीं दी।

(ग) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं उठाई धराई) नियमावली 1989 के नियम 11 के अनुसार जमा करने और निपटान के लिए परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है और इसकी अनुमति प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर जांच करने के बाद तभी दी जाती है जब इसकी आवश्यकता कच्चे माल के रूप में प्रसंस्करण या पुनः प्रयोग के लिए होती है। परिसंकटमय पदार्थों को सीमा पार लाए या ले जाए जाने को बेसल कंवेंशन के तहत नियंत्रित किया जाता है जिसका भारत भी एक पक्षकार है। इस कंवेंशन के अनुसार,

किसी भी देश में परिसंकटमय अपशिष्टों का आयात तब तक नहीं हो सकता है जब तक आयातकर्ता देश की सहमति प्राप्त न कर ली जाए। यहां तक कि परिषण प्रयोजन के लिए भी सम्बन्धित देश की सहमति लेनी पड़ती है। इन प्रावधानों में परिसंकटमय अपशिष्टों के सीमा पार संचालन को रोकने के लिए सरकार को पर्याप्त शक्तियां उपलब्ध हैं।

क्विलोन-त्रिवेन्द्रम रेलमार्ग को दोहरा करना

3035. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्विलोन-त्रिवेन्द्रम के बीच रेलमार्ग को दोहरा करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह कब तक पूरा हो जाएगा और यह लाइन कब तक चालू हो जाएगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भूमि अधिग्रहण कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

(ख) आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

"पर्यावरण और वन संरक्षण कार्यक्रम"

3036. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्य विकासशील देशों के साथ द्विपक्षीय पर्यावरण और वन संरक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सरकार के पास दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम जिसके सदस्य भारत सहित दक्षिण एशिया के अन्य देश, अर्थात् श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीप और ईरान भी हैं, द्वारा मुहैया कराए गए बहुमुखी फ्रेमवर्क के माध्यम से तृतीय विश्व के देशों विशेषकर दक्षिण एशिया क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, प्रबन्ध तथा विकास को बढ़ावा देने तथा बल प्रदान करने के लिए सहयोग के कई कार्यक्रम हैं। इसके अतिरिक्त, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के तत्वावधान में प्राकृतिक आपदाओं के कारणों और परिणामों तथा पर्यावरण संरक्षण और परिरक्षण तथा ग्रीनहाउस प्रभाव और समुद्र स्तर में वृद्धि होने के प्रभाव के अध्ययन करने के लिए सार्क क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ सहित सहयोग के सक्रिय कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त वानिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत तथा तृतीय विश्व के देशों के मध्य तकनीकी सहयोग भी शामिल हैं।

चित्रदुर्ग में सवारी डिब्बा निर्माण कारखाना

3037. **श्री के० जी० शिवप्पा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में चित्रदुर्ग में सवारी डिब्बा निर्माण कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाएं

[हिन्दी]

3038. श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब में परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाएं शुरू की गई हैं अथवा शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी॰के॰ ताराादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) चिकित्सीय और परा-चिकित्सीय कर्मचारियों के ज्ञान और कुशलता को बढ़ाने तथा जन्म-दर मातृ और शिशु मृत्यु-दर ओर रूग्णता दर को कम करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के विचार से विश्व बैंक की सहायता से पंजाब में भारतीय जनसंख्या परियोजना (आई॰ पी॰ पी॰-VII) शुरू की गई है और इस परियोजना की लागत 48.66 करोड़ रुपये है। यह परियोजना 2-11-1990 से शुरू हुई और 5 वर्ष तक जारी रहेगी। यह परियोजना सम्पूर्ण राज्य को लाभान्वित करती हैं। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक की आंशिक सहायता से आठवीं योजना के दौरान "शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व" नामक अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु 1992-93 में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम, मुखीय पुनर्जलपूरण चिकित्सा कार्यक्रम और गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए रोग-निरोधन स्कीमों और बच्चों में विटामिन-ए की कमी के कारण दृष्टिहीनता की रोकथाम कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 के दौरान पंजाब के तीन जिलों अर्थात् होशियारपुर, रोपड़ और फरीदकोट को लाभान्वित किया गया है।

उड़ीसा में बाल कल्याण योजनाएं

[अनुवाद]

3039. श्री के॰ पी॰ सिंह देव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कुछ स्वयंसेवी एजेंसियां/संगठन बाल कल्याण योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इनके नाम क्या हैं और इनकी संख्या कितनी है;

(ग) इन स्वयंसेवी एजेंसियों/संगठनों को "यूनीसेफ" तथा अन्य देशों से कितना अनुदान प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या इन एजेंसियों के लेखों का प्रतिवर्ष लेखा-परीक्षण कराया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पाथरडीह स्थित यार्ड

3040. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के पाथरडीह स्थित यार्ड का नवीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पाथरडीह-सुदामडीह खंड पर यात्री गाड़ियां चलाने के लिए सुविधाओं के ग्रेडोन्नयन सम्बन्धी कार्य पहले ही प्रगति पर हैं। इसमें पाथरडीह यार्ड का परिवर्तन और परिवर्तन शामिल होगा।

विजयवाड़ा और मद्रास के बीच रेल लाइन का रख-रखाव

3041. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान विजयवाड़ा और मद्रास सेक्सन पर दुर्घटनाओं और गाड़ियों के पटरियों से उतरने की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) क्या दुर्घटनाओं में वृद्धि का प्रमुख कारण रेल लाइनों का घटिया रख-रखाव है;

(ग) यदि हां, तो इस सेक्सन की रेल लाइनों को पूरी तरह से ठीक स्थिति में रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1991-92 के दौरान विजयवाड़ा और मद्रास सेंट्रल रेलवे स्टेशनों के बीच सात परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुई।

(ख) 1990-91 की तुलना में 1991-92 के दौरान इन दो स्टेशनों के बीच रेल दुर्घटनाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, उठाए गए कदमों में 1992-93 में 62 कि० मी० रेलपथ का नवीकरण कार्य पूरा करना, रेलपथ ज्यमिति और पटरियों के परीक्षण पर अधिक ध्यान देना और निगरानी रखना शामिल हैं।

(घ) 1992-93 के दौरान रेलपथ नवीकरण के लिए 23.68 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

3042. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने सम्बन्धी कार्यक्रम पिछड़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में आपरेशन ब्लैक बोर्ड के विभिन्न चरणों के लिए चरण-वार और राज्य-वार अब तक कितनी राशि जारी एवं खर्च की गई है;

(घ) इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 1992-93 में राज्य-वार कितनी राशि आबंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी नहीं।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 4.13 लाख प्राथमिक स्कूल (77 प्रतिशत) पहले ही शामिल कर लिए गए हैं। इस योजना को आठवीं योजना में जारी रखने तथा उसका विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(ग) चरण-वार और राज्यवार जारी की गई तथा खर्च की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 99.14 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार आवंटन नहीं किए जाते। राज्य सरकारों के प्रस्तावों की संस्वीकृति पूर्व-स्वीकृत किए गए चरणों के कार्यान्वयन की गति पर निर्भर करती है।

विवरण

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत जारी की गई तथा उपयोग (खर्च) की गई धनराशि

(लाख रुपये)

	चरण-I		चरण-II		चरण-III		चरण-IV	
	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	1816.06	1491.32	5903.85	4540.63	74.52	67.49	1360.00	—
अरुणाचल प्रदेश	192.10	191.91	71.80	51.02	—	—	—	—
असम	1247.17	800.52	692.41	661.07	—	—	—	—
बिहार	6143.36	4746.95	1959.63	847.67	—	—	—	—
गोआ	29.34	29.34	37.76	35.49	30.64	27.51	22.70	14.76
गुजरात	2261.62	2255.07	55.05	—	—	—	—	—
हरियाणा	95.97	67.52	118.45	96.14	177.26	92.95	192.14	—
हिमाचल प्रदेश	584.09	584.09	508.89	508.89	547.93	329.15	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जम्मू और कश्मीर	542.74	542.74	839.04	816.30	175.22	—	—	—
कर्नाटक	875.43	661.25	1886.72	557.47	746.41	225.39	654.49	—
केरल	151.12	151.11	223.44	223.44	156.12	28.90	—	—
मध्य प्रदेश	2884 95	1678.20	1789.79	1188.51	692.31	—	—	—
महाराष्ट्र	2680.02	2062.30	631.02	72.04	1430.00	—	—	—
मणिपुर	38.03	35.05	99.11	89.89	47.55	31.03	57.30	—
मेघालय	268.90	137.94	—	—	—	—	—	—
मिजोरम	28.16	28.16	48.54	48.54	42.39	40.29	—	—
नागालैंड	34.95	25.66	24-67	—	39.54	—	—	—
उड़ीसा	2370.13	2048.78	2494.59	1874.76	824.20	—	—	—
पंजाब	820.15	696.59	428.32	356.67	346.54	—	—	—
राजस्थान	5698.00	2992.13	2278.02	1234.68	1351.28	341.00	199.53	—
सिक्किम	75.56	63.80	—	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	806.73	801.39	1485.57	1246.45	1218.64	1039.07	—	—
त्रिपुरा	56.80	42.12	55.58	49.59	51.44	—	—	—
उत्तर प्रदेश	3662.82	2143.72	2579.11	2059.58	1679.14	1227.98	—	—
पश्चिम बंगाल	733.80	385.69	140.02	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	3
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	12.09	8.26	—	—	—	—	—	—
चंडीगढ़	1.17	1.17	—	—	—	—	—	—
दादरा और हवेली	6.13	6.13	8.17	8.17	—	—	—	—
दमन और दिव	—	—	—	1.19	—	—	—	—
दिल्ली	64.78	30.27	53.59	27.27	—	—	—	—
लक्षद्वीप	.48	.47	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	58.24	57.66	—	—	—	—	—	—

भारत और नेपाल के बीच रेल सम्पर्क

[हिन्दी]

3043. श्री एन० जे० राठवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा आरम्भ करने तथा मुजफ्फरपुर और रक्सौल के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दिया जाएगा;

(ग) इस योजना पर कुल कितना खर्च होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार मुजफ्फरपुर और रक्सौल (नेपाल) के अतिरिक्त कोई अन्य रेल लाइन बिछाने का है जिससे देश का नेपाल के साथ सीधा सम्पर्क हो सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारत में नेपाल के बीच फिलहाल रेल सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मुजफ्फरपुर-सगौली-रक्सौल खंड के आमान परिवर्तन का कार्य 1992-93 के बजट में शामिल कर लिया गया है और कार्य शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना को 1993-94 में पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) "मुजफ्फर-नरकटियागंज-सगौली-रक्सौल" आमान परिवर्तन परियोजना की अनुमानित लागत 87.20 करोड़ रुपये हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

[हिन्दी]

3044. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मान्यता प्राप्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में निदेशक के कई पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो इन रिक्त पदों का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, बम्बई, कानपुर, मद्रास और दिल्ली में स्थित हैं।

(ख) इस समय किसी भी संस्थान में निदेशक का पद रिक्त नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

देवग्राम रेलवे स्टेशन पर ऊपरिपुल

[अनुवाद]

3045. **श्री अजय मुखोपाध्याय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सियालदह डिविजन में देवग्राम रेलवे स्टेशन पर ऊपरिपुल के निर्माण हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) देवग्राम स्टेशन पर ऊपरी पैदल पुल का निर्माण कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है और इसके मार्च, 1994 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली-आगरा रेल लाइन पर दुर्घटनाएं

[हिन्दी]

3046. **श्री भगवार शंकर रावत :** क्या रेल मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जनवरी, 1992 से दिल्ली-आगरा रेल लाइन पर कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और इन दुर्घटनाओं में हुई निजी सम्पत्ति तथा रेल सम्पत्ति की क्षति का ब्यौरा क्या है।

(ग) इन दुर्घटनाओं में मृतकों के निकट सम्बन्धियों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(घ) दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कितने मामले विचारार्थ लम्बित पड़े हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1-1-1989 से 30-6-1992 की अवधि के दौरान दिल्ली और आगरा छावनी रेलवे स्टेशनों के बीच 12 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 8 व्यक्तियों की जानें गई—22-1-89 को 2, 24-3-91 को 4 और 26-5-92 को 2।

रेल सम्पत्ति को 1.51 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है। रेल दुर्घटनाओं में निजी सम्पत्ति को हुई हानि से सम्बन्धित ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) किसी प्रकार के मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) एक।

वनों को जैविक हस्तक्षेप से बचाने हेतु बुनियादी ढांचे का विकास

3047. **श्री ललित उरांव :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनों को जैविक हस्तक्षेप से बचाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास सम्बन्धी का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धनराशि दी गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) "जैवीय हस्तक्षेप से वनों की सुरक्षा के लिए अवसंरचना का विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वनों की सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सातवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। कुछ गैर-आवर्ती मदों के लिए केन्द्र शासित प्रदेशों को शत-प्रतिशत और राज्य सरकारों को 50% वित्तीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य हथियारों, बेतार-सेटों, वाहनों, बाड़ सामग्रियों जैसी मदों के लिए निधि देकर राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में सुरक्षा की वर्तमान अवसंरचना को मजबूत बनाना है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के तहत राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को बंटित की गई निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1989-90 में बंटित	1990-91 में बंटित	1991-92 में बंटित
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान व निकोबार	—	—	5.0
2.	आंध्र प्रदेश	14.40	2.90	12.70
3.	असम	—	9.655	15.40
4.	बिहार	—	—	12.3984
5.	गुजरात	16.325	7.90	12.5
6.	गोवा	1.52	1.59	3.894
7.	हरियाणा	22.66	3.48	2.50
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
9.	कर्नाटक	54.375	52.285	17.60
10.	केरल	—	—	10.0
11.	मध्य प्रदेश	22.50	11.31	22.82
12.	मणिपुर	—	—	5.3775
13.	मेघालय	6.77	—	1.0

1	2	3	4	5
14.	मिजोरम	—	5.875	10.70
15.	उड़ीसा	—	10.00	48.0
16.	पंजाब	10.37	12.50	15.0
17.	राजस्थान	—	—	3.50
18.	सिक्किम	5.665	—	4.93375
19.	तमिलनाडु	13.20	40.00	7.92
20.	त्रिपुरा	—	3.35	11.43
21.	उत्तर प्रदेश	—	18.42	34.78
22.	प० बंगाल	4.957	—	5.747
23.	जम्मू व कश्मीर	—	—	13.53
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	6.25	—
25.	दादर और नगर हवेली	4.122	—	—
26.	नागालैंड	8.0	—	—
	कुल:	183.964	185.215	276.82065

मेडिकल कालेज

[अनुवाद]

3048. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 अप्रैल, 1992 को राज्यवार कितने मेडिकल कालेज थे;

(ख) राज्यवार ऐसे कितने मेडिकल कालेज है जिन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद ने अब तक मान्यता नहीं दी हैं;

(ग) राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्र वार ऐसे कितने मेडिकल कालेज हैं जो किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं हैं; और

(घ) भारतीय चिकित्सा परिषद के पास (मान्यता हेतु) कितने मेडिकल कालेजों के आवेदनों लंबित पड़े हैं, उनका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और विलम्ब के क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डा० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद ने सूचित किया है कि 1 अप्रैल, 1992 को देश में 144 मेडिकल कालेज हैं। राज्य वार ब्यौरे विवरण-1 में संलग्न है।

(ख) 27 मेडिकल कालेज ऐसे हैं जिन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है। राज्यवार ब्यौरे विवरण-2 में संलग्न है।

(ग) 7 मेडिकल कालेज ऐसे हैं जो किसी विद्यालय से संबद्ध नहीं हैं।

महाराष्ट्र—4

बिहार—2

मणिपुर—1

(घ) भारतीय चिकित्य परिषद ने सूचित किया है कि मान्यता प्राप्ति के लिए सात मेडिकल कालेजों के आवेदन लम्बित पड़े हुए हैं। ये आवेदन गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित हैं। इन मामलों में, या तो निरीक्षण के समय बताई गई कमियों को दूर करने की रिपोर्ट नहीं भेजी है या उनका निरीक्षण पुनः किया जाना है, जिसकी व्यवस्था की जा रही है।

विवरण-1

देश में मेडिकल कालेजों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या
अरूणाचल प्रदेश	10
असम	3
बिहार	11
गोवा	1
गुजरात	6
हरियाणा	1
जम्मू व कश्मीर	3
कर्नाटक	18
केरल	5
मध्य प्रदेश	6
महाराष्ट्र	28
मणिपुर	2
उड़ीसा	3
हिमाचल प्रदेश	1
पंजाब	5
राजस्थान	5

1	2
तमिलनाडु	14
उत्तर प्रदेश	9
पश्चिम बंगाल	7
दिल्ली	1
चण्डीगढ़	4
पांडिचेरी	1
कुल	144

विवरण-2

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता न दिए गए मेडिकल कालेजों की संख्या

राज्य	संख्या
आन्ध्र प्रदेश	1
बिहार	2
गुजरात	1
जम्मू और कश्मीर	1
कर्नाटक	4
महाराष्ट्र	13
मणिपुर	1
तमिलनाडु	3
संघ राज्य क्षेत्र	9
चंडीगढ़	1
कुल	27

पूर्व रेलवे का रेल सेवा क्षेत्र

3049. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में पूर्व रेलवे का क्षेत्राधिकार और रेल सेवा क्षेत्र कितना-कितना है और उनमें उसके मुख्य कार्यालय कहां-कहां स्थित है;

(ख) क्या पूर्व रेलवे का विचार अपना रेल सेवा क्षेत्र बढ़ाने विशेषकर उड़ीसा में माल ले जाने और यात्री यातायात के लिए अपनी रेलगाड़ियां चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पूर्व रेलवे का परिचालन क्षेत्र पश्चिम बंगाल में हवड़ा/सियालदह से (i) उत्तर प्रदेश में मुगलसराय और चोपन; (ii) पश्चिम बंगाल में आसनसोल, बनगांव, बज-बज, केनिंग, डानकुनी, डायमंड हार्बर, गेडे, हसनाबाद, लक्ष्मीकांतपुर लाल गोला और मालदा टाउन; (iii) बिहार में बरौनी, बरकाकाना, चन्द्रपुरा और गोमो; और (iv) मध्य प्रदेश में महादिया तक फैला है, इस रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है, अन्य प्रमुख कार्यालय (मण्डल मुख्यालय) आसनसोल, धनबाद, हावड़ा, मालदा, मुगलसराय और सियालदह में स्थित हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उड़ीसा मुख्यतः दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा सेवित है, पूर्व रेलवे द्वारा नहीं।

अमबल्लपुझा उपरिपुल

3050. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर चेनेज (अमबलपुझा) में सड़क उपरिपुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसका निर्माण कार्य पूरा करने हेतु क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोणार्क मन्दिर का रखरखाव

3051. श्री अनादि चरण दास : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कोणार्क मन्दिर (उड़ीसा) के रखरखाव हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गयी;

(ख) क्या इस मन्दिर के कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की बैठक हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस बैठक में क्या-क्या सिफारिश की गयीं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूर्य मंदिर, कोणार्क के रखरखाव और संरक्षण पर हुआ व्यय इस प्रकार है :—

1989-90	7,08,800-00 रु०
1990-91	6,45,772-00 रु०
1991-92	5,99,630-00 रु०

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नही उठता।

(घ) इस मन्दिर के संरक्षण और परिरक्षण के बारे में कोई ऐसी तकनीकी समस्याएं नहीं हैं, जिन पर विशेषज्ञों के विशेष परामर्श की जरूरत हो।

महाराष्ट्र में योग संस्थान में कथित कुप्रबन्ध

3052. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के पुणे जिले में लोनावाला स्थित योग संस्थान के प्रबन्ध द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक हेरा फेरी के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है; और

(घ) इन संस्थानों के कार्यों पर नियमित रूप से निगरानी रखने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ग) कैवल्यधाम कर्मचारी संघ के कैवल्यधाम श्रीमन माधव रोग मन्दिर (के० एस० एम० वाई० एम०) समिति, लोनावाला के विरूद्ध शिकायतें मिली हैं। कुप्रशासन, नियुक्तियों में पक्षपात और शक्ति के दुरुपयोग के आरोप लगाये गए हैं। जांच पड़ताल से पता चला है कि आरोप निराधार हैं। ऐसा समझा जाता है कि प्रबंध समिति और संघ के बीच समझौता हो जाने से संघ ने अपनी शिकायतें वापस ले ली हैं।

(घ) कैवल्यधाम श्रीमन माधव रोग मन्दिर (के० एस० एम० वाई० एम०) समिति में एक शासी निकाय और एक वित्त समिति है। इस समिति के कार्यकरण को मानीटर करने के लिए नियमित रूप से इनकी बैठकें होती रहती हैं। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार को इन निकायों में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त इसके कार्यकरण की समीक्षा करने और इसके भावी विकास के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए भारत सयम-समय पर एक समीक्षा समिति का गठन करती है।

इमिधान की बिक्री की स्वीकृति

3053. **डा० आर० मल्लू** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जून, 1992 के टाइम्स आफ इण्डिया में "ग्लैक्सो ड्रग गिवन हेल्थ वार्निग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो माइग्रेन के उपचार की औषधि "इमिग्रान" का सेवन करने हृदय रोगियों पर गम्भीर दुष्प्रभाव पड़ता है; और

(ग) क्या सरकार ने भारत में इस औषधि की बिक्री की स्वीकृति दे दी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) जैसाकि समाचार पत्र में बताया गया है कि यू०के० की चिकित्सा सुरक्षा समिति ने डाक्टरों को चेतावनी दी है कि जिन रोगियों को मैसर्स ग्लैक्सो की "इमिग्रान" औषध का इंजेक्शन देने के पश्चात् हृदय में दर्द अथवा खिचाव हुआ, उनसे रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। समाचार पत्र में आगे यह भी कहा गया है कि अध्ययनों से यह पता चला है कि "इमिग्रान" से हृदय धमनियों का संकुचन हो सकता है। समिति ने सभी डाक्टरों से औषध की प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं सूचना देने के लिए कहा है।

(ग) जी, नहीं। तथापि "माइग्रेन" में दी जाने वाली जी० आर०43175 पर सीमित नैदानिक परीक्षण (चरण-II) करने के लिए मैसर्स ग्लैक्सो, भारत को अनुमति प्रदान की गई है।

असम में आपरेशन ब्लाक बोर्ड

3054. **श्री प्रवीन डेका :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में आपरेशन ब्लैक बोर्ड के पहले तीन चरणों के दौरान जिला-वार कितने स्कूलों को इसके अन्तर्गत शामिल किया गया है;

(ख) क्या असम की ओर से चौथे चरण के संबन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) आप्रेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत अब तक कुल कितनी परिव्यय किया गया है तथा 31 मार्च, 1992 तक असम के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी और कितनी धनराशि दी गयी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत असम तो केवल दो चरण संस्वीकृत किए गए हैं तथा जिलावार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आपरेशन ब्लैड बोर्ड योजना के तहत अब तक 708.95 करोड़ रु० की राशि संस्वीकृत की गई है। इसमें 31 मार्च, 1992 तक असम को 19.40 करोड़ रु० की राशि सस्वीकृत तथा जारी की गई है।

विवरण

क्र० सं०	जिला का नाम	योजना के तहत शामिल किए गए स्कूलों की संख्या	
		प्रथम चरण	द्वितीय चरण
1	2	3	4
1.	धुबरी	316	315
2.	गोआलपाड़ा	—	573
3.	कोकराझार	348	485
4.	कामरूप	817	597
5.	नलबाड़ी	211	475
6.	बरपेटा	496	473
7.	दरांग	570	476
8.	सोनितपुर	230	414
9.	लखीमपुर	633	802
10.	नवगांव	473	547
11.	जोरहाट	413	380
12.	गोलाघाट	—	371
13.	शिबसागर	809	629
14.	डिब्रूगढ़	424	618
15.	काछार	136	417
16.	करीमगंज	1138	255
	जोड़ :	7014	7881

खाड़ी युद्ध का भारत के पर्यावरण पर प्रभाव

[हिन्दी]

3055. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी युद्ध का भारत के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या इससे देश की वर्षा पर प्रभाव पड़ा है अथवा पड़ने की सम्भावना है; और

(ग) इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) खाड़ी युद्ध के कारण भारत के पर्यावरण, मौसम सम्बन्धी परिस्थितियों या वर्षा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बर्दवान-कटवा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

[अनुवाद]

3056. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :

श्री राजेश कुमार : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्दवान-कटवा रेल-मार्ग पर रेलगाड़ियों के अक्षम ढंग से चलने के परिणामस्वरूप लोगों द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों को देखते हुए इस रेल लाइन का गेज बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

तेनाली रेलवे स्टेशन

3057. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के तेनाली रेलवे स्टेशन पर अपर्याप्त यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसका आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) स्टेशनों का आधुनिकीकरण यातायात की अपेक्षाओं के आधार पर मानदंडों के अनुसार किया जाता है। तेनाली स्टेशन पर तीन प्लेटफार्मों प्रतीक्षालय, ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षा कक्ष, प्लेटफार्मों पर सायबानों, प्रसाधन सुविधाओं, पेय जल आदि की पहले ही व्यवस्था है, चूंकि ये सुविधाएं यातायात की अपेक्षा के अनुरूप हैं, इसलिए फिलहाल और अधिक आधुनिकीकरण का प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात में रेल परियोजनाएं

3058. **श्रीमती भावना चिखलिया** :

डा० अग्रवाल कालिदास पटेल :

श्री छीतूभाई गामीत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरी हो गई अथवा निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना को कब पूरा किया गया तथा और इस समय इनकी क्या स्थिति है; और

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत तथा पुनरीक्षित लागत कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) (i) गोधरा-दाहोद-इंदौर और देवास-मक्सी के बीच बड़ी रेल लाइन 316 कि० मी०, गुजरात में 81 कि० मी० ।

(ii) वीरमगाम से जोधपुर तक रेल मार्ग की व्यवस्था करने के लिए बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन/नई लाइन (448 कि० मी०, गुजरात में 248 कि० मी० ।)

(ख) परियोजना का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) लागत का ब्यौरा इस प्रकार है :

परियोजना	प्रत्याशित लागत	संशोधित लागत
1. गोधरा-दाहोद-इंदौर और देवास-मक्सी	297 करोड़ रु०	कोई संशोधित लागत स्वीकृत नहीं की गई है :
2. वीरमगाम-जोधपुर	42349·49 करोड़ रु०	

माल भाड़ा दर

[हिन्दी]

3059. श्री दिलीप भाई संघानी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने विभिन्न वस्तुओं के माल भाड़े की दरों को बढ़ाया/संशोधित किया है;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के नाम और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में सौराष्ट्र (गुजरात) से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बजट प्रस्तावों के परिणामस्वरूप 1-4-1992 से प्रभावी संशोधनों के अलावा चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न वस्तुओं की भाड़ा दरों में कोई सामान्य वृद्धि/संशोधन नहीं किया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

उपनगरीय दैनिक यात्रियों को कठिनाइयां

[अनुवाद]

3060. श्री तरित बरन तोपदार : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपनगरीय सेक्शनों विशेषतः, पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन में रेल सेवाओं में कुप्रबन्ध के कारण दैनिक यात्रियों को कठिनाइयां होती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) कुप्रबन्ध का पता चलते ही शोधक कार्रवाई की जाती है। यह सुनिश्चित करने लिए के कि किसी प्रकार का कुप्रबन्ध न हो सभी स्तरों पर निरीक्षण किए जाते हैं।

संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइंसिस, लखनऊ

3061. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइंसिस, लखनऊ का दर्जा बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता लेने हेतु जापान के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सहायता प्राप्त हो गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब करने के क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्राल में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के साथ हुए सहायतानुदान के समझौते के अनुसार, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइंसिस, लखनऊ को 34.00 करोड़ रु० के उपकरण उपलब्ध कराए गए। तकनीकी सहयोग के लिए भी एक समझौता किया गया है जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सहायता प्रदान की जा रही है :

(i) जापान से प्रति वर्ष छह विशेषज्ञ आएंगे और नागोया विश्वविद्यालय, जापान, में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइंसिस, लखनऊ के पांच संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(ii) वर्ष 1995 तक 300 करोड़ येन के मूल्य के उपकरणों की आपूर्ति की जाएगी।

(iii) जापान का प्रत्येक विशेषज्ञ 300,000 येन की कीमत के उपकरण के अनुदान की आपूर्ति करने का भी हकदार होगा।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

संस्कृत विश्वविद्यालय

[हिन्दी]

3063. डा० लाल बहादुर रावल : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संस्कृत विश्वविद्यालयों की राज्य-वार संख्या क्या है और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इन विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय-वार कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ग) ये सहायता राशि किस प्रयोजनार्थ प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में विशेषतः उत्तर प्रदेश में नये संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, इस समय देश में सम्बन्धित राज्य विधान मण्डलों के अधिनियमों द्वारा स्थापित 3 संस्कृत विश्वविद्यालय और 2 सम संस्कृत विश्वविद्यालय है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुस्तकों, पत्रिकाओं और उपस्कर की खरीद, स्टाफ की नियुक्ति, शैक्षिक भवनों एवं छात्रावास के निर्माण के लिए पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान प्रदान करता है। आयोग वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर अनुदान प्रदान न करके पंचवर्षीय योजना के आधार पर अनुदान प्रदान करती है। 7वीं योजना के दौरान संस्कृत विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्वीकृत अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(रु० लाखों में)

विश्वविद्यालयों के नाम	7वीं योजना में अनुदान
1. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	93-00
2. के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	72.62
3. श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	30.00

राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ, तिरुपति और श्री लाल बहादुर शास्त्री, विद्यापीठ नई दिल्ली को नवम्बर, 1987 में सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया था और उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुदान प्रदान किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में इन सम विश्वविद्यालयों को जारी किए अनुदान निम्नलिखित हैं :

(रु० लाखों में)

सम विश्वविद्यालय का नाम	1989-90	1990-91	1991-92
श्री लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	6.95	22.19	103.00
राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	6.00	79.00	80.00

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश में एक नया संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

नई रेलगाड़ियां चलाया जाना

[अनुवाद]

3064. श्री केशरी लाल :

श्री पी० सी० थामस :

श्री साईमन मरान्डी :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

श्री शिबू सोरेन :

श्री सूर्य नारायण यादव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए नई पैसेंजर एक्सप्रेस और सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चलाने के लिए सरकार क्या मानदण्ड अपनाती है; और

(ख) गत छः माह के दौरान किन-किन स्टेशनों से किन-किन स्टेशनों तक कौन-कौन सी रेलगाड़ियां चलाई गई और निकट भविष्य में कौन सी रेलगाड़ियां किन स्थानों को चलाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यातायात का औचित्य, परिचालनिक व्यावहारिकता और संसाधनों की उपलब्धता।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नकल रोकने के लिए कानून

[हिन्दी]

3066. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर हो रही नकल को रोकने के लिए कोई कानून बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे कानून को लागू करने से पहले सभी राज्य सरकारों के दृष्टिकोण पर विचार किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

रेल परियोजनाओं के लिए जापान से सहायता

3067. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत में बौद्ध तीर्थ स्थलों से सम्बद्ध तीन रेलवे परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और कितनी सहायता राशि देने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या भारतीय प्राधिकारियों और गत वर्ष भारत आए जापानी शिष्ट मंडल के बीच हुई चर्चा में इस मामले पर विचार-विमर्श हुआ था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय और जापान की सरकार द्वारा वर्षानुवर्ष के आधार पर विचार-विमर्श किया जाता है । बहरहाल, जापान ने 1991-92 और 92-93 के दौरान तीर्थ यातायात से सम्बन्धित किसी रेल परियोजनाओं को सहायता देने हेतु नहीं चुना है ।

गर्मी की छुट्टियों के दौरान अतिरिक्त रेल गाड़ियां

3068. **श्री बृज भूषण शरण सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गर्मी की छुट्टियों के दौरान रेलगाड़ियों में भीड़ कम करने के लिए सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई गई हैं; और

(ख) इससे कितनी अतिरिक्त आय हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) लगभग 1300 विशेष गाड़ियां ।

(ख) प्रत्येक गाड़ी से प्राप्त आमदनी का लेखा अलग से नहीं रखा जाता है ।

गेहूं का आयात/निर्यात

[अनुवाद]

3069. श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत छः महीनों के दौरान गेहूं का निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो कितना और किन-किन देशों को; और

(ग) जब गेहूं का निर्यात किया जा रहा है तो इसके आयात किए जाने के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) राज्य व्यापार निगम ने जनवरी से जून, 1992 के दौरान फिलिपाइन, मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर और एशियन पोर्ट्स को 1.25 लाख मीटरी टन गेहूं का निर्यात किया था।

(ग) सरकार ने गेहूं का निर्यात करने के लिए अगस्त, 1990 और अप्रैल, 1991 में निर्णय किया था ताकि भुगतान शेष की संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा के संसाधन जुटाए जा सकें। तदुपरांत, अप्रैल-जून, 1991 के दौरान गेहूं की वसूली में भारी गिरावट आई और आपूर्ति की स्थिति की सतत आधार पर समीक्षा की गई। अन्ततः जनवरी, 1992 में यह निर्णय किया गया कि राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा पहले से किए गए पक्के ठेकों के दायित्वों का निर्वाह करने के अलावा गेहूं का और निर्यात न किया जाए।

1990-91 के दौरान हुई पैदावार की तुलना में 1991-92 के दौरान खाद्यान्नों, विशेषतया मोटे अनाजों की पैदावार में गिरावट आने, जिसके परिणामस्वरूप मांग-आपूर्ति में असंतुलन पैदा हो गया था, 1991-92 और 1992-93 के विपणन मौसमों के दौरान गेहूं की कम वसूली होने और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आपूर्तियों को बनाए रखने के लिए केन्द्रीय पूल में स्टाक रखने की आवश्यकता तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे कारणों से गेहूं का कुछ संतुलनीय आयात करना अपरिहार्य हो गया था।

पश्चिम रेलवे में रेलवे स्टेशनों पर हुआ व्यय

3070. श्री बनोश पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में राजकोट से ओखा, राजकोट से हापा तथा राजकोट से पोरबन्दर रेल लाइन पर स्थित विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 1 जनवरी, 19:9 से 30 जून, 1992 तक, वर्ष-वार, कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा वह किन-किन कार्यों पर खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार को ठेकेदारों के साथ मिलीभगत से रेल अधिकारियों तथा कर्मचारियों के भ्रष्टाचार तथा निर्धारित गुणवत्ता से घटिया स्तर के सामान को काम में लाने के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो ठेकेदारों, रेल अधिकारियों तथा रेल कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलें खर्च के आंकड़े स्टेशन-वार नहीं रखती हैं।

(ख) राजकोट मंडल के हापा स्टेशन पर गर्त लाइन के घटिया निर्माण के सम्बन्ध में मार्च, 1992 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ग) कार्य घटिया होने के कारण ठेकेदार से वसूली कर ली गई है। दोषी रेल पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

जनसंख्या घड़ियां

3071. **श्री जी० माडे गौडा :**

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महत्त्वपूर्ण स्थानों पर लगाने के लिए अब तक कितनी जनसंख्या घड़ियां बनाई गई हैं;

(ख) इन घड़ियों को कहां-कहां पर और कब तक लगा दिया जाएगा; और

(ग) इन घड़ियों की खरीद पर कितनी धनराशि व्यय की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) दो जनसंख्या घड़ियां बनाई गई हैं।

(ख) दो जनसंख्या घड़ियों में से एक, नवम्बर, 1991 में भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले-1991 में प्रगति मैदान में स्वास्थ्य मण्डल में और दूसरी अन्तर्राज्यीय बस अड्डा, कश्मीरी गेट, दिल्ली में 10 जुलाई, 1992 को लगाई गई है।

(ग) उपर्युक्त दोनों घड़ियां खरीदने में लगभग 16.00 लाख रुपये की लागत आई है जिसमें घड़ी लगाने की लागत एवं टैक्स शामिल हैं। इन घड़ियों पर धन यू० एन० एफ० पी० ए० द्वारा खर्च किया जा रहा है।

विधान नगर और साल्ट लेक स्टेडियम के बीच रेल लाइन

3072. **श्री राधिका रंजन प्रमाणिक :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधा हेतु विधान नगर रेलवे स्टेशन और साल्ट लेक स्टेडियम के बीच रेल लाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कलकत्ता क्षेत्र के दैनिक यात्री यातायात के लिए नई शहरी परिवहन योजना होने के कारण इस सम्बन्ध में कार्रवाई करना पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार का दायित्व है।

मेडिकल कालेजों में कृत्रिम अंग लगाने की सुविधाएं

3073. श्री अनंतराव देशमुख : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृत्रिम अंग लगाने की सुविधा वाले मेडिकल कालेजों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने सभी मेडिकल कालेजों में ऐसी सुविधा प्रारम्भ करने हेतु क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सूचना की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

नीमच-कोटा रेलगाड़ी को दिल्ली तक चलाना

3074. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीमच और कोटा के बीच चलने वाली यात्री गाड़ी को दिल्ली तक चलाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) इसकी जांच की गई है लेकिन फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

महाराष्ट्र में आपरेशन ब्लैक बोर्ड

3075. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सभी जिलों में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो यह योजना किन-किन जिलों में शुरू नहीं की गई है;

(ग) चालू वर्ष और आगामी दो वर्षों के दौरान इन सभी ज़िलों में यह योजना शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या महाराष्ट्र के लिए इस सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) जून, 1992 तक प्रत्येक जिले में विशेषतः, पश्चिमी महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र में इसका कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत महाराष्ट्र के सभी जिलों को शामिल कर लिया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) योजना के तहत राज्यवार तथा जिलावार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते,

योजना को चरणबद्ध करना राज्य सरकारों की कार्यान्वयन की गति पर निर्भर करता है। अब तक महाराष्ट्र को 47.41 करोड़ रु० संस्वीकृत किए जा चुके हैं जिसकी तुलना में 19.34 करोड़ रु० खर्च भी हो गए हैं।

सिंधी भाषा साहित्य को पुरस्कार

3076. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकादमी द्वारा सिंधी भाषा साहित्य को दिए गए पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में ऐसे पुरस्कार शुरू करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) 1959 में जब साहित्य अकादमी द्वारा सिंधी भाषा को मान्यता दी गई थी, तब से अब तक साहित्य अकादमी ने संलग्न विवरण के अनुसार 25 सिंधी पुस्तकों को पुरस्कृत किया है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। तथापि, यदि किसी वर्ष-विशेष में कोई भी पुस्तक वांछित स्तर की नहीं पाई जाती, तो उस वर्ष कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

सिंधी (1959 से)

वर्ष	पुस्तक	लेखक
1959	कंवर (जीवनी)	तीर्थ बसंत
1964	अनोखा अजमूदा (संस्मरण)	राम पंजवानी
1966	सुराही (कविता)	लेखराज 'अजीज"
1968	शाह जो रसालो (मुजमल) (मूल्यांकन)	कल्याण बी० आडवाणी
1969	सिंधी नस्र जी तारीख (सिंधी गद्य का इतिहास)	एम० यू० मलकानी
1970	बारी-ए भारयो पलांड (कविता)	नारायण "श्याम"
1971	कुमाच (कविता)	कृष्ण राही
1972	अपराजिता (लघु कहानियां)	गुनो सामतानी
1973	प्यार जी प्यास (उपन्यास)	गोविन्द माल्ही
1974	हुनजे आत्म जो मौत (उपन्यास)	लाल पुष्प

1	2	3
1976	जी-ए-झरोको (कविता)	लक्ष्मण भाटिया "कोमल"
1978	चीख (कविता)	एच० आई० सदारंगानी
1979	पल पल जो परलाओ (कविता)	हरि दरयानी "दिलगीर"
1980	याद हिक प्यार जी (उपन्यास)	कृष्ण खटवाणी
1981	सुर्ख गुलाब सुराह् ख्वाब (कविता)	प्रभु "वफा"
1982	मुहिनजी हयाती-ए-जा सोना रूपा वर्क (आत्मकथा)	पोपटी आर० हीरानन्दानी
1983	अंधो दूल्हों (कविता)	अर्जन "शाद"
1984	उह्रा शाम (लघु कहानियां)	मोहन कल्पना
1985	मेरो सिजू (कविता)	अर्जन "हासिद"
1986	विछोरो (लघु कहानियां)	सुन्दरी ए० उत्तमचंदानी
1987	वालीह-चोरासी (साहित्यिक समालोचना)	हरीश वासवाणी
1988	सें सम सांध्यम साह सेन (सफरनामा)	मोती प्रकाश
1989	बाह् आ वारिस (कविता)	एम० कमल
1990	शीशे जा घर (कविता)	गोवर्धन महबूबानी
1991	सोच जूं सूरतू (कविता)	हरिकान्त जेठवानी

(वर्ष 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1967, 1975 और 1977 में पुरस्कार नहीं दिए गए

उड़ीसा में रेल उपरिपुल

3077. **श्री शरत चन्द्र पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बालंगीर, टिटिलागढ़ और कांटाबानजी और खनियआं रोड में रेल उपरिपुल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) बोलंगीर में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है । टिटिलागढ़ में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण 1992-93 के लिए अनुमोदित योजना है । कंटाबांजी और खड़ियार रोड में ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पाठ्यपुस्तकों में डा० बी० आर० अम्बेडकर की जीवनी सम्मिलित करना

3078. **श्री राम विलास पासवान** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यालयों की पाठ्यपुस्तकों में बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी सम्मिलित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को जारी किए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई भाषाओं और सामाजिक विज्ञानों की पाठ्यपुस्तकों में डा० भीमराव अम्बेडकर की जीवनी सम्बन्धी ब्यौरे और अन्य उल्लेख पहले ही शामिल किए जा चुके हैं। जातिगत अत्याचारों के खिलाफ डा० अम्बेडकर के संघर्ष तथा भारतीय संविधान को तैयार करने में उनके योगदान के प्रति विशेष ध्यान दिया गया है। रा० शै० अ० प्र० प० की पाठ्यपुस्तकें मुख्यतः केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों में प्रयोग के लिए होती है।

(ग) स्कूल शिक्षा की देखरेख और इसका प्रबन्धन मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभी विषयों के लिए पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकें निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, रा० शै० अ० प्र० प० अध्ययन, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की माडल स्कीम तैयार करती है। रा० शै० अ० प्र० प० द्वारा इस प्रकार विकसित की गई सामग्री राज्य शैक्षिक प्राधिकरणों को अपनाने या अनुकूलन के लिए उपलब्ध कराई जा रही है।

गेहूं का आयात

3079. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, विदेशों से, देश-वार, कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के गेहूं का आयात किया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान, प्रतिवर्ष, देश-वार, कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के गेहूं का निर्यात किया गया;

(ग) क्या गेहूं के मूल्य में कोई वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं का कोई आयात नहीं किया गया था।

(ख) 1989-90 के दौरान गेहूं का कोई निर्यात नहीं किया था। राज्य व्यापार निगम और खनिज और धातु व्यापार निगम को 1990-91 और 1991-92 के दौरान गेहूं का वाणिज्यिक आधार पर निर्यात करने की अनुमति प्रदान की गई थी। इन संगठनों द्वारा निर्यात की गई गेहूं के बारे में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) गेहूं के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव विभिन्न किस्मों और गेहूं के मूल स्थान के मामले में भिन्न-भिन्न होते हैं और ये समूचे उत्पादन, मांग, ऋण/राजसहायता की उपलब्धता, आदि जैसे कई तथ्यों पर निर्भर करते हुए अधिकांशत: भिन्न-भिन्न होते हैं ।

विवरण

निर्यातक संगठन	जिस देश को निर्यात किया गया	निर्यात की गई मात्रा (लाख मीटरी टन)	मूल्य (अमेरिकी डालर/ प्रति मीटरी टन)
1	2	3	4
		1990-91	
राज्य व्यापार निगम	उत्तरी कोरिया	0.28	92 बल्क (एफ० ओ० बी०) 100 बोरी (एफ० ओ० बी०)
रा० व्या० नि०	सूडान	0.36	94 बोरी (एफ० ओ० बी०)
ख० और धा० व्यापार निगम	जोर्डन	0.89	115 (सी० एण्ड एफ०)
ख० और धा० व्यापार निगम	डी० पी० आर० कोरिया	0.48	118.50 (सी० एण्ड एफ०)
		1991-92	
रा० व्या० निगम	सूडान	0.35	92-93.50 बल्क (एफ० ओ० बी०)
रा० व्या० नि०	दुबई	0.25	93 बल्क (एफ० ओ० बी०)
रा० व्या० नि०	संयुक्त अरब अमीरात	0.23	93-96.50 बल्क (एफ० ओ० बी०)
रा० व्या० नि०	फिलिपाइन	0.33	94 बल्क (एफ० ओ० बी०) 101 बोरी (एफ० ओ० बी०)
रा० व्या० नि०	एशियन पोर्ट्स	0.47	95-102 बल्क (एफ० ओ० बी०) 109 बोरी (एफ० ओ० बी०)
रा० व्या० नि०	मलेशिया/सिंगापुर/ श्रीलंका	0.19	94-99.50 बल्क (एफ० ओ० बी०) 100-105.50 बोरी (एफ० ओ० बी०)

1	2	3	4
रा० व्या० नि०	मलेशिया	0.85	93-102 बल्क (एफ० ओ० बी०) 100-109 बोरी (एफ० ओ० बी०)
ख० और धा० व्यापार निगम	जोर्डन	2.74	115-118 (सी० एण्ड एफ०)
ख० और धा० व्यापार निगम	डी० पी० आर० कोरिया	1.39	100 (एफ० ओ० बी०) 118.50 (सी० एण्ड एफ०)
ख० और धा० व्यापार निगम	ओमान	0.06	95.50 (एफ० ओ० बी०)

रा० व्या० नि० = राज्य व्यापार निगम।

ख० और धातु व्या० नि० = खनिज और धातु व्यापार निगम।

हारीज स्टेशन

3080. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मेहसाना जिले में हारीज स्टेशन को बन्द कर दिया है;

(ख) क्या हारीज स्टेशन को हटाने/रेल लाइनें उखाड़ने का कार्य शुरू हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या वर्तमान रेल लाइन को हटाया जा रहा है अथवा हमेशा के लिए बन्द किया जा रहा है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) चाणस्मा-हारीज लाइन अलाभप्रद होने के कारण यातायात के लिए बन्द कर दी गई है।

(घ) यह लाइन हमेशा के लिए बन्द कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें

[हिन्दी]

3081. **श्री अर्जुन सिंह यादव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में निर्धारित किए गए लक्ष्य और उसकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

विश्वेश्वरैया औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय संग्रहालय का निर्माण

[अनुवाद]

3082. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित विश्वेश्वरैया औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय संग्रहालय के अतिरिक्त परिसर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है और इसे पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(ग) इस परिसर के कब तक बन कर तैयार हो जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां ।

(ख) अब तक 125.00 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं और इसको पूरा करने के लिए 21.69 लाख रुपये (लगभग) की राशि की और आवश्यकता होगी ।

(ग) इस वर्ष के अन्त तक तैयार हो जाएगा ।

गन्ना विकास निधि से धनराशि का वितरण

3083. **श्री अंकुशराव टोपे :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ना विकास निधि में अब तक कितनी धनराशि जमा हुई है;

(ख) गन्ना विकास निधि में से अब तक राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत और वितरित की गई है;

(ग) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि धनराशि स्वीकृत करने और वितरित करने का कार्य बहुत धीमा चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) 31 मार्च, 1992 को स्थिति के अनुसार, चीनी उपक्रमों से एकत्रित की गई चीनी उप-कर की राशि में से कुल 1021.00 करोड़ रुपये की राशि चीनी विकास निधि में जमा करवा दी गयी थी ।

(ख) 31-3-1992 को स्थिति के अनुसार, गन्ने का विकास करने तथा आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन हेतु चीनी उपक्रमों के लिए स्वीकृत और उन्हें प्रदान किए गए ऋणों की राशि की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछेक मामलों में, त्रिपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर करने, बैंक गारण्टी/राज्य सरकार की गारण्टी प्रस्तुत करने, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और पिछले ऋणों के बारे में राज्य सरकार द्वारा संघटट्न(इम्पेक्ट) रिपोर्ट प्राप्त न होने जैसी निर्धारित विधिक औपचारिकताएं पूरी न करने के कारण ऋण मंजूर करने/प्रदान करने का कार्य धीमी गति से हुआ था तथापि, स्वीकृत ऋणों की शीघ्र अदायगी करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	स्वीकृत राशि आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए ऋण	स्वीकृत राशि गन्ने का विकास करने के लिए ऋण	जोड़	दी गई राशि आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए ऋण	दी गई राशि गन्ने का विकास करने के लिए ऋण	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	7445.00	2952.57	5397.57	755.00	2024.93	2779.93
2.	असम	—	118.24	118.24	—	104.11	104.31
3.	बिहार	926.02	600.54	1526.56	726.02	333.12	1059.14
4.	गुजरात	1214.40	544.45	1758.85	684.00	147.39	831.39
5.	हरियाणा	—	1618.63	1618.63	—	1520.22	1520.22
6.	कर्नाटक	486.08	2956.29	3442.37	42.00	806.97	848.97
7.	मध्य प्रदेश	435.00	627.09	1062.09	310.375	227.32	537.695
8.	महाराष्ट्र	8128.27	8131.10	16259.37	5147.50	5803.715	10951.215
9.	उत्तर प्रदेश	15687.48	8754 63	24442.11	10281.79	4388.42	14670.31
10.	तमिलनाडु	794.00	4336.39	5130.39	794.00	3170.37	3964.37
11.	पंजाब	930.00	2149.02	3079.02	930.00	1254.31	2184.31
12.	पांडिचेरी	—	85.54	85.54	—	40.13	40.13
13.	पश्चिम बंगाल	—	287.55	287.55	—	—	—
14.	राजस्थान	—	404.57	404.57	—	—	—
	जोड़	31046.25	33566.61	64612.86	19670.685	19821.305	39491.99

सी० जी० एच० एस० चिकित्सकों के सम्बन्ध में टिक्कू समिति की सिफारिशें

3084. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी० जी० एच० एस० चिकित्सकों के सम्बन्ध में टिक्कू समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस समिति की सभी सिफारिशों को लागू कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस समिति की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० के० थारादेवी सिद्धार्थ) : (क) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा विवरण-1 के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) सरकार ने टिक्कू समिति की रिपोर्ट पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और 14 नवम्बर, 1991 के ज्ञापन (प्रति विवरण-2 के रूप में संलग्न) के तहत अपना निर्णय घोषित किया है। इन निर्णयों को लागू किया जा रहा है। बहरहाल, सेवारत डाक्टर संगठनों की संयुक्त कार्रवाई परिषद ने इन निर्णयों की घोषणा के बाद भी आन्दोलन जारी रखा, इसलिए अपर सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक समिति सेवारत डाक्टरों की शिकायतों पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई। इस समिति ने सेवारत डाक्टर संगठनों की संयुक्त कार्रवाई परिषद, विशेषज्ञ संघों के प्रतिनिधियों तथा डा० वी० पी० मलिक तथा अन्यों (उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका सं० 683/90 के याचिकाकर्ता) के साथ कई बैठकें की। समिति ने अपनी रिपोर्ट 16 मार्च, 1992 को प्रस्तुत कर दी है।

विवरण-1

1. सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग के अधिकारियों को 10 वर्ष की सेवा कर लेने के बाद वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर ऐसी प्रोन्नतियों को रिक्तियों के साथ जोड़े बिना मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ग्रेड में प्रोन्नत कर दिया जाए।

2. सरकार को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों तथा विशेषज्ञ ग्रेड-II के वेतनमानों में समानता लाने पर विचार करना चाहिए।

3. सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग के अधिकारियों को रिक्तियों के साथ जोड़े बिना 14 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् 4500-5700 रुपये के ग्रेड में प्रोन्नत कर दिया जाए। ऐसी प्रोन्नतियों के लिए चयन उसी तरह किया जाएगा जैसाकि विशेषज्ञों के ग्रेडों के लिए संस्तुत 4500-5700 रुपये के ग्रेड के लिए किया जाता है।

4. कुछ समय बाद सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग के पदों तथा अन्य उपसंवर्गों के पदों के बीच का अनुपात 1 : 1 तक ले आया जाए।

5. चिकित्सा अधिकारियों के 250 पदों को अध्यापनेत्तर उपसंवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-II के रूप में स्थानान्तरित कर दिया जाए। एक बारगी उपाय के रूप में इन पदों को सामान्य ड्यूटी

चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग में स्नातकोत्तर डिग्री तथा डिप्लोमा रखने वाले पात्र उम्मीदवारों में से आंतरिक भर्ती द्वारा भर लिया जाए।

6. भर्ती नियमों को औपचारिक रूप में संशोधित कर लेने के बाद आन्तरिक भर्ती के लिए अध्यापनेत्तर विशेषज्ञ उपसंवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II के वरिष्ठ वेतनमान वाले 100 पद सृजित किए जाएं।

7. अध्यापनेत्तर उपसंवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II के पद पर नियुक्ति हो जाने पर स्नातकोत्तर सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जितने पद रिक्त किए जाएं उन्हें भी सामान्य भर्ती के लिए अध्यापनेत्तर विशेषज्ञ ग्रेड-2 में स्थानान्तरित कर दिया जाए।

8 अध्यापनेत्तर उपसंवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-2 के भर्ती नियमों में 75% प्रोन्नति और 25% सीधी भर्ती का प्रावधान करने के लिए उनका संशोधन किया जाए। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में एक वर्ष की सेवा वाले पात्र स्नातकोत्तर सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों को प्रोन्नति कोटा के लिए निर्धारित पद पर प्रोन्नत होने के लिए योग्य घोषित कर दिया जाए।

9. ऐसे स्नातकोत्तर सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी, जो अध्यापन विशेषज्ञ ग्रेड-2 के लिए अब पात्र हैं और नियुक्त होना चाहते हैं, उन्हें अध्यापन विशेषज्ञ ग्रेड-2 में नियुक्त कर दिया जाए और उनके द्वारा सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग में जो पद रिक्त किए जाएं उनको समाप्त कर दिया जाए।

10. जो अधिकारी पिछले वर्षों में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग से विशेषज्ञ उपसंवर्ग में चले गए थे, उन्हें अति विशिष्ट मामले के रूप में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग में प्रत्यावर्तित होने का विकल्प दिया जाए।

11. भविष्य में स्नातकोत्तर डिग्री धारकों को, जो जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग में प्रवेश करते हैं 2 वर्ष की पूर्व-दिनांकित वरिष्ठता दी जाए। इसी प्रकार स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारकों को एक वर्ष की पूर्व दिनांकित वरिष्ठता प्रदान की जाए। भविष्य में सेवा में प्रवेश करने वालों के लिए स्नातकोत्तर भत्ते को समाप्त कर दिया जाए।

12. अध्यापन उपसंवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-2 को जिन्हें 3700-5000 रु० का वरिष्ठ वेतनमान दिया जाता है, उनकी चार वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के उपरांत 4500-5700 रु० के ग्रेड में पदोन्नत किया जाए।

13. अध्यापन विशेषज्ञ उपसंवर्ग में सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती नियमों की समीक्षा की जाए तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद विनियमों को ध्यान में रखते हुए उनमें उपयुक्त संशोधन किया जाए। यदि नियमों में इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्ति करने के बाद किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं रह जाती है, तो सहायक प्रोफेसरों को उस समय अपेक्षित 2 वर्ष के बजाय 4 वर्ष के उपरान्त 3700-5000 रु० के वेतनमान में रखा जाए।

14. यदि डी०एम०, एम० सी०एच०, अथवा समकक्ष अर्हता वाले किसी डाक्टर की भर्ती केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में की जाती है तो जिस ग्रेड में उसकी भर्ती की जाए उसमें उसे दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाएं।

15. 4500-5700 रु० के फंक्शनल ग्रेड तथा तीन विशेषज्ञ उपसंवर्गों के 4500-5700 रु० के नान फंक्शनल प्लेसमेंट ग्रेड को आपस में मिला दिया जाए। वरिष्ठ टाइम वेतनमान में विशेषज्ञ ग्रेड-2 अधिकारियों को उनकी सेवा के 4 वर्ष पूरे हो जाने के बाद 4500-5700 रु० के समाहित ग्रेड में पदोन्नत किया जाए। पदोन्नति चयन द्वारा होगी। अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता के क्रम में पदोन्नत करने के बारे में तभी विचार किया जाए जब वे बहुत अच्छा बेंच मार्क पर खरे उतरें। चयन का कोई जोन नहीं होगा।

16. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों में संशोधन करके उनमें विशेषज्ञ ग्रेड में 4500-5700 रुपये तथा 3500-5000 रु० के स्तर पर, अन्य स्रोतों से व्यक्तियों को लेने का प्रावधान किया जाए तथा इतनी मात्रा में और सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित पदों का सृजन वार्षिक आधार पर किया जाए।

17. एक बारगी उपाय के रूप में जिन अधिकारियों को 1-1-1973 को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के समूह "क" में शामिल किया गया है, उनको चरणवार रूप में स्व स्थाने (व्यक्तिगत) आधार पर एस०ए०जी०के० के पद पदोन्नत कर दिया जाए ताकि वे सभी व्यक्ति को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चुने गए हैं, वर्ष 1993 के मध्य तक एस० ए० जी० हो जाएं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में वर्ष 1990, 1991, 1992 और 1993 के दौरान स्व-स्थाने क्रमश: 120, 75, 50 और 50 अधिकारियों को प्रोन्नत कर दिया जाए। इसी प्रकार इन्हीं अवधियों के दौरान रेलवे मेडीकल सेवा में 250, 100, 75 तथा 75 अधिकारियों का दर्जा बढ़ा दिया जाए। एस० ए० जी० 6 से 9 महीने की अवधि के भीतर पर्याप्त मात्रा में, जितना कि कार्य करने के लिए औचित्य हो, पद बना लिया जाए। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में कार्य के औचित्य के आधार पर निर्धारित किए गए एस० ए० जी० पदों की संख्या कुल संवर्ग संख्या का 15 प्रतिशत होनी चाहिए। जिन अधिकारियों को स्व-स्थाने प्रोन्नति दी गई है उन्हें स्वीकृत पदों पर तैनात किया जाए। जिन पदों पर अन्य व्यक्ति कार्यरत है और जिनका इस प्रकार समायोजन नहीं किया जा सकता उनको उसी मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिन पर ऐसे पदों पर आने से पहले तैनात थे और वे इन पदों पर नहीं रहेंगे।

18. विशेषज्ञों को पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने के लिए वर्ष 1990, 1991 और 1992 के दौरान अध्यापन उपसंवर्ग में 30 पदों, अध्यापनेत्तर उपसंवर्ग में 46 पदों और लोक स्वास्थ्य उपसंवर्ग में 1 पद का 4500-5700 रुपये के कार्यात्मक ग्रेड से एस० ए० जी० में दर्जा बढ़ाया जाए।

19. 5900-6700 रुपये के ग्रेड में प्रोफेसर के पदों को वरिष्ठ प्रोफेसरों के पद पर नामित किया जाए और अध्यापन उपसंवर्ग में 7300-7600 रु० के ग्रेड में मंजूर किए गए किसी भी पद को निदेशक-प्रोफेसर के रूप में नामित किया जाए।

20. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के एस० ए० जी० के 8 पदों का 7300-7600 रुपये के ग्रेड में दर्जा बढ़ाया जाए और अपर महानिदेशक के 3 पदों का सृजन किया जाए जहां कुल संवर्ग क्षमता के कार्यात्मक रूप से तर्कसंगत एस० ए० जी० के पद 1 प्रतिशत तक मंजूर किए गए हों।

21. डाक बोर्ड, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड में पदों के

आधार पर अपर महानिदेशक के 5 पद मौजूदा दो और नए सृजन किए जाने वाले 7300-8000 रुपये के वेतनमान में शुरू किए जाएं।

22. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा से सम्बन्धित संवर्ग प्रबन्ध का कार्य कुल मिलाकर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पास रहना चाहिए बशर्ते कि जैसा इस पैरा में बताया गया है।

23. रेल चिकित्सा सेवा महानिदेशक के पद का 8000 रुपये के नियत वेतनमान में दर्जा बढ़ाया जाए। एस० ए० जी० के 9 पदों का 7300-7600 रुपये के वेतनमान में दर्जा बढ़ाया जाए रेल बोर्ड द्वारा 7300-7600 रुपये के वेतनमान में एक पद को समाप्त करके 7300-8000 रुपये के ग्रेड में 2 पदों का सृजन किया जाए।

24. एकबारगी उपाय और 7300-7600 रुपये के वेतनमान में पदों का दर्जा बढ़ाने के रूप में एस०ए०जी० के पदों के दिशा-निर्देश भारतीय आयुध कारखाना और दिल्ली नगर निगम के पदों के लिए भी अपनाया जाए।

25. दीर्घावधि-उपाय के रूप में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा और सम्बद्ध संवर्ग के अधिकारियों के लिए एक अशोधित/लचीली संपूरक योजना शुरू करने के बारे में सरकार जांच करे ताकि उनकी पदोन्नति की सम्भावनाओं को सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि कैरियर-प्रगति के लिए इन संवर्गों में उच्च स्तर के पदों की मंजूरी की प्रचलित प्रद्धति कठिन है।

26. मांग के गुणावगुणा पर पृथक रूप से विचार करके, इन डाक्टरों की सेवा-नियुक्ति की आयु 60 वर्ष तक बढ़ाए जाने की सिफारिश करते हैं। फिर भी, सरकार, सरकार की सामान्य नीति के सन्दर्भ में इस मामले में निर्णय ले।

27. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) के नियम 30 के अधीन उपलब्ध सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा नियमों के उपयुक्त संशोधन द्वारा एम०बी०बी०एस० डिग्रीधारियों के साथ सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्गों की भर्ती के लिए भी लागू किया जाए।

28. प्रारम्भ में सभी राज्य सरकारों द्वारा भाग न लिए जाने पर भी कार्यान्वयन के लिए भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा का गठन किया जावा चाहिए।

29. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में आने वाले सभी नए सदस्यों को 8 से 12 सप्ताह के आधारभूत पाठ्यक्रम में भेजा जाना चाहिए। अधिशासी, सलाहकारी और उच्चतर प्रशासनिक तीन स्तरों पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए।

30. अविच्छिन्न चिकित्सा शिक्षा की सुनिश्चितता के लिए डाक्टरों को पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए।

31. चूंकि चिकित्सा क्षेत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 3 वर्ष की अवधि के होते हैं इसलिए अध्ययन अवकाश को 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष करने के लिए अध्ययन अवकाश प्रावधानों में संशोधन किया जाना चाहिए।

32. चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधानों के लिए सारे ढांचे की जांच हेतु एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल नियुक्त किया जाना चाहिए जो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा को एक एकीकृत

संवर्ग में परिवर्तित करके और आधार स्तर पर पदों की प्रतिशतता शुरू करके प्रतिनियुक्ति और अल्पकालिक संविदा द्वारा आने वाले अधिकारियों पर प्रवेश स्तर पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए उपाय करने जैसे मामलों की जांच करे।

विवरण-2

संख्या ए० 45912/13/90-सी० एच० एस०-V

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली,

दिनांक : 14 नवम्बर, 1991

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सेवारत डाक्टरों के सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति (टिक्कू) की सिफारिशें उन पर लिए गए निर्णय।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के भविष्य में उन्नति के अवसरों के सभी पहलुओं और संवर्ग पुनः संरचना की जांच करने के लिए भारत सरकार के मंत्रिमण्डल सचिवालय में सचिव (समन्वय) श्री आर० के० टिक्कू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार किया है और निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :—

(1) मौजूदा सामान्य वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (5900-6700 रुपए) के दो पदों का दर्जा बढ़ाकर अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा के अपर महानिदेशकों (7300-7600 रुपए) के दो अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा। अपर महानिदेशकों के इन अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति अपर महानिदेशकों के मौजूदा पदों के अनुरूप ही की जाएगी।

(2) 5900-6700 रुपये के सुपर टाइम वेतनमान में चार पदों का दर्जा बढ़ाकर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1982 के नियम 4(9) के अन्तर्गत 7300-7600 रुपए के वेतनमान में चार अतिरिक्त पदों के लिए कार्रवाई की जाएगी।

(3) अस्थायी आधार पर प्रोफेसरों (4500-5700 रुपए) के पदों के बराबर की संख्या के पदों का दर्जा बढ़ाकर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उपसंवर्ग में निदेशक-प्रोफेसर (5900-6700 रुपये) के 34 अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा।

(4) अस्थायी आधार पर विशेषज्ञ ग्रेड-1 (4500-5700 रुपये) के पदों के बराबर की संख्या के पदों का दर्जा बढ़ाकर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर शिक्षण विशेषज्ञ के उपसंवर्ग में परामर्श-दाता (5900-7700 रुपये) के 35 रिक्त पदों का सृजन किया जाएगा।

(5) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में कार्यात्मक चयन ग्रेड (4500-5700 रुपए) और कार्यात्मक ग्रेड (4500-5700 रुपए) के बीच के अन्तर को दूर कर दिया जाएगा। गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड (4500-5700 रुपए) के सभी सह-प्रोफेसरों को 1-12-1991 से प्रोफेसरों के रूप में

पदनामित किया जाएगा। गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड (4500-5700 रुपए) के सभी विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारियों (गैर शिक्षण और जन स्वास्थ्य उपसंवर्ग) को 1-12-1991 से विशेषज्ञ ग्रेड-I के रूप में पदनामित किया जाएगा।

(6) सभी प्रोफेसर (4500-5700 रुपए) और विशेषज्ञ ग्रेड-I अधिकारियों (गैर-शिक्षण और जन स्वास्थ्य उपसंवर्ग) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के पदों (5900-6700 रुपए) पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों और 4500-5700 रुपए के वेतनमान में उन्होंने कम-से-कम तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो। चाहे उक्त सेवा कार्यात्मक ग्रेड अथवा 4500-5700 रुपए के गैर कार्यात्मक ग्रेड में की गई हो। सह-प्रोफेसर और विशेषज्ञ ग्रेड-II अधिकारी जो इस समय गैर कार्यात्मक चयन ग्रेड में हैं और जिन्हें 1-12-1991 से क्रमश: प्रोफेसर और विशेषज्ञ ग्रेड-I अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाना है, को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के पदों (5900-6700 रुपए) पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्रता सूचियां तैयार करने के उद्देश्य से क्रमश: मौजूदा प्रोफेसरों और विशेषज्ञ ग्रेड-I के अधिकारियों के नीचे सामूहिक रूप से रखा जाएगा।

(7) जैसा कि शिक्षण उपसंवर्ग के मामले में किया गया है उसी प्रकार गैर-शिक्षण विशेषज्ञ और जन स्वास्थ्य शिक्षण विशेषज्ञ के उपसंवर्गों में भी विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारियों (3000-5000 रुपए) के रूप में भर्ती के लिए अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम अनिवार्य अर्हता स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् तीन वर्ष के अनुभव सहित स्नातकोत्तर डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् पांच वर्ष के अनुभव सहित स्नातकोत्तर डिप्लोमा होगी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती किए गए सभी विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारियों को 3000-5000 रु० के वेतनमान में दो वर्षों की सेवा पूरी करने पर 3700-5000 रु० के वेतनमान में प्रोन्नत किया जाएगा बशर्ते कि वे वरिष्ठता-सह-योग्यता में पूरे उतरें।

(8) सुपर स्पेशियलिटी से संबंधित पदों की भर्ती जिसके लिए न्यूनतम अनिवार्य अर्हता डी०एम० अथवा एम०सी०एच० अथवा समतुल्य है, को शिक्षण और गैर-शिक्षण विशेषज्ञता उपसंवर्गों में (3700-5000 रु०) के वेतनमान में की जाएगी।

(9) तीनों उपसंवर्गों (शिक्षण, गैर-शिक्षण और जन स्वास्थ्य) में 3700-5000 रु० के वेतनमान में छ: वर्षों की सेवा वाले अधिकारी अथवा 3000-5000 रु० और 3700-5000 रु० के वेतनमानों में कुल आठ वर्ष की सेवा वाले अधिकारियों को मौजूदा दिशा-निर्देशों (जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कुल मिलाकर अच्छे कार्य निष्पादन और पिछले पांच वर्षों के दौरान कम-से-कम दो "बहुत अच्छे" मूल्यांकन के लिए व्यवस्था है) के अनुसार 4500-5700 रु० के वेतनमान में रखा जाएगा। इस प्रकार से 4500-7300 रु० के वेतनमान में रखे जाने पर सह-प्रोफेसरों को प्रोफेसरों के रूप में और विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारियों (गैर शिक्षण और जन स्वास्थ्य) को विशेषज्ञ ग्रेड-I अधिकारियों के रूप में पदनामित हुआ समझा जाएगा।

(10) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (3000-4500 रु०) को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रूप में छ: वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर अथवा चिकित्सा अधिकारियों और वरिष्ठ

चिकित्सा अधिकारियों के रूप में 10 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा पूरी करने पर, जिसमें कम-से-कम दो वर्षों की सेवा वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में होगी, को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (3700-5000 रु०) के वेतनमान में पदोन्नत किया जाएगा बशर्ते कि उनको रिक्तियों से बिना किसी संबंध के "अच्छे" की श्रेणी में क्लीयर कर दिया गया हो। चयन का कोई क्षेत्र नहीं होगा। यह पदोन्नतियां पदोन्नत किए गए अधिकारियों के लिए स्वस्थाने और व्यक्तिगत आधार पर होगी। प्रसंगवश यह बात जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों को एक और समय-बद्ध पदोन्नति प्रदान करेगी। जैसेकि वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर चार वर्ष की सेवा पूरी करने पर चिकित्सा अधिकारियों (2200-4000 रु०) के स्तर से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (3000-4500 रु०) के स्तर पर पहली समयबद्ध प्रोन्नति को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। जैसाकि इस समय मौजूदा दिशा-निर्देशों (पिछले पांच वर्षों के दौरान कम-से-कम दो "बहुत अच्छा" मूल्यांकन सहित कुल मिलाकर अच्छा कार्य निष्पादन) के आधार पर सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग के सभी वरिष्ठ ड्यूटी पदों की पन्द्रह प्रतिशत सीमा तक 4500-5700 रु० के ग्रेड में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को रखा जाना जारी रहेगा। 4500-5700 रु० के वेतनमान में तीन वर्षों की सेवा सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा कुल सत्रह वर्षों की ग्रुप "ए" की सेवा वाले व्यक्ति वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के पदों (5900-6700 रु०) पर पदोन्नति के लिए पात्र होते रहेंगे बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों।

(11) विभिन्न अस्पतालों और शिक्षण तथा अन्य संस्थानों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/सुपर टाइम ग्रेड अधिकारियों द्वारा धारित सभी पदों, जहां किए जाने वाले कार्य प्रमुखतः विशिष्टीकृत प्रकृति के होते हैं और सामान्यतया जिन्हें विशेषज्ञता प्राप्त डाक्टरों द्वारा किया जाना आवश्यक होता है, को विशेषज्ञ पदों में बदल दिया जाएगा और जिन्हें विशेषज्ञों के भर्ती नियमों में मौजूदा उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा। सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग से चिकित्सा अधिकारियों/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा, अधिकारियों/सुपर टाइम ग्रेड अधिकारियों के पदों की संख्या के बराबर पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। अस्पतालों और शिक्षण तथा अन्य संस्थानों में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग के ऐसे पदों को विशेषज्ञ पदों में बदलने की बात खुली प्रतियोगिताओं के माध्यम से विशेषज्ञ उपसंवर्गों में प्रवेश करने के लिए सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग से संबंधित अर्हता प्राप्त अधिकारियों के लिए अवसर उत्पन्न करेगी।

(12) 4500-5700 रु० के साथ-साथ 3700-5000 रु० के स्तर पर सीधी भर्ती की जा सकती है, जो पदों के पता लगाने की बात पर निर्भर होगी।

(13) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत उपलब्ध सेवा में वृद्धि किए गए वर्षों के लाभ केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होंगे।

(14) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के संवर्ग व्यवस्था से संबंधित कार्य के किसी भाग को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को स्थानांतरित करने की व्यवहार्यता और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सदस्य को

और अधिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के मामले की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा की जाएगी।

(15) रेल मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय और अन्य संगठन पृथक रूप से संवर्ग की पुनर्संरचना के प्रस्तावों और सरकार द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा संवर्ग पर लिए गए निर्णयों की बात को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए कार्रवाई करेंगे।

(16) डाक्टरों की सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के मुद्दे को उसकी विवक्षा और प्रतिक्रियाओं के बारे में और अधिक विस्तृत जांच के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्थगित रखा गया है।

(17) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अखिल भारतीय सेवा प्रभाग) यथा समय राज्य सरकारों से परामर्श लेते हुए एक अखिल भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा बनाने के प्रश्न का जांच करेगा।

2. सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अन्य सिफारिशों को स्वीकार करना संभव नहीं पाया है।

3.3. उपर्युक्त निर्णयों के फलस्वरूप केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम 1982 में संशोधन जहां कहीं भी आवश्यक होंगे, यथासमय जारी किए जाएंगे।

हस्ताक्षर/-

(एस० हरिहरण)

उपसचिव, भारत सरकार

(दूरभाष सं० 3014495)

मध्य प्रदेश में महाविद्यालयों को मान्यता देना

3085. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के कई महाविद्यालयों द्वारा मान्यता प्रदान करने के लिए दिए गए अनेक आवेदन पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, विश्व० अनु० आ० अधिनियम, 1959 की धारा 2(च) के अन्तर्गत संस्थानों को मान्यता देने के लिए विनियम अधिसूचित किए हैं। विनियमों में मान्यता देने के लिए कुछ शर्तें निर्दिष्ट हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में 84 कालेजों

को मान्यता देने से सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावों को शीघ्र निबटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां भी आवश्यक है कालेजों से अतिरिक्त सूचना/दस्तावेज मंगा लिए गए हैं।

चिल्का झील से गाद निकालना

3086. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से चिल्का झील से गाद निकालने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव मिला है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार ने चिल्का झील के विकास और संरक्षण के लिए जिसमें मगरमुख चैनल से गाद निकालना भी शामिल है, 50 करोड़ रुपये के परिव्यय की परियोजना का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव को सहायता के लिए कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के समक्ष रखा गया है।

तिरुचूर-गुरुवायूर-कुट्टीपुरम रेल लाइन

3087. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में तिरुचूर-गुरुवायूर रेल लाइन को कुट्टीपुरम तिरुचूर तक बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) त्रिचूर-गुरुवायूर-कुट्टिप्पुरम के लिए किए गए सर्वेक्षण के आधार पर त्रिचूर-गुरुवायूर लाइन का निर्माण कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है जबकि गुरुवायूर-कुट्टिप्पुरम लाइन का निर्माण कार्य संसाधनों की तंगी के कारण शुरू नहीं किया जा सका। जहां तक त्रिचूर-गुरुवायूर लाइन को तिरूर तक बढ़ाने का सम्बन्ध है, यह मंगलोर-शोरूवण्णूर खण्ड के दोहरीकरण के लिए किए जा रहे सर्वेक्षण का भाग है। आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

आपरेशन ईंधन

3088. **श्री शशि प्रकाश** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनों की कटाई रोकने के लिए मणिपुर में पूर्वी कमान के अन्तर्गत सेना द्वारा आपरेशन ईंधन चलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी तरह की योजनाएं देश के अन्य भागों में भी उस इलाके की सेना कमान की मदद से चलाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) "आपरेशन ईड्न" को वनीकरण के उद्देश्य से अगस्त, 1989 में शुरू किया गया था। "आपरेशन ईड्न" के प्रायोगिक परियोजना क्षेत्र के रूप में दीमापुर (नागालैंड) में रंगा पहाड़ को चुना गया था जहां अब तक 1.5 लाख वृक्ष लगाए गए हैं। इस वर्ष के अन्त तक 25,000 और वृक्ष लगाने का इरादा है। रंगा पहाड़ में प्रायोगिक परियोजना चलाने के अलावा, "आपरेशन ईड्न" के एक भाग के रूप में कतिपय सैनिक टुकुड़ियों के मुख्यालय के आवाह क्षेत्रों में व्यापक वनरोपण किया जा रहा है।

(ग) और (घ) हालांकि "आपरेशन ईड्न" को देश के अन्य भागों में शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी, सेना अपने अधिकार क्षेत्र वाली भूमि पर वन लगाने पर निरन्तर जोर दे रही है।

समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षण सुविधायें

3089. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई विशेष योजना शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) अनु० जा०/अनु० ज० जा० के शैक्षिक विकास हेतु निम्नलिखित योजनाओं का सुझाव, आठवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है :

(1) अति निम्न साक्षरता स्तरों की अनु० जातियों की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम।

(2) जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता के लिए निम्न साक्षरता पाकेटों में शैक्षिक परिसर (कम्पलैक्स)।

(3) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।

दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या

3090. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की कुल जनसंख्या कितनी है और दिल्ली के अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या अस्पतालवार कितनी है;

(ख) क्या दिल्ली के लोगों की आवश्यकता के लिए यह संख्या पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या दिल्ली की जनसंख्या और स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों की संख्या में संतुलन बनाए रखने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ङ) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की कुल आबादी 93,70,475 है। अस्पताल-वार पलंग क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है।

यद्यपि दिल्ली में पलंग क्षमता बेहतर है, तथापि यहां के अस्पतालों में आने वाले लोग न केवल इस शहर के होते हैं बल्कि पड़ोसी राज्यों के भी होते हैं। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत 500 पलंगों वाला एक तथा 100 पलंगों वाले छह अस्पताल खोलने की कारंवाई विभिन्न चरणों में है।

विवरण

क्रम सं०	अस्पताल का नाम और पता	पलंगों की संख्या
1	2	3
	I. दिल्ली नगर निगम	
1.	हिन्दू राव अस्पताल, हिन्दू राव मार्ग, सब्जी मण्डी, दिल्ली	880
2.	संक्रामक रोग अस्पताल, किंगसवे कैम्प, दिल्ली	267
3.	श्रीमती गिरधारी लाल प्रसूति अस्पताल, अजमेरी गेट, दिल्ली	115
4.	राजन बाबू टी० बी० अस्पताल, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली	1155
5.	स्वामी दयानन्द अस्पताल, शाहदरा, दिल्ली	230
6.	कस्तूरबा गांधी, जामा मस्जिद, दिल्ली	450
7.	बालक राम अस्पताल, तिमारपुर, दिल्ली	30
8.	सिविल अस्पताल, शाहदरा, दिल्ली	14
9.	हड्सन लाइन प्रसूति अस्पताल, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली-35	35
10.	कालका जी अस्पताल, कालका जी, नई दिल्ली	31
11.	लाजपत नगर अस्पताल, लाजपत नगर, नई दिल्ली	47
12.	मालवीय नगर अस्पताल, मालवीय नगर, नई दिल्ली	31
13.	मोती नगर अस्पताल, मोती नगर, नई दिल्ली	31
14.	पटेल नगर अस्पताल, पटेल नगर, नई दिल्ली	25
15.	तिलक नगर अस्पताल, तिलक नगर, नई दिल्ली	147

1	2	3
16.	क्षय रोग क्लिनिक एवं अस्पताल, तिलोकरी, नेहरू नगर, नई दिल्ली	56
17.	क्षय रोग क्लिनिक नरेला, दिल्ली (ग्रामीण)	25
	II. नई दिल्ली नगरपालिका	
18.	नई दिल्ली नगर पालिका अस्पताल, मोती बाग, नई दिल्ली	152
19.	पालिका प्रसूति एवं स्त्री रोग अस्पताल, लोदी रोड, नई दिल्ली	40
	III. दिल्ली छावनी बोर्ड	
20.	छावनी बोर्ड जनरल अस्पताल, दिल्ली कैंट, दिल्ली	30
	IV. दिल्ली प्रशासन	
21.	दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, हरिनगर, दिल्ली	500
22.	गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल, नई दिल्ली	380
23.	मानसिक रोग अस्पताल, शाहदरा, दिल्ली	578
24.	लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली	1480
25.	जेल अस्पताल, केन्द्रीय जेल तिहाड़, नई दिल्ली	84
26.	डा० एन० सी० जोशी मेमोरियल अस्पताल, करोल बाग, नई दिल्ली	30
27.	सिविल अस्पताल, राजपुर रोड, दिल्ली	48
28.	गुरू तेग बहादुर अस्पताल, शाहदरा, दिल्ली	748
29.	गुरु नानक नेत्र अस्पताल, महाराजा रणजीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली	160
30.	पूसा हाउस अस्पताल, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली	66
31.	कस्तूरबा निकेतन होम, लाजपत नगर, नई दिल्ली	20
32.	संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, मंगोलपुरी, दिल्ली	100
33.	राव तुला राव मेमोरियल अस्पताल, जफ्फरपुर, दिल्ली	—
34.	लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, खिचड़ीपुर, दिल्ली	—
	V. केन्द्रीय सरकार	
35.	के० स० स्वा० योजना, नई पुलिस लाइन्स, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली	16
36.	के० स० स्वा० योजना, पुराना पुलिस लाइन्स, राजपुर रोड, दिल्ली	50

1	2	3
37.	के० स० स्वा० योजना, प्रसूति और स्त्री रोग अस्पताल, आर० के० पुरम नई दिल्ली	4
38.	के० स० स्वा० योजना, प्रसूति और स्त्री रोग अस्पताल, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली	82
39.	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	1595
40.	सुचेता कृपलानी अस्पताल, पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली	775
41.	डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	969
42.	कलावती सरन बाल चिकित्सालय, पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली	284
43.	बेस अस्पताल, दिल्ली छावनी, दिल्ली	873
	VI. रेलवे	
44.	उत्तर रेलवे केन्द्रीय अस्पताल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली	416
45.	उत्तर रेलवे सम्भागी अस्पताल, नई दिल्ली	25
	VII. सांविधिक निकाय	
46.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, बसई दारापुर, नई दिल्ली	400
47.	डा० राजेन्द्र प्रसाद सेंटर फार आफथल्मिक साइंसेज, अंसारी नगर नई दिल्ली	300
48.	वल्लभ भाई पटेल वक्ष रोग संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	60
49.	आई० आई० टी० अस्पताल, हौजखास, नई दिल्ली	14
50.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली	871
51.	ई० एस० आई० इन्दिरा गांधी अस्पताल, झिलमिल, शाहदरा, नई दिल्ली	200
52.	लेप्रोसी क्लिनिक, ताहीपुर, नई दिल्ली	150
	योग :	14940

1	2	3
	VIII. स्वैच्छिक संगठन	
1.	आल इण्डिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी (माडल आई एण्ड मेटर्निटी) अस्पताल एफ-ब्लाक, लाजपत नगर, नई दिल्ली	40
2	डा० बी० एल० कपूर मेमोरियल हास्पिटल, पूसा रोड, नई दिल्ली	130
3.	डा० शरॉफ चेरटी आई हास्पिटल, दरियागंज, दिल्ली	94
4.	होली फेमली हास्पिटल, पो० आ० जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली	311
5.	लाला रामस्वरूप टी० बी० हास्पिटल, महरौली रोड, नई दिल्ली	450
6.	नई दिल्ली, टी० बी० सेंटर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली	15
7.	आर० बी० सेठ जेसा राम हास्पिटल, करोल बाग, नई दिल्ली	84
8.	जैन ट्रस्ट चेरिटेबल (आई) हास्पिटल, सामुदायिक केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र, लारेंस रोड, दिल्ली	21
9.	संत परमानन्द ब्लाइंड रिलीफ मिशन, 18-अलीपुर रोड, दिल्ली	86
10.	सर गंगा राम हास्पिटल, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली	506
11.	संत परमानन्द ब्लाइंड रिलीफ मिशन, 18/53, रामजस स्कूल रोड, करोल बाग, नई दिल्ली	10
12.	सुन्दर लाल जैन चेरिटेबल हास्पिटल, अशोक बिहार, फेस-III, दिल्ली	133
13.	श्री मुलतान शिक्षा समिति आई हास्पिटल, फराश खाना, दिल्ली	48
14.	सुन्दर लाल जैन आई हास्पिटल, डिप्टी गंज, सदर बाजार, दिल्ली	13
15.	सेंट स्टीफन हास्पिटल, तीस हजारी, दिल्ली	585
16.	तीरथ राम हास्पिटल, बैटरी लेन, वजीरपुर रोड, दिल्ली	180
17.	माता चन्ना देवी आर्य चेरिटेबल आई हास्पिटल, जनकपुरी नई दिल्ली	60
18.	बतरा हास्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च सेंटर, I-तुगलकाबाद औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली	234
19.	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी मेटर्निटी फेमली वेलफेयर एण्ड चाईल्ड केयर हास्पिटल, सीमापुरी, दिल्ली	55
20.	लेपरोसी मिशन हास्पिटल, नन्द नगरी (शाहदरा), दिल्ली	35
21.	एस्कार्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एवं अनुसंधान केन्द्र, ओखला, नई दिल्ली	153

1	2	3
22.	मूलचन्द अस्पताल, नई दिल्ली	317
23.	माजलिन अस्पताल	150
24.	डा० बी० आर० सूर अस्पताल	50
25.	गूजर मल प्रसूति अस्पताल	52
26.	वसन्त राम अस्पताल	30
27.	महाराज अग्रसेन अस्पताल, पंजाबी बाग, नई दिल्ली	70
	कुल योग :	3932

VIII. दिल्ली नर्सिंग होम्स पजीयन अधिनियम 1953 के अन्तर्गत इस निदेशालय में पंजीकृत प्राइवेट नर्सिंग होम्स एव प्राइवेट अस्पतालों की सूची

1.	डा० सेठी पंचशील प्रसूति एव नर्सिंग होम, 24/56, शक्तिनगर दिल्ली	6
2.	केपिटल नर्सिंग होम, सी-3/7-ए, राणा प्रताप बाग, दिल्ली	10
3.	अरोड़ा नर्सिंग होम, जे-75, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली	6
4.	दिल्ली नर्सिंग होम, 1-ए, अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली	25
5.	सोंधी नर्सिंग होम, 82-ए, कमला नगर, दिल्ली	9
6.	पूरी प्रसूति एवं नर्सिंग होम, 2/21, रूप नगर, दिल्ली	4
7.	टेम्पल नर्सिंग होम, 1, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली	19
8.	डा० मेहरा प्रसूति एवं नर्सिंग होम, 57, डब्ल्यू ए, पंजाबी बाग नई दिल्ली	7
9.	जेहान नर्सिंग होम, प्लाजा सिनेमा के सामने, कनाट प्लेस	2
10.	च्होरा नर्सिंग होम, ए-6, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली	19
11.	धर्म संस्थान, एन ब्लाक, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली	32
12.	डा० सेठी नर्सिंग होम, 74-एफ, कमला नगर, दिल्ली	6
13.	राणा नर्सिंग होम, जे-1/6, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली	12
14.	जीवन नर्सिंग होम, 2-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली	15
15.	तलवार नर्सिंग होम, 11/5-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली	16

1	2	3
16.	डा० मलिक प्रसूति एवं नर्सिंग होम, एफ-4/2, माडल टाऊन, दिल्ली	3
17.	दिल्ली क्लीनिक एवं सर्जिकल नर्सिंग होम, 119-ई, कमला नगर	8
18.	डा० श्रीवास्तव प्रसूति एवं नर्सिंग होम, 5/3-बी, रूप नगर, दिल्ली	5
19.	डा० शर्मा नर्सिंग होम, ए-19/ए, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली	20
20.	श्याम लाल नेत्र अस्पताल, मल्का गंज, दिल्ली	10
21.	जीवन अस्पताल एवं नर्सिंग होम, 67/1, रोहतक रोड, नई दिल्ली	32
22.	देशराज नर्सिंग होम, 77 दरिया गंज, नई दिल्ली	8
23.	सिटी क्लीनिक, 17/ए/1, आसफ अली रोड, नई दिल्ली	35
24.	डा० सेन नर्सिंग होम, 4, दारा पुलिया रोड, निजामुद्दीन, ईस्ट	10
25.	डा० कारवा नर्सिंग होम, बी०-40, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली	10
26.	संघी नर्सिंग होम, सी-26, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली	4
27.	डा० बूटानी नर्सिंग होम, 4/1/77 सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली	9
28.	सहगल नर्सिंग होम, बी-21, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली	32
29.	जीवन अस्पताल एवं नर्सिंग होम, जीवन नगर, नई दिल्ली	115
30.	डा० लाल प्रसूति एव नर्सिंग होम, 727/2-ए गांधी नगर, दिल्ली	9
31.	ध्रव्‌ क्लीनिक, 45ए/11, लाजपत नगर, नई दिल्ली	5
32.	अग्रवाल नर्सिंग होम, ए/22, विशाल एन्केल्व राजोरी गार्डन, नई दिल्ली	9
33.	डा० गुप्ता नर्सिंग होम, चांद तारा बिल्डिंग, जी० टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली	18
34.	कमला नर्सिंग होम, 13/1, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली	5
35.	ग्रोवर नर्सिंग होम, ई० आर० 42, इन्द्र पुरी, नई दिल्ली	10
36.	काम्प्रीहेंसिव माडल परिवार नियोजन सेक्टर-4, आर० के० पुरम, नई दिल्ली	25
37.	साऊथ दिल्ली पोलिक क्लीनिक एवं नर्सिंग होम, सी-14, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया	8
38.	रोशन लाल बजाज मेमोरियल अस्पताल, 1/3, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली	4

1	2	3
39.	डी० आर० प्रसूति गृह एवं नर्सिंग होम, सी-8/3, अशोक-विहार-II दिल्ली	10
40.	ईस्ट-वेस्ट मेडिकल सेन्टर, 38, गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली	20
41.	डा० आर० एल० नर्सिंग होम, एल-1, नवीन शाहदरा, दिल्ली	9
42.	साई नर्सिंग होम, ए०-3/8, जनकपुरी, नई दिल्ली	12
43.	डा० लेखा नर्सिंग होम, ई-8, हौज खास, नई दिल्ली	7
44.	अशोक विहार नर्सिंग होम, अशोक विहार, दिल्ली	5
45.	प्राइवेट क्लीनिक, एस-490/ए, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली	6
46.	महावीर नर्सिंग होम, 49/बी/41, पंजाबी, बाग, नई दिल्ली	10
47.	गायत्री नर्सिंग होम, सी-1/ए माडल टाऊन, दिल्ली	6
48.	डा० गुप्ता सामुदायिक प्रसूति एवं नर्सिंग होम, 23, सामुदायिक केन्द्र, अशोक विहार, दिल्ली	4
49.	मोहन नेत्र अस्पताल, 11/डी, सरगंगा राम अस्पताल मार्ग, नई दिल्ली	20
50.	गोरी नर्सिंग होम, 38-डी, कमला नगर, दिल्ली	7
51.	साऊथ एण्ड नर्सिंग होम, 205, लक्ष्मी भवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	5
52.	कटारिया नर्सिंग होम, 71, फ्रैन्ड्स कालोनी, ईस्ट, नई दिल्ली	5
53.	जानकी दास कपूर मेमोरियल अस्पताल, नारायणा रोड, रणजीत नगर, खानपुर, नई दिल्ली	32
54.	वीर नर्सिंग होम, 19, सामुदायिक केन्द्र, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली	5
55.	कैलाश नर्सिंग होम, 49, साऊथ पटेल नगर, नई दिल्ली	15
56.	हेम राज जैन अस्पताल, एम० एम० आई० ब्लाक, सी-1, जनक पुरी नई दिल्ली	12
57.	गुप्ता नर्सिंग होम, 25 राज ब्लाक, नवीन शाहदरा, दिल्ली	100
58.	रुकमणी अस्पताल, ए-44, विशाल एन्क्लेव, नई दिल्ली	10
59.	अशोक नर्सिंग होम, एफ-3/15, कृष्णा नगर दिल्ली	30
60.	डा० क्लीनिक, 703, सूर्य किरण बिल्डिंग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली	1

1	2	3
61.	जीवोदय अस्पताल, अशोक विहार, दिल्ली	35
62.	नजर कुंवर सुराना मेमोरियल अस्पताल, 219/2 गुलाबी बाग, दिल्ली	20
63.	डा० बेड़ा अस्पताल, पांडव नगर, शादी पुर, नई दिल्ली	40
64.	नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, 49, सामुदायिक केन्द्र, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली	44
65.	अग्रवाल चेरीटेबल अस्पताल, 24/9, शक्ति नगर, दिल्ली	20
66.	सुखदा नर्सिंग होम, स्थानीय शापिंग केन्द्र, आर-ब्लाक, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली	25
67.	सचदेव नर्सिंग होम एवं कान-नाक-गला अस्पताल, 2/8, तिलक नगर, नई दिल्ली	10
68.	सुमित क्लीनिक, पालम मार्ग, बसन्त विहार, नई दिल्ली	18
69.	सुखान मोहिन्दर सिंह मेमोरियल नर्सिंग होम, फ्रेन्डस कालोनी, नई दिल्ली	20
70.	एम० एम० आर० आई० इन्स्ट्रीटयूटी आफ आफथोलोजी, बी-15, स्वा० विहार, विकास मार्ग, नई दिल्ली	10
71.	बन्सल नर्सिंग होम, 3590-91, बाजार सीताराम, दिल्ली	8
72.	मान अस्पताल, 1-37; रूपनगर, जी० टी० रोड, दिल्ली	30
73.	श्यामलाल नर्सिंग होम और अनुसंधान केन्द्र, 19/अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली	36
74.	निर्मल नर्सिंग होम, एफ-14/2, माडल टाउन, दिल्ली	4
75.	फ्रेब्रुस मेडिकल सेन्टर, 62, रिंग रोड, लाजपत नगर-III, नई दिल्ली	10
76.	नार्थ एण्ड मेडिकल सेन्टर, लूसा टावर, ए/2/3, आजादपुर काम्पलैक्स (नयन वाला बाग), दिल्ली	25
77.	सरोज नर्सिंग होम, 4/19, रूप नगर, दिल्ली	7
78.	नार्थ दिल्ली नर्सिंग होम, 3-कम्यूनिटी सेन्टर-2, चरण 2, अशोक विहार, दिल्ली	14
79.	रहेजा नर्सिंग होम 10223, गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली	10
80.	अशलोक नर्सिंग होम, 25-ए, कम्यूनिटी सेंटर, सफदरजंग इन्क्लेव, नई दिल्ली	20

1	2	3
81.	फ्रैंड्स मेडिकल सेन्टर (कालिंदी शाखा) एफ-1, कालिन्दी, रिंग रोड, न० दि०	30
82.	माडल आई० हास्पिटल, 2-एफ लाजपत नगर, नई दिल्ली	40
83.	श्री मारवाड़ी औषधालय किनारी बाजार, दिल्ली	25
84.	रामचन्द्र मेमोरियल होम, मकान नं० 38, रोड नं० 61, पंजाबी बाग, नई दिल्ली	8
85.	अंजू प्रसूति और नर्सिंग होम, 18 कम्युनिटी सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली	5
86.	दि दिल्ली क्लीनिक, 7-रिंग रोड, लाजपत नगर, नई दिल्ली	12
87.	चौधरी ऐशीराम बतरा चेरीटेबल ट्रस्ट का चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र और अस्पताल, ए-1, तुगलक रोड, इंस्टिट्यूट एरिया, एम० डी० रोड, नई दिल्ली	216
88.	वालिया नर्सिंग और प्रसूति गृह, जी-60, लक्ष्मीनगर, शकरपुर, दिल्ली	35
89.	रूप नगर अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, 4/40 रूप नगर, दिल्ली	12
90.	संजीवन चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, 4869/24, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली	20
91.	होली चाइल्ड नर्सिंग होम पूर्वी कृष्ण नगर, दिल्ली	18
92.	विरानली इंटरनेशनल हास्पिटल, चन्द्र गुप्त रोड, चाणक्यपुरी	20
93.	शाही अस्पताल, जंगपुरा, नई दिल्ली	20
94.	संजीवनी नर्सिंग होम, डी-19 कमलानगर, दिल्ली	12
95.	दीपक मेमोरियल अस्पताल और चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, 5-इंस्टिट्यूशनल एरिया, विकास मार्ग एक्सटेंशन, दिल्ली	50
96.	श्री सुमेरमल नेत्र अस्पताल, 695 ए, नजफगढ़, नई दिल्ली	10
97.	वेणु नेत्र संस्थान, सी-40, साऊथ एक्सटेन्शन, खंड-2, नई दिल्ली	24
98.	मोहिन्दर अस्पताल, सी-5, ग्रीनपार्क एक्टेंशन, नई दिल्ली	35
99.	होलीएंजिल्स हास्पिटल, प्लाट बी कम्युनिटी सेन्टर, बसंत लोक, न० दि०	30
100.	जीवन चेरिटेबल हास्पिटल, जीवन नगर, नई दिल्ली	221
101.	सीमाराम जीवारिका अस्पताल, गौतमनगर, नीति बाग के सामने, नई दिल्ली	14

1	2	3
102.	इंदिरा दीप नर्सिंग होम, 31 वजीरपुर इंडस्ट्रियल कम्यूनिटी सेन्टर	25
103.	डेलही मीड टाऊन रोटरी आई क्लीनिक-कम-हास्पिटल, त्रिलोकपुरी	15
104.	जयपुर गोल्डेन हास्पिटल, 2-इंस्टिच्यूशनल एरिया, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली	98
105	चोपड़ा हास्पिटल एण्ड एन० एन०, डी० डी० ए० कम्युनिटी सेन्टर गुलकोहर इन्क्लेव, युसुफसराय, दिल्ली	4
106.	श्रवण नर्सिंग होम, पहली मंजिल, एच० ब्लाक, अशोक विहार बाजार	4

कोजीकोड-शोरूवण्णूर एक्सप्रेस को पालक्कोड्ड तक बढ़ाना

3091. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 516 कोजीकोड-शोरूवण्णूर सवारी गाड़ी को पालक्कोड्ड तक बढ़ाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) श्री वी० एस० विजयराघवन, संसद सदस्य और सचिव, पालक्काड-कोजीकोड रेल यात्री एसोसिएशन, पालघाट से इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) इसकी जांच की गई थी लेकिन परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया।

राजधानी एक्सप्रेस की लाभप्रदता

3092. **श्री वीर सिंह महतो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी एक्सप्रेस के विभिन्न युगल गाड़ियों की लाभप्रदता एवं आर्थिक व्यवहार्यता के सम्बन्ध में कोई अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) बम्बई और हावड़ा की राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए किए गए विशेष अध्ययन से पता चला था कि ये गाड़ियां अर्थक्षम थीं।

पटना-टाटा एक्सप्रेस को बरास्ता आद्रा चलाना

3093. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आम जनता की ओर से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि पटना-टाटा एक्सप्रेस को जनता की मांग पर बरास्ता आद्रा चलाया जाये;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कारंवाई की गयी है; और

(ग) लम्बे समय से चली आ रही इस मांग को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इसकी जांच की है लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

मुख्य अभियन्ताओं का सम्मेलन

[हिन्दी]

3094. श्री एन० जे० राठवा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1992 में उनके मंत्रालय द्वारा विभिन्न रेल डिवीजनों की रेल फैक्टरियों और अनुसंधान तथा मानक संगठनों के मुख्य अभियन्ताओं का कोई सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों तथा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल मंत्रालय द्वारा मई, 1992 में भारतीय रेलों की उत्पादन इकाइयों और अनुसंधान एवं मानक संगठनों के मुख्य इन्जीनियरों का कोई सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इटारसी-नागपुर रेलमार्ग को दोहरा करना

3095. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटारसी और नागपुर के बीच दोहरी लाइन बिछाने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की लागत कितनी है और यह कब तक पूरी हो जाएगी ?

रेल मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां । इटारसी-नागपुर के निम्नलिखित इकहरी लाइन वाले खंडों के दोहरीकरण का कार्य अनुमोदित कर दिया गया है जिस पर 101.72 करोड़ रुपयों की लागत आएगी :—

कीरतगढ़-काला आखर	22.25 कि० मी०
नरखेड़—मैटपांजरा	34.34 कि० मी०
कलमेश्वर—मैटपांजरा	27.60 कि० मी०

समूचा दोहरीकरण कार्य 1994-95 के दौरान पूरा हो जाने की सम्भावना है बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों ।

केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ

[अनुवाद]

3096. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षिक वर्ष 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के अन्तर्गत केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ में पाठ्यक्रम-वार कुल कितने छात्र थे और उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कितने छात्र थे;

(ख) विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गयी है;

(ग) संस्थान को इसकी स्थापना से अब तक कुल-कितना सहायता अनुदान दिया गया है, 1991-92 के लिए कितना वास्तविक अनुदान दिया गया और 1992-93 के लिए कितना अनुदान देने का विचार है;

(घ) शैक्षिक वर्ष 1991-92 के दौरान संस्थान में कुल कितने अध्यापक थे और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने अध्यापक थे; और

(ङ) संस्थान ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक कुल कितनी स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्रियां और डायक्टरेट की उपाधियां प्रदान की हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विवरण-1 संलग्न है।

(ख) विवरण-2 संलग्न है।

(ग) अब तक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को 3267.91 लाख रुपये का कुल अनुदान संस्वीकृत किया गया था। 1991-92 के दौरान संस्थान को 405.79 लाख रुपये का वास्तविक अनुदान संस्वीकृत किया गया था। 1992-93 के लिए 466.00 लाख रुपये का अनुदान का प्रस्ताव रखा गया है।

(घ) 1992-93 के दौरान संस्थान में कुल अध्यापकों की संख्या 121 थी जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 3 अध्यापक थे।

(ङ) विवरण 3 संलग्न है।

विवरण-1

			1991-92 के दौरान (पाठ्यक्रमवार) छात्रों की संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
1.	प्रथमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम)		96	—
2.	पूर्व मध्यमा I वर्षीय	335	544	
	—वही II वर्षीय	209		
3.	उत्तर मध्यमा I वर्षीय	96	184	—
	—वही II वर्षीय	88		

4.	प्राक शास्त्री I वर्षीय —वही II वर्षीय	546 381	927	—
5.	शास्त्री I वर्षीय —वही II वर्षीय —वही III वर्षीय	642 450 360	1452	3
6.	ब्रिज पाठ्यक्रम	174	174	2
7.	आचार्य I वर्षीय —वही II वर्षीय	312 357	669	3
8.	शिक्षा शास्त्री		450	18
9.	शिक्षा आचार्य			—
10.	अनुसंधान छात्र		204	—
		जोड़ :	4700	26

विवरण-2

विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों के दाखिले के लिए मानदण्ड

1. न्यूनतम आयु तथा अर्हताएं

पाठ्यक्रम	आयु	अर्हताएं
1	2	3
प्रथमा	10	कक्षा V
पूर्व मध्यमा	13	संस्कृत सहित कक्षा VIII, प्रथमा अथवा किसी संस्थान द्वारा मान्यता-प्राप्त समक्ष परीक्षा ।
उत्तर मध्यमा	15	पूर्व मध्यमा, संस्कृत सहित मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा ।
प्राक-शास्त्री	15	कक्षा X (बोर्ड परीक्षा) संस्कृत में प्रवेश परीक्षा पास करने के आधार पर ।
शास्त्री	17	+2 संस्कृत सहित उत्तर मध्यमा, पाक शास्त्री अथवा समकक्ष ।

1	2	3
आचार्य	20	संस्कृत सहित बी० ए०, शास्त्री, अथवा समकक्ष ।
विद्या वारिधि	20	आचार्य अथवा समकक्ष ।
शिक्षा-शास्त्री	20	शास्त्री अथवा आचार्य अथवा संस्कृत में समकक्ष परीक्षा ।
शिक्षा-आचार्य	21	शिक्षा शास्त्री ।

पूरी तरह से भरे हुए आवेदन पत्र केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों तथा सम्बद्ध संस्थानों के प्रिंसिपलों के पास 31 जुलाई, तक तथा विलम्ब शुल्क सहित 15 अगस्त से पहले पहुंच जाने चाहिएं । आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां भेजी जानी चाहिए :—

(क) अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण-पत्र (नियमित न होने पर अस्थाई)

(ख) मार्क-शीट

(ग) चरित्र प्रमाण-पत्र

(घ) जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र

अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में निर्धारित प्रपत्र पर एक हलफनामा प्रस्तुत किया जाए ।

किसी दूसरे विश्वविद्यालय से स्थानान्तरित होकर आने वाले शिक्षा-शास्त्री, आचार्य अथवा विद्यावारिधि पाठ्यक्रम के छात्र को दाखिले से पहले एक स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । इनके प्रस्तुत करने के लिए प्रिंसिपल द्वारा प्रत्येक मामले में वरीयता से विचार किया जाएगा, परन्तु छात्र को इनके प्रस्तुत किए बिना परीक्षा पर बैठने नहीं दिया जाएगा तथा उसका नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा ।

छात्र को दाखिले के समय अपेक्षित फीस देनी होगी ।

दाखिला पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में होगा । प्रिंसिपल इस सम्बन्ध में सन्तुष्टि करेगा कि छात्र किसी विशेष पाठ्यक्रम में अध्ययन करने के लिए संस्कृत में अपेक्षित जानकारी रखता है ।

प्रिंसिपल स्थानीय परिस्थितियों तथा अन्य आकस्मिकताओं के आधार पर मुख्यालय को सूचित करते हुए किसी विशेष नियम में छूट दे सकता है ।

विवरण-3

वर्ष-वार प्रदत्त डिग्रियों की संख्या

क्रम सं०	वर्ष	शास्त्री	आचार्य	पी०एच०डी० (विद्या० वाच०)
1.	1973	8	—	—
2.	1974	40	41	—
3.	1975	165	61	1
4.	1976	204	38	2
5.	1977	114	42	3
6.	1978	117	107	8
7.	1979	121	85	9
8.	1980	141	82	17
9.	1981	233	112	7
10.	1982	381	171	31
11.	1983	276	166	13
12.	1984	348	178	19
13.	1985	136	318	12
14.	1986	220	275	46
15.	1987	191	178	31
16.	1988	226	247	41
17.	1989	263	334	47
18.	1990	282	256	42
19.	1991	75	152	22
20.	1992	—	—	18
	जोड़ :	3541	2843	359

भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के लिए सहायता

[हिन्दी]

3097. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने डा० भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार से पचास प्रतिशत वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। लखनऊ में डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश विधान मंडल ने अक्तूबर, 1989 में एक अधिनियम पारित किया था। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनानुसार राज्य ने विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 244 एकड़ भूमि प्राप्त की थी तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता देने पर तभी विचार करेगा जब विश्वविद्यालय न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं का निर्माण कर ले एवं अध्यापन व प्रस्तावित न्यूनतम संख्या में गैर-अध्यापन स्टाफ नियुक्त कर ले और वि० अ० आयोग अधिनियम के प्रावधानों व विनियमों के अनुसार अन्य आवश्यक शर्तें पूरी कर ले।

महिलाओं पर अत्याचार

[अनुवाद]

3098. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं पर अत्याचार होने के राज्य-वार कितने मामले सौंपे गए थे; और

(ख) आयोग ने इस पर क्या कार्रवाई की ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) महिलाओं के प्रति अत्याचारों के सम्बन्ध में 1992 के दौरान आयोग में प्राप्त मामलों/शिकायतों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है :—

(1)	दिल्ली	:	13
(2)	गुजरात	:	2
(3)	महाराष्ट्र	:	5
(4)	उड़ीसा	:	7
(5)	राजस्थान	:	1

(6)	तमिलनाडु	:	1
(7)	त्रिपुरा	:	1
(8)	पश्चिम बंगाल	:	2
(9)	उत्तर प्रदेश	:	2
(10)	गोआ	:	1

(ख) आयोग ने, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 (1)(ङ) और (च) में किए गए प्रावधानों के अनुसार उन मामलों पर कार्यवाही की है।

एशियाई अध्ययन संस्थान

[हिन्दी]

3099. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री राजेश कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में एशियाई अध्ययन संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सुलभ शौचालय तकनीक सम्बन्धी कार्यशाला

3100. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

श्री सत्य देव सिंह : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुलभ इन्टरनेशनल द्वारा हाल ही में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में पर्यावरण और जल प्रदूषण को रोकने हेतु सुलभ शौचालय की तकनीक को अपनाने की सिफारिश की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पर्यावरण और जल प्रदूषण को रोकने हेतु इस तकनीक को अपनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) यमुना नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में आयोजित सुलभ शौचालय की व्यवस्था पर दो दिवसीय कार्यशाला में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में प्रत्येक घर में सफाई सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना की सिफारिश की गई।

(ख) और (ग) सुलभ इण्टरनेशनल द्वारा जिस तकनीक की सिफारिश की गई वह है ट्विन पीच

पिट सिस्टम जिसका प्रयोग देश भर में किया जा रहा है और मल वाहकों की मुक्ति की स्कीम के अन्तर्गत शुष्क लैट्रिनों को बदलने के लिए सरकार द्वारा भी इसका समर्थन किया जा रहा है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने वाला उपकरण

[अनुवाद]

3101. डा० आर० मल्लू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के स्टेला मेरिस कालेज के एक भारतीय वैज्ञानिक ने खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने वाला एक सस्ता उपकरण विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने के लिए ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) 21 खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने के लिए स्टेला मेरिस कालेज द्वारा 1990 में एक होम किट विकसित की गई।

(ग) आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की साधारण किट का विकास पहले ही किया जा चुका है तथा उपभोक्ताओं के बीच प्रदर्शन के तौर पर इसका प्रयोग किया गया है।

मध्य प्रदेश में नए रेल मार्ग

3102. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पिछले छः महीनों के दौरान कितने नए रेल मार्ग बनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में 1992-93 के दौरान नये रेल मार्ग बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ग्वालियर-पानीहार (22.80 किलोमीटर)।

(ख) जी, हां।

(ग) सतना-रीवा (50 कि०मी०)

बिरलानगर-शनीचरा (15.56 कि०मी०)

जनजातीय क्षेत्रों में प्रतिभावान खिलाड़ी

3103. श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में प्रतिभावान खिलाड़ियों की तलाश करके उनकी खेल प्रतिभा का विकास करने का कोई प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण की विशेष क्षेत्र खेल (एस० ए०जी०) योजना VIIवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के दूरस्थ, ग्रामीण तथा विशेषरूप से उन दुर्गम स्थानों से प्रतिभाओं की खोज और उनका पोषण करना था जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं। यह योजना उन क्षेत्रों से भी प्रतिभाओं की खोज करती है, जहां की जनसंख्या की आनुवांशिक विशेषताएं आधुनिक खेल विधाओं के अनुकूल हैं। देश के विभिन्न भागों से प्रतिभा की खोज की गई है तथा 11 एस० ए० जी० केन्द्रों में, जिसका पोषण किया जा रहा है। जिन बच्चों का सामान्यतः अल्पायु में ही चयन कर लिया जाता है, उन्हें एस० ए० जी० केन्द्रों में भोजन और प्रशिक्षण के अतिरिक्त आवश्यक शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इस योजना ने 5 वर्षों के छोटे से काल में अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी तैयार किए हैं, जिनमें दो प्रमुख तीरंदाज है श्री लिम्बा राम और श्री श्यामलाल।

खाद्य गुणवत्ता प्रबंध सम्बन्धी राष्ट्रीय बोर्ड

3104. **श्री शरतचन्द्र पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वयन हेतु खाद्य गुणवत्ता प्रबन्ध सम्बन्धी राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी०के०तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

शिशु मृत्यु दर

3105. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहले दस देशों में शिशु मृत्यु दर क्या है; और

(ख) इन देशों की तुलना में भारत में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिशत औसत शिशु मृत्यु दर कितनी रही ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान शिशु मृत्यु दर के आधार पर श्रेणीबद्ध

किए गए पहले दस वर्षों के नाम और साथ ही इन्हीं वर्षों के दौरान भारत में औसत शिशु मृत्यु दर संलग्न विवरण-1, 2, और 3 में दिए गए हैं।

विवरण-1

शिशु मृत्यु दर 1988 के अनुसार श्रेणीबद्ध पहले दस देशों के नाम

स्रोत : द स्टेट आफ वर्ल्ड

चिल्ड्रेन : यूनिसेफ 1990

देश		शिशु मृत्यु दर
भारत		94**
1.	मोजाम्बीक	172
2.	अंगोला	172
3.	अफगानिस्तान	171
4.	माली	168
5.	सिएरालिओन	154
6.	इथियोपिया	153
7.	मालावी	149
8.	गिनी	146
9.	बुर्किनाफासो	137
10.	नाइजर	134

**स्रोत : रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया, एस० आर० एस०।

विवरण-2

शिशु मृत्यु दर 1980 के अनुसार श्रेणीबद्ध पहले दस देशों के नाम

स्रोत : द स्टेट आफ वर्ल्ड

चिल्ड्रेन : यूनिसेफ 1991

देश		शिशु मृत्यु दर
भारत		9.**
1.	मोजाम्बीक	173
1.	अंगोला	173
3.	अफगानिस्तान	169
4.	माली	166

5.	सीएरालिओन	151
6.	मालावी	147
7.	गिनी	142
8.	बुर्किनाफासो	135
9.	इथियोपिया	133
10.	नाइजर	132

**स्रोत : रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया, एस० आर० एस०

विवरण-3

शिशु मृत्यु दर 1990 के अनुसार श्रेणीबद्ध पहले दस देशों के नाम

स्रोत : द स्टेट आफ वर्ल्ड

चिल्ड्रेन : यूनिसेफ-1992

क्रम सं०	देश	शिशु मृत्यु दर
भारत		80*
1.	मोजाम्बीक	173
2.	अंगोला	173
3.	अफगानिस्तान	167
4.	माली	164
5.	सिएरालिओन	149
6.	गिनी-बिसाउ	146
7.	मालावी	144
8.	गिनी	140
9.	लाइबेरिया	134
10.	बुर्किनाफासो	133

*स्रोत : रजिस्ट्रार जनरल आफ इण्डिया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

3106. श्री सुधीर गिरि : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में तथाकथित कुप्रबन्धों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1990-91 और 1991-92 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को कितनी राशि का अनुदान दिया गया ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रबन्ध के बारे में कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं। इन पत्रों के प्राप्त होने पर जांच की जाती है, और शिकायतों के स्वरूप पर निर्भर करते हुए यथावश्यक उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को वर्ष 1990-91 के दौरान 10652.45 लाख रुपए (योजनागत के अन्तर्गत 1618.98 लाख रुपए तथा योजनेत्तर के अन्तर्गत 9033.47 लाख रुपए) और वर्ष 1991-92 के दौरान 1202.20 लाख रुपए (योजनागत के अन्तर्गत 1668.00 लाख रुपए तथा योजनेत्तर के अन्तर्गत 9534.20 लाख रुपए) की राशियां प्रदान की गई थी।

उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन

[हिन्दी]

3107. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में जून माह तक, देश में चीनी के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भाग कितना है; और

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में चीनी के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) देश में 30 जून, 1992 तक 130.76 लाख टन (अनन्तिम) चीनी के उत्पादन में से उत्तर प्रदेश स्थित चीनी फैक्ट्रियों द्वारा 35.59 लाख टन (अनन्तिम) चीनी का उत्पादन किया गया जो कि कुल उत्पादन का 27.22% था।

(ख) उत्तर प्रदेश में 30-6-92 तक चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी तारीख की तुलना में 19.95 प्रतिशत अधिक था।

मानव अंगों के उपयोग के सम्बन्ध में विधेयक

[अनुवाद]

3108. **श्री राम नाईक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री 26 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 716 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव ऊतकों और अंगों का उपयोग तथा चिकित्सकीय उपयोग के लिए उनका दान करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस विधेयक को, जिससे मानव अंगों को गुप्त रूप से होने वाली खरीद फरोख्त बिक्री तथा अवैध गुर्दा प्रत्यरोपण पर रोक लगेगी, पुर:स्थापित करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत विधेयक को प्रस्तुत किए जाने से पहले राज्य विधान मण्डलों द्वारा अपेक्षित संख्या में संकल्प पारित किए जाने हैं जिनको पूरा करने के लिए कार्यवाई की जा रही है।

मुम्बई में पुल

[हिन्दी]

3109. **श्री यशवन्त राव पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में चर्च गेट से बारीवली तक ग्यारह स्थानों पर पुलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यातायात के सही संचालन के लिए इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) महाराष्ट्र राज्य सरकार/बम्बई नगर निगम ने चर्चगेट और बोरीवली के बीच समपारों के बदले में सात ऊपरी सड़क पुलों का प्रस्ताव किया था। इनमें से चार पूरे हो चुके हैं, शेष तीन योजना/निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण की अवधि के दौरान सड़क यातायात का प्रबन्ध राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है।

गुजरात में परिवार नियोजन केन्द्र

3110. **श्री छीतूभाई गामीत :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय प्रत्येक जिले में कितने परिवार नियोजन केन्द्र हैं;

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) वर्ष 1990-91 और 1991-92 में प्रत्येक जिले में कितने व्यक्तियों द्वारा अभी तक परिवार नियोजन आप्रेशन कराए गए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जाली विकलांगता प्रमाण-पत्र

3111. **श्री मृत्युंजय नायक :**

श्री बारे लाल जाटव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्ति चिकित्सा अधिकारियों की मिलीभगत से जाली विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके रेलवे विभाग को राजस्व-हानि पहुंचा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चिकित्सा अधिकारियों की मिलीभगत से रिआयत प्रमाण-पत्रों के दुरुपयोग का कोई मामला रेल मंत्रालय के नोटिस में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पूना-मिरज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

[अनुवाद]

3112. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना-मिरज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसकी अनुमानित लागत कितनी है और जून, 1992 तक इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पुणे-मिरज के बीच पहले ही बड़ी लाइन है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रोलिंग स्टाक उत्पादन इकाइयों के कार्य-निष्पादन

3113. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान रेलवे की प्रत्येक रोलिंग स्टाक इकाई में कितना-कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या यह उत्पादन उसके निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुआ है;

(ग) इस अवधि में कितने रेल डिब्बे, कितने विद्युत चालित इंजन और कितने डीजल इंजन तैयार किए गए हैं; और

(घ) कितने विद्युत चालित इंजनों और कितने डीजल इंजनों की मरम्मत कराई गई है और इनमें से कितने इंजन सामान्य प्रचालन में लगाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) सभी डीजल और बिजली रेल इंजनों की मरम्मत प्रतिवर्ष की जाती है। बहरहाल,

आवधिक ओवरहॉल, जो एक प्रमुख ओवर-हाल/मरम्मत है, और विशेष मरम्मत के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

रेल इंजन	आवधिक ओवरहाल/विशेष मरम्मत
डीजल	583
बिजली	231

मरम्मत के बाद, सभी डीजल और बिजली रेल इंजनों को यातायात के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

विवरण

वर्ष 1991-92 के दौरान चल स्टाक के लक्ष्य और उत्पादन का ब्यौरा

उत्पादन कारखाना	मद	लक्ष्य	उत्पादन
चितरंजन रेल इंजन कारखाना	रेल इंजन		
	बिजली	105	115
	डीजल	44	45
डीजल रेल इंजन कारखाना	रेल इंजन		
	डीजल	150	150
सवारी डिब्बा कारखाना	सवारी डिब्बे (बिजली गाड़ियों सहित)	1000	1016
रेल कोच फैक्टरी	सवारी डिब्बे	750	915
पहिया एवं धुरा संयंत्र	पहिए	66054	69632
	धुरे (बाक्स "एन" इकाइयों में)	35605	43624
डीजल कलपुर्जा कारखाना	(क) नव निर्माण और पुर्जों की मरम्मत	41.66 करोड़ रु०	49.26 करोड़ रु०
	(ख) रेल इंजनों का पुनर्निर्माण	48	53

सभी मदों का उत्पादन लक्ष्यों की तुलना में अधिक रहा है।

चीनी का निर्यात

[हिन्दी]

3114. श्री एम० जे० राठवा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किन-किन देशों को चीनी का निर्यात किया गया;

(ख) यह निर्यात किस दर से किया गया;

(ग) चीनी के इस निर्यात से सरकार ने देशवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की;

(घ) कम दर पर चीनी का निर्यात करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) चीनी के निर्यात के कारण हुए घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान जिन देशों को चीनी का निर्यात किया गया तथा जिस दर पर किया गया और उक्त निर्यात से जो विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई उनका देशवार विवरण उपाबन्ध पर है।

(घ) व (ङ) यू० एस० ए०/ई० ई० सी० को चीनी का वाणिज्यिक निर्यात तथा तारजीही कोटे का निर्यात चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1958 के तहत किया जा रहा है तथा ऐसे निर्यात से होने वाला लाभ/हानि को उक्त अधिनियम के सम्बद्ध उपबंधों के तहत चीनी फैक्ट्रियों द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। चीनी निर्यात से होने वाला लाभ या हानि अन्तर्राष्ट्रीय चीनी बाजार में प्रचलित दर पर निर्भर करता है।

विवरण

क्रम सं०	देश	189[illegible]-90 माश्रा (मी० टन)	विदेशी मुद्रा (करोड़ रु०)	रु० प्रति मी० टन	1990-91 मात्रा (मी० टन)	विदेशी मुद्रा (करोड़ रु०)	रु० प्रति (मी० टन)	1991-92 मात्रा (मी० टन)	विदेशी मुद्रा (करोड़ रु०)	रु० प्रति (मी० टन)
1.	हालैंड	10,000	8.82	8820.00	—	—	—	—	—	—
2.	यू० एस० ए०	7.843	6.16	7854.14	12176	9.74	7999.34	15208	13.00	8548.13
3.	बेल्जियम	—	—	—	20000	23.02	11510.00	10000	12.98	12980.00
4.	श्रीलंका	—	—	—	12500	7.39	5912.00	136650	97.29	7119.65
5.	जार्डन	—	—	—	—	—	—	102800	74.78	7274.32
6.	इण्डोनेशिया	—	—	—	—	—	—	96329	60.53	6283.67
7.	लीबिया	—	—	—	—	—	—	40750	30.00	7361.96
8.	यमन	—	—	—	—	—	—	36800	26.83	7290.76
9.	मिश्र	—	—	—	—	—	—	31500	23.46	7424.05
10.	टर्की	—	—	—	—	—	—	13000	10.00	7692.31
11.	मालदीप	—	—	—	330	0.25	7575.75	—	—	—

नोट : उक्त विवरण में नेपाल को निर्यात की गई लेवी चीनी शामिल नहीं है।

चीनी का आयात

3113. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान चीनी का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ख) क्या कम मूल्यों पर आयातित चीनी उपलब्ध होने के बावजूद खुले बाजार में चीनी के भाव बढ़ गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) पिछले 6 मास के दौरान चीनी का कोई आयात नहीं किया गया है।

(ख) व (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

चर्च गेट और विरार के बीच नई रेलगाड़ियां

[हिन्दी]

3116. श्री यशवंत राव पाटिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चर्च गेट और विरार के बीच और अधिक रेलगाड़ियां चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) महानगरों में उपनगरीय गाड़ियां चलाना एक सतत प्रक्रिया है। 1-7-92 से चर्च गेट-विरार खंड पर डाउन दिशा में 3 और अप दिशा में 4 अतिरिक्त गाड़ियां चलाई गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) से गन्दी बस्तियों के निवासियों को सहायता

[अनुवाद]

3117. श्री के० राममूर्ति टिंडीवनम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में शहरी गंदी बस्तियों के निवासियों की सहायता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से 79 मिलियन डालर का ऋण देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन शहरी गन्दी बस्तियों के निवासियों का ब्यौरा क्या है जहां उक्त धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने आठवीं भारत जनसंख्या परियोजना जिसे चार नगरों अर्थात् कलकत्ता,

दिल्ली, बेंगलूर, तथा हैदराबाद की शहरी गन्दी बस्तियों में क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है, के लिए जून, 1992 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से एस० डी० आर० 57.7 मिलियन (79 मिलियन डालरों के बराबर) की राशि मंजूर की है। इस परियोजना का लक्ष्य इन नगरों की शहरी गंदी बस्तियों में एकीकृत परिवार कल्याण तथा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करना है ताकि प्रजननता दर, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर तथा रूग्णता दर के स्तरों में कमी लाई जा सके।

(ग) इस परियोजना से इन चार नगरों की शहरी गन्दी बस्तियों में रहने वाले 72.93 लाख लोगों को लाभ पहुंचने की आशा है, जो इस प्रकार है :

नगर का नाम		आबादी (लाख में)
कलकत्ता	:	38.00
दिल्ली	:	12.5
बेंगलूर	:	14.85
हैदराबाद	:	7.58
		72.93

भूतपूर्व सोवियत संघ में भारतीय छात्र

3118. श्री धर्मभिक्षम : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सोवियत संघ में अध्ययनरत भारतीय छात्रों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या इन छात्रों ने स्वदेश लौटने के लिए सरकार से सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इन्हें वापस भारत लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) भारत-सोवियत सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत मानक संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 16 भारतीय छात्रों की राज्यवार स्थिति निम्न प्रकार है :—

रूस	—	13
यूक्रेन	—	2
उजबेकिस्तान	—	1

इसके अतिरिक्त, अधिकांशतः औषध, इंजीनियरी आदि में व्यावसायिक पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए काफी संख्या में छात्र सोवियत संघ में या तो स्वयं अथवा गैर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से गए थे। विदेश मंत्रालय/भूतपूर्व सोवियत संघ के विभिन्न गण राज्यों में भारतीय दूतावासों से उपलब्ध सूचना के अनुसार, भूतपूर्व सोवियत संघ के विभिन्न गण राज्यों में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों की गण राज्यवार संख्या निम्न प्रकार हैं :—

(1) आरमीनिया	160
(2) अजैर बायजन	86

(3) बेलारस	124
(4) जोर्जिया	104
(5) कजाखस्तान	21
(6) लतविया	49
(7) मोलदोवा	6
(8) रूस	1961
(9) तजाकिस्तान	107
(10) किरगियस्तान	7
(11) तुर्क मेनिस्तान	—
(12) यूक्रेन	750
(13) उजबेकिस्तान	450

(ख) कुछ गण राज्यों में छात्रों ने अपने अवकाश के अवसर पर प्रत्येक मंगलवार को ताशकंद-दिल्ली उड़ान के लिए आरक्षण प्राप्त करने के लिए ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास से सहायता मांगी है।

(ग) ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास ने सेक्टर ताशकंद-दिल्ली में उजबेक एयर लाइंस साप्ताहिक कार्मशियल उड़ानों में भारतीय छात्रों के वास्ते स्थान बढ़ाने के लिए उजबेकिस्तान के नगर विमानन विभाग के साथ बातचीत की है।

तथापि, सामान्यतया वापस लौटने के इच्छुक छात्रों की वापसी को सुकर बनाने के उद्देश्य से उनके परिवारों को यह अनुमति प्रदान की गई है कि वे एयर इण्डिया उड़ानों द्वारा उनके भारत लौटने के लिए उनको प्रिपेड टिकट एडवाइस भेज सकते हैं।

मुम्बई में उपनगरीय यातायात के लिए तैयार की गई परियोजनाएं

@@3119. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई में उपनगरीय यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपनगरीय रेल यातायात पर आने वाले व्यय को स्थानीय निकायों, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है :

(i) वृहत बम्बई से नई बम्बई तक उपनगरीय रेल सेवाओं के विस्तार के लिए मानखुर्द से बेलापुर तक एक नई बड़ी रेल लाइन।

(ii) पश्चिम रेलवे के बांद्रा-अंधेरी खंड पर उपनगरीय रेल सेवाओं में वृद्धि करने के लिए बांद्रा और अंधेरी के बीच एक अतिरिक्त जोड़ी लाइनें।

(ख) और (ग) मानखुर्द-बेलापुर लाइन की पूंजी लागत महाराष्ट्र राज्य सरकार और रेलों द्वारा क्रमश: 67%, 33% के अनुपात में बांटी जा रही है। बांद्रा और अंधेरी के बीच अतिरिक्त जोड़ी लाइनों की पूंजी लागत पूर्णत: रेलों द्वारा वहन की जा रही है।

(घ) (i) मानखुर्द-बेलापुर रेल लाइन :

वर्ष	रेलों द्वारा आबंटित धनराशि
1989-90	9.20 करोड़ रुपये
1990-91	15.00 करोड़ रुपये
1991-92	19.00 करोड़ रुपए

(ii) बांद्रा और अंधेरी के बीच अतिरिक्त जोड़ी लाइनें :

वर्ष	रेलों द्वारा आबंटित धनराशि
1989-90	0.10 करोड़ रुपए
1990-91	13.40 करोड़ रुपए
1991-92	12.50 करोड़ रुपए

12.06 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कल यह निर्णय लिया गया था कि हमें अयोध्या मामले पर आज दोपहर 12.00 बजे चर्चा करेंगे। परन्तु मुझे इस आशय का एक पत्र मिला है कि सभी नेता तथा सदस्य इस बात पर सहमत हुए हैं कि इस मामले पर 3.30 म० प० पर चर्चा की जानी चाहिए तथा शेष कार्य यथा सूचा तथा अन्य मामलों पर उनकी चर्चा शुरू की जाये, ताकि हमें 3.30 मध्याह्न पश्चात् एक ही बैठक में इस पर चर्चा कर लें। यदि आप इससे सहमत हों तो हम तदनुसार कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, इसमें मेरा सिर्फ एक आग्रह है कि आपने 3.30 बजे रखा है, हम लोगों ने इसको माना है। चूंकि सदन में हुआ था कि 12 बजे से लेकर एक बजे तक अयोध्या चलेगा, फिर दो बजे से साढ़े तीन तक ड्रॉउट चलेगा, फिर साढ़े तीन बजे से अयोध्या चलेगा, तो इस दृष्टिकोण को देखते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने एक सुझाव रखा है और हम लोग उस सुझाव के साथ में हैं लेकिन हम आपसे यह रूलिंग जरूर चाहते हैं कि साढ़े तीन बजे अयोध्या विवाद के इश्यू पर शुरू हो जाना चाहिए और उसमें कोई आगे बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सहमत है। अब आडवाणी जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : संसदीय कार्य मन्त्री ने इस बारे में चर्चा की और सहमति से ही इसमें परिवर्तन हुआ है लेकिन मेरा आग्रह होगा कि केरल और महाराष्ट्र की जो घटनाएं हुई और जिनके बारे में वक्तव्य होना था, वह वक्तव्य पूर्व हो जाय।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में मुझे गृह मन्त्री से इस आशय का एक पत्र प्राप्त हुआ है कि वह चार बजे सभा पटल पर विवरण रखना चाहते हैं। यदि वह इसे पहले रख सकें, तो बेहतर होगा।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : वह पहले भी रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। आप उन्हें इसे रखने के लिए आने के लिए कह सकते हैं। मैं अनुमति दूंगा।

श्री गुलाम नबी आजाद : वह उस समय से पहले कभी भी रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब कार्य सूची में शामिल नहीं किए गए कार्य को लिया जाएगा।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इस तरह के वक्तव्य की अनुमति नहीं दे रहा हूं। इस तरह के वक्तव्य के लिए आपको सम्बन्धित व्यक्ति को सूचना देनी होगी और आप तभी इस मामले को उठा सकते हैं। अब कृपया बैठ जाइये।

अब याचिका प्रस्तुत की जाएगी—श्री मोहन सिंह।

12.03 म० प०

रेलवे श्रमिक संघर्ष समिति, मुरादाबाद के कर्मकारों की समस्याओं और मांगों के बारे में याचिका

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से रेलवे श्रमिक संघर्ष समिति, मुरादाबाद के कर्मकारों की समस्याओं और मांगों के बारे में श्री श्याम बिहारी लाल, संयोजक रेलवे श्रमिक संघर्ष समिति (मुरादाबाद खण्ड) मुरादाबाद, उत्तर रेलवे द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा आनुषंगिक अधिनियम

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा समिति की सदस्यता से श्रीमती कैलाशपति और श्री संतोष कुमार साहू के त्यागपत्र से उत्पन्न रिक्तियों में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे और संयुक्त समिति के लिये राज्य सभा द्वारा ऐसे नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को भेजे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा समिति की सदस्यता से श्रीमती कैलाशपति और श्री सन्तोष कुमार साहू के त्यागपत्र से उत्पन्न रिक्तियों में लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे और संयुक्त समिति के लिये राज्य सभा द्वारा ऐसे नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को भेजे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.06 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

सतरहवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा दिनांक 27 जुलाई, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के सतरहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि यह सभा दिनांक 27 जुलाई, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मन्त्रणा समिति के सतरहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : अध्यक्ष महोदय, यह सुझाव दिया गया था कि प्रारूप आठवीं पंचवर्षीय योजना पर सभा में चर्चा की जाए। जहां तक मुझे याद है यह समझौता हुआ था कि हम 19 और 20 को इस विषय पर चर्चा करेंगे। परन्तु कार्य मन्त्रणा समिति के इस प्रतिवेदन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी स्थिति क्या है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, यह समझौता हुआ था। यदि हम अब इसे कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में शामिल कर सकते हैं तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, जहां तक मुझे याद है प्रारुप को परिचालित किया जाना था।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपका सुझाव मान्य है तथा हम कार्य मन्त्रणा समिति की अगली बैठक में इस पर चर्चा करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि इसे किस प्रकार समायोजित किया जा सकता है।

प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा दिनांक 27 जुलाई, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मन्त्रणा समिति के सत्तरहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

12.07 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मिजोरम में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डा० सी० सिलवेरा (मिजोरम) : महोदय, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय का परिसर आए जल में स्थित है। परन्तु अनेक कारणों से यह व्यवस्था व्यवहार्य नहीं पायी गई तथा इससे मिजोरम की आवश्यकता पूरी नहीं होती। इसी कारण पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय से जुड़े राज्यों जैसे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पहले ही अपने अलग-अलग विश्वविद्यालय हैं। इसलिए मिजोरम राज्य का भी अपना एक अलग विश्वविद्यालय होना चाहिए। वर्ष 1986 के मिजो समझौते में भी मिजोरम के लिए अलग विश्वविद्यालय की व्यवस्था की गई थी। राज्य सरकार ने मिजोरम में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने के लिए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था। भारत सरकार द्वारा कृपया आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाए। वस्तुत: सिद्धान्त रूप से सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था।

(दो) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की 124 वस्त्र यूनिटें चल रही हैं जिसमें 15 ऐसी यूनिटें शामिल हैं जिन्हें सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है (दो यूनिटें उत्तर प्रदेश में तथा 13 महाराष्ट्र में) तथा इनमें 1.5 लाख श्रमिक कार्यरत हैं।

सरकार द्वारा बार-बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जाएगी और मिलें बन्द नहीं की जाएगी, राष्ट्रीय वस्त्र निगम की 14 मिलों को बन्द करने तथा 49 मिलों को 21 मिलों में मिलाने का सक्रिय प्रस्ताव है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय वस्त्र निगम के लगभग 65,000 श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे।

बजट में राष्ट्रीय वस्त्र निगम को दी जाने वाली बजटीय सहायता काफी हद तक समाप्त कर दी गई है। इस कार्यवाही के फलस्वरूप राष्ट्रीय वस्त्र निगम की अनेक मिलों में मजबूरन विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की कमी हो गई है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम की अनेक मिलों में 80 प्रतिशत उत्पादन कार्य-कलाप ठप्प हो गए हैं तथा कपास की पर्याप्त सप्लाई के अभाव में श्रमिकों के खाली बैठने पर भी उन्हें वेतन दिया जाता है। इससे घाटा और बढ़ जाएगा जिसमें श्रमिकों का कोई दोष नहीं है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की स्थिति को और अधिक बिगड़ने

से रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की उत्पादन क्षमता की अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

(तीन) कर्नाटक की सभी लम्बित विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : कर्नाटक में विद्युत की गम्भीर समस्या है। उच्च क्षमता वाले उद्योगों में 70% कम क्षमता वाले उद्योगों में 60% तथा कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 50% तक बिजली की कटौती अक्सर की जाती है। कर्नाटक में विद्युत की आपूर्ति की कमी के कारण नई औद्योगिक यूनिटों द्वारा फैक्टरियों की स्थापना नहीं की जाती। उन्हें रक्षित विद्युत उत्पादन अथवा डीजल जेनरेटरों के उपयोग के लिए कहा जाता है।

इसलिए कर्नाटक में सभी लम्बित पड़ी विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करके विद्युत की सप्लाई को बढ़ाए जाने की तत्काल आवश्यकता है। मंगलौर सुपर ताप विद्युत परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि अवश्य प्रदान की जानी चाहिए जिसमें वर्ष 1996 तक 2240 मैगावाट विद्युत उत्पादन होने की आशा है।

(चार) राजस्थान के झालावाड़ जिले में राजमार्ग संख्या 19 पर उजहर नदी पर पुल के निर्माण को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : महोदय, राजस्थान के झालावाड़ जिले में राजमार्ग संख्या 19 पर उजहर नदी पर पुल के निर्माण में अत्यधिक विलम्ब हुआ है। अन्तर्राज्यीय महत्व के सड़क/पुलों के निर्माण कार्य के अधीन जब केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा गया था तो इस परियोजना की अनुमानित लागत 78.00 लाख रुपए थी। प्रस्तावित पुल राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बनना है। इस पुल के निर्माण से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सभी मौसम में आना जाना जारी रखा जा सकेगा और इसे इन्दौर से जोड़ा जाएगा जोकि मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक शहर है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अनेक पिछड़े हुए जिलों को सीधा सड़क मार्ग से इन्दौर द्वारा जोड़ा जा सकता है। इससे इन्दौर में माल लाने ले जाने की भी सुविधा प्राप्त होगी जो अन्ततः दोनों राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देगा।

वर्ष 1987 में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया था तथा उसके लिए अभी केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। अतः प्रस्तावित उजहर पुल परियोजना के निर्माण को महत्वपूर्ण अन्तर्राज्यीय पुल समझा जाना चाहिए क्योंकि यह परियोजना दोनों राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास में काफी सहायक होगी। अतः इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं यह मांग करती हूं कि झालावाड़ जिले के राजमार्ग संख्या 19 पर उजहर नदी पर प्रस्तावित पुल के लिए अविलम्ब स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।

(पांच) बिहार को दिए जाने वाले मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में किरोसीन तेल का उपयोग रोशनी, खाना पकाने के अलावा जिलों में किरोसीन तेल संचालित पम्पों द्वारा सिंचाई के काम में किया जाता है।

इन राज्य को मिलने वाला किरोसीन तेल का कोटा अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। माह जुलाई, 92 में राज्य को 38287 मे० टन का कोटा प्राप्त हुआ है जो प्रति व्यक्ति 0.55 लीटर पड़ता है। बिहार की आबादी पूरे देश की आबादी का 10% से अधिक है किन्तु राज्य को मिलने वाला किरोसीन तेल का कोटा 6% से कम है। जनसंख्या के अनुसार राज्य को मासिक आवश्यकता करीब 67474 मे० टन है। बरसात के मौसम में किरोसीन तेल का उपयोग और बढ़ जाता है।

अत: केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि जनहित में बिहार को अधिक से अधिक किरोसीन तेल की आपूर्ति इस माह से करने का आदेश दें।

(छ:) सिगरेट उद्योग के लिए मूल्य वर्धित कर-प्रणाली प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम): महोदय, कर सुधार समिति द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए गए अन्तरिम प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में अनेक अत्यन्त महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। बजट सत्र के दौरान सभा में इस मामले पर विस्तृत चर्चा की गई थी। कर सुधार समिति ने सरकार से सभी मदों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पद्धति की यथा मूल्य अथवा मूल्य-वर्द्धित कर प्रणाली प्रारम्भ किए जाने की सिफारिश की थी यद्यपि प्रत्येक मद का विस्तार में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया। कर सुधार समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरे पर आधारित और विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर माननीय वित्त मन्त्री जी को सुझाव दिया गया था कि सिगरेट उद्योग के लिए मूल्यवर्धित कर-प्रणाली प्रारम्भ की जाए अथवा दूसरी ओर लोक हित में और अधिक सरकारी राजस्व की वसूली को ध्यान में रखते हुए इसे विशिष्ट-व-यथा मूल्य में मिलाया जा सकता है।

इसलिए, मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(सात) असम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर चंगसारी रेल फाटक पर एक उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबीन डेका (मंगलदाई): महोदय, असम के लोग बारपेटा और गुवाहाटी को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर चंगसारी रेल फाटक पर एक उपरिपुल के निर्माण के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। यह सड़क सम्पूर्ण असम में सबसे अधिक भीड़-भाड़ वाली है। इस रेल फाटक पर उपरिपुल न होने के कारण, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर चलने वाले वाहनों को लगातार घण्टों खड़े रहना पड़ता है क्योंकि रेल फाटक एक के बाद एक गाड़ियों के जाने के कारण बन्द रहता है। अनेक अवसरों पर ऐसा भी होता है कि अत्यधिक गम्भीर हालत वाले रोगी गुवाहाटी चिकित्सा कालेज, चंगसारी पहुंचने से पहले ही वहां दम तोड़ देते हैं। गुवाहाटी शहर चंगसारी की ओर तीव्र गति से फैल रहा है। प्रस्तावित आई० आई० टी० बिल्डिंगे भी चंगसारी के निकट बनाई जा रही हैं।

इसलिए मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि चंगसारी रेल फाटक पर उपरिपुल के निर्माण के लिए आवश्यक प्रबन्ध किये जाए।

12.15 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में व्याप्त सूखे की स्थिति

अध्यक्ष महोदय : देश के विभिन्न भागों में व्याप्त सूखे की स्थिति पर हम आगे चर्चा करेंगे। श्री राजवीर सिंह, आप अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, कल मैंने सूखे पर चर्चा प्रारम्भ की थी, आज उसी को फिर से प्रारम्भ करने का आपका आदेश है। अध्यक्ष जी, मैंने कल कहा था कि हम पानी का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से और उससे पहले भी कुछ मौसम की ऐसी गड़बड़ी हुई है कि हर वर्ष वर्षा कम होती चली जा रही है, वर्षा का प्रतिशत हर साल घटता चला जाता है। जब सूखा पड़ जाता है हम केवल तब सूखे पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। मैंने कल कहा था कि हर बार इस सदन में सूखे पर चर्चा होती हैं, लेकिन इसका कोई निदान नहीं होता है, यह बढ़ता ही रहता है। कई बार कृषि मंत्री जी से सलाहकार समिति में भी हम लोगों ने चिंता प्रकट की है, आज फिर मैं अपनी चिन्ता प्रकट करना चाहता हूं कि खाली बहस कराने मात्र से, खाली चर्चा मात्र से सूखा समाप्त नहीं हो पाएगा।

हमने क्या पिछले 45 वर्षों में कोई ऐसा मास्टर प्लान बनाया है जिससे हम सूखा समाप्त करने की तरफ विचार कर रहे हैं? मुझे लगता है हर वर्ष चर्चा होती है और कह दिया जाता है कि हमने इतने करोड़ रुपये फलां राज्य को दे दिए, इतने करोड़ रुपये इन राज्यों को दे दिए। रुपया बांट देने से क्या सूखा समाप्त हो सकता है?

मैंने कल कहा था, जब बरसात होती है, बाढ़ आती है तो नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। मुझे स्मरण आ रहा है, पहले सिंचाई मंत्री हुआ करते थे डा० राव,

12.17 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उन्होंने एक योजना बनाई थी, लेकिन वह योजना फाइलों की शोभा बन कर रह गई। उस पर आज तक किसी भी सरकार ने विचार नहीं किया। जब तक हम वाटर ग्रिड नहीं बनाएंगे, पानी का इसी प्रकार से दुरुपयोग होता रहेगा। नदियों का जो पानी है, जो जीवन है, वह जीवन समाप्त होता चला जा रहा है।

आज हम छोटे-छोटे पम्प सैट लगाने की बात करते हैं, बोरिंग करने की बात करते हैं। आज सूखे की स्थिति यह हो गई है कि बोर वैलस में पानी समाप्त हो गया है, ट्यूब वैल सूख रहे हैं, पम्प सैट नाकामयाब हो गए हैं, क्योंकि वाटर लेवल नीचे चला गया है।

खाली सिंचाई के साधनों की बात मैं नहीं कर रहा, गांव में आप जा कर देखें जो हैण्ड-पम्प लगे हैं वे फेल होते जा रहे हैं। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से हैण्ड-पम्प लगवाता है, सालभर बाद पता चलता है कि पानी का स्तर नीचे चला गया है, इसलिए पानी मिलता नहीं है। फिर रुपया खर्च करके नल उखड़वाना पड़ता है, नया पाइप लगाना पड़ता है। हर वर्ष पानी का लेवल नीचे चला जाता है।

दुष्परिणाम यह हो रहा है कि पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है और खेत के लिए पानी नहीं मिल रहा है। आज ऐसी स्थिति आ गई है गांव में जब सूखा पड़ता है तो जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, पानी का अकाल पड़ जाता है, पशु प्यासे मरने लगते हैं। आदमी तो अपनी प्यास किसी तरह किसी तरह से बुझा सकता है, मगर पशुओं के लिए पानी के अभाव के कारण बहुत कठिनाई आ रही है।

हमारे मित्र कह रहे थे कि अब बारिश शुरू हो गई है लेकिन बहुत देर से शुरू हुई है। इतनी देर से बारिश होने के कारण इस देश को हानि उठानी पड़ी है और सरकार को चाहिए कि हानि को रोका जा सके। यहां कृषि मंत्री जी बैठे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच में तालमेल का अभाव भी बहुत बड़ा कारण है जो किसानों की दुर्गति का है। सूखे पर विचार करेगा कृषि मंत्रालय, पानी देगा सिंचाई मंत्रालय और बिजली देगा विद्युत मंत्रालय। नतीजा यह है कि कई पतियों की जो पत्नी होती है तो किसान की द्रोपदी जैसी हालत होती है। हम जब कृषि मंत्री से कहते हैं कि सूखा पड़ गया है तो वे कहते हैं कि मैं क्या करूं बिजली नहीं मिल रही है। बिजली क्यों नहीं मिल रही है। गांवों के लिए बिजली की कटौती हो जाती है। आप 45 साल में बिजली निर्माण नहीं कर पाए जो हर किसान को पानी के लिए बिजली दे सकें।

उत्तर प्रदेश में जमरानी बांध बनने वाला था। वह बांध मंजूर हो गया लेकिन नहीं बन पाया। पहले नहर बना दी गई। करोड़ों रुपया नहरों पर बरबाद हो गया है और इसलिए बांध नहीं बना क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय ने उस पर एतराज किया। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर आपने पर्यावरण मंत्रालय से पहले स्वीकृति नहीं ली थी तो जमरानी बांध बनाने से पहले नहरें क्यों बना दीं। नहरें टूट रही हैं, सूख रही हैं और उसके पत्थर लोगों के मकानों में चले गए हैं। पिछली बार मैं सिंचाई मंत्री जी से मिला था तो उन्होंने कहा था कि बांध बनेगा। लेकिन बांध बनना शुरू नहीं हुआ, पानी बेकार जा रहा है। यह तालमेल बनाना पड़ेगा। कृषि मंत्रालय यह कहकर छुट्टी कर जाता है कि सिंचाई मंत्रालय हमारे पास नहीं है। खेती से संबंधित और किसानों से सम्बन्धित एक मन्त्रालय बनना चाहिए। एक विभाग उसका जवाबदेह होना चाहिए। हम दुखी हैं और पीड़ित हैं। आज हालत यह है कि किसान कहीं से भी कर्जा लेकर अपना काम करता है और पहले बोरिंग करा कर पम्प सैट लगाता है। दो साल में पम्प सैट फेल हो जाता है क्योंकि पानी नीचे चला जाता है फिर उसको पैसा चाहिए। सरकार यह तय करे कि ऊपर का पानी न लिया जाए। 25-30 फुट का पानी ले लेंगे तो पानी खत्म हो जाएगा और उसके बाद 300-400 फुट से पानी लाना पड़ेगा। उसके लिए सरकार बड़ी-बड़ी बोरिंग कराए और ट्यूबवैल लगाए। स्थिति यह हो रही है कि विश्व बैंक की तरफ से सरकार द्वारा जो मदद हो रही है यानी जो ट्यूबवैल बन रहे हैं वे फेल होते जा रहे हैं। जब सरकार से बात करते हैं तो कहा जाता है कि पैसा नहीं है। हम जब कृषि मंत्री से कहते हैं कि कृषि मंत्रालय कुछ करे तो कृषि मंत्री कहते हैं कि वित्त मंत्री नहीं मानते। कृषि मंत्री जी यह बताइए कि कैसे व्यवस्था चलेगी। आप इस झंझट में हमें फंसा रहे हैं बल्कि किसानों का भला कीजिए। मंत्री ऐसा इशारा कर रहे हैं कि पैसा नहीं है। हम आपको टैक्स दे रहे हैं। किसान अपनी खून पसीने की कमाई से आपका खजाना भर रहा है। आप खजाने को फाइव स्टार होटलों की संस्कृति में खत्म कर रहे हैं और किसानों की सहायता नहीं की जा रही है। इसकी जिम्मेदारी आपकी और सरकार की है।···(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान (रोसड़ा) : देवीलाल जी के समय फाइव स्टार होटलों में जाने का मंजूर हुआ था···(**व्यवधान**)

कृषि मंत्री (बलराम जाखड़) : मेरे पास खाने-पीने का डिपार्टमेंट नहीं है।

श्री राजवीर सिंह : वह धोती वालों के लिए था मैंने इसलिए पैंट पहनना शुरू किया। मुझे कहते हैं कि तुम इसलिए धोती पहनते हो कि फाइव स्टार में जाना चाहते हो।...(व्यवधान) यह गंभीर विषय है। इस पर हल्के-फुल्केपन से विचार न किया जाए। हर सत्र में चर्चा होती है कि वह फाइलों में बन्द हो जाता है। आपको सरकार में आए एक वर्ष हो गया है तो आपने सूखे से निपटने के लिए क्या योजना बनाई।

पिछले साल भी सूखा था, उसका परिणाम यह हुआ कि आज लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। दिल्ली में चावल खाने वाले लोगों को बड़े कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, क्यों धान की उपज कम हुई है इसलिए चावल महंगा हो गया है किसान की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उसको पैदावार का मूल्य नहीं मिलता है, वह सूखे से पीड़ित है। वह सिंचाई के लिए अतिरिक्त साधन जुटाता है तो उसको अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। खाद भी महंगी कर दी, बिजली नहीं दे पाते, उसका ट्यूबवैल पड़ा रहता है। जब बिजली नहीं मिलती है तो वह मजबूर होकर डीजल पम्पसैट लगाता है। उसका हाल यह है कि कृषि मंत्री जी कहेंगे कि मेरे विभाग का मामला नहीं है, मगर पेट्रोलियम मंत्रालय आज उत्तर प्रदेश में डीजल सप्लाई करने में फेल हो गया है। अभी भी लोग कहते हैं बारिश हो गई है, मैं मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं कि आप चलकर देखिए वहां कि आज भी उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पम्पों पर डीजल लेने वालों की लम्बी-लम्बी कतारें लगी हुई हैं, उनको डीजल नहीं मिल रहा है और पम्प सैट लगाकर धान की फसल लगा रहे हैं। बिजली नहीं मिल रही है, डीजल नहीं मिल रहा है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यह प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी है। डीजल का कोटा उत्तर प्रदेश का कट कर दिया गया है। सार्वजनिक वित रण प्रणाली आपकी फेल हो गई है उसके दुष्परिणामस्वरूप आम किसानों को परेशानी हो रही है। आप डीजल मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। उसके न मिलने से सूख गई है। धान की फसल के लिए जितना पानी चाहिए वह नहीं बरस रहा है, वह पम्पसैट लगाता है तो उसके लिए डीजल नहीं मिल रहा है। बिजली नहीं दे सकते, डीजल नहीं दे सकते तो आप यहां क्यों बैठे हैं, जाइए इस्तीफा देकर जनता के बीच में जाइए। आखिर कोई जिम्मेदारी आपकी है या नहीं। या केवल हम लोग यहां एयर कंडीशंड हाल में बैठकर और दफ्तरों में बैठकर किसानों की चिंता करें। किसानों की दुर्दशा हो रही है। नागरिक कल भुखमरी के कगार पर खड़े हो जाएंगे, अलबत्ता यह बात सच है कि अन्न की उपज कम होगी तो सरकार को इम्पोर्ट करने का बहाना मिल जाएगा। उससे कुछ लोगों को सौदेबाजी का फायदा हो जाएगा यह हो सकता है, शायद उसी योजना के अन्तर्गत हिन्दुस्तान के गरीब किसान को मार रहे हैं। शायद उसी योजना के अन्तर्गत हिन्दुस्तान के गरीब किसान और उपभोक्ता को मारना चाहते हैं। आप इम्पोर्ट करते हैं साढ़े चार रुपये किलो, साढ़े चार सौ रुपया क्विंटल और हिन्दुस्तान के किसान को देते हैं 260 रुपये क्विंटल। आखिर हिन्दुस्तान के किसान ने क्या गुनाह किया है। मेरे मित्र कह रहे हैं कि कुछ बढ़ा दिया है, बढ़ा इसलिए दिया होगा कि 450 को जस्टिफाई किया जा सके। मगर जितना बढ़ा दिया उससे काम चलने वाला नहीं है। विदेशी किसानों के तो आप दोस्त हैं और स्वदेशी किसान के दुश्मन हैं। यह कैसे चलेगा।

उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वह सूखे की स्थिति से निपटने के लिए एक मास्टर प्लान बनाए, उसमें संसदीय समिति बनाई जाए और विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई जाए तथा डाक्टर के० एल० राव की जो रिपोर्ट थी उस पर फिर से बहस कराई जाए और उसके बाद जो तथ्य हैं, उस रिपोर्ट को लागू कराया जाए। इस तरह से तो भला हो जाएगा।

मैं अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। इस चर्चा को गम्भीरता से लिया जाए, सूखे से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए। जब तक यह सरकार सूखे से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर

कार्य नहीं करेगी तो यह फेल हो जाएगी। मौसम दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, दिन-प्रतिदिन बारिश कम होती जा रही है, हर वर्ष बारिश कम हो रही है, अगले वर्षों का क्या भरोसा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अब हमको मौसम के हवाले मत छोड़िए। इस देश के किसानों को प्रकृति के भरोसे मत छोड़िए। आप प्रगति में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तरक्की की है। आप कब तक प्रकृति के सहारे जिन्दा रहेंगे। आप अपने वैज्ञानिकों को मौका दीजिए कि कम पानी लेने वाली उपज के लिए बीज बनाएं। आज क्या जरूरत है कि पांच-छः पानी गेहूं के लिए किसान लगाता है। क्या आप ऐसे बीज का निर्माण कर सके हैं कि दो पानी से फसल हो जाए, क्या ऐसे बीज का निर्माण नहीं कर सकते जिसमें कम पानी लगे। आज जितने हाई इल्डिंग वैराइटी वाले बीज आ रहे हैं, उनमें पानी और खाद ज्यादा चाहिए। मेरा निवेदन है कृषि मंत्री जी से कि आपका जो आई० सी० ए० आर० है जो हिन्दुस्तान का सफेद हाथी है, यह क्या कार्य कर रहा है। इसने क्या किया है। इसने कितने बीज निर्माण किए हैं, अभी तक कोई नया बीज निर्मित नहीं हुआ है जो कम पानी में हो। पांच साल की उपलब्धि की बात कर रहे हैं, वह उपलब्धि इतनी घटिया है कि उसको कहने में भी लज्जा आती है। मन्त्री जी कहेंगे कि मैं एक साल से आया हूं, मगर एक साल में भी क्या उपलब्धि है।

उपाध्यक्ष महोदय, आई० सी० ए० आर० के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन इतना ही कहूंगा कि जो वहां के वैज्ञानिक हैं वे इस प्रकार के बीज तैयार करें जो कम पानी लें ताकि पानी का बचाव हो। हाल में मैं अखबार में पढ़ रहा था और संसद में भी यह बात आई थी कि अरबन डेवलेपमेंट मिनिस्टर ने कहा कि हम दिल्ली में पीने के लिए पानी नहीं दे सकते हैं। तो आप न पीने के लिए पानी दे सकते हैं, न खेती के लिए पानी दे सकते हैं, आप का पानी इतना मर गया कि यह बिना पानी की सरकार है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सरकार पानी नहीं दे सकती है, उस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए...

एक माननीय सदस्य : इनके पास चुल्लूभर पानी भी नहीं है...

श्री राजवीर सिंह : मेरे एक मित्र कह रहे हैं कि इनके पास चुल्लू भर पानी भी मरने के लिए नहीं है। अतः आपका तो पानी मर चुका है। इसलिए खाली भाषण से काम नहीं चलेगा कि मन्त्री जी का जोरदार जवाब आ गया। मन्त्री जी जवाब देने में तो एक्सपर्ट हैं और इधर-उधर के कुलावे भिड़ा देंगे लेकिन इस चर्चा का जवाब सुनने के बाद यह बात समाप्त न कर दी जाए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि इस बारे में एक मास्टर प्लान बनायें और जब तक हम युद्ध-स्तर पर तैयारी नहीं करेंगे, तब तक हिन्दुस्तान के किसान और हिन्दुस्तान की जनता का भला नहीं हो सकता है। भारत का उत्पादक और उपभोक्ता भी दुखी है, इसलिए उनकी असुविधाओं को दूर करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए।

[अनुवाद]

डा० आर० मल्लू (नगर कुरनूल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा का ध्यान आंध्र प्रदेश राज्य में सूखे स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ऐसा यह मुख्यतः मानसून के देर से आने के कारण ही हुआ जिसमें केवल पचास प्रतिशत क्षेत्र ही बोया गया था। राज्य सरकार की सूचनानुसार लगभग 12 जिले इस सूखे से प्रभावित हुए हैं। पहला सूखा प्रभावित जिला महबूबनगर है और दूसरा नालगोंडा है।

सामान्यतौर पर मानसून आने के दौराम भी महबूबनगर जिले से जिसमें मेरा संसदीय क्षेत्र नगर

कुरनूल पड़ता है। काफी बड़ी संख्या में श्रमिक वर्ग अपने वृद्ध माता-पिता को वहीं छोड़कर तथा उनके लिए आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था किए बिना ही जीविका की खोज में देश और राज्य के विभिन्न स्थानों में चले जाएंगे। यह सब अवृष्टि के कारण ही हुआ है। महबूबनगर जिले में केवल दस से बीस प्रतिशत क्षेत्र ही बोया जाता है और अधिकतर फसलें अवृष्टि से सूख रही हैं। अधिकांश लोग राज्य के विभिन्न भागों में बस रहे हैं और इस जिले के लोगों की यह एक पुरानी आदत बन चुकी है।

मैं आपके ध्यान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि महबूबनगर जिले में न तो सतही जल संसाधन उपलब्ध हैं और न ही वहां पर कोई भूमि जल संसाधन उपलब्ध हैं।

यद्यपि कृष्णा नदी इस मनसूबनगर जिले से होकर ही गुजरती है, फिर भी दुर्भाग्य से महबूबनगर जिले में उसके जल से सिंचाई के लिए कोई स्रोत नहीं है।

महोदय, अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य के चिरस्थाई सूखाग्रस्त जिलों का पता लगाए और कि अस्थाई तौर पर सूखे की स्थिति पर ध्यान न दे। सूखे की स्थिति से स्थायी आधार पर निवटने के लिए सुविधाएं प्रदान करे।

जैसाकि आप जानते हैं, वहां सिंचाई जल का कोई स्रोत नहीं है। अतएव मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह महबूबनगर जिले में कुछ लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना करने का कोई रास्ता खोजें और कृषि मंत्रालय से अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना करने के लिए कहे ताकि वे विभिन्न फसलें, फल और वृक्षों और बागबानी इत्यादि का जुगाड़ कर सकें जो जिले में ही किया जा सकता है और यह सूखा जो जिले को सतत प्रभावित कर रहा है तथा अनेक समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, उससे बचा जा सके।

आंध्र प्रदेश की सूखे की स्थिति पर बोलते हुए कल तेलगुदेशम के माननीय सदस्य श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे ने बताया था कि राज्य सरकार और आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री सूखे से राहत के लिए कुछ हहीं कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं सभा के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहूंगा कि इस वर्ष की 2 मई को कृषि सचिव, कृषि के सभी विभाग तथा कृषि विश्वविद्यालय की सहायता से आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति से निबटने के लिए एक आकस्मिक योजना बनाई है।

आंध्र प्रदेश सरकार के कृषि सचिव के नेतृत्व में उसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। वास्तविकता यह है कि आंध्र प्रदेश के राहत आयुक्त ने महबूबनगर जिले के नगर कुरनूल संसदीय क्षेत्र का दौरा किया है। उन्होंने कई सूखा प्रभावित जिलों का दौरा किया है। कृषि सचिव ने नालगोंडा जिले का दौरा किया है जो एक अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। उसके लिए कृषि सचिव 30 तारीख को महबूबनगर जिले का दौरा करने की योजना बना रहे हैं।

राज्य सरकार ने 10 जुलाई को केन्द्रीय सरकार को राज्य नें सूखे की स्थिति से अवगत कराया तथा कृषि मंत्रालय को इसकी विस्तृत जानकारी भी भी परन्तु दुर्भाग्य से सभा को यह गलत सूचना दी गई कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश की वर्तमान स्थिति से अवगत नहीं कराया। कृषि आयुक्त, राहत आयुक्त और कृषि सचिव लगातार स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं और उसकी समीक्षा कर रहे हैं। वे सूखा प्रभावित जिलों का दौरा कर रहे हैं। सभी सूखा प्रभावित जिलों का दौरा राज्य सरकार के इन तीनों अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

17 जुलाई को आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव ने एक संवीक्षा बैठक बुलाई थी जिसमें कि उन्होंने केवल कृषि की ही नहीं बल्कि सभी विभागों की संवीक्षा की थी और आंध्र प्रदेश की सूखा की स्थिति का समाधान करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जिस समय आंध्र प्रदेश में जल की कमी थी उस समय राज्य सरकार ने पेयजल की आपूर्ति के लिए 10 करोड़ रुपये जारी किए थे।

जैसाकि आप जानते हैं कि सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने के लिए राज्य सरकार के पास 80 करोड़ रुपये का प्रावधान होता है। उसी से राज्य सरकार काम चला रही है। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य के चिरकाल से सूखा प्रभावित जिलों का पता लगाए और वहां लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना द्वारा इसका स्थायी समाधान खोजे और सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करे जिससे राज्य के पिछड़े और सूखाग्रस्त जिलों को कुछ स्थायी समाधान भी मिलेगा।

मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस सम्मानीय सभा का ध्यान मेरे राज्य में सूखे की स्थिति की ओर आकर्षित करने का एक अवसर दिया।

श्री चित्त बसु (बारासाट) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय हमारे देश का एक बड़ा भाग अत्यन्त संकटमय स्थिति में था। तब भी भारत सरकार केवल एक तटस्थ दर्शक की तरह कठोरता और उदासीनता ही प्रकट की थी और मैं भी माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रयोग किए गए मुहावरे का ही इस्तेमाल करना चाहता हूं क्योंकि मैं पुनः वही दोहराऊंगा। हमें यह एक नई कहावत सिखाई गई है और वह है भयंकर सूखे की स्थिति और अब वह भी विरल प्रचण्डतायुक्त।

वास्तविकता यह है कि मुझे गैर सरकारी एजेंसी द्वारा एकत्रित की गई कतिपय सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिस पर सामान्यतः विश्वास किया जाता है। उसके अनुसार सात राज्यों में 70 करोड़ से भी अधिक लोगों तथा 150 लाख हैक्टेयर उपज क्षेत्र भयंकर सूखे की चपेट में आ गया था। इस सूखे से खरीफ खाद्यान्नों के रूप में 3000 करोड़ रुपये की क्षति होगी। कपास और तिलहन जैसी नकदी फसलों की करीब 5000 करोड़ रु० तक क्षति हुई है। अतः हमें इस संकट की गम्भीरता को ठीक से समझना है और यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह न केवल भयंकर बल्कि एक विरल प्रचण्डता लिए सूखा पड़ा है। सरकार की नई आर्थिक नीति में किन्हीं अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण यह समस्या और भी जटिल हो गई है। यह समय मेरे लिए सरकार की आर्थिक नीति की चर्चा करने का नहीं है परन्तु जहां तक सूखे के कारण लोगों को हो रही दिक्कतों का सम्बन्ध है, मैं केवल यही कहूंगा कि जहां तक हम जान सके हैं, आठवीं योजना में कृषि विकास को उसकी अपेक्षाकृत कम वरीयता दी गई है। इसमें ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन को कम वरीयता दी गई है। यदि आठवीं योजना में कृषि विकास, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन को कम वरीयता दी गई है, तो स्वाभाविक रूप से उन लोगों के लिए यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है जिन्हें हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बिलकुल भी जानकारी नहीं है। वर्तमान बजट नीतियों से भी लोगों के लिए काफी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में काफी कम आबंटन किया गया है। उन कतिपय क्षेत्रों में बहुत अधिक कटौती की गई है जिनका सीधा सम्बन्ध सूखे के शिकार ग्रामीण क्षेत्रों के करोड़ों लोगों से है और जो इस प्रकार यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है।

मैं भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर अपनाए जाने वाले रवैये से बहुत अधिक चिन्तित हूं। इस वर्ष 9 जुलाई को इस

सभा में एक प्रश्न पूछा गया था और मन्त्री महोदय ने एक बहुत विस्तृत उत्तर दिया था। मुझे उस उत्तर से पता चला कि अनेक राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में सूखे की स्थिति मे निपटने के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है। गुजरात में 650 करोड़ रु० और कर्नाटक ने केवल 50 करोड़ रु० की मांग की है। राज्य सरकारों ने इतनी धनराशि मांगी है। केरल ने 138 करोड़ रु०, मध्य प्रदेश ने 295 करोड़ रु०, महाराष्ट्र ने 789 करोड़ रु०, कणिपुर ने 3·15 करोड़ रु० और राजस्थान ने 1·71 करोड़ रु० के लिए अनुरोध किया है।

इन राज्यों ने सूखाप्रभावित होने पर केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है। परन्तु अब तक क्या किया गया? कृषि मन्त्री महोदय का उत्तर कुछ विनम्र परन्तु सुस्पष्ट था। मैं उनकी सुस्पष्टता की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने विनम्रता से कहा है कि नौवें वित्त आयोग ने एक निर्णय लिया है, उसके अनुसार एक आपदा राहत कोष बनाया गया है। उसने पहले ही इन राज्य सरकारों के लिए कुछ धनराशि स्वीकृति की हुई है; अतः कैसा भी सूखा हो, प्राकृतिक आपदा चाहें कितनी ही भयावह क्यों न हों, चाहें कितनी ही भीषण अग्निकांड क्यों न हों, कितनी ही तकलीफ क्यों न हो, लोगों को कितनी ही उत्सुकता, कठिनाई या कष्ट क्यों न हों, कुछ भी नहीं दिया जा सकता हैं। और केन्द्र सरकार सूखे से प्रभावित राज्यों को कभी भी कुछ भी नहीं देगी। हम भी केन्द्रीय सरकार के इस रवैये से बहुत अधिक चिंतित हैं। अन्ततः क्या हुआ? गुजरात की ·63 करोड़ रुपये योजना राशि के अग्रिम और आपदा राहत कोष (सी०आर०एफ०) की अग्रिम किश्त के रूप में दिए गए। केरल को 17 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश को 20 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 33 करोड़ रु० दिए गए हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन राज्य सरकारों ने कितनी-कितनी धनराशि की मांग की है। मैं निवेदन करता हूं कि नौवें वित्त आयोग द्वारा तैयार कि गए इस फार्मूले की पुनरीक्षा करनी चाहिए यह व्यवहार्य नहीं है। यह अमानवीय है।

श्री बलराम जाखड़ : मैं आपके साथ हूं।

श्री चित्त बसु : संसद आपके साथ होगी क्योंकि वहां कोई आपदा नहीं हो सकती। आप आपदा की गंभीरता का अपने हिसाब से अंदाज नहीं लगा सकते हैं। आपका हिसाब क्या है? आप यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि प्रकृति आपके साथ इतनी दयालु हो कि वह आपके हिसाब से चले। अतः मेरा दृढ़ विश्वास है कि इसे रिकार्ड किया जाए। यदि उन्होंने इसकी पुनरीक्षा न की हो तो इसकी पुनरीक्षा की जानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सभा कृषि मन्त्री महोदय के साथ होगी। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि दसवें वित्त आयोग की प्रतीक्षा करें। केन्द्रीय सरकार इस बात पर ध्यान दे कि प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जाए।

यहां उन्होंने अंशतः उत्तर कुछ राज्य सरकारों को आपदा राहत कोष और योजना परिव्यय के अग्रिम के रूप में कुछ सहायता दी जाएगी वह भी तब जबकि राज्य सरकारें यह साबित कर दें कि वहां विरल प्रचण्ड सूखा पड़ा है। वह केवल भीषण हो नहीं बल्कि भीषणतायुक्त हो। भीषणता, विरल भीषणता और कम भीषणता के विनिश्चयन का पता लगाने का क्या मानदण्ड हैं? अतः यह बहुत उदासीनतापूर्ण और भावना विहीन बात है। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे। सभा को हमारे देश के विभिन्न राज्यों में करोड़ों पीड़ित लोगों के प्रति उदासीन और भावनाविहीन रवैये की ओर ध्यान देना चाहिए।

अन्तिम बात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यह सरकार द्वारा अनुसरण गलत नीति के कारण नष्ट होने को है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से माल का उठाव बढ़ता जा रहा है। मेरे पास साबित करने के लिए आंकड़े मौजूद हैं। सार्वजनिक वितरण द्वारा पिछली फरवरी तक 13 मिलियन टन माल उठाया गया है जबकि पिछले 11 महीनों की इसी अवधि में 173 लाख टन माल खरीदा गया। चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खरीद और अधिक बढ़ गई है क्योंकि खुले बाजार में मूल्यों में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष खरीद 14 मिलियन टन थी। अब 11 महीने की अवधि में यह 17.3 मिलियन टन हो गई। अतः माल के उठाव में 30 मिलियन टन से अधिक की वृद्धि हुई है।

दूसरी ओर खरीद का क्या हुआ? कृषि मन्त्री महोदय को बात पर चिन्तित होना चाहिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मांग को पूरा करने के लिए खरीद में कमी आई हैं। उनकी सूचना के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अप्रैल 1991 से शुरू होने वाले 11 महीने की अवधि के दौरान अनाज की खरीद पिछले वर्ष की 22·9 मिलियन टन की खरीद के मुकाबले कम होकर 18·1 मिलियन टन रह गया जोकि 21 प्रतिशत है परि ाम यह हुआ कि केन्द्रीय पूल में 7 मार्च 1991 के 18.8 लाख टन के मुकाबले 1 मार्च, 1992 को 13·4 लाख टन अनाज का भण्डार रह गया है। मैं समझता हूं कि अब सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उसे विदेशों से 4 मिलियन टन अनाज का आयात करना चाहिए। यहां एक महत्वपूर्ण बात उठाई गई है। महोदय, मैं एक या दो मिनट में समाप्त करता हूं। सरकार इस बात को समझे। यदि आप यह महसूस करते हैं सरकार को नहीं समजना चाहिए तो मैं क्या करूं? मुझे खुशी होगी यदि आप मेरी बात का विरोध करेंगे। एक संविदा हुआ है, जिसमें आयातित गेहूं 5260 रु० प्रति टन है जबकि देश में उत्पादित गेहूं 4410 रु० प्रति टन है जोकि सस्ता है। भारतीय किसान को अधिक मूल्य देते हुए मूल्य 4410 रु० प्रति टन है फिर भी उन्होंने 5260 रु० प्रति टन की दर से गेहूं का आयात करने के लिए संविदा किया है। क्योंकि सरकार यह स्पष्ट करे स्वदेशी सस्ते अनाज को न लेकर सरकार अधिक मूल्य पर अनाज आयात क्यों कर रही है। सरकार सभी तथ्य क्यों नहीं बता रही है। मैं तथ्यों को जानना चाहता हूं।

मेरी अन्तिम बात भूख से हुई मौतों से है। त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भुखमरी से हुई मौतें हुई हैं।

एक माननीय सदस्य : मध्य प्रदेश में से कोई मौत नहीं है।

श्री चित्त बसु : ठीक है। मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसका खण्डन किया है। उड़ीसा सरकार ने भुखमरी होने का दो साल पहले ही खण्डन किया है, परन्तु बाद में उच्च न्यायालय ने अपने दिए गए एक निर्णय में सरकारी अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित करने को कहा है। जो कुछ भी आपके मुख्य मन्त्री ने कहा हो, सच्चाई तो अलग है। अपनी सरकार को बचाइए। अपनी सरकार को बचाना आपका कर्त्तव्य है। परन्तु आपको यह भी समझना चाहिए कि यदि संसद द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई जाती है कि कोई निष्पक्ष एजेंसी इस तथ्य का पता नहीं लगाएगी कि क्या भूख से मौतें हुई हैं या नहीं तो गरीबों का कोई भविष्य नहीं है। त्रिपुरा सहित अनेक राज्यों में भूख से मौतें हुई हैं, इस बात की पुष्टि गैर सरकारी एजेंसियों और समाचारपत्रों द्वारा की गई है। क्या संसद चुप रहेगी? यद्यपि राज्य सरकारें इस बात का खण्डन करती हैं तो भी क्या हमारे देश के विभिन्न राज्यों में भूख से मरने वालों की संख्या में हो रही वृद्धि पर संसद उदासीन और निष्ठुर बनी रहेगी? अतः महोदय, मेरा यह

सुझाव है कि आप कुछ सुझाव दें ताकि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा सके और मैं समझता संसद को भूख से हुई मौतों के मामलों की जांच करने के लिए अपनी एक समिति गठित करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से पूरे सदन में सूखे के बारे में सभी सम्मानित साथियों ने चिन्ता व्यक्त की है। लेकिन ऐसा लगता है हमारे कृषि मन्त्री अभी तक सूखे से पीड़ित नहीं हैं। यदि वे सूखे से पीड़ित होते और सूखे के बारे में हकीकत की उनको जानकारी होती तो अभी तक देश में जहां पर से भी सूखे की रिपोर्ट आई थी वहां उन्हें सूखा पीड़ित क्षेत्र घोषित करने का काम करना चाहिए था। लेकिन यह सरकार दो तरह से सोचती है, विचारों को व्यक्त करती है। एक तरफ देश के बड़े पूंजीपति का कहीं नुकसान होता है, उनको सुविधा प्रदान करने की दृष्टि दूसरी है, दूसरी तरफ गांव की झोंपड़ी में रहने वाले किसानों के यहां अगर आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए तो उसके लिए सरकार का दृष्टिकोण सुविधा पहुंचाने का दूसरा है। आज के समय में गांव में सावन से लेकर भादों तक बाजरा. मक्का की जो फसल पैदा होती है। उन फसलों को पैदा करके किसान अपना पेट भरने का काम करता था! आज सम्पूर्ण देश के पैमाने पर जिन राज्यों में सूखा पड़ा, उनके बारे में माननीय कृषि मन्त्री जी अच्छी तरह से जानते होंगे। इसका जिक्र हमारे माननीय सदस्यों ने भी किया। आज सैकड़ों लोग पानी के अभाव में मर चुके हैं, हजारों पशु मर चुके हैं, लहलहाती फसलें, जिनको किसानों ने पैदा किया था, उनका बीज उठा था, वे फसलें जमीन पर चली गयीं। इन सारी चीजों की रिपोर्ट हमारे कृषि मन्त्री जी के पास नहीं है। वह अभी यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि इस सूखे के कारण कितने पशु मरे, कितने लोग पानी के अभाव में मरे, कितनी फसल मुरझा कर जमीन पर गिर गई? महाकवि तुलसीदास ने कहा था "का वर्षा जब कृषि सुखानी" जब फसल ही सूख गई तो वर्षा से क्या लाभ होगा?

कृषि मन्त्री जी स्वयं किसान हैं। आज किसानों के सामने एक और संकट खड़ा है। पंपिंग सेट चलाकर जब किसान अपने बीज को बचाना चाहता है तो उसे डीजल नहीं मिलता है, पैट्रोल नहीं मिलता है। इसमें केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का मामला नहीं आता है। अगर प्रदेश की सरकारें भयंकर सूखे के समय डीजल मुहैया नहीं करा पाती हैं तो फिर वह किसान कहां जाए। ऐसे में किसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है। जहां सरकारी नलकूप लगे हैं, वहां नालियां टूट गई है। जब वह पानी के लिए जाता है तो बिजली गायब हो जाती है। कागज पर तो नालियां बन जाती हैं लेकिन हकीकत में वह बनती नहीं हैं। कमिशन अधिकारी लोग खा लेते हैं। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के नाम पर अधिकारी कमीशन के तौर पर बड़े पैमाने पर पैसा ले लेते हैं और राहत कार्यों को कागजों पर दिखा देते हैं। अगर माननीय कृषि मन्त्री जी वाकई में किसान हैं और किसानों के हमदर्द हैं तो वह किसानों के दर्द को जानने का प्रयास करें। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में फव्वारे की बारिश हो जाती है लेकिन गांवों में किसानों की फसल पानी के अभाव में सूख जाती है और मर जाती है। जब इस सदन में हमारे सम्मानीय सदस्य यह कहते हैं कि भुखमरी हो रही है, लोग पानी के अभाव से मर रहे हैं तो आप दबाव डालते हैं कि नहीं इस देश में भूख से कोई नहीं मरा। ऐसे में डाक्टर जाता है, देख लेता है, बीमारी दिखा देता है और यह कह देता है कि यह बीमारी से मर गया, पानी के अभाव से नहीं मरा, भूख से नहीं मरा।

बड़े काश्तकारों के खेतों में जो खेत मजदूर काम करते हैं, आज उनके सामने भी संकट खड़ा हो गया है। जब उनके खेत में पानी नहीं होगा तो वे खेत में मजदूरों को कैसे लगाएंगे। ऐसे खेत मजदूर उपवास करते हैं और गांव छोड़कर शहर की ओर व्यापक पैमाने पर अपना पेट भरने के लिए आ जाते हैं। खेत मजदूर खेत में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे भयंकर सूखे के समय वे बेबस हो जाते हैं और शहर की तरफ दौड़ते हैं। ऐसे गांव एक तरह से बेकार हो जाते हैं।

जहां ये सब हो रहा है वहां दूसरी तरफ आपकी वितरण प्रणाली भी खराब है। गांवों में सरकारी गल्ले की दुकानों के माध्यम से चीनी से लेकर मिट्टी के तेल का जो वितरण होता है, वह भेदभावपूर्ण होता है। उस भेदभावपूर्ण वितरण को आपके द्वारा ठीक करने का काम नहीं किया गया। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली है, आपने वहां डीजल की कटौती कर दी, वहीं राहत कोष के मामले में हमारे यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, बिहार में जहां सूखा पड़ा और कहीं कहीं बारिश आई लेकिन उस बारिश से वह फसल आने वाली नहीं है और हो सकता है, आगे चलकर बाढ़ आ जाए। जब बाढ़ आ जाएगी तब योजना जाएगी, अधिकारी पहुंचेगा, जब गांव डूबने लगेगा तब, अधिकारी तब जाएगा और कागज यह बना देगा कि इतने रुपये का नुकसान हो गया।

आपके जो सरकारी क्रय केन्द्र हैं, उन पर आपने जो दाम निर्धारित किया है, आप उसका हिसाब लगा लीजिए कि आपकी मण्डियों में कितना भर गया, उस खरीद केन्द्र पर ही किसान अपना गेहूं नहीं ले जाता है इसलिए कि आप भले न कमीशन खाने का इरादा रखते हों लेकिन आप जो गेहूं का आयात कर रहे हैं, मेरे एक सवाल के उत्तर में जो उत्तर आया, उसको मैं मानकर चल रहा हूं कि 526 रुपये क्विन्टल आप कनाडा से गेहूं दिल्ली में उतारेंगे और यहां गांव के किसानों को क्रय केन्द्रों पर देना पड़ेगा 275 रुपया। फिर आप कहते हैं कि गेहूं कौन किसान दे रहा है तो क्यों दे, इसमें कमीशनखोरी नहीं है तो और क्या है?

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सूखे से, भुखमरी से इस देश को बचाने के लिए मान्यवर कृषि मन्त्री जी आप कम से कम निर्देश दीजिए कि 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाए। आप चूंकि बातों में लगे हैं, कमीशन का आरोप में आप पर सीधे लगा रहा हूं और आपको यह कहना चाहता हूं कि आप अगर सही में किसान हैं और किसानों के प्रति अगर आपमें दया है तो आज आपको निर्देश देना चाहिए कि 24 घंटे किसानों के लिए बिजली की आपूर्ति की जाए। जितनी टूटी नालियां हैं, उनको ठीक किया जाए। एक तरफ तो सूखा है लेकिन दूसरी तरफ वसूली के लिए लोग जा रहे हैं, उस वसूली को बन्द कराने का काम करें और जो बेरोजगार नौजवान हैं, उन बेरोजगार नौजवानों को, जो खेतिहर मजदूर गांव छोड़कर शहर की ओर भाग रहे हैं, उनको भी जीवन-यापन की व्यवस्था करने का काम करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, हम आशा और विश्वास करते हैं कि कृषि मन्त्री इस देश के किसानों की हिफाजत करने का काम करेंगे और अगर काम नहीं करेंगे तो इस देश के भूखे पीड़ित लोग मिलकर आपको खुद ही घेर लेंगे और उतार देंगे, मैं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है और 2.00 म०प० पर पुन: समवेत होगी।

1.03 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.05 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.05 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर चर्चा करेंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सलार जंग म्यूजियम बोर्ड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक लेखा तथा इन पत्रों इत्यादि को पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : श्री अर्जुन सिंह की ओर से :—

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) सलार जंग म्यूजियम बोर्ड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सलार जंग म्यूजियम बोर्ड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सलार जंग म्यूजियम बोर्ड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2350/92]

वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) (संघ राज्य क्षेत्र) संशोधन नियम, 1992 इत्यादि

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : श्री कमलनाथ की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 53 की उपधारा (2) के अन्तर्गत वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (संघ राज्य क्षेत्र) संशोधन नियम, 1992, जो 31 मार्च 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 379 (इ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 2351/92]

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अन्तर्गत परिसंकट में अपशिष्ट (प्रबन्ध और उठाई-धराई) संशोधन नियम, 1992, जो 31 मार्च, 1992 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 380(ङ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 2352/92]

(3) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 2 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का० आ० 227(ङ), जो 24 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अधिसूचना के साथ संलग्न सारिणी में उल्लिखित परिसंकटमय पदार्थ की उठाई-धराई के लिए प्रत्येक स्वामी को उतनी अथवा उससे अधिक मात्रा विनिर्दिष्ट करनी होगी जिसके लिए वह बीमा पालिसी लेगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 2353/92]

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुई विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2354/92]

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ सरकार (1991 का संख्यक-16) (वाणिज्यिक) प्रतिवेदन हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डा० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत में नियन्त्रक-महालेखा परीक्षित के प्रतिवेदन-संघ सरकार (1991 की संख्या—16) (वाणिज्यिक)—हिन्दुस्तान लेटेक्स लि० की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2355/92)

प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) नियम, 1992 तथा सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यरण की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 78 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) नियम, 1992, जो 27 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 435(अ) के प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2356/92]

(2) (एक) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2357/92]

2.07 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त सूखे की स्थिति —(जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए। यदि प्रत्येक माननीय सदस्य केवल 3 मिनट ही बोलें तो और अधिक माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने का मौका मिल सकेगा। हमें दूसरे विषय को 3.30 म० प० पर लेना है। इसलिये सभी माननीय सदस्यों को सहयोग करना होगा।

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। इस वर्ष मानसून देरी से आने के कारण अनेक राज्य सूखे की चपेट में प्रभावित हैं। मौसम के पूर्वानुमान में भी इस वर्ष कम मानसून बताया गया है। इससे डर पैदा हो गया था। अनाज के मूल्यों में वृद्धि हो गयी है। सार्वजनिक प्रणाली विफल हो गयी है। इसके अलावा अनेक बड़े भागों में पेयजल उपलब्ध नहीं है। स्वतंत्रता के 44 वर्षों बाद भी यह स्थिति है। इससे हमारी आयोजना, जल संसाधनों के प्रबंध खाद्य नीति और तथाकथित नयी आर्थिक नीति जोकि संस्थागत व्यवस्थाओं पर आधारित है आदि के बारे में बहुत कुछ पता चलता है।

इससे पहले सभा का ध्यान त्रिपुरा में भुखमरी से होने वाली मौतों की ओर दिलाया गया था। इसको ऐसे समझाने की कोशिश की गयी थी जैसेकि यह महामारी जैसी कोई चीज हो। उड़ीसा के कालाहाण्डी जिले, महाराष्ट्र के ठाणे और अन्य जनजातीय क्षेत्रों तथा मध्य प्रदेश के सरगूजा में भुखमरी से होने वाली मौतों की ओर भी सभा का ध्यान आकर्षित किया गया था। उड़ीसा का मामला इन वर्षों में की गयी दिवालियापन आयोजना का जीता जागता उदाहरण है। उड़ीसा के चार जिलों के तटीय हिस्सों में बाढ़ आयी है और 9 जिलों तथा तटीय जिलों के ऊपरी हिस्सों में सूखा है। वहां पर यह स्थिति है। पूरे उड़ीसा राज्य में इस वर्ष 20 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। तटीय जिलों के अलावा 9 जिलों में यह अभी भी कम है। अब तक आमान्य वर्षा लगभग 1499 मि० मी० हुई होती। इस वर्ष कुल मिलाकर 20 प्रतिशत कम है।

उड़ीसा के विशेष राहत आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कालाहाण्डी जिले का मुआपाड़ा सब डिवीजन सर्वाधिक प्रभावित है।

कालाहाण्डी जिला सूखा प्रवण जिला है। कुछ हद तक यह मानव निर्मित भी है क्योंकि शासक दल का समर्थन प्राप्त ठेकेदारों द्वारा बड़ी संख्या में वृक्षों को काटा जाता है। कभी-कभी इसमें मंत्री और विधायक भी शामिल होते हैं और एक प्रकार से यह शासक दल वहां वनों को साफ करते हैं।

चावल का मूल्य 7 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है, जहां निर्धन लोगों के लिए कोई काम नहीं है, वहां उनके लिए आय का कोई अवसर नहीं है। उड़ीसा में केवल 20 प्रतिशत सिंचित भूमि है। अत: यह स्वाभाविक है कि थोड़ी सी भी कम वर्षा होने से वहां इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

यदि उपयुक्त आयोजना और जल संसाधनों का उपयुक्त प्रबंध होता तो सूखा और बाढ़ दोनों को ही नियन्त्रित किया जा सकता क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नदियों अथवा जल संसाधनों की कमी नहीं है परन्तु कमी जल प्रबन्ध और आयोजना में है। अत: बाढ़ और सूखा उड़ीसा में नियमित रूप से आते हैं।

अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि जब तक तुरन्त उचित कदम उठाये गए विशेषकर पश्चिमी जिलों में तो वहां स्थिति बहुत गम्भीर हो जायेगी। चूंकि यह लगातार हो रहा है तो यही स्थिति दोबारा उत्पन्न हो जायेगी। स्थिति से निपटने के लिए तुरन्त ऐसे कदम उठाए जायें जिससे किसानों को लिफ्ट सिंचाई द्वारा और डीजल पम्पों द्वारा उनके खेतों तक पानी पहुंचाया जाए और उन्हें रियायती दरों पर बीज और उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। इस काम को जिलों में विशेष कार्यक्रम द्वारा फैलाया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को फिर से नया रूप दिया जाये। इसके लिए अनाज को उचित आपूर्ति किए जाने की भी आवश्यकता है।

यह केवल उड़ीसा के लिए ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवश्यक है। ये कदम तुरन्त उठाए जाने चाहिए। कोई भी राज्य सरकार इस स्थिति से नहीं निपट सकती है यदि अकेले ही सारे काम उनके ऊपर छोड़ दिए जायें। अत: केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों की बड़े पैमाने पर सहायता करनी चाहिए और इसके लिए इस स्थिति से निपटने के लिए विशेष योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

श्री शरत् चन्द्र पटनायक (बोलंगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में कृषि मानसून पर निर्भर करती है। वर्षा के समय पर न होने से कृषि व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस वर्ष के दौरान मानसून के असंतुलित होने के कारण कृषि उत्पादन भी असंतुलित रहा है।

इस वर्ष उड़ीसा का कुछ भाग भी सूखे की चपेट में है। दुखद स्थिति यह है कि अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आने के कारण फसलें बह जाती हैं और कम वर्षा से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बोलंगीर की बात कोई नई नहीं है। यहां लगभग एक दशक से सूखा पड़ रहा है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित सूखा राहत कार्यक्रम चलाए जाने के बावजूद वास्तव में इसमें लापरवाही पूर्ण क्रियान्वयन से लोगों की तकलीफें और बढ़ गई हैं। भूमि में जबर्दस्त कटाव हो रहा है जिसके कारण भूमि की उत्पादकता में कमी आई है। सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण भूमि का उपयोग करने के तरीके में एकदम परिवर्तन आ रहा है।

राज्य सरकार बोलंगीर में लिफ्ट सिंचाई प्रदान नहीं करना चाह रही है बावजूद इस बात के कि

इस क्षेत्र में जमीन के नीचे काफी पानी होने की बहुत अच्छी संभावनायें हैं। बड़ी संख्या में सूखे वन बंजर भूमि में बदल रहे हैं क्योंकि परती भूमि के विकास के लिए कोई समेकित दृष्टिकोण नहीं है।

जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से दिया गया धन लाभार्थियों अर्थात् समाज के कमजोर वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है। स्थानीय संसद सदस्य इस कार्यक्रम की निगरानी और क्रियान्वयन में शामिल नहीं हैं। रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए जाते हैं, भूमि की क्षमता को बनाये रखने के लिए कोई बुनियादी सुविधा नहीं है और मृदा और जल सरंक्षण के लिए कोई उपाय नहीं है। राहत प्रदान करने के लिए किए गए तदर्थ उपाय इस समस्या का हल नहीं है। उड़ीसा के बोलंगीर जिले और देश के अन्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने और उसका विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता है। समाचार पत्र 'दि टाइम्स आफ इण्डिया' में यह प्रकाशित हुआ था कि बोलंगीर जिले में भुखमरी के कारण महिला ने अपने 8 माह के शिशु को 20 रु० में एक खोमचे वाले को बेच दिया और उस खोमचे वाले थे उस शिशु को एक और महिला को 50 रु० में बेच दिया। बोलंगीर जिला जो उड़ीसा के पश्चिमी भाग में स्थित है में सूखा की स्थिति बहुत खराब है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस जिले पर सावधानीपूर्वक ध्यान दें और उड़ीसा के बोलंगीर, कालाहाण्डी, फूलबनी और कोरापुट जिलों में भी विशेष रूचि लें। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विशेष कार्यक्रमों को भी इन क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे देश के कई भागों में सूखे की स्थिति है और बिहार के अन्दर भी है। इधर तो वर्षा हुई है, लेकिन ऐसे मौके पर वर्षा हुई जब धान की खेती में जो बिचड़ा लगाया था वह सब जल गया। बिहार में कई ऐसे हिस्से हैं जहां सूखा है। उसमें मेरा जिला भी है, पूरा नहीं, लेकिन कई अंचल उससे प्रभावित हैं। सूखा एक ऐसी समस्या है जो हर साल आती है लेकिन इसको बराबर कैजुअल वे में लिया जाता है। जब सूखे की स्थिति आती है तब उस पर विचार होता है। मेरा सुझाव यह होगा कि इस समस्या का एक स्थाई निदान निकालने के लिए केन्द्र सरकार को अखिल भारतीय पैमाने पर योजना बनानी चाहिए जिससे हमेशा-हमेशा के लिए सूखे से छुटकारा मिल सके।

हमारे देश में पानी की कमी नहीं है और वर्षा भी किसी न किसी हिस्से में होती ही है, खासतौर से जो उत्तरी इलाके हैं, हिमालय से सटे हुए तथा दूसरे इलाकों में भी पानी की कमी नहीं है। यह जो वर्षा आती है और बड़ा जमाव होता है यह समुद्र में चला जाता है। अगर इसकी रोकथाम की व्यवस्था की जाए और इस तरह की व्यवस्था की जाए जिसमें इस पानी का इस्तेमाल किया जा सके, चूंकि देखा यह जाता है कि नदियों में पानी भरा हुआ है और उसकी बगल में सुखाड़ है, पानी रहते हुए भी सुखाड़, क्योंकि नदियों में जो पानी आता है वह ऊपर से आता है, स्पैसिफिक क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है तो वह क्षेत्र सुखाड़ का शिकार हो जाता है, इसलिए अगर इसकी व्यवस्था की जाए योजना बनाकर तो सुखाड़ का मुकाबला किया जा सकता है और सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है।

बिहार की सिंचाई की जो लम्बित योजनाएं हैं, खासतौर से सबसे ज्यादा लम्बित योजना अगर किसी एक राज्य की होगी तो वह बिहार है, उसके बारे में कहना चाहूंगा। बिहार के अन्दर पोटेंशियलिटी बहुत है, फिर भी उसकी योजना पूरी नहीं हो रही हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि समय

बहुत कम है, कुछ योजनाओं का जिक्र मैं करना चाहता हूं उसके बाद मैं अपनी समाप्त करूंगा। हमारा जो जिला है, हमारी कांस्टीच्यूएंसी है उसके बगल-बगल का इलाका आमतौर पर सूखे का शिकार होता है और वहां ढाढर तिलइया योजना सिंचाई की है, अपर सकरी योजना सिंचाई की है, ये योजनाएं काफी अर्से से लम्बित हैं। 1980 से मैं पार्लियामेंट का मेम्बर हूं और बराबर बहुत समय से मैं मांग करता रहा हूं कि गंगा नदी से नहर निकाल कर दक्षिण की ओर राजगीर के पहाड़ की तलहटियों में पानी का खजाना बनाया जाए तो उससे कई जिलों में सिंचाई की योजना बनायी जा सकती है। ठीक उसी तरह राजगीर पहाड़ों से दक्षिण के पहाड़ों से जो पानी आता है, पहाड़ के दक्षिण तरफ काफी जमीन है अगर उसमें पानी ला कर जमा किया जाए तो उसमें भी कई जिलों में सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है।

इसके अलावा लोकायन नदी है। हमारे यहां पटना में और कई जिलों में सोन नदी निकलती है। उसका आधुनिकीकरण करने का बराबर आंदोलन हो रहा है और फिर जलाशय बनाकर के उसमें और पानी जमा किया जाए जिसमें नहर आदि की मरम्मत करके किया जा सकता है जिससे कई जिलों की सिंचाई हो सकती है। बिजली एक प्रमुख चीज है। हमारे जिले में एन०टी०पी०सी० का सुपर थर्मल पावर ग्रिड बना है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जिन किसानों ने जमीन दी थी तो न उनको नौकरी दी गई और न नालन्दा जिले को उससे बिजली मिल रही है। वहां इसके लिए बड़ा आन्दोलन चल रहा है। यह सही है कि राज्य सरकार बिजली का बंटवारे का काम करता है। लेकिन बिहार में बिजली की इतनी कमी है जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में जो बिजली दी जानी चाहिए वह बिजली नहीं दी जा रही है। अभी कई जिलों में सुखाड़ की स्थिति है। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि एन०टी०पी०सी० का जो सुपर थर्मल पावर ग्रिड बना है उसको ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाए ताकि जिन इलाकों को बिजली की जरूरत है, उनको बिजली मिल सके। साथ ही साथ मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि सुखाड़ और बाढ़ की स्थिति देश के अन्दर है। कुछ इलाकों में बाढ़ हैं और कुछ इलाकों में सुखाड़। यह ऐसी समस्या है कि इन समस्याओं को लेकर के अगर हम लोग बहस करके रह जायेंगे तो इससे इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इसके लिए कोई एक ठोस योजना बनायी जाए अखिल भारतीय पैमाने पर और सभी राज्य सरकारों और सभी पार्टियों को उससे सम्बद्ध किया जाए और इस तरह स्थायी समाधान निकाला जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम (तिरुचेंगोड़)** : मैं उपाध्यक्ष महोदय को हृदय से धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस माननीय सभा में देश में सूखे की स्थिति पर चल रही चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया।

मुझे अपना भाषण अपनी मातृभाषा तमिल में देने पर बहुत खुशी हो रही है। जिसकी तुलना हमारी सांसों और नेक्टर के साथ की जा सकती है।

कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने और सूखे से निपटते हुए विकास सुनिश्चित करने और प्रचुर

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

मात्रा में उत्पादन के लिए तमिलनाडु में किसानों को बिजली निःशुल्क मिलती है। इस बात के बावजूद कि भारी घाटा हो सकता है यह उपाय किसानों जोकि हमारी अर्थव्यवस्था और देश के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं के लिए चलाया जा रहा है। मैं तमिलनाडु की स्थामीय मुख्यमंत्री महोदया की चिन्तनशील योजनाओर हमारे नेता पुरातची तल्लाईवी (क्रांतिकारी नेता) के प्रति आभारी हूं और उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं मंच पर अपना भाषण जारी रखती हूं।

विज्ञान की उन्नति हुई है, शहरी क्षेत्रों की सभ्यता में भी उन्नति हुई है परन्तु अब भी कृषि प्रगति रूपी पहिए का केन्द्रबिन्दु है और भूख से बचाव के लिए खाद्यान्न हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से ही आता है और हमारे देश के लोग इस मूल बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज हम रूस में अत्यधिक खाद्यान्न की कमी देख रहे हैं। हम बहुत थोड़ी सी मात्रा में दूध और रोटी का एक टुकड़ा पाने के लिए लम्बी-लम्बी कतारें देखते हैं। यह चिंताजनक स्थिति केवल वहां पर व्याप्त सूखे की स्थिति के कारण है। हमें ऐसी समस्याग्रस्त स्थितियों से सीख लेनी चाहिए और इस तथ्य से भली-भांति परिचित हैं।

भारत मूलतः एक कृषि प्रधान देश है और यह एक बड़ा देश है। हममें से अधिकांश लोग यह चाहते हैं कि यह देश एक रहे और समृद्ध हो। एक ही समय में हमारा एक नागरिक तो बाढ़ में बह जाता है और उसकी जल समाधि बन जाती है, दूसरा नागरिक प्यास से मर जाता है और उसका गला सूख जाता है और उसे एक बून्द पानी नसीब नहीं होता है। हम एक ही समय में असम में बाढ़ और आंध्र प्रदेश में सूखे के बारे में सुनते हैं। ऐसा विरोधाभास क्यों हैं? यह आज का भारत है। यदि ये समस्यायें क्षणिक हैं तो इन्हें अधिक समय तक नहीं चलना चाहिए। हम इन्हें सहन कर सकते हैं परन्तु यदि ये समस्याएं चलती रहीं तो ये हमारे देश के भाईचारे जो हमारी एकता का आधार हैं; तक को ध्वस्त कर देंगी। मैं इस बात को सरकार की जानकारी में लाना चाहती हूं। हमारे कृषि मन्त्री महोदय और शासक दल के नेता को इन समस्याओं से निपटने का तरीका निकालना चाहिए। राष्ट्रीय एकता केवल तभी मजबूत होगी जब एक राज्य के प्रचुर संसाधक दूसरे राज्य जहां ये न हो की कमी को पूरा कर सकें। यही बात तमिल के विख्यात कवि सुब्रामण्यम भारती ने उस समय कही थी। जब देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा था कि हम अपने देश के केन्द्र में स्थित मैदानी भागों को बंगाल के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जल से सींच सकते हैं। अपने महान नेता लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के लोगों ने महान क्रांति की और अपनी सरकार की स्थापना करने के बाद बहुत ही थोड़े से समय में वोल्गा नदी को एक दूसरी प्रमुख नदी से जोड़ने के सपने को साकार किया था। हम कहीं और की ऐसी बात क्यों करें जब हमारे ही देश में हमारी सफलताओं की कहानियां मौजूद हों। राजस्थान में हमने बड़े भू-भाग में व्याप्त रेगिस्तान के बीच 650 कि०मी० लम्बी नहर के निर्माण से हमने उसके दोनों ओर एक उपजाऊ और कृषि योग्य भूमि उपलब्ध करा दी है।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करती हूं कि इन उपायों के लाभ उठाए जाएं। मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगी कि सभी प्रमुख नदियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें आपस में जोड़ दिया जाए यह हमारे लगातार जारी पानी की कमी और सूखे की समस्याओं से निपटने का स्थायी समाधान है।

अब से 25 साल बाद तेजी से विकसित होने वाले औद्योगिक शहरों में हमें पानी और विशेषकर पेयजल की भारी कमी का सामान करना पड़ सकता है। इस बात का सोचना ही हमारे लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। मैं आपके सामने तमिल में एक कहावत कहती हूं कि केवल बेहतर सिंचाई की सुविधाएं ही खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि कर सकती हैं जो कि अन्ततः देश में अच्छा शासन सुनिश्चित

कर सकती है। अतः मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि वह अपने लिए इस बात को गम्भीर चिंतन का विषय बनाएं और अपना परम कर्त्तव्य समझे कि सभी जल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करके सिंचाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके और एक लाभकारी और ठोस जल प्रबन्ध नीति बनाई जाए। केवल यही हमारी जटिल समस्याओं का स्थाई समाधान कर सकती है।

हमारे किसान जो खेतों पर काम करते हैं को लाभ होना चाहिए। हमारे किसान इस बात से व्यथित हो उठते हैं कि यह जानते हुए कि वे खाद्यान्न उत्पादन में योगदान देते हैं फिर भी उन्हें एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है। केवल एक प्रभावी जल प्रबन्ध नीति ही हमारे किसानों को राहत दे सकती है। इस देश के किसानों की ओर से मैं किसानों से निवेदन करती हूं कि किसानों की इस मूलभूत आवश्यकता को महत्व दिया जाए। जब इन उपायों और योजनाओं को लागू किया जाएगा तो हमारे किसानों के लिए प्रचुर मात्रा में उत्पादन करना सम्भव होगा जो हमारे लिए भी काफी होगा और विश्व के अन्य को भी भेजा जा सकेगा। हमारे नेता पुरातच्थी तमईवार (क्रांतिकारी नेता एम० जी० आर०) ने एक बार कहा था "जब प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो हम अन्य देशों से क्यों मांगे ? यदि हम कृषि में अथक प्रयास करें तो देशों के समुदाय में हमारी साख और बढ़ेगी।" इस विचारधारा का बीजारोपण उस समय वर्षों पहले हमारे नेता ने किया था।

मुझे तमिलनाडु के किसानों की प्रशंसा करते हुए गर्व हो रहा है। वे मेहनती लोग प्रचुर जल क्षमता की अपेक्षा कर रहे हैं। वे शुष्क भूमि को उपजाऊ और कृषि योग्य बनाने के लिए तैयार हैं। यदि जल स्रोत कुल मील अर्था 50 कि० मी० की दूरी पर हो तो वे उस तक का उपयोग करने को भी तैयार है।

"तुप्पराक्कू तुप्पइया तुप्परक्की तुप्परक्कू तुप्पईया तूवू मझई" — ये पंक्तियां "तीरूक्कुराल" से ली गई हैं जो वर्षा के देवों की महानता की प्रशंसा करता है। परन्तु आज भी हमारे देश में बहुत अधिक शुष्क भूमि है जो तमिलनाडु के अधिकांश भागों में वर्षा पर निर्भर है। तिरूनेलवेली, कन्याकुमारी, रामनाथपुरम, धर्मपुरी, कोयम्बटूर और सालेम जैसे जिलों की कभी न खत्म होने वाली समस्याओं का स्थाई समाधान हम कब ढूंढ पाएंगे ?

यदि हम अलियार-पुन्नमपुझा परियोजना को पूरा कर सकें तो कोयम्बटूर और डिंडीगुल जैसे सूखा प्रभावित जिलों को राहत मिल सकती है। यदि हम पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की दिशा बदल दें और उसका मार्ग दूसरी ओर फिर से प्रशस्त करें तो हम तिरूनेलवेली, ट्यूटीकोरिन, कन्याकुमारी, जिलों को अधिक उपजाऊ बना सकते हैं और अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता हैं।

यदि हमारे किसान धान का फसल नहीं उगा सकते फिर भी वे हिम्मत नहीं हारते हैं, वे नारियल तथा पाम के वृक्षों को लाभप्रद नकद फसल में परिवर्तित करने में पर्याप्त कुशल हैं।

तमिलनाडु में धान की खेती इतनी अधिक होती थी कि हमारे प्राचीन साहित्यों में यह उल्लेख मिलता है कि दांवने के लिए बैल जैसे मवेशियों की नहीं बल्कि हाथियों की जरूरत पड़ती थी। परन्तु अब हमें वर्ष में एक फसल उगाने के लिए पड़ोसी राज्य पर निर्भर रहना पड़ता है। अब हमें एक बड़ी विषम स्थिति में धकेल दिया गया है।

इस वर्ष प्रकृति की हम पर कृपा थी। हमारे मेत्तूर जलाशय में पर्याप्त पानी जमा हुआ। हमारे

मुख्यमन्त्री के शासकीय आदेश से खेती के लिए समय पर पानी सुनिश्चित हो सका। कुरुवई फसल की बुवाई अभी शुरू हुई है परन्तु हमारे किसानों का मिहनत तथा इसकी सफल खेती कृषि मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्री पर निर्भर करती है।

मैं कृषि उत्पादन में इजराइल की सफलता की कहानी को सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। इससे इस बात का पता चलता है कि यदि मनुष्य एकजुट होकर प्रयास करे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, इजराइल में हमारे देश का एक तिहाई वर्षा होती है। परन्तु ड्रिप सिंचाई तथा झरना सिंचाई जैसी नवीन जल प्रबन्ध विधियों का इस्तेमाल कर एक अच्छी फसल उगा सके हैं वे फूलदार पौधे फलदार वृक्ष तथा दालें उगाते हैं जिसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। हांलाकि जार्डन की 80 प्रतिशत भूमि मरुस्थलीय अथवा मरुस्थल समान है फिर भी उन्होंने खाद्य उत्पादक में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। वे पानी का इस विचार से सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं कि पौधों को पर्याप्त पानी दिया जाए और भू-सतह पर पानी व्यर्थ नहीं बहाया जाए। उनकी सफलता का यही कारण है।

हमारे देश में ड्रिप सिंचाई शुरू की जा सकती है परन्तु ऐसी तकनीक को अपनाने के लिए हमारे कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य एजेंसियों को देशी तरीके इजाद करने होंगे। आधारभूत वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को साधारण और कम खर्चीला बनाना होगा ताकि यह हमारे कृषकों के लिए उपयुक्त हो। वर्षा का बहुमूल्य जल बर्बाद हो जाता है। जैसाकि जल प्रबंधन विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है इस संसाधन के परिरक्षण के लिए हमें नदी की तलहटियों पर आड़ी तिरछी दीवारें बनाना होंगी ताकि पूरे वर्ष कम-से-कम 2 या 3 फीट पानी जलाशय में जाए। केन्द्र को चाहिए कि वह प्रभावकारी जल प्रबन्धन कार्यक्रम तथा योजना शुरू करने के लिए सरकार को पर्याप्त धन प्रदान करे। इसमें राज्य सरकारों को सूखे की स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी।

राज्य सरकारों को टंकियों के रखरखाव पर काफी खर्च करना पड़ता है जिससे वर्षा के जल को संचित किया जा सकता है और नहरों के गाद को हटाया जा सके। अत: जल प्रबन्धन से होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्हें ज्यादा धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता है।

वृक्ष लगाने से और अधिक वर्षा होती है और इस बात को सभी को समझाने के लिए हमारी सरकार को स्वयं पहल करनी चाहिए। जर्मनी में 1980 में नीम वृक्ष और इसके उपयोग पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जर्मनी में नीम के वृक्ष नहीं हैं। इस प्रकार अमेरिका में नीम पर आधारित एक दवाई की कम्पनी शुरू की गई जहां नीम का एक भी वृक्ष नहीं है।

नीम का वृक्ष सूखा प्रवण क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। नीम सूखे की स्थिति में भी जीवित रहता है। नीम उत्पादों का साबुन तथा कीटनाशक दवाई बनाने में उपयोग होता है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सूखे नीम में बंजर भूमि को खेती योग्य भूमि बनाने की अजीब क्षमता है।

हमें शहरी क्षेत्रों में इस्तेमाल किया पानी के पुन: इस्तेमाल पर भी विचार करना चाहिए। विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि शहर में प्रति शक्ति पानी की खपत 159 ली० प्रतिदिन है। अर्थक्षम तथा त्रुटिहीन पानी की प्रणाली से पानी इकट्ठा कर और उस पानी से जहरीले पदार्थ निकाल कर इकट्ठा किए गए कैसे जल का इस्तेमाल औद्योगिक प्रयोजन के लिए सड़कों पर पौधे उगाकर तथा मवेशियों के के लिए आहार उपजाने के लिए किया जा सकता है। इससे शहरी क्षेत्रों का पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होगा।

हमें जनसामान्य विशेषकर किसानों के मन में बेहतर उपयोग के लिए प्रत्यक्ष इकट्ठा करने के प्रति जागरूकता पैदा करनी होगी।

मैं यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि लालतिकोन परिवार नियोजन का प्रतीक है परन्तु उल्टा हरा तिकोन हरीत क्रांति का प्रतीक है अतः, इस बात पर बल देना निरर्थक है कि जनसंख्या वृद्धि को कम करने में हमारे एकजुट प्रयासों से सूखा के दुष्प्रभावों तथा सूखा के कारणों को दूर कर सकता है।

"समय आ गया है जब हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा हमें अपने कर्त्तव्य निभाने होंगे, हमें इस देश में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करना होगा। हमें इसके विकास में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार किसानों की बेहतरी के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को नेतृत्व की भावना में शामिल करना चाहिए। इसे प्रभावी बनाने के लिए कमी की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र को चाहिए कि वह पर्याप्त धन आबंटित करे। मैं कृषि मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह पर्याप्त सूखा राहत धनराशि आबंटित करने पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें जिसकी आवश्यकता है। गरीब किसानों के लिए

मिट्टी का बन्ध तकिया है,
पुआल शैय्या है
श्रम सीकर स्नान का जल है
देह ही रेशमी परिधान सा सुख देती है

ऐसे किसान, गरीब से गरीब किसान को राज्य अधिकारियों के सूखा राहत कार्यकलाप से राहत मिलेगी। अतः पुनः इस बात पर बल देना आवश्यक न होगा कि राज्यों को सूखा राहत हेतु केन्द्र द्वारा अधिक धन दिया जाना चाहिए ताकि स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी (पुणें) : उपाध्यक्ष जी, सारे देश में सूखे का संकट इतने बड़े भारी पैमाने पर है कि लगभग आठ राज्यों में कम से कम 75 जिले और करीब नौ करोड़ लोग इस सूखे की चपेट में आ गये हैं और अभी कितने आयेंगे, वह भी हम नहीं कह सकते क्योंकि वर्षा अभी भी कई प्रान्तों से विमुख हो गयी है। इसलिए हम चाहते हैं कि शासन इस संकट की ओर गंभीरता से देखें। जो उत्तर हमें मिलते हैं या प्रश्नोत्तर में भाषण के दौरान जो सुनते हैं तो ऐसा लगता है—जैसा कल राव साहब ने भाषण किया कि—रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था--राज्यकर्ताओं की कितनी हमदर्दी है कि जनता सूखे या सूखे की चपेट में आई हुई है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कर रहा है।

उपाध्यक्ष जी, हम लोगों ने 27 अप्रैल और 8 मई को इस सदन के शून्य प्रहर में महाराष्ट्र के अकाल के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हमारे माननीय नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल माननीय प्रधानमन्त्री से मिला था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे खुद महाराष्ट्र के इस अकालग्रस्त भाग को देखने के लिए जरूर जायेंगे लेकिन उनको वहां आने के लिए समय नहीं मिला।

उपाध्यक्ष जी, हमने कृषि मंत्री जी से यह विनती की थी कि वे वहां पर एक अध्ययन समिति भेजें। वह अध्ययन समिति वहां जरूर आयी लेकिन उसने क्या बताया, उसके बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि :

[अनुवाद]

"यह निर्णय लिया गया है कि विपदा राहत कार्य हेतु किए गए प्रावधान के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्य की स्थिति को इतनी विरल भीषणतायुक्त नहीं माना जा सकता है कि उससे राष्ट्रीय स्तर पर निपटा जाए।"

[हिन्दी]

महाराष्ट्र सरकार ने सेन्टर से अनुरोध किया था कि कुल आवश्यकता 789.41 करोड़ थी और वह कौन सा नया तरीका निकाला है कि अकाल के लिए या ऐसी नेचुरल कैलामिटी के लिए जो भी धन दिया जाएगा वह पहले ही तय करके रखते हैं! उपाध्यक्ष जी, मुझे मालूम नहीं पड़ता है कि अगर अकाल या नैसर्गिक संकटों का दायरा, अगर हमें पहले नहीं मालूम कि उसके चंगुल में कितने लोग आयेंगे, कितनी जमीन आ गई, कितने जिले सूखे की चपेट में होंगे, अगर ये मालूम नहीं पड़ता है तो पहले से कैसे तय कर सकते हैं कि 60 करोड़ दिया जाएगा! यह कैसे होगा? उसकी वजह से एक भीषण खिलवाड़ हमारे साथ किया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने मांगा है 789.41 करोड़ और मन्त्री महोदय उत्तर देते हैं कि पूरे 1992-93 में महाराष्ट्र के लिए जितना धन देना तय हुआ था वह 33 करोड़ हमने दे दिए हैं। इसका क्या करें? यह परिस्थिति पर गंभीरता से विचार करने का कोई तरीका नहीं है। वह कौन सी ऐक्सपर्ट कमेटी थी जिसका रिकमंडेशन मन्त्री महोदय बोलते हैं महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी है कि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष विपदाओं से निपटना इसके अन्दर नहीं आते हैं। इसके माने क्या हुआ? इसके माने यह हुआ कि वह जो ऐक्सपर्ट कमेटी है वह ऐक्सपर्ट कमेटी नहीं है। अभी 15 दिन पहले महाराष्ट्र की बात है। बम्बई की आबादी एक करोड़ दस लाख है और अगर दो चार दिन पानी नहीं बरसा तो आधे बम्बई शहर को पानी नहीं मिलेगा। आधा बम्बई शहर खाली करना पड़ेगा! गांवों की भी वही हालत है। गन्ने को आपने इतना पानी दिया है कि खेती को पानी नहीं मिला और वाटर लेवल इतना नीचे हो गया है कि देहातों में आप जाएं तो देहातों में शक्कर मिलेगी, दारू मिलेगी, लेकिन वहां एक गिलास पीने का पानी नहीं मिलेगा। जिस देहात को हमारे गांधी जी ने कहा था कि हम आत्मनिर्भर बनायेंगे, वहां पीने का पानी पहुंचाएंगे, उस देहात में शराब है, देहात में ड्रग्ज पहुंच गई हैं लेकिन उस देहात में ये पानी तक नहीं पहुंचा सके हैं। आज हालत यह है कि हमारे महाराष्ट्र में लगभग 28,729 गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की समस्या है और देहातों की ही नहीं, हमारे पूरे देश में बड़े महानगर हैं—बम्बई है, कलकत्ता है, मद्रास है, यहां भी पीने के पानी की समस्या है। सूखे का जो दायरा है इसमें दो बातें अहम हैं जिसका विचार हमारे मन्त्री महोदय को शासन में करना चाहिए। एक तो पीने के पानी की समस्या है। इसे आप कैसे हल करेंगे? 45 साल से लगातार हम पीने के पानी की समस्या पर कुछ नहीं कर सके। ऊपर से अगर पानी आएगा तो मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। हमारे यहां कई लोगों ने बताया है कि बम्बई, कलकत्ता जैसे महानगरों जो समुद्र के किनारे हैं उनकी पीने के पानी की समस्या हल करनी है तो समुद्र के पानी का कुछ इस्तेमाल आप कर सकें तो यह समस्या हल हो सकती है। दूसरे, जो वाटर मैनेजमेंट है, कितना पानी कहां जाता है, इस पर भी कुछ कन्ट्रोल करना चाहिए। लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है लेकिन मनी क्राप के लिए इतना पानी जाता है कि हमारे यहां महाराष्ट्र में भी ऐसी कई जगहें हैं। आपको भी मालूम होगा कि वहां पानी ज्यादा हो जाने के कारण वह जमीन अब उपजाऊ नहीं रही है।

एक बाजू में इतना पानी और दूसरे बाजू में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, पीने का पानी नहीं है। इसलिए वहां पर वाटर मैनेजमेंट का सवाल भी हमें देखना चाहिए, यही मेरा कहना है।

एक दूसरी बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने विभिन्न राज्यों को अब तक क्या-क्या मदद दी है, आप बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंटस अपने यहां फोडर की व्यवस्था कर रही हैं, स्टेटस में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके जरिये व्यवस्था की जा रही है लेकिन मैं आपके सामने यहां कुछ आंकड़े दे रहा हूं कि गांवों में आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की क्या स्थिति है, मैं यहां आपके सामने एक गांव का नाम भी लेता हूं—गांव का नाम है पालघर जो बम्बई का एक उपनगर—है, बम्बई के बिल्कुल बाजू में है, जहां 400 यूनिटस हैं। वहां अनाज की दुकान को देखने के लिए हमारे लोक प्रतिनिधि गये थे, उनका कहना है कि वहां जो अनाज है वह 500 लोगों के लिए भी पर्याप्त नहीं है, सिर्फ इतना अनाज वहां है। इसलिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी आपको कुछ करना चाहिए।

एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम के अन्दर हम लोगों को काम दे सकते हैं, लेकिन एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम में जो अनाज दिया जाता है, अगर आप उसकी पूरे तरीके से सप्लाई नहीं करेंगे तो एम्पलायमेंट गारण्टी स्कीम से भी काम नहीं चलेगा। लोग काम पर नहीं आएंगे। इस वजह से सब कुछ स्टेटस पर छोड़ देना ठीक नहीं है, केन्द्र की भी इस बारे में कुछ जिम्मेदारियां हैं। अतः इस पर गम्भीरता से आप सोचें, विचार करें। जिसे बोलते हैं एक स्टीन मेटर है कि खाली पैसा दिया और इससे ही आबादी आबाद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको नए तरीके से, नए सिरे से, जो उपलब्धियां हैं, उनका विचार करते हुए, सारे मैनेजमेंट को अच्छी प्रकार से करके, यदि हम इस समस्या का सामना करें तो यह संकट हल किया जा सकता है। जैसा मैंने अभी बताया कि यहां से लोगों को भेज देना, काम नहीं देना, इससे समस्या हल होने वाली नहीं है, इतनी ही अपील मैं माननीय कृषि मन्त्री जी से करना चाहता हूं।

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष जी, कल से यह सदन सूखे की चर्चा से गूंज रहा है। पिछले दिनों जब यह सदन चल रहा था तो शून्य प्रहर में भी सूखे की आवाज माननीय सांसदों ने उठाई थी लेकिन ऐसा लगता है कि माननीय कृषि मन्त्री जी इस समस्या से अनजान होकर इस इन्तजार में बैठे हुए हैं कि इस देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सभी सांसद-गण जब उनकी हाथ जोड़कर हरपडौरी करें, तब वे उनकी प्रार्थना को सुनें और तब सूखाग्रस्त लोगों को कुछ राहत दें। हरपडौरी वह रस्म होती है जो गांव की महिलाएं सूखे से ग्रस्त होने के बाद सामूहिक रूप से करती हैं। जब इन्द्रदेव नाराज हो जाते हैं, पानी नहीं बरसता है, किसानों की आंखें आसमान को ताकते थक जाती हैं तो गांव की महिलाएं विभिन्न देवी-देवताओं की पूजा करती हैं, हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखकर यह गुहार करती हैं—काले मेघा पानी दे, मेघा बाबा पानी दे, पानी दे और धानी दे।

आज मैं इस देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए विभिन्न सांसदों की ओर से आपसे यह गुहार करती हूं कि कृषि मन्त्री जी पानी दो, पानी दो और धानी दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो।

आज इस देश को आजाद हुए 44 साल बीत गए, आजादी के 44 वर्षों बाद भी⋯(व्यवधान) ⋯नहीं गद्दी तो नहीं छूट सकती चाहे इस देश के लोग प्यासे मर जाएं. पर इनसे गद्दी कैसे छूट सकती है। इस देश को आजाद हुए 44 साल हो गए और हर वर्ष या तो सूखे की वजह से या बाढ़ की वजह से इस देश की एक चौथाई फसल नष्ट हो जाती है। जब भी सूखे की या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है और देश के कोने-कोने से आवाज आने लगती है तो सरकार रहम करके थोड़ी सी राहत योजना चला देती है, कुछ निधि दे देती है ताकि सूखाग्रस्त के सामने चन्द टुकड़े डाल दिए जाएं और उनकी आवाज खामोश हो जाए। इस बार भी मौसम विशेषज्ञों ने यह रिपोर्ट दी है कि पिछले 20 वर्षों के अनुपात में,

इस वर्ष सबसे कम पानी बरसा है। इस बात से यह सरकार अनजान नहीं थी कि इस बार अनावृष्टि के कारण अभूतपूर्व सूखा पड़ेगा। उस सूखे को शिकार हमारे देश के किसान, हमारे देश के आदिवासी, हमारे देश के खेतिहर मजदूर और हमारे देश का जो पीड़ित वर्ग है, उसको इसका अंजाम भोगना पड़ेगा।

पिछली बार माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि जिस-जिस प्रदेश ने हमसे राहत की मांग की है, हम उनके बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन माननीय मन्त्री जी क्या आपने देश में व्याप्त सूखा के बारे में समाचारपत्रों में नहीं पढ़ा, समस्त समाचार पत्रों में यह भरा पड़ा था कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, सूखे के कारण फसलें नष्ट हो गई हैं, खेतिहर मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। एक एक बूंद पानी के लिए इन्सान तो इन्सान जानवर भी तड़प रहे थे।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात उठाना चाहती हूं। इलाहाबाद जो गंगा-यमुना का पावन तट है, जो नदियां दूसरे देशों को त्राण दिया करती थीं, आज उस देश में दिगलो, पालपुर ऐसी जगहें हैं, जहां पर हमारी बहनें कुओं और नदियों में से कीचड़ मटकों में भरकर लाती हैं और कपड़े में बांधकर टांग दिया जाता है। जब कीचड़ में से बूंद-बूंद गन्दा पानी टपकता है तो उस गन्दे पानी से अपनी और बच्चों की प्यास बुझाती। पानी की तलाश में गांव के गांव खाली हो गए। लोग पानी की तलाश में नदियों के किनारे चले गए और वहां इस तपती लू में और भयंकर गर्मी में पेड़ों के नीचे अपने जानवरों और बच्चों के साथ पड़े रहे, क्योंकि नदी तो सूखी थी, लेकिन कहीं गलती से किसी गड्ढे में थोड़ा सा पानी मिल जाता था, उसी गड्ढे के पानी से जानवर और इन्सान अपनी प्यास बुझाते थे। तो यह आपके देश की दयनीय हालत है और यहां पर आप इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि हम आपके सामने हाथ जोड़ कर गुहार करें, तब आप हमारी पुकार सुनेंगे।

महोदय, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा, क्या ये आपके कार्यक्षेत्र में नहीं आते, जो आप इनको नजरअंदाज करके हमारी गुहार इन्तजार कर पहले हम गुहार करें तब उसके बाद इसमें आप सर्वे करवाएंगे और उसके बाद आप जब तक वहां राहत भेजेंगे तब तक पता चलेगा कि सूखे का दौर गुजर गया और फिर आप कह देंगे कि पैसा नहीं है। देश अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है।

माननीय मन्त्री जी हमारे किसान परेशान है, हमारा खेतिहर मजदूर परेशान है, हमारी बहनें परेशान हैं। कृपा करके अपनी कुम्भकरणी नींद को तोड़िए और इस देश के किसानों को, इस देश के लोगों को, इस देश की प्यासी धरती को, जो कड़ी धूप और सूखे के कारण दरक गई है, उस पर मल्हम लगाने का काम करिए। इस देश के किसान ने हरित क्रांति करके इस देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है, उसको आप कायम रखिए, ताकि यह देश विकास के रास्ते पर चल सके और आत्मनिर्भरता की बात कर सके।

माननीय मन्त्री जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप एक लांग टर्म नेशनल पालिसी आन वाटर मैनेजमेंट बनाइए जिससे कि बाढ़ और सूखे को, प्रकोप देश में आए तो आप उसका मुकाबला कर सकें। इकोलौजिकल इम्बैलेंस शुरू हो गया है, प्रकृति का जो असंतुलन शुरू हो गया है, इसकी चर्चा पृथ्वी सम्मेलन में, रियो में भी हुई थी। आप उस पर विचार करें। जिस देश का वन संपदा से भरा हुआ हिमालय पर्वत जैसा प्रहरी हो, जिस देश के चरण सागर पखारता हो, उस देश में हर वर्ष सूखा पड़ जाता हो, यह एक विडम्बना है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसी नीति बनाइए कि इस देश में वृक्ष काटना बन्द हो। वृक्ष कटने से पहाड़ों का क्षरण होता है और इसके कारण पहाड़ों की मिट्टी नदियों में जा रही है जिससे नदियां उथली हो रही हैं और नदियों के उथली होने से बाढ़ आ रही है। इसको भी आप रोकिए।

महोदय, देश में वर्षा की जो अनियमितता है, कहीं पर बहुत ज्यादा पानी बरस जाता है और कहीं पर सूखा पड़ता है, तो एक नेशनल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड बनाना चाहिए ताकि पानी को इकट्ठा किया जा सके और जहां जरूरत हो वहां भेजा जा सके। आप जब इस तरह की कोई स्थाई व्यवस्था करेंगे तभी सूखे और बाढ़ के हमले से बच सकेंगे।

महोदय, आपने कहा कि गांव में हम डीजल दे रहे हैं, बीज दे रहे हैं, लेकिन आप गांव में जाकर एक बार देखने का प्रयास तो करें न तो पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रही है, न वहां के ट्यूबवैल काम कर रहे हैं, न वहां हैंड पम्प काम कर रहे हैं। ग्रामों में लिफ्ट इर्रीगेशन के लिए आप डीजल नहीं दे पा रहे हैं। किसान सूनी-सूनी आंखों से अपने खेतों की तरफ देख रहा है। वह अपने काले भविष्य और अकाल की कालिमा को देखकर भयभीत है, आदिवासी भयभीत हैं, मेहनतकश मजदूर भयभीत हैं कि आने वाले दिनों में वे अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। उनके पास खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है।

महोदय, आप कहते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपने गांव के दरवाजे पर पहुंचा दी है। हमारे प्रधान मन्त्री जी कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हम आवश्यक चीजें सुलभता से उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, कि जरा गांवों में जाकर तो देखिए, कहां आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली काम कर रही है और किन लोगों को वहां पर अनाज मिल रहा है। मिट्टी के तेल के अभाव में आज सारे गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। लोग टायर जलाकर रोशनी कर रहे हैं, न मिट्टी का तेल है न चीनी है लेकिन आपकी फाइलों में कागजों में, समाचारपत्रों में, बयानों से ऐसा लगता है कि गांव तो स्वर्ग बना हुआ है। हमारे प्रदेश के कृषि मन्त्री राम मन्दिर बनाने में जुटे हुए हैं, देश में तनाव पैदा करने में जुटे हुए हैं। वे यह नहीं देखते हैं कि गांव में स्थिति बद से बदतर हो रही है। गांव का किसान रो रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर किसान के दो आंसू आप पोंछ दें तो राम की भी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, राम का नाम लेना भी सार्थक हो जाएगा। जब तक इस देश का किसान, इस देश का मजदूर रोता रहेगा तब तक यह देश कभी तरक्की नहीं कर सकेगा और इस देश पर कभी राम की कृपा नहीं हो पाएगी। गरीब की आह लोहे से भी ज्यादा मजबूत होती है।

पूरा देश सूखे रूपी कौलेरा से ग्रस्त है, डी-हाईड्रेशन की चपेट में आ गया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको ग्लूकोस चढ़ाने की व्यवस्था करें। ज्यादा से ज्यादा पानी और राहत प्रदान करें। जिस प्रदेश की जितनी मांग है उसके हिसाब से राहत प्रदान करें। इसमें सौतेला व्यवहार न करें। किसान की तरफ देखें।

आपने विदेश से गेहूं मंगा लिया है और किसानों के हितों पर कुठाराघात करने जा रहे हैं, उसको भी रोकने की कोशिश करें। किसान इस देश की रीढ़ है, इस देश को बनाने में किसान अपना खून और पसीना लगाता है, इसलिए उसकी आवाज पर ध्यान दें।

एक बार फिर से मैं सभी माननीय सदस्यों की तरफ से कहती हूं कि इस देश के सूखा से पीड़ित लोगों को राहत दें और सूखे से देश को मुक्त करने के लिए एक ऐसी योजना बनाएं ताकि यह देश केवल सूखे की वजह से त्रसित न हो सके और इस देश के किसान की आंखें जो सूनी हैं उनमें हरियाली आ सके, उसका सपना साकार हो सके और आपकी कुर्सी बरकरार रह सके। एक बार किसान की आवाज

सुनिए, पानी दीजिए और अगर नहीं सुन सकते हैं तो आपको इस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है क्योंकि किसान भी इस देश का नागरिक है। किसान को भी अधिकार है, उसको हर चीज में भागीदारी देना होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्य भी हैं जो बहस में भाग लेना चाहते हैं। यदि प्रत्येक सदस्य केवल दो-तीन मिनट का ही समय बोलने के लिए लें, तब हर सदस्य को बोलने का अवसर मिल सकता है। अन्यथा ऐसा होना अत्यन्त मुश्किल है। इस सम्बन्ध में केवल स्वैच्छिक पाबन्दी ही इसमें सहायक हो सकती है। घंटी बजने का समय गलत अभिप्राय नहीं लगाया जाना चाहिए कि इससे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस घंटी के बजने के पश्चात् भी आपको बोलते नहीं रहना चाहिए। आप पहले ही सम्बद्ध प्रश्न पूछ चुके हैं। मेरा आपसे केवल इतना अनुरोध है कि आप केवल दो अथवा तीन प्रश्न ही पूछिए। यहां पर अन्य सदस्य भी हैं जो चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। अन्यथा जब वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में वापस जायेंगे, लोग कहेंगे कि "आपने वहां पर कुछ भी नहीं कहा।"

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : लोक सभा में एक महत्वपूर्ण बहस चल रही है। निश्चित रूप से देश के कुछ भागों में पिछले दो-तीन दिनों के दौरान भारी वर्षा के होने के साथ ही देश में सूखे की स्थिति में भारी परिवर्तन आया है। देश के लगभग सभी भागों में पिछले सप्ताह में काफी अच्छी बारिश हुई है। परन्तु अभी भी कुछ स्थानों में सूखे की स्थिति है। बहरहाल कतिपय स्थानों में राहत अवश्य मिली है और मेरे विचार से दुगुनी राहत प्रदान की जा रही है। एक तो कारसेवा है। इससे भी हर किसी को दिक्कत हो रही थी। देश में प्रत्येक जिम्मेवार नागरिक परेशान था और इससे चिन्तित हो रहा था। वह स्थिति अब समाप्त हो गई है। कुछ स्थानों को छोड़कर देश में यह सूखे की स्थिति काफी लम्बे समय से चली आ रही थी। मैं यह दावा नहीं कर सकता कि हर स्थान पर ही अच्छी बारिश हुई है। परन्तु स्थिति में सुधार हुआ है। कुछ क्षेत्रों मे अच्छी बारिश हुई है। परन्तु इसी के साथ ही मूसलाधार बारिश होने से लोगों का जीवन संकटमय हो गया है। गुजरात में बाढ़ से लगभग 81 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। कल भी तूफानी मौसम और बारिश से उड़ीसा में कम-से-कम पांच व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। यदि हम मौसम विभाग द्वारा किए गए अध्ययन पर विचार करे, तो उससे यह स्पष्ट है कि वे सही सिद्ध नहीं हुए हैं। पुन: यह बताया जाता है कि सम्पूर्ण स्थिति के सम्बन्ध में उनके अनुमान ठीक निकले हैं। वे औसतन बारिश, कुल बारिश इत्यादि के हिसाब से भी देखते हैं। परन्तु वह गणना भी भ्रांतिजनक और गुमराह करने वाली है। उदाहरण के लिए, लगभग 75%, तीन-चौथाई बारिश होती है और सभी स्थलों पर उचित अनुपात में ठीक से होती है। यह भावी फसल के लिए काफी पर्याप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करिए। केवल एक-दो उचित प्रश्न पूछिये ताकि सरकार उस पर ध्यान दें। यहां पर अन्य सदस्य भी हैं जो बोलना चाहते हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैंने अभी अपनी बात आरम्भ ही नहीं की है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस सम्बन्ध में काफी अनुभवी हैं। आप जानते हैं कि कितने कम-से-कम समय में आप अपना प्रश्न रख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : ठीक है। मैं संक्षेप में कहूंगा। अपने प्रश्न पर आते हुए मैं कहूंगा कि

आत्मसन्तोष के लिए पूरी तरह से कोई गुंजाइश नहीं है। सभी राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार को सतर्क रहना चाहिए। जैसाकि प्रतीत होता है कि यह एक अच्छा वर्ष नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में आन्ध्र विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर्स की भविष्यवाणी को उद्धृत करना चाहूंगा।

मैं उद्धृत करता हूं :

"आन्ध्र विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के दो प्रोफेसरों ने मानसून के बारे में पहले से बताने वाले माडल के बारे में जानकारी दी है जिसके द्वारा क्षेत्रीय वर्षा के बारे में थोड़ा संकेत दिया जा सकता है। इस माडल के अनुसार इस वर्ष मानसून में बारिश सामान्य से भी कम होगी और यद्यपि पूर्वोत्तर क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में सामान्य बारिश हो सकती है अथवा आवश्यकता से भी अधिक बारिश हो सकती है, परन्तु पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश कम हो सकती है।"

अतएव, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय कृषि के लचीलेपन की परवाह न करते हुए लगभग 100 मिलियन हैक्टेयर फसल योग्य भूमि अब भी मानसून पर निर्भर करती है। अतः अनिश्चित बारिश के कारण न केवल खाद्य असुरक्षा, अभाव, ऊंची कीमतें और यहां तक कि आयात इत्यादि में वृद्धि होती है बल्कि इससे औद्योगिक असुरक्षा को भी बढ़ावा मिलता है चूंकि इससे घरेलू मांग, बचत रोजगार, पूंजी निर्माण इत्यादि पर प्रभाव पड़ता है तथा इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक लाभ भी इससे प्रभावित होता है। इससे बाढ़ और सूखे में वृद्धि होती है तथा सरकार भारी धनराशि व्यय होने वाले बड़े राहत और पुनर्वास कार्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए विवश होती है। अतएव यही वह समय है कि हमें सतर्क रहना चाहिए और किसी भी आपदा का मुकाबला करने के लिए कोई योजना भी तैयार करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रारम्भ में मानसून के काफी अच्छे आसार होने के बावजूद भी हमारे देश को एक कठिन मानसून की स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। अतः क्या किया जा सकता है? पिछले तीन-चार दिनों में जो भी मानसून की स्थिति रही है, यदि यही स्थिति आगे के 10-12 सप्ताह में भी बनी रहती है, केवल तभी हम एक अच्छी फसल की आशा कर सकते हैं। परन्तु मानसून के जरा भी कम होने से फसल को नुकसान पहुंचेगा, उत्पादन कम होगा और उतना अधिक उत्पादन कम होगा जितना कि होना चाहिए। अतः मैं यह बताना चाहूंगा कि इसके लिए अधिक उर्वरक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

3.00 म० प०

हम इसे उड़िया में गज मारवि कहते हैं अर्थात् जब बीजों को बोया गया था और जब बीज उग नहीं सके थे, उस स्थिति में सम्पूर्ण देश में स्थिति वैसी ही रहती है, बेचारे किसानों को भी बीज उर्वरक और कीटनाशक दवाओं के लिए कुछ समर्थन की जरूरत होती है। जब बारिश देर से आती है, फसलों में कीड़े लगने की अधिक सम्भावना हो जाती है। अतः हमें इसके लिए तैयार रहना है।

अब मैं वित्तीय सहायता अथवा ऋण सहायता के पक्ष पर कुछ कहूंगा। ऋण माफी योजना के कारण मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। स्थिति यह है कि बैंक किसानों को ऋण नहीं दे रहे हैं। वे उन्हें चूककर्ता समझते हैं। यह धारणा बन गई थी कि 10,000 रु० तक का ऋण माफ कर दिया जायेगा। आप भलीभांति समझते हैं कि किस हद तक ऋण माफी योजना सफल हो सकती है। कुछ को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के ऋण ऐसे ही रहते हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। इस राज्य अथवा उस राज्य में दल के शासनारूढ़ होने के तथ्य पर गौर न करके यही वह समय है कि जब

हम इस समस्या पर गौर करें और कम-से-कम ब्याज की राशि माफ कर दी जाए और मूल धन आसान किश्तों पर वसूल किया जाए और इसके रहते हुए सहकारिता ऋण, उर्वरक ऋण की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। अन्यथा स्थिति और भी बदतर हो जाएगी।

सूखे की स्थिति से निपटने के लिये प्रारम्भ से ही एल० आई० प्रश्नों को ध्यान में रखा जाए। जब अच्छी वर्षा होती है तब कोई भी इसकी परवाह नहीं करता है। जाखड़ जी, आप एक अत्यन्त प्रगति शील, अनुभवी और अभ्यस्त किसान हैं। आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि एक-दो बार वर्षा न होने के कारण सितम्बर-अक्तूबर माह में भी जबकि सूखा पड़ रहा होता है, किसानों द्वारा अथक प्रयास करने के बावजूद भी सारी अच्छी फसलें मुरझा जाती हैं। किसान इन फसलों को अपनी संतान तुल्य समझकर मेहनत से कार्य करता है परन्तु ऐन वक्त पर जब बारिश नहीं होती है, तब उसे सिंचाई करने के कोई आसार नजर नहीं आते हैं और सारी फसल सूख जाती है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पाणिग्रही जी, कुछ प्रश्न अपने मित्रों के लिए भी छोड़ दीजिए। उन्हें भी अपना योगदान देने दीजिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : भारी सूखे की स्थिति होने पर इसके लिए कुछ आकस्मिकता योजना होनी चाहिए। पिछला वर्ष सामान्य वर्ष था और तब भी उत्पादन में नुकसान हो रहा था। बोनस देने के बावजूद भी खरीद लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका था।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा। इसे दोषरहित किया जाना शेष है। दूसरी ओर से यह आरोप लगाये जा रहे थे कि जब रोम जल रहा था, उस समय नीरो आनन्दपूर्वक बांसुरी बजा रहा था। यह सब कौन कर रहा था? जब ऐसी गम्भीर स्थिति व्याप्त हो रही थी, कार-सेवा करने वाले वे कौन लोग थे? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें रचनात्मक सुझाव दीजिए। आप काफी अनुभवी व्यक्ति हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : कालाहांडी, सम्भलपुर के कुछ भागों, पश्चिमी उड़ीसा और देश के कुछ अन्य भागों में भी स्थाई तौर पर कुछ सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। अब हमें यह शिकायत प्राप्त हुई है कि संबद्ध राज्य सरकारें इन पिछड़े क्षेत्रों की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं देती। अतएव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना होनी चाहिए और भारत सरकार द्वारा ही इस पर निगरानी की जानी चाहिए। मैं यह सुझाव दूंगा कि अब इसके लिये उचित वक्त आ गया है। इस समय जनजातीय लोगों और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में असंतोष चरम सीमा पर है। उस क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास परिषदें और स्वायत्तशासी ग्रामीण विकास परिषदें होनी चाहिए और वहां पर धनराशि सीधे केन्द्रीय सरकार से जानी चाहिये और केन्द्रीय सरकार को ऐसी योजनाओं की निगरानी करनी चाहिए। वर्ना यह बहुत मुश्किल हो जाएगा और कालाहांडी में लोग भुखमरी की चपेट में है। हमें इस प्रकार कार्य करना चाहिए और सरकार में कृषि, खाद्य और उर्वरक और सिंचाई मंत्रालयों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। इन सभी मामलों से संबंधित एक समिति होनी चाहिए और मन्त्रिमण्डल स्थल पर कम-से-कम एक समिति होनी चाहिए ताकि स्थिति की निगरानी करने और ऐसी स्थिति में सावधान रहने के लिए उचित सामंजस्य रहे।

सिंचाई के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि यह सही उत्तर है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्रही, कृपया अपना भाषण समाप्त करें। अब तक दूसरे माननीय सदस्य भी अपना भाषण समाप्त कर चुके होते।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, अब मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

उड़ीसा में सिंचाई के सम्बन्ध में हीराकुड एक विश्व विख्यात परियोजना है और एक सबसे अग्रणी परियोजना है जिसकी नींव पं० नेहरू ने रखी थी। यह इस समय बहुत ही खराब स्थिति में है और अब इसमें दरारें पड़ रही हैं। हीराकुड आधुनिकीकरण योजना शुरू की जानी चाहिए और ब्राह्मणी योजना पूरी की जानी चाहिए ताकि कम-से-कम उन पिछड़े क्षेत्रों में जहां प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है विशेषकर सिंचाई से संबंधित मामलों में विशेष ध्यान दिया जा सके।

3.08 म० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं जिसमें सबसे अहम सूखा है, के बारे में सभा में चर्चा की जा रही है।

मैं सभा में अपने राज्य राज्य मणिपुर की समस्याओं के बारे में बताना चाहूंगा। मणिपुर को देश का पूर्वी हरियाली क्षेत्र माना जाता था। अब यह घाटा उठाने वाला राज्य बन गया है। पं० नेहरू ने मणिपुर को भारत का पूर्वी हरियाली क्षेत्र कहा था। अब यह घाटा उठाने वाला क्षेत्र बन गया है।

जहां तक अनाज के उत्पादन का सवाल है यह इन्द्र देव की दया पर निर्भर है। यह प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर है। अत: जब कभी वर्षा न हो या देरी से हो तो किसानों को ही नुकसान होता है। अत: मैं इस माननीय सभा के समक्ष किसानों की पीड़ा और उनकी असहाय अवस्था के बारे में बताना चाहूंगा।

इस वर्ष जैसाकि देश के अन्य भागों में हुआ वैसा ही मणिपुर में भी हुआ जहां कि मानसून देरी से आया। वर्षा बहुत देरी से आती है। चूंकि मणिपुर में कोई बड़ी नदी या बारहमासी दरिया नहीं है, अत: हम खेतों में पानी नहीं दे सकते हैं। अत: जब वर्षा नहीं होती है तो किसानों को बहुत नुकसान होता है। जैसाकि यह देश के सभी भागों में हुआ है यही स्थिति अब मणिपुर में भी है। अत: हम लिफ्ट सिंचाई पर निर्भर करते हैं। लिफ्ट सिंचाई में बिजली की जरूरत होती है। हम बिजली पर निर्भर करते है परन्तु यहां पर बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। अत: यदि बिजली न हो तो लिफ्ट सिंचाई भी नहीं हो सकती है। यहां पर प्राकृतिक झील है जिसे लोकटक झील कहते हैं। यह एक प्राकृतिक झील है और हम इस पर निर्भर करते हैं। परन्तु यह झील भी अब विद्युत उत्पदन के लिए उपयोग में लायी जा रही है। पानी को विद्युत उत्पादन के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। अत: खेती के लिए पानी उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल हो गया है। इन परिस्थितियों में मैं इस सभा को बताना चाहूंगा कि लोगों को विशेषकर किसानों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जब वर्षा न हो तो हम धान जोकि राज्य की प्रमुख फसल है के बजाय वैकल्पिक फसल लगा सकते हैं तो यह अधिक लाभदायक होगा। यदि सूखे के मौसम में जब भूमि सूखी हो तो कौन-सी फसल उगाई जाये यह पता लगाया जाये तो यह बहुत उपयोगी होगा।

मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां दो-तिहाई क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है और दो-तिहाई लोग घाटी में रहते हैं। अत: पर्वतीय क्षेत्रों में जो खाली स्थान है वहां खेती की जा सकती है।

हमें पता चला है कि जैसाकि केन्द्रीय कृषि मन्त्री महोदय ने गुवाहाटी में बताया था कि केन्द्रीय

सरकार उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मणिपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। मैं मणिपुर के लोगों की ओर से विशेष रूप से और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों की ओर से सामान्य रूप से यह कहता हूं कि हम केन्द्रीय कृषि मन्त्री महोदय के बहुत ही आभारी हैं।

मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि राज्य में और अन्य स्थानों पर सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सिंचाई विभाग और कृषि विभाग के बीच अधिकाधिक सामंजस्य होना चाहिए। इस समय कोई सामंजस्य नहीं है और विभिन्न विभागों के बीच इस सामंजस्य की कमी के कारण लोगों को तकलीफ उठानी पड़ रही है।

मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि चालू वर्ष के दौरान सूखे के कारण लोगों को अपनी पहली फसल के नुकसान को पूरा करने के लिए कुछ धनराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा राहत के रूप में दी जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामचन्द्र वीरप्पा (बीदर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज जो सूखे की स्थिति चल रही है, इसमें किसान और मजदूर को स्वयं भी चरना है और अपने जानवरों को भी चराना है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : अयोध्या पर चर्चा 3.30 म० प० पर शुरू होगी। अतः मन्त्री महोदय को कल या परसों उत्तर देने दीजिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामचन्द्र वीरप्पा : सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में 2-3 प्रोजेक्ट हैं, जो काफी समय से लम्बित पड़े हुए है, केन्द्र सरकार से सहायता नहीं दी गई है। यदि ये प्रोजेक्ट समय पर तैयार हो गए होते तो आज वहां पर सूखे की स्थिति नहीं होती। जिस वक्त इन प्रोजेक्टों को शुरू किया गया था, आज से 20 साल पहले, उस वक्त इनकी लागत 9 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 90 करोड़ हो गई है और इन प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए आज 140 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसलिए मेरा सरकार से यह कहना है कि यदि इन प्रोजेक्टों का काम पूरा कर दिया जाए तो मेरे क्षेत्र में सूखे की समस्या का समाधान किया जा सकता है। केन्द्र सरकार इस काम को राज्य सरकार पर डाल देती है और राज्य सरकार कहती है कि केन्द्र से आर्थिक सहायता न मिलने से ये काम अधूरे पड़े हुए हैं। इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पत्र लिखा जाता है और दूसरी जगह से तीसरी जगह पत्र चला जाता है; लेकिन यह काम अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि इन प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए शीघ्र आर्थिक सहायता दी जाए।

सभापति महोदय, ये प्रोजेक्ट हैं कारंजा, चमरजा, मुल्लामारी, चुलकीनाला और लोएस्ट मुल्लामारी, इनको पूरा करने के लिये केन्द्र सरकार शीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान करे, ताकि इन कामों को पूरा करके उस क्षेत्र की सूखे की समस्या हल की जा सके।

जानवरों के लिए चारे की यह स्थिति है कि 5000 रुपये में 1000 पूली मिलती है। यदि इतना महंगा चारा किसान खरीदेगा तो स्वयं क्या खाएगा और जानवरों को क्या खिलाएगा। घास लाने के

लिये लारी के खर्च के रूप में सरकार 3000 रु० कर्ज देती है, लेकिन यदि सरकार किसानों को चारा उपलब्ध कराए, तो ठीक रहेगा। जो करने वाले काम हैं, वे काम सरकार नहीं करती है, इस बारे में मैंने कई पत्र लिखे, मंत्रियों को पत्र लिखे, लेकिन सिर्फ पत्र व्यवहार तक ही काम सीमित रह जाता है और कोई काम हो नहीं पाता है। सरकार को जवाबदारी के साथ काम करना चाहिए, तभी समस्या हल हो सकती है, नहीं तो सारा कुछ स्वाहा हो जायेगा। मेरा सरकार से आग्रह है कि फिजूलखर्ची को समाप्त किया जाये और जो प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, उनके काम को तुरन्त पूरा करवाया जाये। जैसा कि मेरी पूर्ववक्ता बहन ने कहा है कि यहां पर लोग चुनकर आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ गद्दी पर चिपके रहने का काम करते हैं, और कोई काम नहीं करते हैं। (व्यवधान)

हम गद्दी से चिपके हुये हैं, काम हो या न हो, हमारी गद्दी नहीं छूटनी चाहिये। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह रवैया ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, जल्दी ही ये दिन समाप्त हो जाएंगे। आज तो आप लोग प्रभु का नाम भी भूल गए हैं, सरकार को परमात्मा का नाम भी याद नहीं है, क्योंकि हम अपने में मस्त रहते हैं।

"रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।"

इसलिए राम को तो मानना ही पड़ेगा, आप मानें या न मानें, श्रीमती जी श्री राम की पूजा कर रही हैं। मेरी सरकार से विनम्रतापूर्वक विनती है कि जानवरों के लिए चारा, काश्तकारों के लिए सहायता और मजदूरों के लिए काम की व्यवस्था करवाएं, इतना कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

3.20 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) केरल में साम्प्रदायिक घटनाएं

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : केरल सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार तिरूवनन्तपुरम् उपमार्ग के दक्षिणी क्षेत्र, विशेषकर पूनथुरा, बीमापल्ली, मनकाड, तकराचरम्बु, शंकुमुखम् आदि बहुत तनावपूर्ण थे, क्योंकि अयोध्या से सम्बन्धित मामले में धरना देने के लिए 18 जुलाई, 1992 को लगभग 3000 व्यक्ति हवाई हड्डे की ओर रवाना हुए। भारतीय जनता पार्टी 20 जुलाई, 1992 को "अयोध्या एक्शन डे" का आयोजन कर रही थी इसलिए दोनों पक्ष पूर्णरूप से संघटित थे तथा काफी उत्तेजित थे। 19 जुलाई, 1992 को जब एक संगठन के एक सदस्य शंकुमुखम् रोड के नजदीक ड्रिल के पश्चात् वापस आ रहे थे तो भीड़ में से उन पर पत्थर और पटाखे फेंके गए। इसके परिणामस्वरूप 19 जुलाई तथा 20 जुलाई, 1992 को पूनथुरा के तटवर्ती हेमलेट में हिंसक घटनाएं हुई। पत्थर फेंकने तथा पटाखों के फटने से चार व्यक्ति घायल हुए। छुरेबाजी की घटना में तीन व्यक्ति घायल हुए। पुलिस ने पांच स्थानों पर गोली चलाई, जिससे तीन व्यक्ति घायल हुए। पथराव होने तथा हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग करने से दो सहायक आयुक्तों तथा पांच निरीक्षकों सहित 34 पुलिस कार्मिक घायल हुए। पूनथुरा, फोर्ट तथा तिरूवल्लम क्षेत्रों और वलियाथुरा पुलिस थाना क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन तत्काल निषेधाज्ञा लागू कर दी गई।

3.21. म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार स्थिति आगे तब और बिगड़ गई जब 20 जुलाई, 1992 की सुबह कुछ उपद्रवी केशवदासपुरम् स्थित एक धार्मिक स्थान में घुसे और एक व्यक्ति की हत्या कर दी । इस पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिससे तीन व्यक्ति मारे गए । मकानों, दुकानों तथा कुछ वाहनों को जलाए जाने के कई मामलों की सूचना प्राप्त हुई । 21 जुलाई, को दो ग्रुपों द्वारा अलग-अलग बन्द का आह्वान किया गया जिससे सामान्य जनजीवन पर आंशिक प्रभाव पड़ा । 21 जुलाई, 1992 को तिरुवनन्तपुरम् के ईस्ट फोर्ट क्षेत्र में एक व्यक्ति मारा गया, इससे मृतकों की संख्या बढ़ कर पांच हो गई ।

तिरुवनन्तपुरम शहर क्षेत्र के प्रभावित क्षेत्रों में सेना ने दो बार फ्लेग मार्च किया । व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए । राज्य सरकार द्वारा तमिलनाडु विशेष सशस्त्र पुलिस की कुछ और कम्पनियां मंगाई गई तथा उन्हें तैनात किया गया । स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की कुछ कम्पनियां भी तिरुवनन्तपुरम भेजी गई । 168 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा 92 मामले दर्ज किए गए ।

विद्युत मंत्री ने, जो मुख्य मंत्री का कार्यभार भी संभाले हुए हैं, 21 जुलाई, 1992 को राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें सर्वसम्मति से, किसी भी कीमत पर हिंसा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया । साम्प्रदायिक हिंसा से पीड़ित परिवारों को राहत देने की व्यवस्था की गई । राज्य सरकार ने राजस्व बोर्ड के एक सदस्य के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया है जो साम्प्रदायिक दंगे के पीड़ितों को मंजूर की जाने वाली सहायता की मात्रा और प्रकृति का मूल्यांकन करेगा और सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । राज्य सरकार ने आगे सूचित किया है कि आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद ही मुआवजे का भुगतान किया जाएगा । यह सूचित किया गया है कि अब वहां पर शांति तथा सामान्य स्थिति बहाल हो गई है ।

3.25. म० प०

(दो) मालेगांव, महाराष्ट्र में हुई साम्प्रदायिक हिंसा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से प्राप्त निर्देश के अनुसार जनता दल के एक विधायक द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 1992 को "मालेगांव बन्द" का आह्वान किया गया था । विधायक के नेतृत्व में दस हजार व्यक्तियों का एक मोर्चा संघटित किया गया, जो 1000 बजे किल्लाजोपादपट्टी से एस० डी० एम० के कार्यालय, मालेगांव के लिए रवाना हुआ । जब मोर्चा लगभग 1155 बजे काकिनी सिनेमा थियेटर पर पहुचा तो मोर्चे में सम्मिलित व्यक्तियों ने खुली हुई कुछ दुकानों पर पथराव किया । भीड़ के हिंसक हो जाने पर उसे नियंत्रित करने के लिए, पुलिस को लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा । लगभग 1200 बजे मोर्चा तितर-बितर हो गया । मालेगांव के विभिन्न स्थानों से छुरेबाजी की घटनाएं सूचित की गई । 1530 बजे कर्फ्यू लगाया गया । जिला मजिस्ट्रेट, उप-महानिरीक्षक (पुलिस) तथा पुलिस अधीक्षक (पुलिस) मालेगांव में उपस्थित थे ।

दंगों के दौरान एक चिकित्सा औषधालय, दो कपड़े की दुकानों तथा एक राशन की दुकान को आग लगा दी गई । लगभग बीस साइकिलें जला दी गई । राज्य सरकार के अनुसार लगभग 1.5 लाख रुपये की क्षति आंकी गई । कुछ पुलिस कार्मिकों सहित कुल मिलाकर 34 व्यक्ति घायल हुए । छुरा लगने से घायल होने के कारण दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

राज्य सरकार के अनुसार कानून के विभिन्न प्रावधानों के अधीन कुल 156 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा 23 मामले भी दर्ज किए गए। दिनांक 20 जुलाई, 1992 को जनता दल के विधायक को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 20 जुलाई, 1992 को कर्फ्यू उठा लिया गया परन्तु छुरेबाजी की घटनाओं के कारण 1400 बजे पुन कर्फ्यू लगा दिया गया। दिनांक 21 जुलाई को 0600 बजे कर्फ्यू उठा लिया गया और 1130 बजे पुन: लागू किया गया। छुरे-बाजी की घटना के कारण कर्फ्यू को 22 जुलाई, 1992 को सुबह तक जारी रखा गया। पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। राज्य सरकार ने बताया है कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है तथा निगरानी रखी जा रही है।

आज सुबह जब राज्य सरकार से सम्पर्क किया गया तो यह बताया गया कि स्थिति में काफी सुधार हुआ है और नियंत्रणधीन है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : क्या ऐसी गम्भीर घटना की कोई न्यायिक जांच नहीं होती ?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : रेवेन्यू बोर्ड के एक मैम्बर की इंक्वायरी उन्होंने केरल में अपाइन्ट की तो उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं। हम इजाजत नहीं देते।

श्री राम नाईक : हम इजाजत नहीं देते लेकिन कम से कम सरकार को बताना चाहिए कि क्या मालेगांव घटना के लिए न्यायिक जांच के आदेश लिए गए हैं। श्रीमान इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वक्तव्य और रिपोर्ट स्पष्ट होने चाहिए। ऐसी बड़ी घटना घटित हुई और जबकि इतने ज्यादा लोग मारे गए हैं इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन इसे कौन करता है ? राज्य सरकार इसे करती है।

श्री राम नाईक : उन्हें राज्य सरकार से जानकारी मांगनी चाहिए (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : महोदय, स्थिति से निपटने में सरकार पूरी तरह विफल रही है क्योंकि यह घोषणा की गई थी कि भा० ज० पा० एक युवा मार्च निकालने जा रही है तथा मुस्लिम लीग भी मार्च निकालने के लिए कह रही है···(व्यवधान) सरकार पूर्णत: असफल रही है। स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने उचित कदम क्यों नहीं उठाए ?···(व्यवधान)···पुलिस भी धर्म के नाम पर बंटी हुई हैं (व्यवधान)।

श्री के० अहमद (मंजेरी) : जी, नहीं, सरकार कभी असफल नहीं हुई है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : महोदय, माननीय महिला सदस्य सभा को गुमराह कर रही हैं तथा सभा को

गलत सूचना दे रही है।...(व्यवधान)...यहां तक कि उनके नेता श्री नयनार ने भी इसके बारे में नहीं बताया है, माननीय सदस्य को सभा में आकर और सभी को गुमराह नहीं करना चाहिए ?...(व्यवधान) केवल मुस्लिम लीग स्थिति को आम बनाने की कोशिश करती रही है।...(व्यवधान)...उनका मुस्लिम लीग को कोसना बिल्कुल अच्छा कार्य नहीं है।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो आपसे आशा की जाती है कि आप बैठ जाएं। इससे पहले कि हम इस विषय पर चर्चा प्रारम्भ करें, दो-तीन बातें हैं जिनका हमें फैसला करना है। अब तक हम देश में सूखे की स्थिति की चर्चा कर रहे थे। मुझे बताया गया है कि आज उत्तर नहीं दिया जा सकेगा। मान लें कि यदि आज हम सूखे की स्थिति पर चर्चा करते हैं और उसका जवाब नहीं दिया जाता हम कुछ और चर्चा करें और उस पर जवाब नहीं दिया जाता और यदि हम तीसरी बात पर चर्चा करें और फिर भी जवाब नहीं दिया जाता, तो इस तरह तो सभा की कार्यवाही का संचालन बहुत कठिन हो जाएगा। हम इसके जवाब की कब तक आशा कर सकते हैं ? क्या चर्चा समाप्त होने के बाद या कल ? हमें इसके के बारे में फैसला करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, जब मैं बोल रहा होता हूं तो आप भी बोलते हैं, जब तक मैं आवाज नहीं देता आप नहीं बैठते। मैं यह कह रहा था कि यह डिसकशन हम करने जा रहे हैं और मैं बड़ी नम्रता से कहूंगा कि सारे माननीय सदस्यों ने अच्छी तरह से को-आपरेट करने की कोशिश की है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं ! कल जो स्टेटमेंट हुआ हम उसके ऊपर प्रश्न पूछें, हमारे सदन में उस पर प्रश्न पूछने के लिए कोई नियम नहीं है। इसलिए आपके मन में जो डाउट्स हैं वे पूछने के लिए आपको समय और सुविधा दी गई है। मेरे पास सब तरफ से काफी नाम आए हैं, अगर उनको बोलने की इजाजत दूं तो पांच छः घंटे में भी पूरा नहीं होगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्रश्न के रूप में अगर आपके मन में कोई शंका है तो पूछें, उसका जवाब दिया जाएगा। जो कुछ चल रहा है मैं जानता हूं कि एक भावनात्मक प्रश्न है। हमारे सदन सबसे बड़ा हाउस है। इसमें इस प्रकार से चर्चा हो कि जो प्रश्न हों उनमें से मार्ग निकल सके और अपने मन में जो शंकाएं हैं उनका भी निराकरण हो। मैं समझता हूं इस दृष्टि से करेंगे तो हमारा आज का डिसकशन भी होगा और रिप्लाई भी हो जाएगा। मैं समझता हूं सब सहयोग करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : इसमें आपने डिसकशन की व्यवस्था की है क्लेरिफिकेशन की नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ ऐसा ही है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा है। यह औपचारिक चर्चा है।

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा कल प्रधान मन्त्री द्वारा किए गए वक्तव्य पर है। इसका अभिप्राय है-- यदि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं—सदस्य आशंकाओं यदि कोई हों, यदि आप सभी मामलों को इसमें शामिल करते हैं तो पीठासीन अधिकारी के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। मेरे पास 50 सदस्यों

के नाम हैं। मेरे लिए सभी 50 सदस्यों को समय देना काफी कठिन हो जाएगा। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि संक्षेप में नहीं और न ही किसी मुद्दे को यहां दोहराएं। आप केवल उन्हीं विषयों पर बोलें जो आप बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : आप अब भी निश्चित करें।

अध्यक्ष महोदय : हमें इसे 6 म० प० से पहले समाप्त करना होगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं 193 के अन्तर्गत आपने डिसकशन रखा है, इसलिए यह डिसकशन है क्लेरिफिकेशन नहीं है। यह डिसकशन शार्ट टाइम पर आया है। हमने और शरद जी ने आपसे आग्रह किया था, गुलाम नबी जी से भी कहा था कि यह अच्छी बात है कि वहां सारे का सारा काम कंस्ट्रक्शन का बन्द हो चुका है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठकर विचार कर रहे हैं। यह सदन सर्वोपरि है इसलिए हम लोगों का आपसे आग्रह है और सरकार से भी है कि सदन से देश के नाम एक मैसेज जाना चाहिए जिससे कम-से-कम स्थाई शांति हो और हम लोगों को अभिव्यक्त करना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हो···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिए, आप थोड़े में बोलिए।

श्री राम विलास पासवान : हम लोगों ने 184 के तहत नोटिस दिया था···(व्यवधान)

श्री शान्ति धारीवाल जोशी (कोटा) : आप लखनऊ होकर आए हैं,···(व्यवधान)···वहां बिल्कुल शांति है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जोशी साहब, उन्होंने कोई बुरी बात नहीं कही है, बिना वजह मत उठाइए। आप बार-बार वहां से उठकर बोलते हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, हम लोगों ने 184 के तहत रिजोल्यूशन दिया था। उसमें हम लोगों ने आग्रह किया कि यदि आप अपोजीशन का रिज्योलूशन मान्य न हो तो सरकार अपनी तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव लाए कि कोर्ट का जो निर्णय हो, वह सभी पक्ष पर बाध्य होना चाहिए और इस तरह का मैसेज आना चाहिए, यही हम आपसे आग्रह करते हैं और आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि इस विषय के महत्व को देख कर आप बहस को सीमित मत करिए। पूरी तरह से बहस होने दी जाए। यह सवाल ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि हम दो-ढाई घण्टे में अपनी दो-चार बातें कह देंगे तो यह समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरा तो यह निवेदन होगा कि यदि आज हमारे पास समय नहीं है तो हम कल करें, दिनभर करें। अभी तक यद्यपि नियम में लिखा हुआ है कि शार्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ढाई घण्टे में होगी परन्तु यह शार्ट ड्यूरेशन डिस्कशन सदैव पूरे दिन चली है और चार घण्टे से कम नहीं चली है। यदि इस विषय पर सीमित करना चाहेंगे तो सम्भव नहीं होगा, न्यायिक नहीं होगा। यदि हम विषय के साथ न्याय करना चाहते हैं तो मेरा निवेदन होगा कि पूरे दिन इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसीलिए 193 के तहत नोटिस दिया हुआ है और उसी नोटिस के आधार पर पूरी चर्चा हो सकती है। उसको सीमित करने का प्रयत्न ठीक नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी, मेरे कहने का मतलब यह था कि असल में प्रधानमंत्री जी का कल यहां पर स्टेटमेंट हुआ, उस पर कुछ सदस्यों ने कुछ सवाल पूछने की अपनी इच्छा जाहिर की थी तो हमने कहा था कि ऐसा अलाउ नहीं करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। इसके बाद भी जो आप कह रहे हैं, उसका तथ्य हम ध्यान में रखेंगे और उसी तरह करेंगे मगर मेरी यह विनती रहेगी कि अपने पास बहुत सारे विषय हैं और हर विषय बढ़ता जा रहा है कि एक प्वाइंट को चार-चार दफा रिपीट करें, ऐसा न हो। डिसकशन प्वाइंट की दृष्टि से हो और सबसे अहम बात यह है कि जो अपना मत व्यक्त कर रहे हैं तो अपनी जगह पर बैठकर डिस्टर्ब मत करें। हम गरिमापूर्ण रूप से डिस्कशन करेंगे। आप लोग जो कुछ कहेंगे, वह महत्वपूर्ण रहेगा। हम सब लोग उसको सुनना चाहते हैं। आप भी सब लोगों को सुनने दीजिए और किसी के मन को कोई चोट नहीं पहुंचे, ऐसी ही डिस्कशन करें। हम आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, लिमिट नहीं करेंगे मगर उसको रिपीट नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, हम भी उनके विचारों से सहमत हैं।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष जी, बड़ी लांग डयूरेशन के बाद यह शार्ट डियूरेशन आई है, इसे इतना शार्ट नहीं करेंगे···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं बिलकुल शार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ रिपीट नहीं करेंगे···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमने आपसे कहा है कि हम लोग उस भावना से सम्बद्ध होना चाहते हैं कि आपने कहा कि यहां पर ऐसे वातावरण में यह बात कही जाए कि कोई ठेस लगने की बात न हो, इससे कोई रचनात्मक चीज यहां से निकले।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं यहां भी सुझाव दूंगा कि आपने जैसा कहा कि एक बार स्कीम पर चर्चा की और अधूरी छोड़ दी। फिर उसके बाद ड्राट पर चर्चा हो और वह हम अधूरी छोड़ रहे हैं। मैं तो इस मत का हूं कि उसको पूरा करें। आज यहां पर कृषि मंत्री बैठे हैं, वह उसका जवाब दे दें और फिर कल दिनभर हम लोग अयोध्या पर चर्चा करें। यह जो पद्धति है जिसमें हम टुकड़ों में कर रहे हैं, वह कुछ उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं मगर होता ऐसा है कि जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री जी को भी यहां उपस्थित होना पड़ता है। उनको दूसरे कामों में या मीटिंग्स में भी रहना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा था कि जितना टाईम दिया है, इसके अन्दर बोलें तो अच्छा हो। वैसे तो हम रोकते नहीं हैं, समय बढ़ाते ही हैं, रोकने का काम कभी नहीं किया बल्कि बढ़ाने का काम ही किया है।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : स्पीकर साहब, एक बात यह है कि मामला बहुत गंभीर है, बहुत नाजुक मामला है, पेचीदा मामला है एकाध क्लेरिफिकेशन से बात बनती नहीं है लेकिन मामले पर थोड़ी बहुत रोशनी डालनी पड़ेगी, इसलिए वक्त जरूर होगा। अगर 6 बजे खत्म करेंगे तो काफी नहीं होगा। अगर जरूरत पड़े तो कल भी इस पर बहस जारी रहनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आप सबके द्वारा दिए गए सुझावों से सहमत हूं परन्तु साथ-साथ

आपको यह चेतावनी देना आवश्यक हो गया है कि यदि आप लम्बे भाषण देते रहेंगे तथा मुद्दों को दोहरायेंगे, तो हमारे पास समय बहुत सीमित है।

मैं इसके लिए कल प्रधानमन्त्री के पास समय के बारे में नहीं जानता, पता नहीं उनके पास इसके लिए समय होगा या नहीं, इसलिए वे यहां हैं। यदि हमारे पास समय है तो हम हल निकाल सकते हैं, फिर उन्हें और भी काम देखने होंगे। यह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा।

अब, हमें चर्चा या सुझावों से जो भी आप पुकारें, से प्रारम्भ करना चाहिए। मैं इसको नहीं रोक रहा हूं।

प्रधानमन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं कहना चाहता हूं कि आज या कल कभी भी समय निकाल लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह मामला इतना महत्वपूर्ण है जिसके लिए मुझे समय निकालना होगा, मैं इसके लिए समय निकालूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा प्रारम्भ करते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी।

———

3.42 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा—(जारी)

राम जन्म-भूमि बाबरी मस्जिद विवाद

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अध्यक्ष महोदय, नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की इजाजत देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ स्पष्टीकरणों के लिए कहना पड़े।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात को छोड़िए और चर्चा पर आ जाईए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सबसे पहले मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि पीड़ा और आतंक के लगभग एक पखवाड़े के बाद अयोध्या में विवादित ढांचे के कार्यों पर रोक से कुछ राहत मिली है।

विनाश के इस अन्धकार के समय धोखा, बेईमानी, गैर-जिम्मेदाराना, पवित्र संस्थाओं का विनाश जैसे कई कार्य बहुत ही शर्मनाक तरीके से किए गये। सरकार की ऐसी ही निन्दनीय सहपराधीता और नपुंसकता की घटना का प्रधान मन्त्री ने अपने वक्तव्य में जिक्र किया हैं, और मैं उस वक्तव्य से उद्धृत करता हूं जो कि तीन प्रकार से है :

> "हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार और राष्ट्रीय एकता परिषद को भी बार-बार आश्वासन दिया था कि वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उच्च न्यायालय के आदेश लागू हों, फिर भी राम जन्म-भूमि बाबरी मस्जिद परिषद में निर्माण कार्य जारी रहा।"

यह दोहरे मुंह वाली बात है जिसका मैंने कुछ देर पहले हवाला दिया था। हालांकि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आपको न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन के लिए समर्पित किया था और

दूसरी तरफ उसने अवैध क्रियाकलापों को जारी रहने दिया। यह जो स्थिति हुई वह बहुत ही विडम्बना-पूर्ण है।

इस काल में भी डोरी थामने वालों और कठपुतलियों की विडम्बनापूर्ण उलट भूमिका तथा इसे खोलने वाली जिन्नी की हठधर्मिता देखने को मिली। प्रधान मन्त्री ने वक्तव्य का हवाला दिए बिना नहीं रहा जा सकता वहां पर कहा गया है :—

"यह सुनिश्चित करना उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तरदायित्व था कि न्यायालय के आदेशों को क्रियान्वित किया जाए और अधिग्रहित भूमि पर निर्माण कार्य रोका जाए। तथापि स्थिति को इस हद तक जाने दिया गया जहां पर राज्य सरकार ने अपने कुछ भी करने की असमर्थता व्यक्त की और वास्तव में अनुरोध किया कि या तो गृह मन्त्री या मैं सन्तों और महन्तों को कार्य रोकने के लिए राजी करे।"

प्रधानमन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के इस भाग का मेरी दायीं ओर बैठे भारतीय जनता पार्टी के मेरे सामी विरोध नहीं करेंगे लेकिन किसी को यह नहीं भूलाना चाहिए कि जब भी पाखंडी तरीके अपनाए गए और धार्मिक भावनाओं का राजनैतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया उसका परिणाम अनियंत्रित हुआ जैसाकि हमने भिंडरावाले के मामले ने देखा है यह केवल भा०ज०पा० के हमारे साथियों के लिए ही शिक्षा नहीं है बल्कि सत्ताधारी पार्टी के लिए भी क्योंकि कोई भी दोहरी नीति, मुंह में राम बगल में छुरी की बात भविष्य में भी उतनी ही नुकसानदायक सिद्ध होगी। हम हमेशा मांग करते रहे हैं कि अयोध्या विवाद को बातचीत या न्यायालय के माध्यम से हल किया जाना चाहिए।

प्रधानमन्त्री ने कहा है कि शांतिप्रिय हल के लिए बातचीत या न्यायालय की प्रभुत्ता के माध्यम से उनकी धार्मिक नेताओं के साथ बातचीत विपक्ष को स्वीकार्य थी।

उन्होंने कहा और मैं उद्धृत करता हूं :

"मैंने पाया कि वे इससे सहमत थे।"

लेकिन समाचार-पत्रों में हमें पता चला कि भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं ने इस समझौते का खुलेआम मजाक उड़ाया कि इस मामले को न्यायालय के जरिए हल किया जा सकता है। मैं प्रधानमन्त्री से जानना चाहता हूं कि आम सहमति आम बात क्या थी जिस पर समझौता हुआ था? यदि इसकी सहमति हुई थी कि यदि मामले को बातचीत से हल नहीं किया जाता तो न्यायालय के आदेश का प्रत्येक द्वारा आदर किया जाएगा। यदि ये ही समझौता है तो जो इस समझौते में शामिल थे वे इससे कैसे हट गये और लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करना है। यदि आप कहते हैं कि यह वचनबद्धता थी तो उसकी अवज्ञा को इस सभा में आपकी ओर से उसे धोखा कहा जाना चाहिए।

एक बात स्पष्ट है कि इस समय कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बावजूद और जिनके बारे में गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने दो वक्तव्य दिए थे अर्थात नासिक और तिरुवनन्तपुरम में हुए दंगों में अलावा देश में बड़ी संख्या में हिंसा नहीं हुई। यह इस कारण हुआ कि वास्तव में धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों ने अपनी आवाज को बहुत ही संगठित ढंग से उठाया···(व्यवधान)

न्यायालय के आदेश के प्रति दर्शाए जाने वाले आदर के लिये···। इसके सम्बन्ध में इस सभा में हमने अपनी आवाज कई बार उठाई।

मैं अपने देश में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना करता हूं। हालांकि हम परिपक्व नेता हैं फिर भी इस सभा में प्रधानमन्त्री की अनुपस्थिति में कई दिनों तक शांतिपूर्वक तरीके से हम वार्त्ता या चर्चा नहीं कर सके। इसके संबंध में सरकार ने सहयोग नहीं दिया। यह अलग बात है कि बाहर इसके विपरीत हुआ हो। इस प्रकार सभा की इच्छा के बावजूद हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सार्थक नहीं निभा सके जिसकी कि हमसे आशा की गई थी। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायापालिका और इसकी शाखाओं ने बहुत ही सराहनीय भूमिका निभाई तथा उससे हमारे देश के धर्मनिरपेक्षवाद में पुनः विश्वास बहाल हुआ है।

मैं चाहता हूं कि वह सभा न्यायपालिका द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए इसकी पूर्ण सराहना करें तथा भविष्य में यही भूमिका बिना भेदभाव के अदा की जाएगी। इसी दौरान जो दूसरी घटना यह हुई, हालांकि यहां इन 15-20 दिनों के दौरान तूफान से पहले शन्ति थी किन्तु दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बावजूद ज्यादा हिंसा नहीं हुई। एक बात स्पष्ट है कि अब लोग सारे मामले के पीछे जो मंशा थी उसको जान गए हैं। इस देश में एक राजनैतिक दल के बहकावे में यह हमेशा नहीं हो सकता।

एक दिन वे सत्ता में आना चाहते हैं, दूसरे दिन वे राष्ट्रपति का चुनाव हार जाते हैं तीसरे दिन वे नई दिल्ली संसदीय सीट हार जाते हैं; चौथे दिन वे हिमाचल नगरपालिकाओं में सीटें हार जाते हैं, उन्होंने सांप्रदायिकता रूपी राक्षस को जगा दिया तथा देश को विनाश के कगार पर ले आए। इन राज-नीतिक सम्बन्धों का भण्डाफोड़ हो चुका है। मैं अपने देश के बहुसंख्यक वर्ग की भूमिका की भी सराहना करता हूं।

"पायनीयर" समाचारपत्र द्वारा लोगों की राय का पता लगाया गया। यह पिछले रविवार इन सुर्खियों से आया है :

"हिन्दू बाबरी मस्जिद को सुरक्षित रखते हुए मन्दिर के पक्ष में हैं।"

हमारे देश में यही धर्म-निरपेक्षवाद है।

कोई इसे नष्ट करने की कोशिश कर सकता है, कोई धर्म के गलत इस्तेमाल या धर्म शोषण करके सभा में आने की कोशिश कर सकता है। इस देश को कुछ लोगों द्वारा कुछ समय के लिए धोखा दिया जा सकता है। लेकिन अन्त में यह कसौटी पर खरा उतरेगा और उन लोगों की बुरी मंशाओं को नाकाम कर देगा जो हमारे देश में पवित्र संस्थाओं को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।

आज हमसे इस बात की मांग की जाती है। हम सभी स्वागत करेंगे यदि दलों के बीच बातचीत की है। हमने सुना है कि दूसरे पक्ष, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी तथा अन्यों, जो वहां उपस्थित थे, को विश्वास में नहीं लिया गया। राजनैतिक दलों की सरकार के प्रति गम्भीर शिकायतें हैं कि उन्हें भी विश्वास में नहीं लिया गया।

वार्तालाप के लिए गम्भीरता से सभी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि जो राहत मिली है इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जाए, और हम अवसर न गंवाएं जैसाकि हमने पहले गंवाए हैं। आज कार्य रोकना राजनीति नहीं होना चाहिए। यह समय मांगने के लिए नहीं होना चाहिए। इससे निपटाने का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। हम एक समझौता क्यों नहीं कर सकते? मेरा यही प्रश्न है। नेता वातावरण को दूषित क्यों करे? हम कैसे कह सकते हैं कि धार्मिक अपील के आधार पर हम अपने देश में जनादेश प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं सकते? यह हो सकता है कि हम 10 वर्ष तक

सत्ता में न आएं या 20 वर्ष तक हम सत्ता में न आएं। इससे इस देश का क्या नुकसान होगा यदि हम सत्ता में नहीं हैं और विपक्ष में बैठे? फिर इतनी शीघ्रता क्यों? यही मुख्य बात है जो वास्तव में विकृत कर रही है।

आस्था का प्रश्न लाया गया है। लेकिन लोकतन्त्र में हम आंख मूंदकर आस्था का अनुसरण नहीं कर सकते। किसी बात पर आस्था रखने के लिए कारण होना चाहिए तथा विवाद होने पर कौन न्याय कर सकता है तीसरी संस्था, जोकि निष्पक्ष है और यदि हम उसकी अवमानना करते हैं तो इसका अभिप्राय है कि हम अपने लोकतंत्र की जड़ें काट रहे हैं। हमें इसको समझना चाहिए।

आज मुख्य अभियान यह होना चाहिए कि यह वह नहीं, जो आपने क्या किया है बल्कि यह कुछ और है। कुछ शिकायतें हैं। मैं इन सबकी बात नहीं करने जा रहा हूं। जो वातावरण बनाया गया है यह इसे विकृत करने का समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम सब देश के लिए एक अभियान में भाग लें और वह अभियान यह होना चाहिए कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा तथा जो भी इसकी अवमानना करने की कोशिश करेगा इसे अलग-थलग कर दिया जाएगा और इसके लिए सरकार को बहुत ही कठोर होना होगा। और किसी भी प्रकार का विचलन—मैं विगत की बात नहीं कर रहा हूं—या टालमटोल आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक साबित होगा।

यदि सारे विश्व को आप देखें तो आप पाएंगे यहां तक कि अरब और इस्राईल आपस में बातचीत करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। वैस्ट बैंक का निर्माण बन्द होने जा रहा है, मैं नहीं जानता कि आप अपने विचारों के साथ कहां रह रहे हैं? आप हमारे देश को पीछे क्यों ले जा रहे हैं। जबकि पूर्व और पश्चिम आपस में मिल रहे हैं हम इस देश के नेता यहां पर बैठे हुए लड़ रहे हैं।

[अनुवाद]

कुछ लोग यह कहने की कोशिश करते हैं कि जो लोग एक पार्टी विशेष एक विचारधारा के विरोधी हैं वे मन्दिर निर्माण के खिलाफ हैं। इस देश में कोई भी मन्दिर निर्माण के विरुद्ध नहीं है कोई खिलाफ नहीं है। लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि यह किसी दूसरे के धार्मिक स्थान को नष्ट करके बनाया जाए। क्या भगवान का पूजा स्थल हमारे देश की मानवता की कीमत पर बनाया जा सकता है? क्या इसका निर्माण नफरत की नींव पर किया जा सकता है? क्या इसको देश के विभाजन के परिदृश्य में बनाया जा सकता है? कई तर्क दिए गए कि यदि बहुमत के नाम पर साम्प्रदायिकता का प्रचार किया जा सकता है तो यह निन्दनीय है। लेकिन दूसरे अल्पसंख्यकों द्वारा प्रचारित साम्प्रदायिकता निन्दनीय नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। हमें सभी प्रकार की साम्प्रदायिकता की निन्दा करनी चाहिए। और इसीलिए यह आवश्यक है कि हम धर्म-निरपेक्षवाद में अपनी आस्था को पुनः दोहराएं और आज वह समय आ गया है कि प्रधान मन्त्री उठें और सभा और राष्ट्र को बताएं कि उपलब्ध समय का सदुपयोग किया जाएगा तथा प्रत्येक उस व्यक्ति की सहकारिता से अभियान को प्रवर्तित कर दिया जाएगा जोकि धर्म-निरपेक्ष है और देशभक्त है, न्यायालय के आदेश का आदर किया जाएगा और इस विवाद, जोकि देश को अलग-अलग कर रहा है, के सम्बन्ध में जो भी उसे नहीं मानेगा उसे हर तरह से अलग-थलग कर दिया जाएगा। इसके लिए यदि उचित कदम उठाए जाते हैं तो सभी लोग, राजनैतिक दल, जो कि धर्म-निरपेक्ष और देशभक्त हैं, सहयोग और सहायता मांगते हुए प्रतीत नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए सरकार को निष्कपट होना होगा। हम किसी भी प्रकार की उग्रता नहीं चाहते; हम किसी भी प्रकार की नफरत या उत्तेजना नहीं चाहते। लेकिन एक बहुत ही अच्छे तरीके से जोकि इस सभा के लिए ठीक है, हमें इस वाद-विवाद में

भाग लेना चाहिए तथा अपने देशवासियों को यह सन्देश देना चाहिए कि इस देश में इस प्रकार के घृणित कार्य बर्दास्त नहीं किए जाएंगे तथा इस पर सम्पूर्ण सभा एकमत है ।

इन शब्दों के साथ मुझे बोलने के लिए समय देने पर मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं ।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, अयोध्या की जटिल समस्या पिछले सप्ताह से पहले चर्चा के लिए सूची में थी । लेकिन दुर्भाग्यवश, देश में चारों ओर होने वाली कुछ घटनाओं के कारण चर्चा को स्थगित करना पड़ा ।

महोदय, यदि चर्चा कुछ दिन पहले हो गई होती तो उसका स्वर, दिशा और शैली पूर्णतः अलग होती । हम माननीय प्रधान मंत्री का उनकी राजनीतिकता, उनके धैर्य जिससे वे सभी राजनैतिक दलों से मिली और एक प्रकार की सहमति पर पहुंचे, के लिए आभारी हैं । सम्पूर्ण राष्ट्र वास्तव में प्रधान मंत्री का आभारी हैं राष्ट्र धार्मिक नेताओं का भी आभारी है जिन्होंने किसी भी प्रकार के टकराव को टालने तथा इस महान राष्ट्र में शान्ति स्थापित करने के लिए माननीय प्रधान मन्त्री के आह्वान पर सही प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

मेरे विचार से इस महीने की 26 तारीख इस महान राष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन था । एक गंभीर आपदा को टाल दिया गया है । मैं यह नहीं कहता कि अयोध्या की समस्या को पूर्णतः हल कर लिया गया है । लेकिन मेरा विश्वास है कि यह एक घनघोर विनाश के अन्त की शुरुआत है जिसने इस महान देश के धर्म-निरपेक्ष तानेबाने को नष्ट कर दिया होता और जिससे अन्ततः देश के विखंडन का रास्ता प्रशस्त होता है । मैं एक बार फिर सम्पूर्ण राष्ट्र को उस तरीके के बधाई देता हूं जिससे शांतिपूर्ण ढंग से कोई और समस्या पैदा किए बगैर इन्तजार किया ।

महोदय, एक मामले पर मुझे बहुत दुःख है । मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की दुःख व्यथा को बांटना है । मैं त्रिवेन्द्रम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं । यह तीसरा मौका है जब मैं इस निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया हूं ।

महोदय, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा एक वक्तव्य दिया गया है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं । मेर निर्वाचन क्षेत्र में पड़ी अपदा के बारे में सुनकर मैं त्रिवेन्द्रम गया । मैं वहां पिछले बुधवार की दोपहर को पहुंचा । त्रिवेन्द्रम के लोग भयाक्रांत थे । समाचारपत्रों में जो कुछ दिया गया है वह कुछ हद तक सत्य है । महोदय अपने दिल की गहराई से मैं कहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोगों के बीच दंगों में कोई साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ । यह केवल उन दो रुढ़िवादी साम्प्रदायिक गुटों के बीच झगड़े के कारण हुआ जिससे त्रिवेन्द्रम शहर में एक बड़ा ज्वार आया । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के हर हिस्से में गया जहां पर आग-जनी, लूटपाट और हत्या की घटनाएं हुई थीं । यह आई० एस० एस० और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के बीच छोटे से झगड़े के कारण हुआ । आई० एस०एस० मुस्लिम वर्ग की एक नई शाखा है जिसकी केरल की मुस्लिम लीगद्वारा भी पूर्णतया निन्दा की गई है । हमें इस रुढ़िवादी दल को आरम्भ में ही कुचलना होगा जिसे यदि बढ़ने दिया गया तो अन्ततः इस देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नष्ट कर देगा । त्रिवेन्द्रम में हम इस बात पर एकमत हैं ।

महोदय, बुधवार को मेरे त्रिवेन्द्रम पहुंचने के दो घंटे बाद एक शान्ति मार्च निकाला गया था । उसमें प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक राजनीतिक दल प्रत्येक साम्प्रदायिक दल ने भाग लिया था । मैं उन सभी नेताओं

को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने शांति मार्च में भाग लिया। क्योंकि उससे वहां पर शांतिपूर्ण वातावरण कायम करने का रास्ता प्रशस्त हुआ।

4.00 म० प०

भा० ज० पा० को केरल इकाई के अध्यक्ष श्री रमन पिल्लई और मुस्लिम लीग के राज्य स्तरीय अध्यक्ष, केरल राज्य के सभी मन्त्रियों, स्थानीय संसद सदस्य और अन्य विधायकों, प्रत्येक ने शांति मार्च में भाग लिया।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मामले पर इस सीमा तक चर्चा करना चाहेंगे ?

श्री ए० चार्ल्स : वहां पर साम्प्रदायिक दंगों जैसी कोई बात नहीं है। हां, महोदय मैं इस मामले को समाप्त कर रहा हूं। लगभग 500 शिल्पकार परिवारों का एक वर्ग था। यह हिन्दू क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अन्तर्गत मुश्किल से 15 मुस्लिम परिवार हैं। लेकिन जब हिंसा हुई तो वे पूरे त्रिवेन्द्रम में सबसे अधिक सुरक्षित परिवार थे। इससे त्रिवेन्द्रम में विद्यमान साम्प्रदायिक सौहार्द का पता चलता है। यह अयोध्या का मामला ही था जिससे त्रिवेन्द्रम में सारी समस्या प्रारंभ हुई। मैं साम्प्रदायिकता की निंदा करता हूं चाहे यह कहीं भी हुई हो।

अब मैं अयोध्या मामले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता। यदि चर्चा 10 दिन पहले हो गई होती तो मैंने उस पर भी चर्चा की होती। लेकिन विद्यमान शांतिपूर्ण वातावरण के कारण मैं अनावश्यक मामले नहीं उठाना चाहता।

विपक्ष के माननीय नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी अक्सर लोगों के जनादेश के बारे में बोलते हैं। सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए लोगों का जनादेश क्या है ? कांग्रेस घोषणा-पत्र और प्रधानमन्त्री ने बार-बार साफ-साफ कहा है कि कांग्रेस मस्जिद को गिराए बिना मन्दिर बनाए जाने के पक्ष में है क्योंकि यह राष्ट्र को दिया गया जनादेश है। मन्दिर बनाया जाएगा लेकिन किसी भी हालत में मस्जिद नहीं गिरायी जाएगी।

मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा कल अपने वक्तव्य में चार मुख्य बातों का जिक्र किया गया है ये (एक) स्थिति को सामान्य बनाना (दो) टकराव के दृष्टिकोण से बचना, (तीन) विभिन्न सम्बन्धित दलों के विचारों में सामंजस्य स्थापित करना, और (चार) न्यायपालिका की मर्यादा बनाए रखना और कानून के शासन का आदर करना। इनके आधार पर हमें अयोध्या मामले पर अन्तिम समझौते के लिए कार्य करना है।

सौभाग्यवश, मैं अयोध्या का दौरा करने वाले संसदीय दल के साथ आने वाले सदस्यों में से एक था। अतः मैंने स्वयं वहां हो रही घटनाओं को देखा है। मैं उस सबकी व्याख्या करने नहीं जा रहा हूं क्योंकि जब हम शांतिपूर्ण वातावरण में हैं, जब हम शांति की कोशिश कर रहे हैं जब हम शांतिपूर्ण हल के लिए बातचीत कर रहे हैं, मैं कोई विवादास्पद मामला अनावश्यक रूप से नहीं उठाना चाहता हूं।

कांग्रेस हमेशा बातचीत के जरिए हल के पक्ष में रही है तथा यह हमारी घोषित वचनबद्धता है। हम धर्मनिरपेक्षवाद के लिए कृत संकल्प हैं। धर्म-निरपेक्षवाद इस देश के लोकतंत्र की आत्मा है। मुझे धर्म-निरपेक्षता के बारे में पं० जवाहर लाल नेहरू के दृष्टिकोण के दो अंशों को उद्धृत करने की इजाजत दी जाए। 3 अप्रैल, 1948 को संविधान सभा (विधायी), नई दिल्ली में अपने भाषण में महान पंडितजी ने कहा था; मैं उद्धृत करता हूं :

"वास्तव में हमने देखा है कि राजनीति में साम्प्रदायिकता ने हमें किस स्थिति में पहुंचा दिया है हम सबको जिन गम्भीर खतरों से पहले गुजर चुके हैं, उन्हें तथा उनके भयानक परिणामों याद करते हैं। जैसा भी हो, अब कोई विकल्प नहीं है; और हम सबको तथा देश को यह बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी होगी कि साम्प्रदायिकता के रूप में धर्म तथा राजनीति का सम्मिश्रण—मैं 'साम्प्रदायिकता के रूप में' पर बल दे रहा हूं—बहुत ही खतनाक मेल है तथा इससे सर्वाधिक असामान्य प्रकार की गलत ढंग से सोचने वाली पीढ़ी तैयार होती है।"

मुझे उनके द्वारा 19 जुलाई, 1961 को श्रीनगर में हिन्दी में दिए गए भाषण का एक अपेक्षातया लघु अंश उद्धृत करने की अनुमति प्रदान की जाए।

मैं उद्धृत करता हूं:—

"राष्ट्रीयता साम्प्रदायिकता के साथ कायम नहीं रह सकती। राष्ट्रीयता का अर्थ हिन्दू राष्ट्रीयता, मुस्लिम राष्ट्रीयता अथवा सिक्ख राष्ट्रीयता नहीं है। जब आप हिन्दु सिक्ख अथवा मुस्लिम की बात करते हैं तो आप भारत की बात नहीं करते। प्रत्येक व्यक्ति को अपने से यह पूछना होगा मैं भारत को क्या बनाना चाहता हूं—एक ऐसा शक्तिविहीन अथवा असहनशील देश या राष्ट्र जो हल्के से झटके से आसानी से टुकड़े-टुकड़े हो जाए? प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। पृथकतावादी प्रवृत्ति हमेशा भारत की कमजोरी रही है। विखण्डनवादी प्रवृत्तियां, चाहे वह हिन्दुओं में हों अथवा मुसलमानों, सिक्खों, ईसाइयों अथवा अन्य धर्मों के लोगों में हो, बहुत ही खतरनाक और गलत प्रवृत्तियां हैं। ऐसी प्रवृत्तियां क्षुद्र और पिछड़े दिमागों में पाई जाती हैं। कोई भी व्यक्ति जो सामयिक आवश्यकता को समझता है वह साम्प्रदायिक ढंग से नहीं सोच सकता।"

पं० जवाहर लाल नेहरू ने सम्पूर्ण राष्ट्र को यह सन्देश दिया है।

प्रत्येक धर्म का सन्देश प्रेम है। परन्तु दुर्भाग्यवश प्रत्येक धर्म नफरत का सन्देश देता है। मैं आनंद रामायण में से एक छोटा-सा वाक्य उद्धृत करता हूं। मैंने एक बार इसे सभा में उद्धृत किया था परन्तु मुझे पुनः दोहराना है। आनन्द रामायण मद्गुरु देवाय नमः द्वारा लिखित है। जब श्रीराम वाल्मिकि आश्रम आ रहे थे, तो उन्होंने पूछा मैं कहां रहूं।" और इसका यह उत्तर मिला:—

"........उन लोगों के दिलों में जो वासना, क्रोध, घमण्ड, अहंकार, लगाव रहित हैं, जो लालच, उत्तेजना, आकर्षण, विकर्षण रहित है तथा जो धूर्तता आडम्बर तथा छलकपट से दूर हैं।"

हम सभा में इस पक्ष के सदस्य, सर्वसम्मति से उन श्रीराम को अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं। यही आज की आवश्यकता है। इस मूल समस्या के प्रति हमारा ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए।

आज देश को शांति, आपसी समझ तथा प्रेम की आवश्यकता है हमें रोगहर सहृदय व्यवहार की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि प्रतिपक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी द्वारा अत्यधिक सहयोग किया जा सकता है और मेरा अपने अच्छे साथियों भारतीय जनता पार्टी के महान नेताओं से अनुरोध है कि वे वास्तविकता को समझें।

अपने भाषण के अन्त में मुझे महर्षि रविन्द्र नाथ टैगोर की रचना को उद्धृत करने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : हम उद्धरण की अपेक्षा आपकी भाषा को बेहतर समझते हैं।

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, मैं उद्धृत करता हूं :

"यह मंत्रजाप, (प्रभु के) गुणगान, और माला जपना छोड़ दे। मन्दिर के सब दरवाजे बंद करके इस शांत अन्धेरे कोने में तू किसकी आराधना कर रहा है ? अपनी आंखें खोल और देख तेरा भगवान तेरे सामने नहीं है।"

वह वहां है जहां कृषक कठोर भूमि को जोत रहा है तथा जहां रास्ता बनाता मजदूर पत्थर तोड़ रहा है। वह दिन-रात उनके साथ है तथा उसके कपड़े धूल से सने हुए हैं। इस पवित्र चोले को उतार दे और उसे प्राप्त करने के लिए उसी तरह इस धूल-धूसरित (कर्मभूमि) में आजा······

चिन्तन-मनन छोड़ दे तथा अपने फूलों और धूप-लोबान को एक ओर रख दे। तेरे कपड़े फटे-पुराने और मैले हो जाएं तो इसमें तेरी क्या हानि है। उससे मिल और घोर श्रम कर कठिन परिश्रम में उसका गाढ़े का साथी बन।"

यह सन्देश सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए है और इस देश के सही दिशा में सोचने वाले सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वे आगे आएं और रोगहर सहृदयतापूर्ण व्यवहार से भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या का समाधान करें। हम सब अन्तिम रूप से यह निर्णय लें कि हम मस्जिद को गिराए बिना ही मन्दिर का निर्माण करेंगे।"

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, जो नई परिस्थिति है, इसका मैं स्वागत करता हूं। इस देश की यह सबसे बड़ी पंचायत है और हम सब लोग यहां जो बैठे हुए हैं सब जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं। आज मैं किसी पार्टी से किसी तरह की प्रिजुडिश के चलते कोई बात नहीं कहना चाहता।

8 जुलाई से, जब से कार सेवा बन्द हुई, तब तक का जो समय है, उस समय को मैं यह मानता हूं कि लोकतंत्र, लोकशाही इस देश के लिए एक ऐसी नायाब चीज है कि···सदियों से इस देश में बहुत अच्छाई भी है, लेकिन ऐसी खराबियां भी हैं, जिनके चलते यह देश सदियों से तबाह है। आजादी की जंग ने हिन्दुस्तान को एक नया भारत बनाने का सपना बनाया है, वह इतना सही और इतना मजबूत है कि मैं निश्चित तौर पर हिन्दुस्तान की जो मेहनतकश जनता है और प्रबुद्ध जनता है, मैं उसको याद करके कहना चाहता हूं कि आजादी इस देश के वर्षों के इतिहास में सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया जगह और सबसे बढ़िया समय है, तो हमारी आजादी की जंग है। बाकी इतिहास जो इस देश में लिखा गया है, बहुत लोगों को उसमें यकीन हो सकता है, माननीय अर्जुन सिंह जी को यकीन हो सकता है और उन्हें गर्व भी हो सकता है, मेरे इस बाजू के साथियों को भी बहुत गर्व हो सकता है और हो सकता है लायक चीजें हों, लेकिन इस देश का मैं भी एक नागरिक हूं, मेरी निगाह में दुनिया में शायद ही कोई तहजीब और तमद्दुन इतने बुरे नतीजे नहीं निकालती है। महात्मा गांधी कहा करते थे, जब किसी सिद्धान्त को, किसी संस्कृति को, किसी धर्म को और किसी मजहब को तोलने का मौका आए, तो हमेशा एक बात याद रखना कि उसके नतीजों को जरूर देखना। यदि उसके नतीजे ठीक नहीं है, यदि नतीजे गलत निकल रहे हैं, तो उस पर जरूर विचार करना चाहिए कि कहीं कुछ बिगाड़ तो नहीं है, कहीं कुछ खराबी तो नहीं है।

अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान का इतिहास, पहले का जो अलिखित इतिहास है, जिस पर हम गर्व करते हैं, मुझे उस पर यकीन नहीं है, कोई विश्वास नहीं है । जो चीजें जानकारी में हैं, उसमें तो हमारी समूची हिन्दुस्तान की कौम, उसमें मैं हिन्दू और मुसलमान सबको शरीक करके कहता हूं, के बारे में बहुत शर्मनाक लिखा है । इतिहास में तो हमसे ज्यादा गुलामी किसी कौम की नहीं है । जितना लम्बा पराजय का इतिहास हमारा है है, जितना हमारा इतिहास शर्मनाक है, सिर झुकाने के लायक है, उतना शायद किसी का नहीं है । ये नतीजे हमारी सारी परम्पराओं के हैं और जब साम्प्रदायिका की चर्चा चलती है, सद्भावना की चर्चा चलती है, तो अकेले हिन्दुस्तान के मुसलमानों का सवाल नहीं हैं, हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुसलमानों से ज्यादा हिन्दू बनाम हिन्दू के बीच का ही युद्ध है । इस इतिहास को बहुत विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। अभी जो कुम्हेर में हुआ, वहां मुसलमान नहीं हैं । चिम्बूर में हुआ, तो वहां मुसलमान नहीं है । बारा में हुआ, तो वहां भी मुसलमान नहीं है । चाहे हमारा राज हो या कांग्रेस का राज हो या बी० जे० पी० का राज हो, लेकिन हिन्दू बनाम हिन्दू जो जाति व्यवस्था है, इसमें अच्छाई है या बुराई है, वह मैंने आपके सामने रखी है । इसमें इतनी क्रूरता है, काला और गोरा तो बहुत जल्दी समझा जाता है । लेकिन हिन्दुस्तान में गर्व करने लायक चीज है, वह है हिन्दुस्तान के मेहनतकशों की मेहनत ।

बाकी जो हिन्दुस्तान का प्रबुद्ध समाज है, जिस संस्कृति को ग्लोरी कहा जाता है, उस ग्लोरी से मैं यह मानता हूं कि बहुत कुछ नहीं निकलता है । हिन्दुस्तान में जो मेहनतकश लोग हैं, उन्होंने ताजमहल को खूबसूरत उंगलियां से बनाया है । हिन्दुस्तान में मेहनतकशों ने अजंता-एलोरा और खजुराहो को बनाया है । दुनिया के लोग जब कभी भी यहां आते हैं, तो हिन्दुस्तान की तहजीब और तबददुम के सामने सिर झुकाते हैं, जब वे खजुराहो के दरवाजे से गुजरते हैं । हिन्दुस्तान में जब कोई अजंता जाता है, तो आपका गौरव बढ़ता है और यह गौरव मेहनत करने वाले लोगों की उंगलियों के कमाल से निकलता है । है । इसलिए साम्प्रदायिकता हिन्दू-मुसलमान की नहीं, साम्प्रदायिकता का जो सवाल है; वह बहुत गहरा है और बहुत व्यापक है । मैं यह भी मानता हूं कि जो आजादी आई है, हमारे पास जो नई चीज आई है और मानता हूं, जैसा कि लोग कहते हैं पंचायती राज कायम है या पंचायतों का सिलसिला था, लेकिन वह बहुत खण्ड-खण्ड था और बहुत अव्यवस्थित था ।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान और यह संसद जो सबसे बड़ी पंचायत है, उसको तैयार रहना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए । यह देश 80 करोड़ की आबादी वाला देश है और सबसे ज्यादा जरखेज जमीन का इलाका है, लेकिन इतिहास हमारा बहुत ही तकलीफदेह है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया में मैं कहीं नहीं गया, इसलिए नहीं गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्या दुनिया में कहीं भी जाकर के क्या किसी बात पर सर उठाया जा सकता है, हां गांधी के नाम पर तो सर उठाया जा सकता है, खजुराहो के नाम पर उठाया जा सकता है । इस देश के संगीत और कला पर जरूर सर उठाया जा सकता है लेकिन बाकी इतिहास तो बहुत अफसोसनाक है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति को हमको छानना चाहिए, उसमें आप जो यहां गौरव गाते हैं लेकिन यह गौरव कैसा गौरव है ? हजारों वर्ष से जो कमाने वाले लोग हैं वह अपमानित हैं, कमाने वाले लोग जब वे कोई हक की बात करते हैं तो चारों तरफ से जो सभ्य समाज है, सदियों से इस देश को इस हालत में रखने वाले जो लोग हैं वे किस-किस तरह से, किस-किस बात से, किस-किस तरफ से हमला करते हैं यह भी पूछा जाए ।

अध्यक्ष जी, जब से हमने होश संभाला हम तब से ही तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं हालांकि समाज में हम इतने गिरे हुए लोग नहीं है तब भी जो समाज में हमारी गिरावट है उसके चलते भी हमको कदम-कदम पर क्या-क्या भोगना पड़ता है यह बताने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में इस रोग का सामना आपको कई बार करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि पंजाब की जो समस्या है वह हिन्दू बनाम सिख की है। मैं यह मानता हूं कि इस देश में कोई सिख बन गया, दाढ़ी रख सकता है, वह पंथ और तमाम तरह के रीति-रिवाज अपने तरीके से अलग रख सकता है लेकिन उसमें कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। हिन्दुस्तान में कोई दाढ़ी रख सकता है, नमाज पढ़ सकता है लेकिन हिन्दुस्तान के समाज से निकली हुई जो चीजें हैं वह बहुत मजबूत और चट्टान जैसी ऐसे जम गई हैं कि 70 वर्ष का जो कम्युनिजम है वह हिल जाता है जो इन्सानियत के लिए बना था वह हिल जाता है। इस हिन्दुस्तान की जो जाति व्यवस्था है यह कितने वर्ष पुरानी है दो हजार वर्ष, हजार वर्ष या ढाई हजार वर्ष, तो इस जाति-व्यवस्था के चलते ही ये अनुदार भारत है। यह अकेले मुसलमान और हिन्दू का सवाल नहीं है। मैं पंजाब में गया था जब मैं वहां पहुंचा, तो मुझे दूसरी जानकारी है यानि वहां तो हालत ही दूसरी है मैं उस पर ज्यादा जाना नहीं चाहता लेकिन इतना निश्चित रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की इस पंचायत को तैयार रहना चाहिए, हजारों वर्ष और सदियों से हम गौरव कर रहे हैं मैं समझता हूं कि हम ठीक से इस बात को महसूस नहीं करते कि इसके नतीजे क्या हैं।

आप महान लोग हैं लेकिन सबसे ज्यादा गरीब लोग आपके देश में कौन हैं? आपकी महान संस्कृति है लेकिन आपके यहां सबसे ज्यादा अन्धे और कोढ़े लोग रहते हैं, आप सबसे ज्यादा महान लोग हैं लेकिन एक स्वर्ण पदक आपका भगवान बजरंग बली है लेकिन एक पहलवान खाली उधर नहीं पाता है हरेक आदमी पिट-पिट कर चला आता है। आप दुनिया में कहते हैं सरस्वती अपने यहां वरदान है, यानी बुद्धि के देवता हमारे यहां पूजे जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सदन में जितनी चीजें हैं अधिकांश जिनका हम भोग कर रहे हैं जैसे ये आपकी घड़ी है, बिजली है, ये कोई चीज सरस्वती के पूजने वालों ने निकाली है यदि बात करें तो कहेंगे नहीं हमारा धृतराष्ट्र जो था उसके भी देवता हैं, ये क्या कह रहे हैं, हम कहां सर मारें। ऐसी गप्पे और कल्पनाएं ये कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि गौरव की बातें हम जानते हैं जब दुनिया में मैं कहीं जाऊंगा तो जरूर गौरव की बात करूंगा। मैं जानता हूं कि हिन्दुस्तान की कभी तहजीब और संस्कृति बड़ी थी। (व्यवधान) लेकिन अब यहां क्या हालत है इस पर जरा आप विचार करें। अब क्या हालत है कि आप सरस्वती की पूजा करते हैं और देश में नकल के लिए आपको अध्यादेश लाना पड़ा, ये खासकी आपकी नहीं हमारी सबकी हैं। यानी कि जिस देश में सरस्वती की मूर्तियों को लेकर के निकालने का रिवाज हो और इस देश में हजारों वर्ष से कोई एक नहीं, लाखों-करोड़ों का यह देश है, यह नहीं कर पाए इसलिए कि 90 फीसदी आदमियों को आपने ऊसर और बंजर बना दिया है यानी कि उसमें क्रियेटिविटी खत्म हो गई।

कोई चीज पैदा नहीं होती है, कोई चीज इसमें से बनती नहीं, निकलती नहीं, 90 फीसदी जो वैज्ञानिक होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, विचारक होते हैं. ५ तो मर जाते हैं, उनके लिए कोई सम्भावना नहीं है। मैं सदन में किस-किस दौर से आया हूं, बताने की जरूरत नहीं है, ऐसी दिक्कतों से पार हुआ हूं, मेरी उम्र मोरारजी भाई से ज्यादा होगी, लेकिन मरूंगा जल्दी ही और इस देश में लोग कहेंगे कि भगवान के यहां लिखा हुआ है, तभी मृत्यु होती है। खाने-पीने से भी उम्र बढ़ती है। हम सब लोग उम्र

की दुआ भगवान से मांगेंगे, लेकिन डाक्टरों के पास चक्कर लगाएंगे । यानी कोई चीज हिन्दुस्तान में नहीं है जो यहां नई खोज की गई हो ।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रोग से यह देश भरा हुआ है, लबालब है, ऐसा गंदा कर दिया गया है, हमारे पुरखे बड़े महान थे, लेकिन ऐसा इंतजाम कर गए हैं कि मैं आडवाणी जी के गले चाहे 50 साल तक लगूं, लेकिन उनके यहां मेरी बेटी का या मेरा रिश्ता नहीं हो सकता, कितना ही हम गले लग जाएं। जब मन चौड़ा होता है, तभी देश बनता है। जब मन बड़ा होता है, तभी देश बनता है । अध्यक्ष जी, आज मैं अपनी जाति के किसी आफिसर को फोन कर दूं तो तत्काल मेरा काम कर देगा, यह सच्ची बात है और यदि दूसरी बिरादरी के आफिसर से कहूं तो बड़ी दिक्कत पड़ती है ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : ऐसा है ?

श्री शरद यादव : सोमनाथ जी कह रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन इतना भोगा हुआ है, इसके बाद भी कह रहे हैं कि ऐसा है । यानी यहां सब लोग, तेरी जय-जय, मेरी भी जय-जय वाले हैं । इस देश में बहुत रोग हैं। पंजाब का सवाल आपके सामने आएगा, अयोध्या सवाल आपके सामने आएगा, बहुत सी चीजें हैं । इस सदन में पिछली 8 जुलाई से हम सब लोग तनाव में हैं। मेरे जो मित्र हैं, मैंने बहुत सी बातें ऐसी कहीं जो इनके लिए मुझे नहीं कहनी चाहिए थीं, इन्होंने मुझ से बहुत सी बातें ऐसी कहीं जो इनको मुझसे नहीं कहनी चाहिए थीं, लेकिन जब तनाव बनता है तो कटुता बढ़ती है । आडवाणी जी और अटल जी ने कहा कि हम कानून को, न्यायपालिका जो जरूर मानेंगे, मानना चाहिए, लेकिन आडवाणी जी ने इसके साथ-साथ कह लिया कि भावनाओं का सवाल है, मेंडेड जो है, भावनाओं का भी सवाल है और भावनाओं का सौदा कोई अदालत नहीं कर सकती, लेकिन अटल जी ने साफ-साफ बात कही, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस सम्बन्ध में यह बात कही कि अदालत के आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार को मानना चाहिए, लेकिन आडवाणी जी ने इसके साथ-साथ दूसरी बात भी कह दी, क्योंकि वे फंस गए हैं, यानी जो मण्डल का सवाल हमने लगाया है, हमको मालूम होता कि मण्डल से ऐसे उपद्रव हो सकते हैं तो हम और ढिले करते, लेकिन उस मण्डल से यह डिटीरियोरेशन हुआ है । अध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार बैठी है, यह मण्डल के कारण ही बैठी है, आडवाणी जी अभी कूल नहीं होते, खतरा मंडल का है । नरसिंहराव जी यह न मानें कि ये ऐसे ही टिके हुए हैं, यह पूरा देश टिका हुआ है मण्डल से बहुत लोग डरे हुए हैं। मण्डल पर डिबेट हो सकती है, लेकिन मण्डल से लोग बहुत डरे हुए हैं। आडवाणी जी कानून पसंद आदमी हैं, बहुत अरसे से उनको जानता हूं, लेकिन परिस्थिति कुछ फंस गई है कि निकलते नहीं बनता है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम सब रोगी हैं। मैं जो कह रहा हूं वह सब बात ठीक है, ऐसा नहीं है, मेरे मन जो है वह कह रहा हूं । यह बहस चलनी चाहिए, इसलिए कह रहा हूं । इस देश में कदम-कदम पर जुल्म है, अंतरविरोध है और लोकतंत्र ही एक रास्ता है, जम्हूरियत है, आजादी के बाद जो तौर-तरीका हमने अपनाया है, यही एक तरीका ऐसा है, जिसके चलते 40 वर्षों में हमने बहुत कुछ अच्छा भी बनाया है। गरीब लोगों को इज्जत की जगह से बोलने की आजादी मिली है। इसलिए इस देश में जो रोग हैं, अन्तरविरोध है, जुल्म हैं कदम-कदम पर, उनका इलाज मैं लोकतंत्र को, लोकशाही को मानता हूं । मैं समझता हूं कि 3000 वर्ष में यही बेहतरीन चीज हमारे हाथ लगी है। आज हिन्दुस्तान का गरीब आदमी ताकत का अहसास लोकशाही के चलते ही करता है। यह जो जाति-व्यवस्था है, यह भी लोकतंत्र के जरिए ही पिघलेगी और लोकतंत्र के जरिए ही

हिन्दुस्तान एक समर्थ-समाज बनेगा। यह बहुत प्रिय चीज हमारी है, इससे प्रिय चीज कोई दूसरी नहीं है।

मैं इसलिए आज अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में 8 जुलाई से और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद न्याय ठहर नहीं सकता। यानी राज्य का जो विचार और कंसैप्ट है वह ठहरने की चीज नहीं है। यदि हिन्दुस्तान में देश का हैड, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यदि मर जाता है तो तत्काल इन्तजाम होता है कि कोई दूसरा हैड बनाया जाए। इसलिए कानून, संसद और जो इस देश की संस्थाएं हैं वे ठहर नहीं सकती। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हम सब की चाहे जो मजबूरी हो, लेकिन यह जो कानून ठहर गया, अदालत का फैसला ठहर गया, हिन्दुस्तान के बहुसंख्यक समाज के एक-दो लोग मुझसे मिले, उन्होंने कहा हम लोग अदालत में केस बेकार लड़ रहे हैं, इसको वापिस ले लेना चाहिए, मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, अदालत का फैसला ठहर गया, लेकिन इस फैसले के लिए सब लोग लड़ रहे हैं।

मैंने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के जितने मित्र अकेले में मुझसे मिले तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं रास्ता निकले। लेकिन जब हम फंसे हुए थे, मैं उस पीरियड का आपको जिक्र करना चाहता हूं, हमने कानून ठहरा दिया। अदालत का जो फैसला है उसको हमने लागू करने में विलम्ब किया अध्यक्ष जी, कुर्बानी करिए, चार महीने हो जाते, वर्ष या दो वर्ष हो जाए, कभी मामला लम्बा और चला जाए तो लोकतंत्र, जम्हूरियत, न्यायपालिका, जो इंस्टीटयूशन्ज हैं, जो हमको मजबूत करते हैं इस जगह खड़े होने में, जब फैसला चार दिन या ज्यादा दिन ठहर जाएगा तो किस का विश्वास होगा। आज यदि किसी को फांसी की सजा हो जाती है, घर का सबसे प्रिय आदमी फांसी पर चढ़ने जाता है, लेकिन अदालत की इतनी आज इस देश में साख और मर्यादा बन गई है कि आदमी उसका पालन करता है। ये चीजें ताकत से, कानून से नहीं चलती, मर्यादा और पूरे देश की सामूहिक इच्छा शक्ति जो होती है, उससे चलती हैं।

मैं प्रधान मन्त्री जी के बयान से एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं कि बातचीत के सिलसिले से बेहतर कोई चीज नहीं है। बातचीत के जरिए मैं मानता हूं कि कोई रास्ता निकले, लेकिन बातचीत का रास्ता कार्य-पालिका, इस संसद और जूडिशियरी जो इस देश की संस्थाएं हैं उनके बाहर का रास्ता है। इस बातचीत के रास्ते का मतलब यह नहीं है कि फैसले ठहर जाएं। फैसला लागू होना चाहिए। इंगलिस्तान की लोकशाही के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी दी थी। अध्यक्ष जी, जो हमारी लोकशाही है, हिन्दुस्तान की आजादी में इतनी हमने कुर्बानियां नहीं दी, बंटवारे में हमने इससे ज्यादा कुर्बानियां दे दी हैं। हम अजीब लोग हैं। लड़ने के लिए शहीदों का नाम लेते हैं तो 20-25 के बाद हमारी जुबान बंद जाएगी, लेकिन हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान और हिन्दू बनाम हिन्दू के नाम पर जो जुल्म होता है उसकी संख्या गिनेंगे तो सदियां गुजर जायेंगी नाम लेते-लेते। शहीदों का नाम लेने में मुश्किल से हमारी जुबान पर 25-50 नाम आते हैं। आजादी जो आई खून से रंग कर आई।

अध्यक्ष जी, महात्मा जी ने कई बार कहा है कि कानून मैं नहीं मानता। मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप आस्था को यदि सर्वोपरि मानते हैं तो उसके लिए सफरिंग करिए। इस देश में महात्मा जी जैसे शानदार आदमी हैं यदि उनके पास जाओगे हर चीज का जवाब आपके पास आएगा। महात्मा जी ने आजादी ने, आजादी के दौर में कहा कि मैं बहुत कानून पसन्द आदमी हूं, रूढ़िवादी आदमी हूं लेकिन कानून यदि जुल्मी है, जालिम है तो मैं उसका पालन नहीं करूंगा अपनी तबियत से,

अपनी इच्छा से । अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि मैं सजा भुगतूंगा । आप नहीं मानते हैं तो नहीं मानिए, लेकिन इसकी सजा भुगतने के लिए आप तैयार नहीं हैं । यदि अदालत का आदेश लागू नहीं करना चाहते तो कल्याण सिंह जी इस्तीफा देते, वहीं आदेश देते ।

मैं इसलिए आया हूं और तब मैं आपको मानता जब आपकी आस्था देश की आत्मा के रूप में होती, लेकिन आप बड़ी दुविधा में हैं । भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, अपने राज को बचाने के लिए इन्होंने ढिले किया ।...(व्यवधान) मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि इन्होंने ढिले अपने राज की मोहमाया में किया ।...(व्यवधान) आप बहुत धीमे से छेड रहे हैं । मेरा यह कहना है कि यह जो विलंब है, यह अपराध है । हिन्दुस्तान की सबसे शानदार लड़ाई के बाद हिन्दुस्तान की कमेरी और मेहनत जनता को हक मिला है, उसके हक को काटने और बर्बाद करने का रास्ता है । इसको हम एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर सकते । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विलम्ब आगे न हो और इस सदन में आडवाणी जी से कहना चाहता हूं कि सैंकड़ों-हजारों वर्षों में यह आजादी हमारे हाथ लगी है यानी हमने जितनी लम्बी उम्र की गुलामी में जीने का काम किया शायद दुनिया में किसी ने किया हो । इसलिए, आजादी को सहजकर और संवार कर रखो और इस संसद में हमको एक स्वर, एक स्वर में चाहे एक बाजू या दूसरी बाजू हो, हमने रूल-184 के तहत आपके सामने प्रस्ताव रखा एक लाइन में कि शांति रखना है और कानून के फैसले तक उसका पालन करना है । हम कहते हैं कि आडवाणी जी दें और अध्यक्ष जी अच्छा हो, आपकी तरफ से आ जाए । इस बहस के बाद संसद फैसला करके नहीं उठती है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि फिर चार महीने के बाद आप किसकी ही इसके साथ हिकमत लगाइए क्योंकि यह हजारों वर्षों का दिक्कतवाला मामला है, यह फिर आपका और फंसेगा । यह बातचीत से निकल जाए और हमारी पार्टी से जो मदद चाहिए तो हम उसके लिए तैयार हैं । इसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं है ।...(व्यवधान) यह सवाल फिर आपके सामने संकट के समाधान के लिए खड़ा होगा । (व्यवधान)

खुराना जी की तबियत ठीक रही तो ठीक हो जाएगा । हम चुप हो सकते हैं । खुराना जी यह कहें कि हम ठीक करेंगे और आप चुप हो जाओ तो हम एक महीने का मौन रखेंगे । अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सदन में आपकी तरफ से या प्रधान मन्त्री जी की तरफ से एक लाईन का प्रस्ताव होना चाहिए और हम शांति बनाए रखेंगे । अदालत का फैसला, जम्हूरियत और लोकतंत्र से निकला हुआ फैसला हमने बनाया और कुर्बानी देकर इन संस्थाओं को खड़ा किया । ये संस्थाएं कुर्बानियों पर खड़ी हुई हैं । ये हमको आसान तरीके से मिल गई हैं । लोकतंत्र के लिए हमें हर दिन, हर मिनट, हर क्षण और हर घंटे जीना पड़ता है इसलिए यह कठिनतंत्र है लेकिन इसका फल हमेशा अच्छा निकलता है । लोकशाही ठीक रास्ते निकलती है । मैं आज सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता चूंकि आपने घंटी बजा दी है ! मैंने जो 184 में प्रस्ताव दिया है उसका मकसद इतना ही है कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग कुर्बानी देकर यहां से चले गए, उनके अरमान और सपनों को मजबूती से थामकर रखें और इस जिम्मेदारी को हम सब मिलकर निभाएंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (बदायूं) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर उस भाषा का प्रयोग तो नहीं करना चाहूंगा जिस भाषा का प्रयोग अभी हमारे एक मित्र ने किया । क्योंकि यह एक ऐसा भावनात्मक प्रश्न है जो सीधे-सीधे पूरे देश की आस्था से जुड़ा हुआ है और जब आस्थाओं का सवाल उठता है तब उस समय भाषा पर बहुत ही संयम रखने की आवश्यकता होती है । मैं समझता हूं संघर्ष

ही भाषाओं को लेकर होता है, अगर हमारी भाषायें संयत रहें तो भावनाओं की अभिव्यक्ति में कहीं कोई कठिनाई नहीं होती और भावनाओं का प्रक्षेपण एक-दूसरे के साथ एक सामंजस्य स्थापित करता है, एक सद्‌भावना का निर्माण करता है। मैं सबसे पहले इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से उन तमाम संतों को जिन्होंने राष्ट्र में राम मन्दिर की मर्यादा के साथ-साथ न्याय मन्दिर की मर्यादा स्थापित करने में शासन का सहयोग किया है। धन्यवाद देना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में माननीय प्रधान मन्त्री जी के बयान को ही मैं अपने विचार का बिन्दु बनाऊंगा। अपने अन्य मित्रों की तरह यदि मैं पूरी संस्कृति की व्याख्या करूंगा तो निश्चित ही मैं अगर करूंगा तो दूसरे सदस्यों को समय मिलना मुश्किल होगा। इस-लिए संस्कृति की व्याख्या, इतिहास की व्याख्या और राष्ट्रीय सन्दर्भों में इसकी उपादेयता की व्याख्या करने के लिए मैं नहीं खड़ा हुआ हूं।

मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से संस्कृति पर बहस होने वाली है उस पर लोग कह सकेंगे। मैं केवल उस बिन्दु पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो माननीय प्रधान मन्त्रीजी के वक्तव्य के द्वारा हमारे सामने उपस्थित हुआ है। माननीय प्रधान मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य से संतों से चर्चा करके निश्चित ही जो इस देश में एक अनिश्चित स्थिति बनी हुई थी, अस्थिरता बनी हुई थी और सब जगह तनाव था उसका समाधान निकालने की पहल की, उस पहल के लिए मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी की प्रशंसा करता हूं।

इसके साथ-साथ ही मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी को कहना चाहता हूं कि यदि प्रधान मन्त्री जी इस मामले को इसके महत्त्व को देखते हुए जब सत्ता में आए थे तभी लिए होते तो शायद ये सब दिन हमको देखने नहीं पड़ते। हम जानते हैं पिछले तीन साल में कितनी राजनैतिक उथल-पुथल हुई हैं, जो राज-नैतिक परिवर्तन हुए हैं, और जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है उन सबमें कारण अयोध्या का मुद्दा ही रहा है। जब अयोध्या का मुद्दा ही राजनैतिक परिवर्तन का कारण रहा हो तो निश्चय ही सत्ता में आने वाले को पहले उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह बात कही गई थी कि इसको गम्भीरता से हल करने के लिए पहल की जाएगी। लेकिन यह बात जुलाई, 1991 में कही गई थी। पूरा एक वर्ष बीत गया, लेकिन माननीय प्रधान मन्त्री जी की ओर से, केन्द्र सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई, कोई बातचीत शुरू नहीं की गई, कोई चर्चा शुरू नहीं की गई और उसको गम्भीरता से लिया भी नहीं गया। यदि गम्भीरता से लिया गया होता यो इस मसले पर अब तक बहुत बहस हो चुकी है इस सदन में हमारे माननीय सदस्य जायनल अबेदीन के संकल्प पर और उसके बाद उपासना स्थल विधेयक पर, इस सदन में लम्बी बहस हुई और अयोध्या बहुत दिन तक इस सदन के बहस का मुद्दा रहा है इतना सदन में शोर मचने के बाद भी माननीय प्रधान मन्त्री जी ने गम्भीरता से उसे नहीं लिया, उसके सम्बन्ध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं समझी। बहुत दिनों तक हम इंतजार करते रहे जब देखा कुछ नहीं हो रहा है तब मैंने मई में प्रधान मन्त्री जी से समय लिया और समय लेकर उन्हीं साधु-संतों के साथ जिनको बाद में प्रधान मन्त्री जी को बुलाना पड़ा, लेकर 9 मई को मिला था और उस समय भी माननीय प्रधान मन्त्रीजी से उन संतों ने वही बात कही थी जो दो महीने के बाद कही। हमारे प्रधान मन्त्री जी के पास दो महीने का समय था। वे चाहते तो उस परम्परा को प्रारम्भ कर सकते थे जो माननीय चन्द्रशेखर जी के द्वारा छोड़ी गई थी। जहां से वह चर्चा छूटी थी, जहां वह बहस बन्द हुई थी, जहां वह बातचीत बन्द हुई थी, वहीं से उसको शुरू किया गया होता अर्थात् जुलाई 1991 से अगर शुरू किया गया होता तो हम किसी न किसी हल के करीब होते।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी संस्कृति पर गर्व करता हूं और मेरे पास गर्व करने के लिए अपनी

संस्कृति में बहुत कुछ है। मैं अपने उन भाइयों की तरह नहीं हूं जिन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर हमें अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं है तो राष्ट्र के पास—अगर संस्कृति को घटा दिया जाए तो गर्व करने के लिए क्या बचेगा ? हम अपने राष्ट्र की किस बात पर गर्व करेंगे ? अगर हमारी संस्कृति नहीं होगी तो हम किस पर गर्व कर सकते मैं समझता हूं कि खजुराहो और कोणार्क हमारी संस्कृति की देन है और अजन्ता उसी संस्कृति की देन है वह हमारी आस्था से निकला हुआ वह संगीत है जिसे अजन्ता और एलोरा पत्थर आज गुनगुना रहे हैं ! अगर वह आस्था न होती तो उसमें जो देव-मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं, उसमें जो गाथायें उत्कीर्ण की गई हैं, व न होती है, इस देश में सब कुछ मिट सकता है लेकिन इस देश की गंगा जैसी बहने वाली संस्कृति कभी नष्ट नहीं हो सकती है। वह समय की चुनौती को स्वीकार करते हुए, पहाड़ों को पार करते हुए चलती रहेगी, चाहे कोई भी अवरोध क्यों न आए।

अध्यक्ष महोदय, जिस गुलामी की बात कही गई है, मैं उसके परिप्रेक्ष्य में भी कहना चाहता हूं हजारों वर्षों की गुलामी हमारे सांस्कृति स्वाभिमान को कम नहीं कर सकी। उसी गुलामी के समय हमारे देश की मीराबाई कह रही थी—"मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोय—वह किसी अकबर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रही थी। उसी गुलामीके बीच में तुलसी ने कहा था—पराधीन सुपने सुख नांही—वे स्वाधीनता की घोषणा कर रहे थे। उसी गुलामी के बीच में रवि दास भी बैठे हुए थे उस समय वहां जातीय दीवारें नहीं थीं। रविदास राजमर्हिषी मीरा को को अध्यात्म की दीक्षा देते थे उस समय जातीय दीवारें नहीं थीं। वहां पर संस्कृति का प्रवाह था जिसमें सभी लोग एकाकार हो रहे थे, कोई अन्तर नहीं था। हम दरारों को न खोजें। जब बड़ी-बड़ी दीवारें होती हैं तो उनमें दरारें भी होती हैं। हो सकता है कि कहीं छींटें हों, हम उनको नहीं पकड़े। हम आकाश में चांद के उजाले को पकड़ें, चांद के काले धब्बे को नहीं। धब्बों को पकड़ेंगे तो निश्चित ही निराशा होगी। हमें उजाले को पकड़ना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सांस्कृतिक स्वाभिमान पर प्रश्न-चिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए। यह हमारे राष्ट्र की धरोहर है, हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति है···(व्यवधान) उसी संस्कृति के सन्दर्भ में हमारे तीर्थ भी आते हैं। इन तीर्थों के साथ हमारी भावनाएं कितनी जुड़ी हैं कि आज भी राष्ट्रीय एकता के लिए जितने भी प्रयास किए जायें, वे सब तीर्थों से होने वाली एकता से छोटे पड़ते हैं।

मैं आपको पं० नेहरू की एक बात कहता हूं जब पं० जवाहर लाल नेहरू ने सन् 1954 का कुम्भ देखा, जो इलाहाबाद में हुआ था तो उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई प्रयास, दुनिया का कोई उद्योग राष्ट्र का एकीकरण करने के लिए इतना सटीक संभव नहीं हो सकता है जितना है अकेला कुम्भ इस कार्य को कर रहा है। क्या हम नहीं समझते हैं कि कुम्भ को देखने के लिए देश से करोड़ों लोग आते हैं। उनमें गरीब भी होते हैं, जो पैदल चलकर आते हैं, वे झोंपड़ियों में रहते हैं, सत्तू बांधकर आते हैं, गंगा के करीब रहते हैं। वे जितने लोग आते हैं उनको आप मूर्ख कह सकते हैं लेकिन हमारा सिर उन आने वाले लोगों के लिए झुकता है जिनमें आप भी हैं और आपके पूर्वज भी हैं। इसलिए कहूंगा कि ये हमारी सांस्कृतिक परम्पराएं हैं जिनसे राष्ट्र जुड़ता रहा है। अयोध्या उन सांस्कृतिक परम्पराओं का एक प्रतीक है। अयोध्या किसी की बपौती नहीं है, अयोध्या किसी का राज्य नहीं है। अयोध्या से देश की आस्थाएं जुड़ी हैं और उससे और उसकी इंच-इंच से हमारी आस्थाएं जुड़ी हैं। अयोध्या अगर वंदनीय है तो इसलिए कि वहां भगवान श्रीराम का जन्म हुआ, इसके अलावा उसके महत्व का कोई कारण नहीं है।

जब श्री राम का जन्म हुआ वहां था तो निश्चित ही हमें राम जन्मभूमि वही खोजनी पड़ेगी वहां अयोध्या में। (व्यवधान)

मैंने पिछली 24 अगस्त को भी कहा था कि कोई आकर कह दे कि राम जन्मभूमि यहां नहीं वहां है, हम स्थान परिवर्तन के लिए तैयार हैं। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। हम यह साबित कर सकते हैं कि इसके पहले जब कभी प्रश्न आया न्यायालय का हमने उसका सम्मान किया है क्या हम पूछ सकते हैं इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों से कि जब 30 अक्तूबर और नवम्बर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश अयोध्या में मन्दिरों के दर्शनों के, सरयू में स्नान के, अयोध्या में पवित्र देवस्थानों एकादशी पर परिक्रमा करने के अधिकार हाई कोर्ट के द्वारा जनता को दिए गए थे, और वे आदेश पुलिस के बूटों के नीचे रौंदे जा रहे थे, तब यह सदन कहां था? उस समय कोई नहीं था। किसी ने भी न्यायालय की अवमानना का प्रश्न नहीं उठाया था उस समय इस्तीफा देने की बात हमारे माननीय वी० पी० सिंह को सोचनी चाहिए थी कि उनके मुख्य मन्त्री के शासन में कोर्ट के आदेशों की अवमानना उ० प्र० पुलिस द्वारा हो रही थी पुलिस के द्वारा। उस समय इस्तीफा देने की जिम्मेदारी किसकी थी? मैं मानता हूं कि थोड़े दिन के बाद हमारे जनता दल के वरिष्ठ नेताओं ने महसूस किया कि ऐसे आदमी का साथ नहीं देना चाहिए और उसे छोड़ दिया। जब इन्होंने छोड़ा तो आपने अपना लिया और कांग्रेस में अपने गले लगा लिया और कहा कि तुम हमारे साथ चलो। ये लोग साथ चले। जो आज कोर्ट की अवमानना के लिए हमारे गले में फांसी लगाना चाहते हैं। मैंने कोर्ट की अवमानना नहीं की है। कोर्ट के आदेशों के पालन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रही है।

कल्याण सिंह सरकार अपने पूरे संसाधनों के साथ ताकत से जुटी रही लेकिन उनके सामने केवल कोर्ट के आदेशों के पालन का प्रश्न नहीं था, पूरे प्रदेश में शांति और व्यवस्था का भी सवाल था और यह दावे से कह सकता हूं कि जब श्री मुलायम सिंह के द्वारा कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही थी, उस समय पूरे प्रदेश के 36 जिलों में कर्फ्यू भी लगा हुआ था लेकिन कोर्ट के आदेशों के पालन करते हुए कल्याण सिंह के समय में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मन्दिर निर्माण के रास्ते में अड़चनें दूर करने के प्रयास तो पूरे प्रदेश में शांति और व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा और पूरा प्रदेश शांत बना रहा। इससे बढ़कर कोई सबूत नहीं हो सकता है कि हम विधि-व्यवस्था का कितना सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप चार महीने में हम इस समस्या का हल निकालेंगे। इस समस्या का हल निकालने के लिए चार महीने की बात हमारे माननीय राजा साहब श्री प्रताप सिंह जी ने भी की थी। ये चार महीने में बड़े खतरनाक हैं प्रधान मन्त्री जी। जब जब चार महीने की बात की गई है ये बात बिगड़ी है। अगर मैं आपके साथ बैठा होता तो मैं कहता कि तीन की बात करते, पांच की बात करो लेकिन चार की बात मत करो। लेकिन आपने चार की बात ही कही। हमें कोई ऐतराज नहीं, पांच कर दीजिए। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि आपने कहा है कि हम एक न्यायिक प्राधिकरण बनाकर उसे सारे मामले सौंपना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सारे मामले जो फैजाबाद कोर्ट में, इलाहाबाद कोर्ट में लंबित हैं, अगर किसी भी न्यायिक प्राधिकरण को देंगे तो वह चार महीने नहीं पूरे चार साल में भी उसका हल नहीं निकाल सकेंगे। इसलिए आपको यह भी तय करना होगा कि वह न्यायाधिकरण किस इश्यू पर यह विचार करेगा।

जहां तक हमारी मान्यता का प्रश्न है, जहां तक हमारी आस्था का प्रश्न है, उसे मैं फिर दोहरा रहा हूं। मैं पुनः कहता हूं कि गंगा कभी संविधान से रास्ता नहीं पूछेगी, सूरज कभी संविधान से रास्ता नहीं पूछेगा, वैसे ही देश की जो आस्था है देवी-देवताओं के प्रति, अपने अर्चनीय के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, वह संविधान से निर्धारित नहीं होती। उसके लिए धर्मग्रंथ होते हैं। चाहे इस्लाम आस्था के

लिए मुस्लिम ग्रंथ हों, चाहे ईसाई आस्था के लिए क्रिश्चियन ग्रंथ हों, और चाहे हिन्दू आस्था के लिए हिन्दू ग्रंथ हों, यह आस्था का सवाल है।

हम जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ ही हमारी आस्था के आधार बनेंगे, संविधान उनकी व्याख्या नहीं कर सकता। इसलिए बातचीत का जो रास्ता है, वह ज्यादा सटीक समझ में आता है। उसमें आप कितने प्रभावी सिद्ध होंगे, और क्या तरीका अपनाएंगे यह भी आपको इस बयान में बताना चाहिए था, जैसे माननीय चन्द्र शेखर जी ने निश्चित किया था कि इतने लोग बैठेंगे, अमुक-अमुक बैठेंगे, ये दस्तावेज विचार हेतु लिए जाएंगे। उसी तरह की एक पद्धति, उसी तरह का कोई रास्ता आपने भी अपने बयान में सुझाया होता तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद होती कि आप बातचीत के रास्ते से, उन दस्तावेजों को देखकर कोई रास्ता निकालना चाहते हैं।

अतः जैसे हमारे सहयोगी ने मांग की है, आपको ऐसी योजना बतानी चाहिए थी। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी आप इस सदन को बतायें कि बातचीत के लिए आप कौन सा रास्ता अख्तयार कर रहे हैं, किस रास्ते से आप उस मामले का हल निकालना चाहते हैं।

इन सभी सवालों के अलावा, जहां तक अभी हमारे माननीय मित्र ने कारसेवकों के लिए भिंडरा-वाला शब्द का प्रयोग किया है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप कम-से-कम उन लोगों के लिए इन शब्दों का प्रयोग न करें जो केवल एक शब्द के संकेत पर, जिस दिन अपने नेतृत्व पर विश्वास कर कार्य रोक देते हैं जिस समय कार सेवा रोकी गई थी, उस समय अयोध्या में 60 हजार लोग वहां खड़े थे, मैं भी स्वयं वहां था और सभी अखबारों ने भी लिखा है कि 60 हजार लोग उस समय मन्दिर परिसर में थे और जब उनसे कहा गया कि कार सेवा यहां से हटाकर वहां करनी है तो एक भी व्यक्ति नहीं रुका। सब उंगली के इशारे पर यहां से वहां चले गए। इसलिए वे भिण्डरांवाले नहीं थे बल्कि अनुशासित लोग थे, संगठित लोग थे, और समर्पित लोग थे। उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, मैं समझता हूं कि तथ्यों की अनदेखी करना है, तथ्यों को नहीं समझना है या अपनी आदतों की चर्चा करना है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप उनके लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन वे कोई उग्रवादी नहीं हैं, असंगठित नहीं हैं।

इन शब्दों के साथ, प्रधान मन्त्री जी मैं आपसे एक अंतिम बात कहना चाहूंगा कि यह मामला बहुत ही गम्भीर है और इस गम्भीर मामले को जिस साहस के साथ, जिस हिम्मत के साथ, आपने अपनी जिम्मेदारी पर हल करने की पहल की है, उसकी प्रशंसा करते हुए, मैं पुनः अपनी पार्टी की ओर से, संतों की ओर से, अपने समाज की ओर से आपको पूरी तरह आश्वस्त करता हूं कि अगर आप राम जन्म-भूमि का मसला हल करने के लिए, लोगों की आस्थाओं को दृष्टि में रखकर आप पहल करेंगे तो हम लोग आपके साथ रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। इन शब्दों के साथ, मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : अध्यक्ष महोदय, लगभग पिछले 15 दिनों से देश में बेहद-घुटन का माहौल है। इसका कारण स्पष्ट है। परन्तु हमारे प्रिय प्रधानमन्त्री, सभा के नेता ने जो दूरदर्शिता और परिपक्वता दिखाई है, उसने देश को घोर विपत्ति से बचा लिया है। चर्चा प्रारम्भ में जैसाकि आप पहले ही बता चुके हैं तथा आपने चेतावनी भी दी है, हमें यहां सभा में ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जो माननीय प्रधानमन्त्री की सन्तों के साथ हुई वार्ता की मूल भावना के विपरीत हो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह, आपका पता चल गया है ।

श्री पी० एम० सईद : प्रधानमन्त्री जी का उनसे सम्पर्क क्यों करना पड़ा ? स्थिति ही ऐसी हो गई थी क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अनुपालन नहीं कर सकी । प्रधानमन्त्री जी की स्थिति लगभग पुलिस के सिपाही जैसी हो गई है । यदि वह कठोरता से कानून के प्रावधानों को लागू करते हैं तो उन पर आरोप लगाया जाएगा कि वह अपनी राजनैतिक शक्ति का राज्य के विरूद्ध प्रयोग कर रहे हैं । मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी का भाषण बहुत ध्यानपूर्वक सुना रहा था मैं समझता था कि कम से कम इस मौके पर तो वह प्रधानमन्त्री पर आरोप नहीं लगाएंगे । प्रधानमन्त्री कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार दे । साथ ही हमारे मित्र कह रहे थे, "भूमि अधिग्रहित करो पर आगे कुछ मत करो ।" अतः दूर पर आगे नहीं । मैं इस मौके पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं । परन्तु निर्णय को लागू कौन करेगा ? अधिग्रहण हो सकता है, परन्तु अधिग्रहण आदेश को कौग लागू करेगा ? फिर उन्हें देखादेखी राजनीतिक दृष्टि से उन्हें संघर्ष की नीति पर चलना पड़ेगा । उन्होंने जो किया है वह यह है कि संघर्ष का बजाय बातचीत द्वारा समझौता किया जाये । जिस समय उन्होंने पदभार ग्रहण किया था तभी देश को यह बता दिया गया था और उन्होंने लगातार राष्ट्रीय आम सहमति की नीति का पालन किया है । सह अस्तित्व के लिए कोई निकल्प नहीं रह गया था और एक ही रास्ता बचा था संघर्ष का यही सहअस्तित्व के लिए एकमात्र विकल्प था । अतः उन्होंने केवल एक वर्ष की नीति, अर्थात् राष्ट्रीय आम सहमति की नीति का ही अनुसरण किया ।

मेरे माननीय मित्र श्री चिन्मयानन्द स्वामी ने अभी-अभी कहा कि यदि प्रधानमन्त्री महोदय ने एक महीने पहले बातचीत शुरू कर दी होती तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती । परन्तु उस समय ऐसी स्थिति कहां थी ? देश की समस्यायें ऐसी थी कि ऐसी गम्भीर समस्याओं की ओर गम्भीरता से ध्यान केन्द्रित करने के लिए भी समय भी नहीं था । 'कभी नहीं से देर भली' । और अब वे यह बताने की स्थिति में हैं कि संघर्ष की नीति से कुछ भी हासिल नहीं होगा और यह देश या सरकार को किसी भी तरह मदद नहीं करेगी । अब सारा देश प्रधानमन्त्री महोदय को देश की बर्बादी के कगार से लौटा लाने के लिए बधाई दे रहा है । देश में सांप्रादायिकता कैसे पनपाई गई ? मैं 1945 में पैदा हुआ था और देश 1947 में आजाद हुआ था । इस देश में साम्प्रदायिकता का जन्म बंटवारे की त्रासदी घटित होने के कारण हुआ था । मैं इसके ऐतिहासिक पहलू को नहीं दोहरा रहा हूं परन्तु देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था । 45 साल बाद यह साबित हो चुका है—सभी जानते हैं यहां भी और वहां भी—कि इस प्रकार का बंटवारा ठीक नहीं है और यह असफल साबित हुआ है । आज भी मान लीजिये कुछ अन्य दलों द्वारा यही बात चलायी जा रही है कि देश को एक धर्मप्रधान राष्ट्र बना दिया जाए क्या यह बात निष्फल सिद्ध नहीं होगी इस देश में यही समस्या हो जाती है । मैं अयोध्या के मामले में गहराई से कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं भी उस दल का एक सदस्य था जो राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्यों के साथ यहां से गया था । हमारी रिपोर्ट भी यहां रखी गयी है । अतः मैं दूसरे गुणदोषों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । अब देश में एक स्वर्णिम अवसर तैयार किया जा रहा है । देश के नेता के रूप में हमें राजनीतिक से ऊपर उठना है और यह देखना है कि इस स्थिति का भालीभांति फायदा उठाया जाये । देश में सद्भावना और उसकी एकता और अखंडता के लिए अतः जो शंका या भय मेरे माननीय मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी ने व्यक्त किया था मैं समझता हूं उसकी यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि प्रधानमन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया और जो बातचीत की वह बिल्कुल स्फटिक की भांति स्पष्ट है ।

5.00 म० प०

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : क्या आपको पूरा यकीन है ?

श्री पी० एम० सईद : मुझे पूरा यकीन है। इसमें कोई बात गुप्त नहीं रखी गई है। अत: श्री पासवान को भी यह पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय द्वारा उठाये गए कदम के पक्ष में सारा देश, सारी पार्टी सब लोग उनके साथ हैं। मैं माननीय सभा में यह कहना चाहूंगा कि वे अपने नेतृत्व की उपयुक्तता सिद्ध करने की स्थिति में होंगे।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : परन्तु इन्तजार करो आशा करो, और प्रार्थना करो।' का क्या होगा ? क्या आप इन्तजार, आशा और प्रार्थना नहीं कर रहे हैं ? हम सब इन्तजार, आशा और प्रार्थना कर रहे हैं।

श्री पी० एम० सईद : श्री जेना मैं पिछले 40 सालों से एक पक्का मुसलमान हूं। मैं पांच बार नमाज पढ़ता रहा हूं।

श्री श्रीकांत जेना : नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० एम० सईद : श्री जेना, अब हमें इस विवाद से लाभ नहीं उठाना चाहिए। श्री चिन्मयानन्द स्वामी ने अभी अभी कहा था···

अध्यक्ष महोदय : श्री सईद कृपया अपनी बात को उसी क्रम में कहिये।

श्री पी० एम० सईद : महोदय, मुझे खेद है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको संबोधित करूंगा। इस स्थिति में सभी को अपनी भूमिका अदा करने का मौका है। अयोध्या मामले ने न केवल राष्ट्रीय रूप ही ले लिया है बल्कि सारे विश्व का ध्यान इसकी ओर चला गया है। हम इस समस्या को कितनी अच्छी तरह सुलझाते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है चाहें यह बहुमत की बात हो या अल्पमत की बात हो। कि कोई भी समुदाय हो हम पारस्परिक आदान-प्रदान की भावना से क्या रुख अपनाते हैं। हमें यह देखना होगा कि बातचीत द्वारा हल निकाला जाए और जैसाकि प्रधानमन्त्री महोदय ने कहा है कि यदि बातचीत से हल न निकले तो न्यायालय द्वारा निर्णय कराया जाये। हमें अपने द्वारा स्थापित संस्था न्यायपालिका में विश्वास होना चाहिए।

इसके साथ मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस प्रयास से परिणाम निकलेंगे और हम सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमन्त्री महोदय, का समर्थन करेंगे और यह देखेंगे कि बातचीत द्वारा कोई हल निकले और अयोध्या मामले का कोई स्थायी और सौहार्द्रपूर्ण हल निकाला जाए ताकि देश की एकता और अखण्डता बनायी रखी जा सके।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय भारतीय संस्कृति पर कोई भाषण नहीं देना चाहता हूं। हमारे देश में मिश्रित संस्कृति है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस मिश्रित संस्कृति के निर्माण में मुसलमानों के योगदान के महत्व को समझे बिना यह व्यर्थ है। हमें मिश्रित संस्कृति में मुसलमानों के योगदान के महत्व को समझना चाहिए। तभी हम मिश्रित संस्कृति की बात कर सकते है जो हमारी धरोहर है।

अब प्रधानमन्त्री महोदय के वक्तव्य पर मैं यही कहूंगा कि मैं प्रधानमन्त्री महोदय के इस प्रयास की सराहना करता हूं कि वे शिलान्यास स्थल पर निर्माण कार्य को रुकवाना चाहते है। यह ठीक किया

गया है। परन्तु एक बात मैं बहुत स्पष्ट कहूंगा कि आरम्भिक स्तर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा थोड़ी लापरवाही बरती गई जिसके कारण कार्यवाही में देरी हुई। हमने समाधान के बारे में एक वर्ष पहले ही बात कर ली होती। राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा उद्देश्य के लिए बातचीत शुरु की जानी थी। हमने उससे 6 महीने पहले ही समाधान के बारेमें बात कर ली होती। जब उ० प्र० की भा० ज० पा० सरकार द्वारा इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया गया था हमने इस मामले पर चर्चा करके इसका समाधान उससे 15 दिन पहले ही लिया होता।

परन्तु अब यद्यपि देर हो गई फिर भी सरकार ने कुछ कार्यवाही की और इसका अच्छा परिणाम निकला और अयोध्या में निर्माण कार्य रुक गया और देश ने राहत की सांस ली। स्थिति से निपट लिया गया, यह बहुत अच्छा हुआ। परन्तु मैं कहूंगा कि इस दुःखद स्थिति के लिए भा० ज० पा० जिम्मेदार है जिसकी सरकार उ० प्र० में है। जब उच्च न्यायालय का निर्माण कार्य रोकने का आदेश था तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह देखे कि वह उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन हो। आप इस बात को समझें कि यह न्यायपालिका का जानबूझ कर उल्लंघन है। हमें राष्ट्रीय एकता परिषद और संसद को धोखा दिया गया था। और कार्य जारी था यह कर्तव्य और जिम्मेदारी की जानबूझ कर खुल्लमखुल्ला खुली अवहेलना की है। मैं यह भी कहूंगा कि यह भा० ज० पा० द्वारा शासित उ० प्र० सरकार द्वारा जानबूझकर अपने कर्त्तव्यपालन में लापरवाही दिखायी गयी है। इसमें कोई शंका नहीं है। और ऐसा करके उन्हें सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं रह गया है और उनके उ० प्र० का शासन चलाने का कोई औचित्य नहीं है। संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में यह उनकी असफलता है। प्रधानमन्त्री महोदय के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने कुछ भी करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है और प्रधानमन्त्री महोदय और गृह मन्त्री महोदय से निवेदन किया है कि साधुओं और महन्तों से कहकर काम रुकवायें। कैसी निःसहाय अवस्था है। उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। वे सरकार भी चलाना चाहते हैं और प्रधानमन्त्री महोदय से यह निवेदन भी करते हैं कि वे स्थिति को ठीक करें। यह स्पष्ट धोखाधड़ी है, यह बेईमानी है और स्थिति को संभालने के लिए प्रधानमन्त्री महोदय ने उनकी मदद की। वास्तव में यही हुआ। जब भा० ज० पा० की उ० प्र० सरकार ने खुल्लमखुल्ला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अवमानना करके अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। अब स्थिति प्रधानमन्त्री महोदय द्वारा संभाली गई है।

महोदय, अब कार्य रुक गया है और कार सेवा पास के क्षेत्र में शुरू हो गई है जहां पर के लक्षमण मन्दिर बनाने जा रहे हैं। हमें इस बात से आश्वस्त किया गया है कि यह निर्माण कार्य विवादित स्थल पर नहीं हो रहा है। श्री सैफुद्दीन चौधरी ने कहा कि कोई भी मन्दिर निर्माण के विरुद्ध नहीं है। मैं बार-बार यह कहता हूं कि बड़ी संख्या में हमारे हिन्दू भाई मस्जिद तोड़कर मन्दिर बनाने के पक्ष में नहीं हैं हमारे भा० ज० पा० के माननीय मित्र कहते हैं। मैं जानता हूं कि श्री वाजपेयी भी ऐसा ही महसूस करते हैं। वे भी मस्जिद तोड़ने के पक्ष में नहीं हैं। मैं यह कहता हूं कि वे ही ऐसे व्यक्ति है जो यह नहीं चाहते कि एक समुदाय के पूजास्थल को तोड़कर दूसरे समुदाय का पूजास्थल बनाया जाए और वह भी वहां पर। इस देश की कोई भी मुसलमान अयोध्या में मन्दिर बनाने के विरुद्ध नहीं है। परन्तु केवल यही शर्त है कि मन्दिर बनाने के लिए मस्जिद न तोड़ी जाए। विश्व में किसी भी धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक देश में ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई। विश्व में कहीं ऐसा कोई उदाहरण मौजूद नहीं है जहां कोई फासिस्ट पार्टी ऐसे कुचक्र के साथ काम करे कि एक समुदाय के पूजास्थल के निर्माण के लिए दूसरे

समुदाय का पूजास्थल तोड़ दिया जाए। ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई। यह सब भा० ज० पा० द्वारा राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : जिसे मस्जिद कहते हैं, क्या वहां ऐसी परिस्थिति में वे वहां नमाज पढ़ सकते हैं ? अगर नमाज पढ़ नहीं सकते हैं तो मस्जिद कैसी ? (व्यवधान)

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : नमाज पढ़ सकते हैं, (व्यवधान) आपके डर से नहीं पढ़ सकते हैं। आप हट जाएंगे तो हम नमाज भी पढ़ेंगे। (व्यवधान)

[جناب ابراہیم سلیمان سیٹھ : نماز پڑھ سکتے ہیں (مداخلت).....
آپ کے ڈر سے نہیں پڑھ سکتے ہیں ۔ آپ ہٹ جائیں گے تو ہم نماز
بھی پڑھیں گے ...... (مداخلت)....]

[अनुवाद]

पूजा करना हमारा अधिकार है और हम पूजा करेंगे। आपने हमें जबरदस्ती अपने कब्जे में रखा हुआ है इसलिए हम वहां पूजा नहीं कर रहे हैं।

महोदय, अब मैं कहूंगा कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में प्रधान मन्त्री महोदय का यह राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है कि वह यह देखे कि एक समुदाय के पूजास्थल का निर्माण करने के लिए दूसरे समुदाय का पूजास्थल न तोड़ा जाए।

ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ तो न सिर्फ मस्जिद विध्वंस होगी बल्कि इस देश का सम्पूर्ण धर्मनिरपेक्ष स्वरूप ही विध्वंस हो जाएगा और देश की अखंडता छिन्न-भिन्न हो जाएगी अत: इस धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक देश में किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने दिया जाना चाहिए।

अब कुछ दावे किए जा रहे हैं। इस बारे में प्रधान मन्त्री का विचार बिल्कुल स्पष्ट है। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा और मैं इसका उल्लेख करता हूं "किसी को भी किसी बात की गारन्टी नहीं दी गई है परन्तु एक बात उन्होंने कहा कि यह मामला विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं के पास है समाचार पत्र श्री सिंघल के इस कथन का हर रोज जिक्र कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री का वक्तव्य, उनके तथा संतों के बीच हुई सहमति के कुछ मुद्दों से अलग है। वि० हि० प० के महामंत्री श्री अशोक सिंघल ने यही बात कही। मैं प्रधानमन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या उनकी बात साधुओं के साथ हुई थी अथवा श्री अशोक सिंघल के साथ हुई क्योंकि वि० हि० प० के प्रवक्ता श्री राम शंकर अग्निहोत्री कहते हैं कि श्री अशोक सिंघल की प्रधानमन्त्री के साथ कभी कोई वार्ता नहीं हुई। जबकि दूसरी ओर श्री अशोक सिंघल कहते हैं कि प्रधानमन्त्री अपने वक्तव्य में अपने किए गए वायदों से हट रहे हैं। यही तो मुद्दे हैं। मैं चाहूंगा कि प्रधान मन्त्री यह स्पष्ट करें कि क्या कोई वायदा किया गया है क्या कोई समझौता किया गया है क्या उन्होंने सिर्फ साधुओं से बात की या श्री सिंघल से। इन सभी बातों को स्पष्ट करना होगा। यदि प्रधान मन्त्री ने श्री सिंघल से बात नहीं की तो सिंघल को को ये सभी बेतुकी बातें बन्द होनी चाहिए क्योंकि इससे गैर जिम्मेदाराना हरकतें बढ़ती हैं। प्रधानमन्त्री को पूरी बातें स्पष्ट करनी चाहिए।

मुझे खुशी है कि मस्जिद के बारे में प्रश्न पूछा गया है। अपने वक्तव्य में प्रधानमन्त्री ने मस्जिद की सुरक्षा की पूरी गारंटी दी है। राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में भी उन्होंने यह बात कही थी।

उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में मस्जिद की पूरी सुरक्षा की गारंटी दी गई है। मैं प्रधानमन्त्री के वक्तव्य का उल्लेख करता हूं। "कांग्रेस किसी मस्जिद को तोड़े बगैर मंदिर बनाने के पक्ष में हैं।" उन्होंने विवादित ढांचा नहीं कहा बल्कि 'मस्जिद' कहा। हमारी मांग है सुरक्षा तथा मस्जिद की सुरक्षा का अर्थ ढांचे की सुरक्षा नहीं है बल्कि इसका अर्थ है कि बाद में मूर्तियों को हटाया जाए और मस्जिद को मुसलमानों को सौंप दिया जाए। अतः प्रधानमन्त्री को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि मस्जिद की सुरक्षा कैसे करेंगे। मैं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री श्रीकांत जेना : 'नुकसान' शब्द को हटा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया विषय से अलग न जाएं।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ : महोदय, प्रधानमन्त्री कहते हैं कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है अतः इसका समाधान राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा तथा मैं उसका उल्लेख करता हूं "केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि सबसे पहले शांतिपूर्ण समझौता के लिए सभी तरीकों का पता लगाना होगा।" राष्ट्रीय एकता परिषद की 2 नवम्बर, 1991 की बैठक में यही निर्देश दिया गया है। इसका अनुपालन होना चाहिए और प्रधानमन्त्री को बातचीत शुरू करनी चाहिए।

हम सभी जानते हैं कि बाबरी मस्जिद परिसर की सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों द्वारा एक सुरक्षा योजना तैयार की गई है। केन्द्र सरकार को यह देखना चाहिए कि सुरक्षा योजना को पूरी तरह लागू किया जाए। राम दीवार तथा सुरक्षा योजना के बारे में भाजपा कुछ गलतफहमी पैदा कर रही है। ये दोनों बातें अलग-अलग हैं राम दीवार 2.78 एकड़ जमीन से लगी एक15 फुट ऊंची दीवार है तथा सुरक्षा योजना कुछ और बात है। इसे केन्द्रीय स्तर पर विशेषज्ञों तथा गृह मन्त्रालय के अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है। प्रधानमन्त्री को यह देखना चाहिए कि राज्य सरकार इस सुरक्षा योजना को पूरी तरह लागू करे। यह सुरक्षा योजना बाबरी मस्जिद परिषद की सुरक्षा के लिए ही है।

महोदय, जहां तक हमारी बात है हम सभी एक सौहार्दपूर्ण समझौता चाहते हैं। सभी संबंधित पार्टियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बातचीत के माध्यम से ऐसा सौहार्दपूर्ण समझौता किया जाना चाहिए।

प्रधानमन्त्री ने कहा है कि ये सौहादपूर्ण समझौता कराने के लिए वे अपना पूरा प्रयास करेंगे। वे इसके लिए कौन से तरीके अपनाएंगे। मैं समझता हूं कि उन्हें सभी सम्बन्धित पार्टियों के साथ बैठकर मामले पर अन्तिम निर्णय लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रधानमन्त्री के विचार खुले हैं तथा वे बातचीत से समझौता करने के पक्ष में हैं। प्रधानमन्त्री को अपने वक्तव्य में यह भी बताना चाहिए कि यदि यह प्रयास असफल हो जाता है तब क्या कार्यवाही की जाएगी। यदि यह आवश्यक हो जाता है तो विभिन्न अदालतों में लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाया जाना चाहिए। यदि सौहादपूर्ण समझौता के लिए सभी तरीके असफल हो जाते हैं या बातचीत सफल नहीं हो पाती है तो न्यायिक निर्णय बाध्य होना चाहिए? अब मैं दो बातें पूछना चाहता हूं।

न्यायालय के निर्णय को किस प्रकार बाध्यकारी बनाया जाएगा? इस बात की गारंटी है कि सभी सम्बन्धित पार्टियां अन्तिम न्यायिक निर्णय को स्वीकार करेंगी?

मैं यह प्रश्न श्री अशोक सिंघल की इस घोषणा की वजह से पूछ रहा हूं कि न्यायिक निर्णय स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

मेरा सुझाव है कि सभी मामलों को इकट्ठा कर विचार तथा निर्णय के लिए न्यायालय को भेजा जाए और वह निर्णय अन्तिम हो। सभी पार्टियों को यह निर्णय स्वीकार करना चाहिए। मैं नहीं समझ सकता कि प्रधानमन्त्री न्यायालय के निर्णय को उन लोगों पर कैसे लागू करेंगे जिन्होंने अदालत के आदेश का उल्लंघन किया। मुझे यह कहते हुए खेद है। मैं किसी व्यक्ति पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा परन्तु यह सच है कि भाजपा तथा विहिप ने 25 सितम्बर, 1989 को दिए गए अपने वायदे को तोड़ा है, उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वह एक समझौता था जिस पर विहिप के नेताओं तथा भारत सरकार अर्थात् श्री बूटा सिंह के बीच हस्ताक्षर हुए थे जब वे गृह मन्त्री थे। अतः यह वायदा उन्होंने तोड़ा।

अब श्री कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय एकता परिषद में आश्वासन दिया था कि वे मस्जिद की सुरक्षा करेंगे और वे अदालत के निर्णय का पालन करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। स्वयं श्री कल्याण सिंह ने इसका उल्लंघन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने स्वयं ऐसा किया। अतः ऐसे लोगों पर विश्वास करना हमारे लिए बहुत ही कठिन है, परन्तु यदि प्रधानमन्त्री यह गारंटी दें कि इस देश की शांति के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के लिए वे वायदे निभाएंगे तो हम इसे स्वीकार करने को तैयार हैं।

अतः मैं पुनः यह कहता हूं कि इस मामले में शांति के लिए शांति बनाए रखने के लिए, कानून के शासन के लिए न्यायालय की मर्यादा के लिए अखंडता तथा धर्मनिरपेक्षता के नियमों को स्वीकार करने को तैयार हैं।

यह मामला हमारे सामने है और हम न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने को तैयार हैं। मुझे उम्मीद है और मैं चाहता हूं कि देश की बेहतरी के लिए एक ऐसा समाधान खोजने के लिए हम अपनी ओर से प्रधानमन्त्री के साथ सहयोग करेंगे जो सम्मानजनक, सौहार्दपूर्ण होगा और हम सभी को स्वीकार्य होगा।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : जनाबे स्पीकर साहब, मैं अपनी बात कहने के लिए सिर्फ चन्द मिनट आपसे लूंगा। आज सदन में इस मसले पर बहस हो रही है, अगर हमारे सामने कोई ठोस प्रपोजल आता और उस पर अगर कुछ कहते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन कोई ठोस प्रपोजल हमारे सामने नहीं आया है। दूसरी चीज जो हमारे सामने आती है वह यह है कि यकीनन काम को रोक दिया गया है, लेकिन जो काम रोका गया है, वह अदालत के हुकम पर नहीं रोका गया है। इससे हमारी अदालत की बेबसी जाहिर होती है और फिर हमको यह भी देखना है कि जिस तरीके से काम एक मरहलेवार होता चला जा रहा है, मस्जिद में मूर्तियां रखीं गई, ताला खोला, शिलान्यास किया गया और अब पक्का कंकरीट से स्टेज बना दिया गया है।

अब उसके बाद दूसरी जगह शुरू हो रहा है तो ये जो मरहलेवार काम होता चला जा रहा है और अदालत के हुकम को नहीं माना जा रहा है और फिर अब ये बात भी कही जा रही है कि ये पूरे केस को शायद सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया जाए। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट वहां जो गवाह जाएंगे, वहां गवाहों का बयान लिया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जिरह होगी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने कुछ अजीबोगरीब सूरतेहाल पेश कर चुकी हैं और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब एक मसला अदालत तसफिया कर रही है या बातचीत के जरिए हो सकता है तो यकीनन हम उसका खैरमकदम

करेंगे कि यह मसला बातचीत के जरिए तय हो या अगर नहीं तो अदालत के जरिए हो। अब यहां सवाल यह है कि अदालत के जरिए भी अगर कुछ तय होता है तो उसको नहीं करना चाहते हैं और यह कहा जाता है कि हमारे ईमान का मसला है तो मैं किसी के जजबात को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता लेकिन मैं ईमान से यह पूछना चाहता हूं कि पहले हमारा ईमान, आप कहते हैं कि राम चबूतरे पर था, फिर उसके बाद शिलान्यास पर हुआ, फिर उसके बाद मस्जिद के अन्दर हुआ, आखिर कहां-कहां ईमान है यह हमारी समझ मे नहीं आता। आप कह रहे हैं कि हमारा फेथ है तो आखिर फेथ कहां है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए।

(व्यवधान)

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : मैं किसी के जजबात को नहीं कह रहा हूं आखिर आप बताइए कि ये तारीखी हकायक हैं या नहीं है। जब आपसे खुद तसलीम किया, जब वी० पी० सिंह साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी बातचीत के जरिए कोशिश की गई, चन्द्रशेखर साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी कोशिश की गई कि यह मसला बातचीत के जरिए तय किया जाए लेकिन उसके बाद बातचीत खत्म कर दी गई और यह कहा गया कि अब हम बातचीत करना नहीं चाहते। हमारी तरफ से बातचीत खत्म नहीं की गई बल्कि आप ही की तरफ से बातचीत खत्म की गई और आपने यह कहा कि अब हम बातचीत करना नहीं चाहते तो अब अगर आप फिर बातचीत करना चाहते हैं तो फिर हम खैर-मकदम करने के लिए तैयार हैं और आज भी हम तैयार हैं।

मैं किसी चीज में जाना नहीं चाहता और न मैं उन तमाम तलखियों का जवाब देना चाहता हूं जो अभी यहां उठाई गई क्योंकि अगर मैं उसका जवाब दूंगा तो तलखियां पैदा होंगी और यह कहा जा रहा है कि हम हजार वर्ष के बाद आजाद हुए हैं, तो मतलब यह है कि इसके बाद से जितना दौर था वह सब मुसलमानों का था, तो वह गुलामी का दौर था। मुझे इसी जहन पर ऐतराज है और अगर इसको मैं मान लेता हूं, अगर यह सही है, ठीक है उसको भी मैं मानता हूं तो फिर आर्यों का जितना दौर था वह भी गुलामी का था, फिर यहां पर दरावड़ी लोगों का दौर होगा। (व्यवधान)

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, इन्होंने ठीक कहा है। (व्यवधान) मेरी बात का सन्दर्भ गलत लगाया जा सकता है। मैं मुगल पीरियड के पहले की बात कर रहा हूं और जो हमलावर थे वे बकायदा लूटकर वापस गए। जो इस देश में फंस गए, रच गए और इस देश की सारी संस्कृति और तहजीब से मिल गए मैं उनके बाबत उस गुलामी का जिक्र कर रहा हूं।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : मैं आपके ताल्लुक से नहीं कह रहा हूं, आपके बाद जो तकरीर हुई है उसमें इस बात को कहा गया है। (व्यवधान) मैं उन तमाम चीजों में इसी बजह से जाह रहा था कि न जाऊं, ऐसी बात की जाती हैं कि जिसके बाद लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया। बहरहाल हम यह चाहते हैं कि हमें किसी से कोई इख्तलाफ या कोई और चीज नहीं है, लेकिन जब यहां इतने जोर-शोर बातें कही जा रही हैं तो यह बात गौर कर लें कि मसला अब आपके हाथ से निकल गया है, आपने स्वयं कह दिया है कि अब हमारे हाथ में नहीं है, प्राइम-मिनिस्टर ने उनको बुलाकर उनसे बात की है और काम रोक दिया गया है, तो फिर ख्वाहमख्वाह क्यों बातें कर रहे हैं, अब छोड़िए। अब प्राइम मिनिस्टर करेंगे, आपकी पार्टी तो नाकाम हो चुकी है, आपकी हुकूमत भी नाकाम हो चुकी है, अब प्राइम-मिनिस्टर के हाथ में है, अब वे ही बेहतर तौर पर करेंगे। आपने अपनी नाकामी का ऐलान कर दिया है, आप अब कुछ नहीं कर सकते हैं। जिनके कहने पर अब काम हो रहा है, मैं उनसे यह कहूंगा कि कोई ऐसा कुबूल-कुबूज हल निकालें, जिससे मुल्क के अन्दर ऐसी फिजां पैदा हो जो इस तनाव को और पार्लियामेंट में जो इस तरह की बातें हो रही हैं, इनको रोक सके, एक अच्छी फिजां के अन्दर हर हिन्दुस्तानी तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके।

[جناب سلطان صلاح الدین اویسی (حیدرآباد): جناب اسپیکر صاحب
میں اپنی بات ہمیشہ کی طرح صرف چند نکتے آپ سے کہہ دوں گا۔ آج ایوان میں
اس مسئلے پر بحث ہو رہی ہے اگر ہمارے سامنے کوئی ٹھوس پروپوزل
آتا اور اس پر اگر کچھ کہتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ لیکن کوئی ٹھوس پروپوزل
ہمارے سامنے نہیں آیا ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ
ہے کہ یقیناً کام کو رک دیا گیا ہے۔ اس سے ہماری عدالت کی بے بسی ظاہر
ہوتی ہے اور پھر ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس طریقے سے کام ایک مرحلے دار
ہوتا چلا جا رہا ہے مسجد میں مورتیاں رکھی گئیں تالا کھولا گیا شلانیاس کیا گیا
اور اب پکا کنکریٹ کا اسٹیج بنا دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری جگہ
شروع ہو رہا ہے تو یہ جو مرحلہ وار کام ہوتا چلا جا رہا ہے اور عدالت
کے حکم کو نہیں مانا جا رہا ہے اور پھر اب یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ پورے
کیس کو شاید سپریم کورٹ کے حوالے کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سپریم
کورٹ وہاں جو گواہ آئیں گے وہاں گواہوں کا بیان لیا جائے گا یا سپریم کورٹ
میں جرح ہوگی۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے کچھ عجیب وغریب
صورت حال پیدا کر چکی ہیں اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب ایک مسئلے کا عدالت
تصفیہ کر رہی ہے یا بات چیت کے ذریعہ ہو سکتا ہے تو یقیناً ہم اس کا خیر مقدم
کریں گے کہ یہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے طے ہو یا اگر نہیں ہو تو عدالت کے ذریعہ
ہو۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ عدالت کے ذریعہ بھی اگر کچھ طے ہوتا ہے تو اسکو
قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے تو

میں کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا لیکن میں ایمان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے ہمارا ایمان آپ کہتے ہیں کہ رام چبوترے پر تھا پھر اس کے بعد شلانیاس پر ہوا پھر اس کے بعد مسجد کے اندر ہوا آخر کہاں کہاں ایمان ہے یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فیتھ ہے تو آخر فیتھ کہاں ہے۔ ...... (مداخلت) ......

ادھیکش مہودے : آپ بیٹھ جائیے آپ ڈسٹرب مت کیجئے۔

.... (مداخلت) ....

سلطان صلاح الدین اویسی: میں کسی کے جذبات کو نہیں کہہ رہا ہوں آخر آپ بتائیے کہ یہ تاریخی حقائق ہیں یا نہیں ہیں۔ جب آپ نے خود تسلیم کیا۔ جب وی پی سنگھ صاحب کی گورنمنٹ تھی اسوقت بھی بات چیت کے ذریعہ کوشش کی گئی چندر شیکھر صاحب کی گورنمنٹ تھی اسوقت بھی کوشش کی گئی کہ یہ مسئلہ بات چیت کے ذریعہ طے کیا جائے لیکن اس کے بعد بات چیت ختم کردی گئی اور یہ کہا گیا کہ اب ہم بات چیت کرنا نہیں چاہتے۔ ہماری طرف سے بات چیت ختم نہیں کی گئی بلکہ آپ ہی کی طرف سے بات چیت ختم کی گئی۔ اور آپ نے یہ کہا کہ اب ہم بات چیت کرنا نہیں چاہتے تو اب اگر آپ پھر بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم خیر مقدم کرنے کے لئے تیار ہیں اور آج بھی ہم تیار ہیں۔

میں کسی چیز میں جانا نہیں چاہتا اور نہ میں ان تمام تلخیوں کا جواب دینا چاہتا ہوں جو ابھی یہاں اٹھائی گئی کیونکہ اگر میں اسکا جواب دوں گا تو

تلخیاں پیدا ہوں گی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ہزار برس کے بعد آزاد ہوئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد سے جتنا دور تھا وہ سب مسلمانوں کا تھا تو وہ غلامی کا دور تھا۔ مجھے اسی ذہن پر اعتراض ہے اور اگر اس کو میں مان بھی لیتا ہوں اگر یہ صحیح ہے ٹھیک ہے اس کو بھی میں مانتا ہوں تو پھر آریہ کا جتنا دور تھا وہ بھی غلامی کا تھا پھر یہاں پر دراوڑین لوگوں کا دور ہوگا۔

........(مداخلت)........

شری شرد یادو (مدھے پورا): ادھیکش جی انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔

........(مداخلت)........ میری بات کا سندربھ غلط لگایا جا سکتا ہے۔ میں مغل پیریڈ کے پہلے کی بات کر رہا ہوں اور جو حملہ آور تھے وہ باقاعدہ لوٹ کر واپس آگئے۔ جو اس دیش میں پھنس گئے رچ گئے اور اس دیش کی ساری سنسکرتی اور تہذیب سے مل گئے ہیں ان کی بات اس غلامی کا ذکر کر رہا ہوں۔

سلطان صلاح الدین اویسی: میں آپ کے تعلق سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ کے بعد جو تقریر ہوئی ہے اس میں اس بات کو کہا گیا ہے۔.......

........(مداخلت)........

میں ان تمام چیزوں میں اسی وجہ سے چاہ رہا تھا کہ نہ جاؤں۔ ایسی بات کی جاتی ہے کہ جس کے بعد لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا۔ بہر حال ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی سے کوئی اختلاف یا اور کوئی چیز نہیں ہے لیکن جب یہاں اتنے زور و شور سے

باتیں کہی جا رہی ہیں تو یہ بات غور کر لیں کہ مسئلہ اب آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ۔ پرائم منسٹر نے ان کو بلا کر اس ان سے بات کی ہے اور کام روک دیا گیا ہے تو پھر خواہ مخواہ کیوں باتیں کر رہے ہیں، اب چھوڑ دیجئے ۔ اب پرائم منسٹر کریں گے آپ کی پارٹی تو ناکام ہو چکی ہے اب پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہے اب وہ ہی بہتر طور پر کریں گے ۔ آپ نے اپنی ناکامی کا اعلان کر دیا ہے آپ اب کچھ نہیں کر سکتے ہیں ۔ جن کے کہنے پر اب کام ہو رہا ہے میں ان سے یہ کہوں گا کہ کوئی ایسا قابل قبول حل نکالیں جس سے ملک کے اندر ایسی فضا پیدا ہو جو اس تناؤ کو اور پارلیمنٹ میں جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ان کو روک سکے ۔ ایک اچھی فضا کے اندر ہر ہندوستانی ترقی کی راہ پر آگے بڑھ سکے ۔ شکریہ !

[हिन्दी]

श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े वाकयात सामने रख देना चाहता हूं, इमोशन से किसी चीज का सोल्यूशन नहीं निकलेगा । दो बातें बार-बार कही जा रही हैं, अदालत का फैसला और नेगोसिएशन और हमारे ऊपर यह चार्ज लगाया जा रहा है कि हम अदालत के फैसले को मानने को तैयार नहीं हैं । श्रीमन्, मैं इस हाऊस को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जब से यह मुकदमा शुरू हुआ, यह घटना है 22/23 दिसम्बर, 1949 की रात की और उसके बाद इमीजिएटली जो वहां पर वर्शिप कर रहे थे, उन लोगों ने मुकदमा दायर किया, अब अदालत ने क्या कहा है, मैं जरा उसके बारे में आपके सामने पढ़ कर सुना देना चाहता हूं, जरा आप इसको देख लें कि कोर्ट्स ने इस विषय में क्या राय जाहिर की है । (व्यवधान)

जरा कागज नहीं मिल रहे हैं ।

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : आपको तो ऐसी चीजें रटी हुई होनी चाहिए ।

श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित : राम की कृपा से मिल जाएंगे और मैं राम की कृपा से पढ़कर सुनाता हूं आपकी तबियत खुश हो जाएगी । (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : पुलिस आफिसर हैं ।

श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित : पुलिस आफिसर हूं, तभी कानूनी बात कर रहा हूं । सिविल जज फैजाबाद ने 16-1-1950 को इंटेरिम इंजक्शन आर्डर दिया और उसके खिलाफ अपील हुई ।

[अनुवाद]

अदालत ने यह आदेश दिया :

कथित घटना 22/23 दिसम्बर, 1949 के बीच की रात को हुई ।

इस मामले को श्री रामचन्द्र परमहंस तथा श्री गोपाल सिंह शास्त्री तत्काल अदालत में ले गए ।

3-3-51 को अपने निर्णय के दौरान अदालत ने यह भी कहा ।

"दिनांक 16-1-1950 का इंटेरिम इंजंक्शन आर्डर, 19-1-1950 को यथा संशोधित, तब तक लागू रहेगा जब तक मामला निपटा नहीं दिया जाता है ।"

[अनुवाद]

"अयोध्या के कुछ मुसलमान निवासियों के अनेक शपथ-पत्रों से भी यह पता चलता है कि कम-से-कम 1936 से मुसलमानों ने न तो मस्जिद का प्रयोग है और न ही वहां नमाज अदा की है और विवादास्पद क्षेत्र में हिन्दू अपनी पूजा कर रहे हैं ।"

[हिन्दी]

यह मेरा बयान नहीं है, यह कोर्ट का बयान है । इस जजमेंट के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील हुई । हाई-कोर्ट में मिस्टर चीफ जस्टिस मूथम और मिस्टर जस्टिस रघुवर दयाल ने 1955 में इस इंजंक्शन को कंफर्म कर दिया । वहां जो पूजा-अर्चना कर रहे हैं वह किसी की मेहरबानी से नहीं कर रहे हैं, फोर्स या फ्राड से नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक कर रहे हैं । इस पर किसी मुसलमान भाई ने किसी किस्म का कोई दावा तो क्या दरख्वास्त तक नहीं दी कि हमारी मस्जिद पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया । यह केस एक पुलिस कांस्टेबल ने रिपोर्ट किया कि वहां कुछ झगड़ा है ।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : उसका नाम क्या है ?

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : एक कांस्टेबल है ।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : क्या वह हिन्दू था ? (व्यवधान)

श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित : उससे क्या होता है यदि वह हिन्दू भी हो ? पुलिस वालों की हिन्दू और मुसलमान कोई जाति नहीं होती । वह बल के सदस्य हैं ।

[हिन्दी]

मुझे नाम याद नहीं । एक पुलिस कांस्टेबल ने यह कहा ।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : वह कांस्टेबल की तरह बोल रहे हैं ।

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : अवश्य ही, मैं भूला नहीं हूं । मैंने बल को कमांड किया है और आज भी कमांड कर सकता हूं । आप मुझे रोक नहीं सकते ।

[हिन्दी]

आप जितना चाहे बोलिए, वक्त आपका जाया होगा, मैं बिना बात पूरी किए बैठने वाला नहीं हूं । दावा दायर किया सुन्नी सेंट्रल बोर्ड आफ वाक्फ ने 18 दिसम्बर, 1961 को, यानी घटना के 11 साल, 11 महीने और 26 दिन बाद इनको यह ख्याल आया कि हमारी मस्जिद पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है ।

अभी बहुत लोग वहां गए थे, वहां जाकर देखकर आए हैं। श्रीमान् मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मस्जिद की प्रीमिसिस के अन्दर एक राम का चबूतरा हुआ है, जहां राम की पूजा होती है, आप झगड़े की जगह छोड़ दें, मैं पूछना चाहता हूं क्या आप दुनिया की कोई मस्जिद ऐसी बना सकते हैं जिसकी प्रीमिसिस के अन्दर एक मन्दिर बना हुआ हो और वहां पूजा हो रही हो ? क्या आप ऐसा कोई मन्दिर बता सकते हैं जिसमें जिस दिन से यह घटना घटी है, 1949 से आज तक एक मिनट के लिए भी कीर्तन बन्द नहीं हुआ हो। लगातार हिन्दू एक के बाद एक पूजा-कीर्तन कर रहे हैं। जब से यह मामला कोर्ट में चला मेरे पास तब से आज तक कोर्ट में किस दिन क्या-क्या हुआ है उसकी फेहरिस्त है। मैं दिखा सकता हूं, कोई भी आदमी इसको देख ले। वह पायेगा कि डिले जो की जा रही है वह डेलीबेरेटली उन लोगों के द्वारा की जा रही है, जिन्होंने मुकदमा दायर करने में 11 साल, 11 महीने और 26 दिन की डिले की थी। हमने इस मामले का, जहां तक मुमकिन हो सका, जल्दी फैसला करने की कोशिश की।

हम आपके सामने जो ओपीनियन रखना चाहते हैं वह किसी ऐरे-गैरे नत्थू खैरे की नहीं रखना चाहते हैं, श्री लाल नारायण सिन्हा जो यहां पर एटार्नी जनरल थे कम-से-कम चार चीफ जस्टिस आफ हाईकोर्ट और एक दर्जन रिटायर्ड जज आफ हाई कोर्ट की ओपीनियन है। उन्होंने कहा कि इसका फैसला करने के तीन तरीके हैं।

उन्होंने इस मुकदमे में तीन ऐसी बातें निकाली जिससे यह मुकदमा चलने के काबिल है ही नहीं। पहली बात उन्होंने कही कि ग्यारह साल ग्यारह महीने और 26 दिन के बाद मुकदमा दायर किया गया है।

[अनुवाद]

श्री लाल नारायण सिन्हा ने लिखित रूप में अपनी राय दी है कि वह न्यायालय में इस मामले पर बहस करने को तैयार हैं कि इस मामले में सीमा अवधि छः वर्ष है और अतः मामले के लिए समय निश्चित है। दूसरा मामला सुन्नी केन्द्रीय वाक्फ बोर्ड द्वारा दर्ज किया गया है।

[हिन्दी]

लेकिन हरेक मस्जिद में मुतव्वली होता है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मुहम्मद युनुस सलीम (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में व्यवस्था का प्रश्न करिएगा। वह अव्यवस्था का प्रश्न नहीं होना चाहिए।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : उन्होंने अभी यहां मामले के बारे में उल्लेख किया है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : संविधान अथवा नियम के किस भाग अथवा परम्परा का पालन किया गया है ?

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : महोदय, मैंने नियम नहीं पढ़े हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तब, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : अध्यक्ष महोदय, श्री दीक्षित द्वारा दिए जा रहे हैं। भाषण में मामले के बहुत महत्वपूर्ण तथ्य को दबाया जा रहा है, जिसका उन्होंने अभी उल्लेख किया है। उन्होंने अभी सभा के सम्मुख बताया कि फैजाबाद न्यायालय के उप-न्यायाधीश द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गयी

की और उसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। लेकिन वह बहुत आसानी से सभा के सामने यह बताना भूल गए कि उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा क्या उत्तर दिया गया था (**व्यवधान**) उत्तर प्रदेश सरकार उस मुकदमें में एक पार्टी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेषरूप से कहा था कि इस पर जबरदस्ती कब्जा किए जाने तक यह एक मस्जिद थी। उन्होंने आसानी से इस तक को नहीं बताया है। इस तथ्य को उन्होंने आसानी से दबा दिया है··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह एक प्रश्न है लेकिन व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(**व्यवधान**)

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : सवाल इसका नहीं है कि किसने क्या कहा। सवाल यह है कि अदालत ने हुक्म क्या दिया। उसने अपनी बात कह दी और आपने अपनी बात कह दी। अदालत की बात की जा रही है··· (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात कहिए।

[**हिन्दी**]

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : मैंने यह कहा है कि इसका फैसला जल्दी हो जाए। इसमें जो सूट में जो खराबियां थी तो इसमें तीन ऐसे प्वाइंट निकाले कि इसको फौरन आप सैटल कर दीजिए। चालीस साल से मुकदमा चल रहा है और एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा हैं। पहले यह तय कीजिए कि मुकदमा कोर्ट में चल सकता है या नहीं। अनफारचुनेटली मैं कुछ नहीं कह सकता। यह तय हुआ कि मुकदमा चलता रहना चाहिए, लिहाजा मुकदमा चल रहा है। मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी के सामने यह बात कह रहा हूं। जहां तक कोर्ट की बात है और जितने भी इसके न्यायविद हैं:—

श्री पालकीवाला ने कहा है जोकि रिकार्ड हुआ है कि इस मुकदमे पर कम-से-कम एक शताब्दी तक न्यायालय में निर्णय नहीं लिया जा सकता है। यह जो राय मैंने आपके सामने दी है, यह मेरी अपनी राय नहीं है। आपके यहां के जो एटारनी जनरल थे लाल नारायण सिन्हा, रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस और चीफ जस्टिस, उनकी राय आपके सामने कोट कर रहा हूं।

लिहाजा जहां तक अदालत की बात का सवाल यह है कि उसके बारे में और बताऊं, हमारे ऊपर यह आक्षेप लगाया जाता है कि हम अदालत की बात नहीं मानते हम एक मिसाल जानना चाहते हैं जहां हमने अदालत की बात न मानी हो। जब हमने उस वक्त दावे की बात आई थी और आन्दोलन किया कि "आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्म भूमि का ताला खोलो" किया था तो हमने कहा कि शिवरात्रि को 8 मार्च, 1986 को पड़ती है, अगर आप तब तक ताला नहीं खोलेंगे तो हम शांतिपूर्वक आन्दोलन करेंगे। उसके पहले ही एक एडवोकेट ने वहां पर डिस्ट्रिक्ट जज के सामने एक दरख्वास्त दी की वहां ताला बन्द है और डिस्ट्रिक्ट जज ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एम० एस० पी० को एक्जामिन करने के बाद यह हुक्म दिया कि ताला खोल दिया जाए। 1 फरवरी, 1986 को··· (**व्यवधान**) मैं अदालत की तौहीन नहीं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं। मैं अदालत के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं अदालत का फैसला बता रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : आप अदालत की अवमानना कर रहे हैं।

श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित : आप अदालत की अवमानना करते हो। हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हो।

अदालत ने क्या किया इससे हमें क्या बहस करने की जरूरत है। मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि अदालत का फैसला क्या हुआ। अदालत ने अगर गलत फैसला किया तो किसने आपको रोका था कि अदालत के फैसले को मानते, अपील करते, उस अदालत के फैसले को रुकवाते, किसने मना किया था। जब अदालत ने फैसला किया था आप हाई कोर्ट में चले जाते। आज भी वह अदालत का फैसला कायम है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : जो न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं वही न्यायालय के नाम पर शपथ ले रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, क्या मैं आपसे कहूं कि आप विद्यार्थी की तरह अभिनय न करें ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : मैं जो कह रहा हूं यह फैक्ट्स हैं मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। लोगों से सच्चाई छुपी नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वह रिकार्ड में सच है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अभी तक बहस बहुत अच्छे ढंग से चल रही, टोका-टाकी से बात नहीं बनेगी। कुछ देर पहले सुलैमान सेट साहब ने मेरे बारे में एक बात कह दी, मैं चाहता तो उनको टोक सकता था, मैंने कहा आने दो, क्योंकि जब मुझे बोलने का मौका मिलेगा मैं अपनी बात कहूंगा। दीक्षित जी के विचारों से किसी को मतभेद हो सकता है, जो तथ्य हैं वे सदन के सामने रख रहे हैं आप कह सकते हैं कि इसके अलावा भी तथ्य हैं जिन्हें सदन के सामने आना चाहिए, आपको जब मौका मिले तो आप रखिए, लेकिन आप टोका-टाकी करेंगे तो बहस अच्छी नहीं चल सकती।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : पीछे से कौन बोल रहा है···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पीछे से नहीं, आप तो आगे से बोल रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, संसदीय वाद-विवाद में, कुछ उचित व्यवधान आते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह उचित नहीं है (व्यवधान)

श्री शरद यादव : मैं इनकी बात मानता हूं, लेकिन इंटरप्शन मजेदार होना चाहिए।

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : 1 फरवरी, 1986 को कोर्ट ने ताला खोलने का आर्डर दिया।

एक माननीय सदस्य : यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

यह कानून के एक सक्षम न्यायालय द्वारा एक खुली अदालत में दिया गया एक आदेश था। जो कि अभी भी आज तक लागू है तथा अब तक इसे बदला नहीं गया है। उसके परिणामस्वरूप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन हुआ। 1 फरवरी, 1986 से पहले कोई बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी नहीं थी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन एक सक्षम न्यायालय द्वारा एक खुली अदालत में दिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप हुआ। इसके बाद भारत के बोट क्लब के मैदान में एक बैठक हुई थी। मैं उसमें उठाई गई मांगों को दोहराना चाहूंगा। वे समाचार पत्रों को भेजी गई थी। उनमें यह कहा गया था :

(1) गणतन्त्र दिवस का बहिष्कार।

(2) एक वर्ष बाद निर्णय दिए जाने की निन्दा करने के लिए 1 फरवरी, 1987 को भारत बन्द।

(3) प्रशासन को ठप्प करना।

(4) मुस्लिम राजनीतिज्ञों और मन्त्रियों पर सिद्धान्त अनुसार कार्य करने के लिए दबाव डालना।

(5) प्रत्येक मस्जिद में शुक्रवार की नमाज अदा करने के बाद मुस्लिमों को उत्तेजित करना।

(6) जजों के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग करना; और

(7) तथाकथित बाबरी मस्जिद पर नमाज अदा करने के लिए दिल्ली से अयोध्या तक मार्च करना और वहां पर स्थित मूर्तियों को हटाना।

[हिन्दी]

मैं अनपेलेटेबल फैक्ट्स हैं हमारे सामने की बात है। यह आपका चर्चा है, इसको पढ़कर सुना रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस : महोदय, व्यवस्था का एक प्रश्न है। जिस दस्तावेज से इन्होंने यह पढ़ा है इसको प्रमाणित किया जाना चाहिए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसे उद्धरण के रूप में नहीं माना जाएगा।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, उन्हें हमें बताना होगा कि जिस दस्तावेज से वे उद्धरण कर रहे हैं। उन्हें इसका जिक्र करना चाहिए···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित : जो मैं कह रहा हूं वह इन लोगों पर नागवार गुजर रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया बैठ जाइए। अब तक हम काफी गंभीरता से इस पर चर्चा कर रहे थे। कृपया उन्हें अपने ही ढंग से अपनी बात को कहने दीजिए। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप उसे कह सकते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, उन्हें बताना चाहिए कि वे किस दस्तावेज से उद्धृत कर रहे हैं। उन्हें ऐसे उद्धृत करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, मुझे बहुत खेद है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : जिस कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि हम कानून की बात नहीं मानते स्पेशल बैंच ने कुछ कहा है 1989 के अपने जजमेंट में।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम आपके शब्दों पर विश्वास करेंगे। इसको उद्धृत करना आवश्यक नहीं है।

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : उन्होंने कहा है : "इसमें संदेह नहीं है कि इस मुकदमे में शामिल कुछ प्रश्न न्यायिक प्रक्रिया से हल नहीं हो सकते हैं।"

[हिन्दी]

उसके बाद जब हमने शिलान्यास किया, हमारे खिलाफ पांच रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें होल्ड किया कि जो हम शिलान्यास या शिलायात्राएं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि यह संविधान के अन्तर्गत दिया गया मौलिक अधिकार है।

[हिन्दी]

आज जो लोग कह रहे हैं कि हम अदालत की अवमानना कर रहे हैं, किस अदालत ने कहा है कि हम अवमानना कर रहे हैं। यह तो आप फैसला कर रहे हैं कि हम अदालत की अवमानना कर रहे हैं। कहां है कंटेम आफ कोर्ट ?

[अनुवाद]

न्यायालय की अवमानना है एक तथ्य है जिसमें न्यायालय शिकायतकर्ता है और न्यायालय निर्णय दे सकता है।

[हिन्दी]

कोर्ट का ऐसा कोई जजमेंट नहीं कि हम कंटेम आफ कोर्ट कर रहे हैं। आप कर रहे हैं या हमने किया है ?

अध्यक्ष जी, इसके बाद हम यह जानना चाहते हैं कि निगोशियन्स की बात है, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम प्राईम मिनिस्टर के अहसानमन्द हैं कि उन्होंने निगोशियन्स करने के लिए एक मौका दिया। हमने किसके साथ निगोशिएसन्स नहीं किया ? जब बूटा सिंह जी होम मिनिस्टर थे, हमने निगोशियन्स किया। जब हमने शिलान्यास किया तो आपसे पूछकर किया और आपने कहा कि अनडिस्प्यूटिड जगह है, आप कर सकते हैं आप बैठे हैं। उसके बाद श्री वी० पी० सिंह तशरीफ लाये जो प्राईम मिनिस्टर बने। हम श्री वी० पी० सिंह के पास गए, उनसे निगोशिएशन्स किया। उन्होंने कायदे से बात सुनी। हम लोग उनसे इम्प्रेस्ड हुए। नए प्रधानमन्त्री आए हैं, उन्होंने लिखकर दिया कि आप चार महीने के लिए खामोश हो जाइये। हम चार महीने के लिए रुक गए। उसके बाद श्री चन्द्रशेखर जी आए, उन्होंने एक कमेटी बनाई।

अध्यक्ष महोदय : दीक्षित जी, इसके लिए पूर्व देने की जरूरत नहीं है। आप निगोशिएसन्स के लिए तैयार हैं···आप प्वाइंट पर आइए···

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : मैं यह आपको दिखाना चाहता हूं···जब हम उनसे बात करने के लिए

गए तो 24 दिसम्बर को हमारी बातचीत शुरू हुई और उसमें सर्वश्री शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, श्री भैरों सिंह शेखावत, तत्कालीन होम स्टेट मिनिस्टर श्री सुबोध कांत सहाय थे जो इसके कंवीनर बने। उन लोगों के साथ बैठकर यह फैसला हुआ कि बातचीत के जरिए से इस मामले को 5 फरवरी तक तय कर देंगे। यह मेरे पास लिखित है, मैं आपको दिखा सकता हूं। परन्तु वह लोग 24 जनवरी को दस्तखत करके चले गए।

(अनुवाद)

उन्होंने कहा है : "अयोध्या का दौरा करने के लिए और इस मामले के तथ्यों का अध्ययन करने के लिए हमें कम-से-कम छः महीने चाहिए।"

[हिन्दी]

जो लोग उधर से बात कर रहे थे, मेरे पास डाक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं।

24 जनवरी को लिखकर चले गए। 25 तारीख को हम फिर इकट्ठा हुए और सुबोध कांत सहाय साहब और एक एस० पी० साहब थे और एक डी० आई० जी० साहब थे उन लोगों ने कितना टेलीफोन किया और कितनी कोशिश की लेकिन उधर से कोई बात नहीं आई।

श्रीमन्, हम यह जानना चाहते हैं कि हमने अदालत की अवमानना कब की और हमने आपसे इस मामले को सेटल करने के लिए कब मना किया? माननीय प्रधान मन्त्री जी से मैं एक बात जरूर जानना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मन्त्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया इस हाउस में, जो संत लोग आए थे यह तो यहां पर अपनी बात कहने के लिए मौजूद नहीं हैं। मैंने उनसे बात की। मैं गया था और मैंने उनसे बात की। श्रीमन् मैं आपकी मार्फत प्रधान मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है और जो संतों की अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कोई फर्क है। आप इसे समझ लीजिए। मैं बड़ी गम्भीर बात कह रहा हूं। मैं किसी पर कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं। प्रधान मन्त्री जी की जो अंडरस्टैंडिंग है और उन्होंने जो अपने बयान में कहा है वह, और जो संतों का विचार है उसमें कुछ फर्क है। इसलिए अच्छा यह होगा अगर पहले ही गलतफहमी दूर हो जाए तो ठीक होगा। मेरा यह अर्ज करना है कि संतों का ख्याल और यह जो चार महीने प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि चार महीने का पीरियड बड़ा क्रूशियल मानते हैं। तो प्रधानमन्त्री जी कहें तो चार महीने में दस दिन कम कर दें। उसे सन्त मान लेंगे उनका ख्याल यह है। संतों का जो विचार है वह मैं प्रधान मंत्री जी को बता दूं क्योंकि दोबारा अपनी बात सुनाने के लिए वह नहीं आएंगे। उनका विचार यह है कि प्रधान मन्त्री जी इस मामले को तीन महीने के अन्दर सेटल कर देंगे। माननीय प्रधान मन्त्री जी ने कहा है वह यह है कि हम तीन महीने के अन्दर इन सारे कागजात को इकट्ठा करके इनको एक ज्यूडिशियल अथारिटी को दे देंगे जो इसका फैसला करेगी। यह तो हरेक आदमी कह रहा है कि अगर आपने कोर्ट को फैसला करने के लिए दे दिया तो अगर सुप्रीम कोर्ट सब काम छोड़कर भी इस मामले को निपटाए तो इतने मजबूत और इतने जबर्दस्त मामले हो गए हैं कि कम-से-कम चार साल तो सुप्रीम कोर्ट को लग जाएंगे। इसलिए यह जरूरी होगा कि जिन सन्तों के कहने से वहां हमने कार सेवा बन्द की है, जैसा आपको बताया गया 60,000 से ज्यादा आदमी वहां इकट्ठे थे। जब हमने उनसे कह दिया कि संतों का आदेश है, प्रधान मन्त्री जी से बात हो गई है, सुलह-समझौते की बात हो गई है, आप कार सेवा बन्द करो। वहां पर विदेशी प्रेस वाले आए थे। उन्होंने कहा कि उनको ताज्जुब होता है यह देखकर कि इतने हजार आदमी यहां इकट्ठे हैं और ये सारे के सारे लोग यहां से उठ कर चले गए और उन्होंने कार सेवा बन्द कर दी।

यह एक मिसाल की बात है कि वह कितने डिसिप्लिंड थे, कितनी उनकी आस्था थी कि जब कहा गया कि आप कार सेवा बन्द कर दीजिए तो उन्होंने कार सेवा बन्द कर दी। प्रधान मन्त्री जी के आदेश पर, प्रधान मन्त्री जी की इस अपील का हमने स्वागत किया लेकिन हम प्रधान मन्त्री जी की नोटिस में यह बात लाना चाहते हैं कि जो प्रधान मन्त्री जी की अन्डरस्टैंडिंग है और जो संतों की अंडरस्टैंडिंग है उसमें कुछ फर्क है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या चल रहा है। आप बार-बार वहां बैठकर बात कर रहे हैं। यहां इतना सीरियस डिस्कशन चल रहा है और आप आपस में बात कर रहे हैं।

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, बार-बार सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहां इतनी गम्भीर चर्चा चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मैंने उनको बोल दिया है। आप भी अब डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री शीश चन्द्र दीक्षित : माननीय प्रधान मन्त्री जी ने इतना अच्छा स्टेप लिया इसको डिफ्यूज करने के लिए हम उसका स्वागत करते हैं। माननीय प्रधान मन्त्री जी ने एक कदम इसकी तरफ उठाया लेकिन जिन संतों से आपकी बातचीत हुई और वह संत यहां पर मौजूद नहीं हैं प्रधान मन्त्री के स्टेटमेंट पर रिएक्शन जाहिर करने के लिए। यदि माननीय प्रधान मन्त्री जी को उनका रिएक्शन न मालूम हो तो उन्हें खुद ही इस मामले को सुलझाने में दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने यह जरूरी समझा क्योंकि मैंने स्वयं वहां संतों से बात की है, मैं अयोध्या में था, मैं उनसे वहां बात करके आया हूं कि आपका क्या रिएक्शन है, उन्होंने जो मुझे बताया, वही मैं आपकी मारफत माननीय प्रधान मन्त्री जी को बताना चाहता हूं। उनका समझना यह है कि तीन महीने की तो बात है, तुम तीन महीने तो खामोश रहो, यहां तक उन्होंने कहा कि देखो यह एक की-इंसीडेंस की बात है···

अध्यक्ष महोदय : आप बाकी बातों को छोड़िए और मेन प्वाइंट पर आ जाइए।

श्री शीश चन्द्र दीक्षित : उनसे जो सबसे जरूरी बात है, अगर मैं उसे नहीं बताऊंगा तो माननीय प्रधान मन्त्री जी को संतों का रिएक्शन कैसे मालूम होगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, बताइए, वे सुनने के लिए तैयार हैं।

श्री शीश चन्द्र दीक्षित : वही तो मैं कह रहा हूं, उसे ही आपके सामने पेश कर रहा हूं, कोई दूसरी बात नहीं कह रहा हूं। उन्होंने यह कहा है, उनका ख्याल यह है कि माननीय प्रधान मन्त्री जी इस मामले को किसी तरीके से तीन महीने के अन्दर सुलझा देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वे समझते हैं कि तीन महीने के बाद, हमारे ऊपर, जो नैगोसिएशन्स चल रहे हैं, उनका कोई बंधन तीन महीने के बाद नहीं रहेगा। उनकी बात बिल्कुल साफ है और मैं यह बात ऐलान करके कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां, आपने अपना प्वाइंट बड़ा क्लियर करके कह दिया है।

श्री शीश चन्द्र दीक्षित : इसलिए मैं अन्त में, माननीय प्रधान मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस केस में कोर्ट की हर बात को देख लिया, हमने नैगोसिएशन्स के रिजल्ट देख लिए, बूटा सिंह जी से बात की, वी० पी० सिंह साहब से बात की, चन्द्र शेखर साहब से बात की और अब माननीय प्रधान मन्त्री जी से बात कर रहे हैं। हम नैगोसिएशन्स के लिए तैयार हैं और कोर्ट इस मामले को कभी सैटल नहीं कर सकता, ऐसा लोगों का ख्याल है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कोई ऐसा

रास्ता निकालें कि जो संतों का विचार है, उसे ख्याल में रखते हुए, माननीय प्रधान मन्त्री जी कोई ऐसा फैसला करें, यही मेरा कहना है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। उसने प्रधान मन्त्री के विवेक और प्रधान मन्त्री की राष्ट्र के प्रति वचनबद्धता को अस्वीकार किया है ? यह क्या है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपया हमें इन्तजार करना चाहिए।

श्री बूटा सिंह : अध्य जी, यदि आप आज्ञा दें तो जिस हद तक मेरा उल्लेख किया गया है, उसके सम्बन्ध में, मैं दो शब्द कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपको बोलने के लिए पूरा वक्त दूंगा, मगर क्या आप आज ही बोलना चाहेंगे या कल बोलना चाहेंगे।

श्री बूटा सिंह : मेरे बारे में चूंकि रिकार्ड पर बातें कही गई हैं, उनके सम्बन्ध में, मैं अपना पक्ष कहना चाहूंगा, यदि आप इजाजत दें तो आज ही कह दूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि हाउस आज लेट बैठ रहा है तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। चूंकि दो मिनट बाकी हैं, यदि हम लेट बैठ रहे हैं तो मुझ कोई हर्ज नहीं है।

[अनुवाद]

क्या हम और अधिक समय के लिए बैठने को तैयार हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : हम इसे कल जारी रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इन्द्रजीत जी, मैं आपको आज बुलाने की सोच रहा था लेकिन तब आप कल बोल सकते हैं। तथा अन्य सदस्य भी कल बोल सकते हैं। हम दोबारा एकत्रित होंगे और बोलने के लिए माननीय सदस्यों को कल समय देंगे।

श्री बूटा सिंह : महोदय, कृपया मुझे भी एक अवसर देना।

अध्यक्ष महोदय : आपको अवसर मिलेगा। अब सभा कल 29 जुलाई को 11 म० पू० पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

5.59. म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 29 जुलाई, 1992/7, श्रावण 1919 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : चौहान प्रिंटिंग प्रेस, गली नं० 17, ब्रह्मपुरी, दिल्ली-53